

‘अधिधावृत्तिमातृका’ तथा ‘शब्दव्यापारविचार’
का
तुलनात्मक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी (संस्कृत) डिग्री हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

निर्देशकः-
डॉ० सुरेशचन्द्रपाण्डे
अवकाशप्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष



शोधकर्ता:-
निरुपमा त्रिपाठी

संस्कृत विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद - २९९ ००२

इदमस्थन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।

यदि शब्दाह्यं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते॥

‘काव्यादर्श’

भूमिका

शब्द ही इस संसार में शरीरधारियों के सकल व्यवहार का आधार है। यद्यपि विविध प्रकार के सङ्केतों से मनोभावों को प्रकट तो किया जा सकता है किन्तु अर्थों की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से ही होती है। भारतीय-चिन्तन-परम्परा में शब्द-विवेचन का अति गम्भीर प्रतिपादन इसकी महत्ता को ही दर्शाता है।

भारतीय साहित्य में शब्दविषयक विशद चर्चा व्याकरण, न्याय तथा र्मामांसा इन तीन शास्त्रों में विशेष रूप से मिलती है। इन्होंने को आधार बनाते हुए संस्कृत काव्याशास्त्र में भी इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है।

इन विचारधाराओं से पूर्व वैदिक परम्परा में तो शब्द की उत्पत्ति सृष्टि से भी पूर्व मानी गई है। समस्त वैदिक साहित्य में शब्द या वाणी को अपौरुषेय माना गया है। 'वाञ्छै ब्रह्म च सुब्रह्मचेति' (ऐ० ब्रा०, ६/३) 'वागिति सर्वेदेवा:' (जै० उ०, १/६/२११), तथा -

सर्वाणि च भूतानि वाचैव सप्राङ्गज्ञायन्ते

वाग् वै सप्राद् परमं ब्रह्म । (वृहदा० उ०, ४/९,२)

इत्यादि वैदिक वाक्यों में वाणी को ब्रह्म कहा गया है।

'छान्दोमोपनिषद्' में वाणी की महत्ता इस प्रकार बतायी गई है -

'यद् वाङ् नाभविष्यत् न धर्मो नाधर्मो च्याज्ञापयिष्यत न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवैतत् सर्वं विज्ञापयति वाचमुपास्वेति। (छान्दोमो०, ७/२/६) ।

शब्द के स्वरूप और उसकी उत्पत्ति के विषय में प्राचीन महर्षियों ने जो सिद्धान्त सहस्रों वर्ष पूर्व निश्चित किया था वह आज भी वैज्ञानिक तथा प्रामाणिक माना जाता है।

वैयाकरणों में आचार्य भर्तृहरि के अनुसार लोक में कोई भी ज्ञान शब्द के विना सम्भव ही नहीं है। इन्होंने 'शब्दाद्वैत' नाम से एक नवीन प्रस्थान की स्थापना की तथा शब्द को 'अनादिनिधन ब्रह्म' कहते हुए समस्त संसार को इसी का विवर्त माना है -

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ (वा० प०, १/१) ।

इसके अतिरिक्त भर्तृहरि ने शब्द को नित्य मानते हुए समस्त ज्ञान को उससे अनुविद्ध माना है -

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥ (वा० प०, १/११४) ।

शब्द क्या है इस विषय में महाभाष्यकार पतञ्जलि की उक्ति है -

‘प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते। तद्यथा शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षीः शब्द कार्ययं माणवकः इति ध्वनिं कुर्वन्नेवमुच्यते। तस्माद् ध्वनिः शब्दः। (म० भा०, (१), १. १. १, पृ० १६) ।

नैयायिकों ने भी शब्द को ध्वनि ही कहा है किन्तु उनके मत में शब्द नश्वर ध्वनि रूप होता है। वक्ता द्वारा घट पटादि के उच्चारण के अनन्तर वे शब्द आकार्श मार्ग से विचरण करते हुए ‘वीचितरङ्गन्याय’ अथवा ‘कदम्बमुकुलन्याय’ से श्रोता की कर्णशक्तुली से उपहत आकाश-प्रदेश में व्यक्त हो जाते हैं।

प्रत्येक शब्द किसी न किसी अर्थ का बोधक होता है इस विषय में सभी विद्वान् एकमत हैं तथा नैयायिकों को छोड़कर प्रायः सभी विचारक शब्द के साथ अर्थ के सम्बन्ध की नित्यता को भी स्वीकार करते हैं।

शब्द से अर्थ की प्रीतीति किसी न किसी ‘व्यापार’ के माध्यम से ही होती है। शब्द के व्यापार को ही ‘शक्ति’ तथा ‘वृत्ति’ के नाम से भी जाना जाता है। शब्द की यह शक्ति अथवा वृत्ति कितने प्रकार की होती है इस पर विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। मुख्य रूप से अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना नाम की तीन शब्द-शक्तियाँ ही मानी गई हैं। कहीं-कहीं तार्तय नामक चौथी शक्ति भी मानी गई है।

इन शक्तियों में अभिधा शक्ति तो निर्विवाद रूप से सर्वत्र स्वीकृत है तथा लक्षणा भी प्रायः सभी विचारधाराओं में मात्र है, किन्तु व्यञ्जना शक्ति वैयाकरणों तथा काव्यशास्त्र, मुख्यतः आलङ्कारिकों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मानी गई हैं। शब्द की एक पृथक् वृत्ति के रूप में इसका प्रादुर्भाव सर्वप्रथम आनन्दवर्धन के ‘ध्वन्यालोक’ में ही हुआ है। यद्यपि आनन्दवर्धन से पूर्व भी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में प्रतीयमानार्थ अथवा व्यञ्जनार्थ की सत्ता के संझेत मिलते हैं तथापि व्यञ्जनार्थ की बोधिका शक्ति ‘व्यञ्जना’ की वृत्यन्तर के रूप में स्थापना का श्रेय आनन्दवर्धन को ही है। इसके पश्चात् आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य ममट, विश्वनाथ, पण्डितराजजगन्नाथ इत्यादि प्रबल समर्थकों के विचारों में व्यञ्जना पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित हुई।

काव्यशास्त्रियों की इस ‘व्यञ्जनावृत्ति’ को अत्यधिक विरोध का भी सामना करना पड़ा। किन्हीं आचार्यों ने अभिधा से ही प्रतीयमानार्थ की भी प्रतीति मान ली है। इस मत को मानने वाले दीर्घदीर्घतरअभिधावादी हैं जिनमें

भट्टलोल्लट प्रमुख हैं। कर्तिपय आचार्य व्यङ्ग्य कहे जाने वाले अर्थ की प्रतीति लक्षणा से ही मान लेते हैं। महिमभट्ट प्रभृति अनुगानवादियों ने तो अनुमान के द्वारा ही व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति मानी है।

व्यङ्गना-विरोधी विचारकों में आचार्य मुकुलभट्ट का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने लक्षणा में ही व्यङ्गना का अन्तर्भाव माना है। मुकुलभट्ट के अनुसार तो लक्षणा भी शब्द की पृथक् शक्ति नहीं है। इन्होंने अभिधा के दस भेदों में अन्तिम छः भेदों को ही लक्षणा कहा है। ‘अभिधावृत्तिमातृका’ नामक अपने ग्रन्थ में मुकुलभट्ट ने अभिधा के दस भेदों की विशद विवेचना की है तथा आनन्दवर्धन एवं मम्पट आदि ध्वनिवादी आचार्यों को मान्य वस्तु अलङ्कार एवं रसादि ध्वनि को इन्होंने लक्षणा में ही अन्तर्भूत मान लिया है।

‘अभिधावृत्तिमातृका’ की प्रतिक्रिया स्वरूप ही आचार्य मम्पट ने ‘शब्दव्यापारविचार’ नामक आलोचनात्मक ग्रन्थ की रचना की। यद्यपि मुकुलभट्ट के स्वमत विरोधी विचारों का खण्डन आचार्य मम्पट ने ‘काव्यप्रकाश’ में भी किया है तथापि ‘शब्दव्यापारविचार’ का प्रणयन ‘अभिधावृत्तिमातृका’ के सिद्धान्तों के परीक्षणार्थ ही हुआ है। इस प्रक्रिया में मम्पट ने इसके विचारों को ग्रहण करने में भी संकोच नहीं किया है। यही कारण है कि ‘शब्दव्यापारविचार’ में कुछ ऐसे विषयों पर भी चर्चा हुई है जो कि ‘काव्यप्रकाश’ में अविचारित हैं। जैसे - लक्ष्यार्थ की सापेक्षता, रूढ़ा एवं प्रयोजनवती लक्षणा के साथ-साथ अकार्या अथवा त्याज्य लक्षणा का प्रसङ्ग, अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, समुच्चयवाद तथा अखण्डार्थवाद, इन चारों के अन्तर्गत अभिधा तथा लक्षणा का पौर्वापर्य इत्यादि।

स्नातकोत्तर कक्षा के पाठ्यक्रम में आचार्य मम्पटकृत ‘काव्यप्रकाश’ के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके द्वितीय उल्लास में मम्पट ने पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थापना करते हुए उपादान लक्षणा के ‘गौरनुबन्धः’ तथा ‘पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्न्ते’ उदाहरणों एवं ‘ताटस्य सिद्धान्त’ का खण्डन किया है। इसी प्रसङ्ग में यह सहज ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये सिद्धान्त किस आचार्य अथवा ग्रन्थ के हैं ? इसके समाधान स्वरूप मुकुलभट्ट एवं उनकी ‘अभिधावृत्तिमातृका’ का संक्षिप्त परिचय प्राप्त हुआ।

शोध के विषय का चयन करते समय मम्पट के द्वितीय ग्रन्थ ‘शब्दव्यापारविचार’ के विषय में भी ज्ञात हुआ जिसे अधिकांश विचारकों एवं व्याख्याकारों ने ‘काव्यप्रकाश’ के द्वितीय उल्लास का विस्तृत रूप मानकर महत्वहीन रिक्ष्ट करने का प्रयास किया है। ‘शब्दव्यापारविचार’ की उपादेयता ‘अभिधावृत्तिमातृका’ के साथ इसके तुलनात्मक अध्ययन से ही सिद्ध हो सकती थी, किन्तु इन दोनों ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हुआ है इसी कारण ‘अभिधावृत्तिमातृका तथा शब्दव्यापारविचार का तुलनात्मक अध्ययन’ विषय पर शोध कार्य करने का विचार उत्पन्न हुआ।

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में छः अध्याय हैं। प्रथम अध्याय है - 'विषय-प्रवेश'। इसके अन्तर्गत आचार्य मुकुलभट्ट एवं आचार्य ममट का जीवन परिचय, काल, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा इनके पूर्ववर्तियों का दोनों आचार्यों पर प्रभाव की विवेचना की गई है।

द्वितीय अध्याय 'अभिधावृत्ति-विवेचन' है जिसमें अभिधावृत्ति के संक्षिप्त इतिहास के साथ-साथ मुकुलभट्ट तथा ममट के अनुसार अभिधा का स्वरूप, सङ्केतग्रह के प्रकार, जातिवादी वाजप्यायन, व्यक्तिवादी व्याडि का मत, महाभाष्यकार की 'चतुष्टपी शब्दप्रवृत्ति' इत्यादि विषयों का निरूपण है।

'लक्षणावृत्ति-विवेचन' नामक तृतीय अध्याय में जिन विषयों पर चर्चा की गई है वे हैं - मुकुलभट्ट के पूर्व लक्षणा का स्वरूप, मुकुलभट्ट एवं ममट के अनुसार लक्षणावृत्ति-विवेचन, ममट के परवर्ती कतिपय प्रमुख काव्यशास्त्रियों के अनुसार लक्षणावृत्ति तथा मुख्यार्थबाध में अन्यानुपर्याप्ति एवं तात्पर्यानुपर्याप्ति पर विचार।

चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत लक्षणा-भेदों की व्याख्या की गई है। इसमें मुकुलभट्ट एवं ममट के लक्षणा भेदों की विस्तृत विवेचना सहित ममट के परवर्ती उल्लेखनीय आचार्यों के अनुसार लक्षणा-भेदों का संक्षिप्त-विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

मुकुलभट्ट की दृष्टि में व्यञ्जनावृत्ति की स्थिति पञ्चम अध्याय में प्रतिपादित की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें आचार्य ममट के अनुसार व्यञ्जना का स्वरूप तथा व्यञ्जनाविरोधी मतों के खण्डन का विस्तृत विवेचन है।

षष्ठ अध्याय उपसहार है जिसमें मुकुलभट्ट एवं ममट के मतों के साम्य एवं वैषम्य को को क्रमानुसार दर्शाया गया है।

अन्त में तीन परिशिष्ट भी हैं। परिशिष्ट 'क' में 'अभिधावृत्तिमातृका' की विविध पाण्डुलिपियों का वर्णन है। परिशिष्ट 'ख' में मुकुलभट्ट के ग्रन्थ का नाम 'अभिधावृत्तिमातृका' है अथवा 'अभिधावृत्तमातृका', इस पर चर्चा है। दो भिन्न संस्करणों से प्राप्त 'अभिधावृत्तिमातृका' के पाठ-भेदों की सूची परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

परम पूज्य गुरु प्रोफेसर सुरेशचन्द्रपाण्डे (अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के कुशल- निर्देशन में यह शोध-प्रबन्ध पूर्ण हुआ है। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन में मेरी लेखनी असमर्थ है। विषय-सामग्री के सङ्कलन से लेकर शोध-प्रबन्ध के लेखनपर्यन्त विद्वत्तापूर्ण परामर्शों, मार्ग-निर्देशन एवं आशीर्वाद के रूप में मुझे उनकी जो कृपा प्राप्त हुई है उसके लिए मैं आजन्म उनकी ऋणी रहूँगी।

डॉ० ज्ञानदेवीश्रीवास्तव (प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने शोध-काल में मुझे विभागीय सुविधाएँ प्रदान की।

डॉ० रेवाप्रसादद्विवेदी (अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, साहित्य-विभाग, प्राच्यविद्यार्थीविज्ञानसंकाय,

शङ्काओं का समाधान किया अपितु 'अभिधावृत्तिमातृका' तथा 'शब्दव्यापारविचार' नामक ग्रन्थों की निर्णयसागरीय सरकरण वाली वह दुर्लभ प्रतियाँ भी प्रदान की जिसका टड़कण मूलग्रन्थों से उन्होंने स्वयं किया था ।

कु० पूर्णिमाचतुर्वेदी (प्रवक्ता, संस्कृत, क्रास्थवेट गर्ल्स इण्टर कॉलेज, इलाहाबाद) के प्रति भी श्रद्धावनत हूँ जिन्होंने माध्यमिक कक्षाओं से ही संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न की तथा उनके प्रेरक-वचनों की सृति आज भी सदैव सम्बल प्रदान करती है।

मैं उन सभी गुरुजनों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिनकी सतत शिक्षा के फलस्वरूप मेरी गति इस शोध-कार्य की पूर्ति में बनी रही ।

मैं उन विद्वानों के प्रति भी आभारी रहूँगी जिनके ग्रन्थों के अध्ययन से लाभान्वित हुई हूँ ।

मेरा शोध-प्रबन्ध पूर्ण होने में मेरे परिवारजनों की उल्कट इच्छा ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। शोध-प्रबन्ध के पूर्णत्व में परिवार के प्रत्येक सदस्य की अहर्निश प्रेरणा मुझे शक्ति प्रदान करती रही है। एतदर्थ मैं उन सबके प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ ।

विर्भित्र पुस्तकालयों, विशेष रूप से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित केन्द्रीय पुस्तकालय तथा गङ्गानाथ ज्ञानकेन्द्रीय संस्कृत शोध-संस्थान, इलाहाबाद स्थित पुस्तकालय के कर्मचारियों के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने दुर्लभ ग्रन्थों एवं अन्य अपेक्षित शोध-पत्रिकाओं आदि को समुपलब्ध कराकर मुझे सहयोग प्रदान किया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कनिष्ठ तथा वरिष्ठ शोध-अध्येतावृत्ति के रूप में प्राप्त आर्थिक सहायता हेतु उसके प्रति भी मेरा धन्यवाद ज्ञापित है।

अन्त में मैं इस शोध-प्रबन्ध के टड़कणकर्ता श्री जयसिंह को भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने पूर्ण मनोयोग से यथा सम्भव शुद्ध टड़कण कार्य सम्पन्न किया है ।

-निरुपमा त्रिपाठी
9-5-1998
(निरुपमा त्रिपाठी)

संक्षिप्त-सङ्केत-सूची

अ० को०	-	अमरकोषः
अ० म०	-	अलङ्कारमहोदयि
अ० सर्व०	-	अलङ्कारसर्वस्वम्
अ० वृ० मा०	-	आभिधावृत्तिमातृका
आ०	-	आनन्
उ०	-	उद्योत/उल्लास
ऐ० ब्रा०	-	ऐतरेयब्राह्मण
का० प्र०	-	काव्यप्रकाश
का० प्र०, वा० वो०	-	काव्यप्रकाश बालबोधिनी
का० मी०	-	काव्यमीमांसा
काव्या० सा० सं०	-	काव्यालङ्कारसारसंग्रह
काव्या० ल० वृ०	-	काव्यालङ्कारसारसंग्रह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या
काव्या० सू०	-	काव्यालङ्कारसूत्र
कोविं०	-	कोविदानन्द
च०	-	चतुर्थ
जै० उ०	-	जैमिनीय उपनिषद्
जै० सू०	-	जैमिनीय सूत्र
त० भा०	-	तर्कभाषा
त० वा०	-	तन्त्रवातिक
तृ०	-	तृतीय
द्वि०	-	द्वितीय
ध्व०	-	ध्वन्यालोक
ध्व० लो०	-	ध्वन्यालोक लोचन
न्या० भा०	-	न्यायभाष्य
न्या० म०	-	न्यायमञ्जरी
न्या० सि० मु०	-	न्यायसिद्धान्तमुक्तावली
न्या० सू०	-	न्यायसूत्र
प०	-	पञ्चम
प० ल० म०	-	परमलघुमञ्जूषा
परि०	-	परिच्छेद
पा० सू०	-	पाणिनिसूत्र
पृ०	-	पृष्ठ
प्रता० रु०	-	प्रतापरुद्रीयम्
प्र०	-	प्रथम/प्रदीप
प्रस्ता०	-	प्रस्तावना

प्रा० भा०	-	प्राचीन भारत
भा० काव्या०	-	भामह काव्यालङ्कार
भा० द०	-	भारतीय दर्शन
भा० द० सर्वे०	-	भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण
म० भा०	-	महाभाष्य
मी० द०	-	मीमांसादर्शनम्
मी० द० विवे० इति०	-	मीमांसादर्शन का विवेचनात्मक इतिहास
मी० स०	-	मीमांसा-सूत्र
व्य० विं०	-	व्यक्तिविवेक
व० जी०	-	वक्रोक्तिजीवितम्
वा० प०	-	वाक्यपदीयम्
वा० मा०	-	वाक्यार्थमातृका
वा० मा० वृ०	-	वाक्यार्थमातृका-वृत्ति
विं०	-	विमर्शः
वे० परि०	-	वेदान्तपरिभाषा
वे० सा०	-	वेदान्तसार
वै० सिं० ल० म०	-	वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्चूषा
वृ० वा०	-	वृत्तिवार्तिकम्
वृ० समु०	-	वृत्तिसमुच्चय
वृहदा० उ०	-	वृहदारण्यकोपनिषद्
र० गङ्गा०	-	रसगङ्गाधरः
रा० त०	-	राजतरङ्गिणी
रु० काव्या०	-	रुद्रट काव्यालङ्कार
सं० का० इति०	-	संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास
सा० द०	-	साहित्यदर्पण
सि० कौ०	-	सिद्धान्त कौमुदी
श्लो० वा०	-	श्लोकवार्तिक
श० व्या० विं०	-	शब्दव्यापारविचार
शा० भा०	-	शाब्दभाष्य

विषयानुक्रमणिका

भूमिका	i - v
संक्षिप्त संक्षेत्र-सूची	vi - vii
विषयानुक्रमणिका	viii - x

प्रथम अध्याय :	विषय-प्रवेश
१. १ मुकुलभट्ट का जीवन-परिचय	१ - ३८
१. २ मुकुलभट्ट : एक दार्शनिक काव्यशास्त्री	३
१. ३ मुकुलभट्ट का काल	५
१. ४ मुकुलभट्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	६
१. ४. १ व्याकरण	८
१. ४. २ मीगांसा दर्शन	९
१. ४. ३ न्याय दर्शन	११
१. ४. ४ सार्वहित्य शास्त्र	१२
१. ५ पूर्ववर्ती विचारधाराओं एवं आचार्यों का मुकुलभट्ट पर प्रभाव	१६
१. ६ आचार्य मम्मट का जीवन-परिचय	२७
१. ७ गम्मट का समय	२३
१. ८ गम्मट के ग्रन्थ	२४
१. ९ शब्दव्यापारविचार एवं उसका महत्त्व	२७
१. १० आचार्य मम्मट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	२८
१. ११ मम्मट पर पूर्ववर्तियों का प्रभाव	३२
द्वितीय अध्याय :	अभिधावृत्ति-विवेचन
	३६ - ६१
२. १ मुकुलभट्ट के अनुसार अभिधा का स्वरूप	४२
२. २ मुख्य अर्थ के भेद	४४
२. ३ मुकुलभट्ट के अनुसार जातिशक्तिवाद का खण्डन	४८
२. ४ मम्मट के अनुसार अभिधा का स्वरूप एवं संक्षेत्रग्रह-विभाग	५०
२. ५ मम्मट के अनुसार जातिशक्तिवाद का खण्डन	५३
२. ६ वाजप्यायन का मत	५४
२. ७ व्याङि का मत	५६
२. ८ वाजप्यायन एवं व्याङि के मत का समन्वय	५८
२. ९ महाभाष्यकार का चतुर्विध-शब्द-विभाग	५९

तृतीय अध्याय :

लक्षणावृत्ति-विवेचन

६२ - १०३

३.१ मीमांसकों के अनुसार लक्षणा	६५
३.२ नर्थाशिकों के अनुसार लक्षणा	६६
३.३ लक्षणा सम्बन्धी काव्यशास्त्रीय मत	६७
३.४ मुकुलभट्ट के अनुसार लक्षणावृत्ति-विवेचन	७०
३.४.१ लक्ष्यार्थ की सापेक्षता	७१
३.४.२ लक्षणा के हेतु	७६
३.४.३ लक्षणा में वाच्यार्थ की स्थिति	८०
३.४.४ लक्षणा एवं अभिधा का पोर्वापर्य	८३
३.४.४.१ अभिहितान्वयवाद	८४
३.४.४.२ अन्विताभिधानवाद	८५
३.४.४.३ संगुच्छयवाद	८७
३.४.४.४ अखण्डार्थवाद	८८
३.४.५ गम्भार के अनुसार लक्षणा का स्वरूप	८९
३.४.५.१ लक्ष्यार्थ की सापेक्षता	९०
३.४.५.२ गम्भार के अनुसार निरुदा प्रयोजनवती एवं अकार्या लक्षणाएँ	९४
३.४.५.३ लक्ष्यार्थ का मूल्यार्थ से सम्बन्ध	९५
३.४.५.४ अभिधा एवं लक्षणा का पोर्वापर्य	९७
३.४.५.४.१ अभिहितान्वयवाद	९७
३.४.५.४.२ अन्विताभिधानवाद	९८
३.४.५.४.३ संगुच्छयवाद	९९
३.४.५.४.४ अखण्डार्थवाद	१००
३.५ गम्भार के परवर्ती काव्यशास्त्रियों के अनुसार लक्षणा	१०६
३.६ मूल्यार्थवाद अन्वयानुपर्णि या तात्पर्यानुपर्णि	१०९

अध्याय चतुर्थ : लक्षणा के भेद

१०४ - १३५

४.१ मुकुलभट्ट के अनुसार लक्षणा के भेद	१०५
४.१.१ शुद्धा लक्षणा	१०६
४.१.१.१ उपादान लक्षणा	१०६
४.१.१.२ लक्षणलक्षणा	१०८
४.१.२ उपचारामित्रा लक्षणा	१०८
४.१.२.१ अध्यारोप	१०८
४.१.२.२ अध्यवसान	११०
४.१.३ लक्षणा के तीन रूप	११३
४.२ गम्भार के अनुसार लक्षणा के भेद	११५
४.२.१ ताटस्थ रिद्धान्त का खण्डन	११८
४.२.३ परवर्ती काव्यशास्त्रियों के अनुसार लक्षणा के भेद	१२५
४.२.४ 'गुणवृत्ति', 'भक्ति' एवं 'उपचार'	१२२

अध्याय पञ्चम :	व्यञ्जनावृत्ति-विवेचन	१३६ - १८४
----------------	-----------------------	-----------

५. १ मुकुलभट्ट एवं व्यञ्जनाशक्ति	१४९
५. २ ममट के अनुसार व्यञ्जनावृत्ति-विवेचन	१५७
५. २. १ काव्यप्रकाश में वर्णित अभिधामूला शब्दी व्यञ्जना	१५७
५. २. २ आर्थी व्यञ्जना	१६९
५. ३ ममट द्वारा व्यञ्जनानिरोधी मतों का खण्डन	१६७
५. ३. १ अभिधा से व्यञ्जना का भेद	१६८
५. ३. २ लक्षणा से व्यञ्जना का भेद	१७१
५. ३. ३ अखण्डार्थवादियों का खण्डन	१७८
५. ३. ४ अनुमितिवाद का खण्डन	१८०

अध्याय षष्ठि :	उपसंहार	१८५ - १६०
----------------	---------	-----------

परिशिष्ट 'क'	१६१ - १६२
परिशिष्ट 'ख'	१६३ - १६४
परिशिष्ट 'ग'	१६५ - १६६
संशयक ग्रन्थ-सूची	१६७ - २००

विषय - प्रवेश

व्याकरण, गीगांसा तथा न्याय शास्त्र से किसी न किसी रूप में प्रभावित 'साहित्यशास्त्र' 'काव्यशास्त्र' का ही नाम नाम है। काव्य के सान्दर्भभूत विविध गोलिक सिद्धान्तों की विशद विवेचना करने वाला शास्त्र ही काव्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में 'काव्यशास्त्र' के लिए 'काव्यालङ्कार' शब्द का प्रयोग होता था। भामह, उद्घट, आगग आदि प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों के नाम भी इसी आधार पर थे। 'अलङ्कार' 'सौन्दर्य' का बोधक था जैसा कि आगामे वामग ने लिखा है 'सौन्दर्यगलङ्कारः'। सम्भवतः इसी कारण सौन्दर्य का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को ही 'काव्यालङ्कार' कहा जाता था।

पार्श्वाक काल में 'साहित्य' शब्द 'काव्य' के अर्थ में प्रयुक्त होता था। जेसे 'साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः' में 'साहित्य' पद काव्य के लिए ही है। वरस्तुतः 'साहित्य' शब्द 'सहित' से बना है जिसका तात्पर्य है 'सहभाव'। काव्य में शब्द एवं अर्थ का सहभाव होता ही है, इसी कारण शब्द और अर्थ के माध्यम से भावों की सुन्दरतम अभिव्यक्ति 'काव्य' अथवा 'साहित्य' कहलायी। सर्वप्रथम आचार्य भामह ने शब्द एवं अर्थ के सहभाव को स्वीकारते हुये काव्य की पारंगमाणा दी। 'शब्दार्थो सहितो काव्यम्' भामह के पश्चात् आचार्य रुद्रट^१ एवं आचार्य कुन्तक^२ ने भी शब्द तथा अर्थ के सांगत्य को ही काव्य कहा। इसके पश्चात् परवर्ती आचार्यों में तो शब्द तथा अर्थ को काव्य-तक्षण में महत्वपूर्ण आग प्रदान करने की एक परम्परा ही बन गई।

राजशेखर की 'काव्यमीगांसा' में 'साहित्य' एवं 'साहित्यविद्या' शब्दों के प्रयोग मिलते हैं^३ इसमें 'साहित्यविद्या'

की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है

^१ शब्दार्थो सहितो काव्यं गद्यं पद्यं च तद् दिधा।

संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपग्रंशा इति त्रिधा॥ (भा० काव्या०, पृ० ६)।

^२ नगु शब्दार्थो काव्यं शब्दस्तत्रार्थवाननेकविधः॥ (र० ० काव्या०, २/१, पृ० १७)।

^३ शब्दार्थो सहितो वक्रकविव्यापारशालिनि।

बन्धे व्यवस्थतो काव्यं तद् विदाह्यादकारिणि॥ (व० जी०, १/७, पृ० १८)।

^४ पञ्चमी साहित्यविद्या इति यायावरीयः। सा हि चतसूणामपि विद्यानां निस्यन्दः॥ (का० मी०, पृ० ८)।

शब्दार्थोर्यथावत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या^१

आचार्य मुकुलभट्ट ने अपने ग्रन्थ में स्पष्ट रूप से साहित्य शब्द का प्रयोग 'साहित्यविद्या' अथवा 'काव्यशास्त्र' के अर्थ में ही किया है।

संस्कृत साहित्य अथवा काव्यशास्त्र के अपने विविध सिद्धान्त हैं जिन पर दार्शनिक प्रभाव भी मिलता है। अनेक महत्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय विषयों को भली-भाँति समझने के लिए दार्शनिक सिद्धान्तों का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। संस्कृत काव्यशास्त्र के कई ऐसे आचार्य हुए हैं जिनकी ख्याति 'दार्शनिक काव्यशास्त्री' के रूप में है जैसे- भामह, दण्डी, धर्गकीर्ति, मुकुलभट्ट, महिमभट्ट, अप्पयदीक्षित भट्टनायक, अभिनवगुप्त, भोजराज, हेमचन्द्र, धनञ्जय, धीरोदय, पाण्डुतराजजगन्नाथ इत्यादि।

इन दार्शनिक काव्यशास्त्रियों में आचार्य मुकुलभट्ट प्रमुख माने जाते हैं। इनका एकमात्र ग्रन्थ है - 'आर्गधार्मात्मातुका'। पञ्चद कारिकाओं वाले इस संक्षिप्त ग्रन्थ की वृत्ति भी स्वयं मुकुलभट्ट ने लिखी थी। शब्दशक्ति विवेचन इस ग्रन्थ का प्रातिपाद्य विषय है। मुकुलभट्ट ने शब्द की एक ही वृत्ति अथवा व्यापार को माना है और वह है- आर्गधा। इस आर्गधा के दस ग्रेद होते हैं। लक्षणा इनके अनुसार पृथक् वृत्ति न होकर अभिधा का ही भेद है। धीरोदयों को गान्ध व्यञ्जना नामक शक्ति का अन्तर्भाव इन्होंने लक्षणा में ही करने का प्रयास किया है। यही कारण है कि मुकुलभट्ट का गणना धर्मग विरोधी आचार्यों में भी प्रमुखता से होती है।

मुकुलभट्ट का 'शब्दशक्ति-विवेचन' काव्यशास्त्रीय जगत् में विशेष महत्व रखता है। इसकी महत्ता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वादेवतावतार आचार्य ममट ने अपने ग्रन्थ 'काव्यप्रकाश' में इनके कतिपय ग्रन्थान्तरों का स्पष्टन किया है। उपादान लक्षणा के 'गोरुबध्यः' तथा 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते' उदारण और शुद्धा लक्षणा के प्रसाद्म में तात्पर्य सिद्धान्त इत्यादि का ममटकृत खण्डन प्रमुख माना जाता है। आचार्य ममट के खण्डन की विशेष धूली रही है कि इन्होंने इस प्रक्रिया में यथासम्भव किसी आचार्य का नाम नहीं लिया है। यही कारण है कि मुकुलभट्ट का खण्डन करते हुए भी इन्होंने कहीं भी इनका नाम उल्लिखित नहीं किया है। ममट के पूर्व तो फिलने ही आचार्य ऐसे होंगे जिनका गत इनके गतों का विरोधी रहा होगा किन्तु इनके समक्ष मुकुलभट्ट ही शब्दशक्ति के ऐसे गिर्घात आचार्य रहे होंगे जिनके विचारों का खण्डन किये विना ये अपने सिद्धान्तों की स्थापना नहीं कर सकते थे। इस प्रकार इससे भी मुकुलभट्ट की महत्ता ही सूचित होती है।

श्रेष्ठ व्यक्तियों का उल्लेख स्तुतिपरक हो अथवा खण्डनात्मक गोरव के लिए ही होता है जैसा कि आचार्य महिमभट्ट ने धर्मिकार के लिये लिखा भी है-

^१ का० गी०, पृ० ११ ।

इह सम्प्रतिपत्तितोऽन्यथा वा ध्वनिकारस्य वचो विवेचनं नः।

नियतं यशसे प्रपत्स्यते यन्महतां संस्तव एव गौरवाय॥^१

मुकुलभट्ट की ‘अभिधावृत्तिमातृका’ से प्रभावित होकर ही आचार्य मम्मट ने ‘शब्दव्यापारविचार’ नामक एक प्रकरण ग्रन्थ की रचना की। अन्यथा जिस शब्दशक्ति का विस्तृत विवेचन वे ‘काव्यप्रकाश’ में कर चुके थे उसके ही पुनः संक्षिप्त वर्णन का क्या औचित्य था ? आचार्य मम्मट ने मुकुलभट्ट का खण्डन तो किया है किन्तु केवल उन्हीं अंशों का जिनसे वे असहमत थे। जिन सिद्धान्तों में कोई विरोध नहीं था, उसे अपनाने में भी इन्होंने कोई संकोच नहीं किया है। ‘अभिधावृत्तिमातृका’ के अनेक विचारों को आधार बनाते हुए मम्मट ने उसी के अनुसार वर्णन भी किया है। इसके स्पष्ट प्रगाण ‘काव्यप्रकाश’ तथा ‘शब्दव्यापारविचार’ में देखे जा सकते हैं।

‘काव्यप्रकाश’ एवं ‘शब्दव्यापारविचार’ के अनेक स्थल ऐसे हैं जिनमें पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थापित किये गये तकों को ‘अभिधावृत्तिमातृका’ के परिशीलन के विना भली-भाँति नहीं समझा जा सकता। इस कारण से यह कहा जा सकता है कि ‘अभिधावृत्तिमातृका’ आचार्य मम्मट के शब्दशक्ति सिद्धान्त की आधार भूमि है।

१. ९ मुकुलभट्ट का जीवन-परिचय

मुकुलभट्ट ने अपने ग्रन्थ में अपने जीवन-वृत्तान्त की कहीं कोई स्पष्ट चर्चा नहीं की है और न इनके जीवन के विषय में किसी प्राचीन ग्रन्थ से ही कोई सूचना मिलती है। इनके विषय में जो कुछ भी कहा जा सकता है उसका आधार इनकी ‘अभिधावृत्तिमातृका’ तथा इनके शिष्य प्रतीहारेन्दुराज कृत इनकी प्रशंसा ही है। इस कारण इनके जीवन का परिचय संक्षिप्त ही है।

अपने ग्रन्थ की अन्तिम कारिका में मुकुलभट्ट ने अपने पिता का नाम उल्लिखित किया है^२ जिससे ज्ञात होता है कि उनका नाम भट्ट कल्लट था। मुकुलभट्ट कश्मीर के निवासी थे। अन्तिम कारिका के वृत्तिभाग में इन्होंने स्वयं को शारदा देवी के चरण-कमल की धूलि से पवित्र भूमि का निवासी कहा है^३ शारदा कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं^४

^१ व्य० वि०, १/३, पृ० ५ ।

^२ भट्टकल्लटपुत्रेण मुकुलेन निरूपिता।

सूरिप्रबोधनायेयमभिधावृत्तिमातृका॥ अ० व० मा०, पृ० ७३ ।

^३ शारदाचरणरजःकणपवित्रितस्थलवास्तव्यश्रीकल्लटात्मजभट्टमुकुलविरचिता – । (अ० व० मा०, पृ० ७३) ।

^४ विल्हण ने कश्मीर को शारदा-देश कहा है -

सहोदराः कुङ्कुमकेसराणां भवन्ति नूनं कविताविलासाः।

कल्हण की 'राजतरंगिणी' में कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के शासन-काल में (८५४ ई०-८८३ ई०) कल्लट नामक व्यक्ति के अवतीर्ण होने का उल्लेख है^१ इसमें कल्लट का अवतार सिद्ध पुरुष के रूप में माना गया है। प्रो० पी० वी० काणे ने कल्लट को शैव सम्प्रदाय की स्पन्दशाखा से सम्बन्धित माना है^२

कश्मीर में शैव-दर्शन का अत्यन्त महत्व है। शिवसूत्र ही इस दर्शन का आधार हैं। इन सूत्रों की रचना साक्षात् शिव द्वारा मानी जाती है। शैव-शास्त्र में भी 'स्पन्दशाखा' को विशेष महत्व प्राप्त है। कल्लट ने शिवसूत्र पर स्पन्द सूत्र लिखे थे। इसका प्रमाण है स्पन्द-कारिका के अन्त में इसके रचनाकार के रूप में कल्लट का नाम उल्लिखित होना।

समाप्तं स्पन्दसर्वस्वं प्रवृत्तं भट्टकल्लटात्

स्वप्रकाशैकचित्तस्वपरिरम्भरसोत्सुकात्।

डॉ० के०सी० पाण्डेय ने अपने ग्रन्थ 'अभिनवगुप्त' में भट्ट कल्लट की चार कृतियों का उल्लेख किया है - स्पन्दसर्वस्व, तत्त्वार्थचिन्तामणि, स्पन्दसूत्र तथा मधुवाहिनी^३

कश्मीर के प्रसिद्ध यही भट्टकल्लट मुकुलभट्ट के पिता थे। इनके द्वारा अपने पिता का नामोल्लेख भी उनकी प्रसिद्धि का ही सूचक है। कश्मीर की परम्परा में इतने प्रसिद्ध व्यक्ति का पुत्र होना भी इनके लिए गौरव का ही विषय था। सम्भवतः यही कारण है कि इन्होंने अपने विषय में अधिक कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं समझी होगी। अपने परिचय हेतु अपने पिता का नामोल्लेख मात्र कर दिया है।

मुकुलभट्ट के शिष्य थे प्रतीहारेन्दुराज। इन्होंने उद्घट के 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह' पर 'लघुवृत्ति' नामक टीका लिखी है। इस टीका के प्रारम्भ में ही प्रतीहारेन्दुराज ने स्वयं को मुकुलभट्ट का शिष्य बताया है^४ तथा उसके अन्त में मुकुलभट्ट की अत्यधिक प्रशंसा की है^५ इससे ज्ञात होता है कि द्विजश्रेष्ठ मुकुलभट्ट मीमांसा, व्याकरण, तर्क तथा

^१ न शारदादेशमपास्य दृष्टतेषां यदन्यत्र मया प्ररोहः॥

^२ अनुग्रहाय लोकानां भट्टश्रीकल्लटादयः

अवन्तिवर्मणः काले सिद्धा भुवमवातस्तु॥ (रा० त०, ५/६६)।

^३ सं० का० इति०, काणे, पृ० २७२ ।

^४ 'अभिनवगुप्त', डॉ० के० सी० पाण्डेय, पृ० १५७ ।

^५ विद्वदग्र्यान्मुकुलादधिगम्य विविच्यते।

प्रतीहारेन्दुराजेन काव्यालङ्कारसंग्रहः॥ (काव्या० ल० वृ०, पृ० २४८)।

^६ मीमांसासारमेघातपदजलधिविधोस्तर्कमाणिक्यकोशात्

साहित्यश्रीमुरारेबुधकुमुमधोः शैरिपादाब्जभृङ्गत्।

श्रुत्वा सौजन्यसिन्धोर्द्विजवरमुकुलात् कीर्तिवल्ल्यालवालात्

काव्यालङ्कारसारे लघुवृत्तिमधात् कौङ्कणः श्रीन्दुराजः॥ (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४३२)।

साहित्य के पण्डित थे। इन विविध प्रकार के शास्त्रों में इनके पारङ्गत होने का सङ्केत तो ‘अभिधावृत्तिमातृका’ से भी गिलता है। इसमें दस प्रकार की अभिधा का विस्तार से वर्णन करने के पश्चात् इसे समस्त जागतिक व्यवहार में व्याप्त माना गया है। मुकुलभट्ट अभिधा का प्रसार पद, वाक्य, प्रमाण तथा साहित्य, इन सभी शास्त्रों में मानते हैं^१ ये सभी शास्त्र धर्म, अर्थ आदि चारों पुरुषार्थों के लिए उपयोगी सभी विद्याओं की प्राप्ति के उपाय हैं। इससे यही प्रतीत होता है कि उपर्युक्त शास्त्रों को जीवन में उपयोगी मानने वाले मुकुलभट्ट को स्वयं भी इन शास्त्रों का अगाध ज्ञान था।

इन शास्त्रों में ‘पदशास्त्र’ व्याकरण को कहा जाता है क्योंकि उसमें पदों का ज्ञान होता है^२ ‘वाक्य’ का तात्पर्य मीमांसा-शास्त्र है क्योंकि उसमें वाक्य के समन्वय का निश्चय होता है^३ प्रमाण के ज्ञान का हेतु होने से तर्क अथवा ‘न्याय’ को ही ‘प्रमाण’ कहा जाता है।^४

१. २ मुकुलभट्ट : एक दार्शनिक काव्यशास्त्री

आचार्य मुकुलभट्ट की प्रसिद्धि साहित्य जगत् में एक दार्शनिक काव्यशास्त्री के रूप में है। यद्यपि ये व्याकरण, न्याय तथा साहित्य के भी विद्वान् थे, तथापि मीमांसा-दर्शन के प्रति इनका विशेष झुकाव था। प्रतीहारेन्द्रराज ने भी इनकी प्रशंसा में जो पर्कियाँ लिखी हैं उनमें इनके लिए प्रथम विशेषण ही ‘मीमांसासारमेघ’ प्रयुक्त हुआ है। मुकुलभट्ट ने शब्दार्थविवेचन को अपने ग्रन्थ का विषय बनाया है। ‘वाक्यशास्त्र’ होने के कारण मीमांसा-दर्शन में भी शब्द, अर्थ तथा इनके नित्य सम्बन्ध की विस्तृत चर्चा मिलती है। ‘अभिधावृत्तिमातृका’ के कतिपय उदाहरण पूर्ववर्ती मीमांसा ग्रन्थों से ही लिये गये हैं जैसे - ‘गोरनुबन्धः’, ‘पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते’ इत्यादि। इसके अतिरिक्त इन्होंने शबरस्वामी तथा कुमारिलभट्ट का मत भी आदर सहित उद्धृत किया है^५ साथ ही भर्तृमित्र की कारिका भी उद्धृत की है^६ भर्तृमित्र को प्रो० पी० वी० काणे ने मीमांसा का लेखक बताया है^७ पं० राधाकृष्णन ने भी भर्तृमित्र को शबर स्वामी के

^१ दशविधैनानेनाभिधावृत्तेन समग्रस्य वाक्यारिस्पन्दस्य व्याप्तत्वादनेन व्याकरणमीमांसातर्कसाहित्यात्मकेषु चतुषु शास्त्रेषुपयोगात् तद्द्वारेण च सर्वासु विद्यासु सकलव्यवहारमूलभूतासु प्रसारणादस्य दशविधस्याभिधावृत्तस्य सकलव्यवहारव्यापित्वमात्यात्म। (अ० वृ० मा०, पृ० ७३)।

^२ पदावगतिहेतुत्वात् पदं व्याकरणम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ७२)।

^३ वाक्यसमन्वयावसायहेतुत्वाद् वाक्यं मीमांसा। (अ० वृ० मा०, पृ० ७२)।

^४ प्रमाणप्रतिपत्तिकारित्वात् प्रमाणं तर्कः। (अ० वृ० मा०, पृ० ७२)।

^५ (क) यदुक्तमाचार्यशबरस्वामिना - कथं पुनः - - -।

(ख) तदुक्तं भट्टकुमारिलेन - निरुद्धा लक्षणाः - - -। (अ० वृ० मा०, पृ० २५)।

^६ - - - आचार्यभर्तृमित्रेण प्रदर्शितम्- अभिधेयेन संबन्धात् - - -। (अ० वृ० मा०, पृ० ५०)।

^७ सं० का० इति०, काणे, पृ० २७२।

पूर्ववर्ती जैमिनि-सूत्र के भाष्यकार के रूप में स्वीकार किया है। भर्तृभित्र का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।^१ इतना होते हुए भी मुकुलभट्ट ने मीमांसकों से भिन्न मत भी प्रस्तुत किया है। मीमांसक गौणी को लक्षण से पृथक् वृत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं किन्तु इन्होंने इसे लक्षण से भिन्न नहीं माना है। शब्द का अर्थ केवल जाति को मानने के सिद्धान्त का खण्डन किया है। यह भी मीमांसकों का ही मत है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मुकुलभट्ट पर दार्शनिक प्रभाव, विशेषकर मीमांसा-दर्शन का, अधिक था। मीमांसा के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम विषयों का ज्ञान इन्हें था किन्तु इसके साथ ही न्याय, व्याकरण तथा साहित्यशास्त्र के भी ये उच्चकोटि के पण्डित थे। अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणों तथा साहित्यशास्त्रियों से भी ये प्रभावित रहे हैं।

१.३ मुकुलभट्ट का काल

संस्कृत साहित्य के प्राचीन कवियों एवं काव्यशास्त्रियों का समय-निर्धारण विद्वानों के लिए सर्वाधिक विवाद का विषय रहा है क्योंकि अधिकांश कवि तथा काव्यशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। मुकुलभट्ट ने अपने ग्रन्थ के अन्त में अपने पिता का नाम देकर काल-निर्णय के कार्य को अपेक्षाकृत सरल कर दिया है।

मुकुलभट्ट के पिता भट्टकल्टट थे। ‘राजतरङ्गिणी’ के अनुसार कल्टट अवन्तिवर्मा के शासन-काल में अवतीर्ण हुए थे। कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा का शासन-काल सुनिश्चित है। इनका समय ८५५ ई० से ८८३ ई० तक माना जाता है। अवन्तिवर्मा की मृत्यु ८८३ ई० में हुई थी।^२ इस प्रकार भट्टकल्टट का समय ८५५ ई० से ८८३ ई० के मध्य ही माना जा सकता है।

अवन्तिवर्मा के शासन-काल में ही ध्वनिकार आनन्दवर्धन भी हुए थे। जैसा कि राजतरङ्गिणी के इस पद से स्पष्ट है-

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः

प्रथां रत्नाकरश्चागात्साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः॥ (५/३४)

राजतरङ्गिणी में जहां कल्टट के लिए अवन्तिवर्मा के काल में ‘अवतीर्ण’ होने का उल्लेख है वहीं आनन्दवर्धन के प्रसिद्ध होने की बात कही गई है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कल्टट ने जिस समय जन्म लिया उस

^१ भा० द० (II), डॉ० राधाकृष्णन्, पृ० ३२३।

^२ प्रा० भा०, डॉ० राजबली पाण्डेय, पृ० ३४२।

समय तक आनन्दवर्धन कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। इस दृष्टि से आनन्दवर्धन को कल्लट का वृद्धसमकालीन कहा जा सकता है। इस प्रकार मुकुलभट्ट का समय आचार्य आनन्दवर्धन के पश्चात् का सिद्ध होता है। मुकुलभट्ट का आनन्दवर्धन से परवर्ती होने का सङ्केत ‘अभिधावृत्तिमातृका’ से भी मिलता है। इसमें कई स्थलों पर ‘सहदयैः’ पद आया है। एक स्थल पर तो मुकुलभट्ट स्पष्ट लिखते हैं कि सहदय ने नवीन स्थापना कहकर जिस धनि का वर्णन किया था, उसका अन्तर्भाव लक्षणा में ही हो जाता है। यहाँ यद्यपि मुकुलभट्ट ने आनन्दवर्धन का नाम नहीं लिया है किन्तु यह तो निर्विवाद रूप से माना जाता है कि आनन्दवर्धन ही धनि-सिद्धान्त के संस्थापक आचार्य थे। इस प्रकार मुकुलभट्ट आनन्दवर्धन से तो परवर्ती थे ही, यह सिद्ध है। अतः इनका समय निर्धारित करने से पूर्व अन्य प्रमाणों से भी आनन्दवर्धन का समय ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है।

‘धन्यालोक’ में अनेक स्थलों पर आदरपूर्वक उद्घट का उल्लेख है^१ उद्घट ने भामह के ग्रन्थ पर टीका लिखी थी जो ‘भामह-विवरण’ अथवा ‘भामह-विवृति’ के नाम से प्रसिद्ध है। भामह का समय सप्तम शताब्दी या उसके कुछ बाद का ही माना गया है^२ उद्घट को कश्मीर की परम्परा में जयापीड़ का सभापति माना जाता है^३ जयापीड़ का समय ७७६ ई० से ८१३ ई० तक माना गया है। इस आधार पर उद्घट का समय आठवीं शताब्दी के मध्य से नवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक माना जा सकता है^४ राजशेखर ने ‘काव्यमीमांसा’ में आनन्दवर्धन का उल्लेख किया है^५ राजशेखर का समय ६०० ई० अथवा इसके कुछ पूर्व का ही माना गया है^६ इस प्रकार आनन्दवर्धन का समय ८५० ई० से ८६० ई० के मध्य निश्चित रूप से माना जा सकता है।

आनन्दवर्धन का समय सुनिश्चित मान लेने के पश्चात् मुकुलभट्ट के काल-निर्धारण में कठिनाई नहीं रह जाती। आनन्दवर्धन को मुकुलभट्ट के पिता भट्टकल्लट का वृद्धसमकालीन मानने पर भी यह कहा जा सकता है कि कल्लट का जन्म ८५५ ई० से ८६५ ई० के मध्य हो चुका था। इस आधार पर मुकुलभट्ट का समय ८६० ई० से ८४०

^१ लक्षणामार्गावगाहित्वं तु धनेः सहदयैर्नूतनतयोपवर्णितस्य विद्यत इति—। (अ० वृ० मा०, पृ० ६६)।

^२ (क) नच्चलङ्गरान्तरप्रतिभायामपि श्लेषव्यपदेशो भवतीति दर्शितं भट्टोद्घटेन ---। (ध०, द्वि० उ०, पृ० १६५)।

(ख) अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्गरः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया बाहुप्येन

प्रदर्शितस्तत्रभवद्भट्टोद्घटादिभिः। (ध०, द्वि० उ०, पृ० २२३)।

^३ सं० का० इति०, काणे, पृ० १२७ ; सं० का० इति०, डे०, पृ० ४७।

^४ विद्वान्दीनारलक्षणं प्रत्यहं कृतवेतनः

भट्टोऽभूदुद्घटस्तस्य भूमिर्भर्तुः सभापतिः। (रा० त०, ४/४६५)

^५ सं० का० इति०, काणे, पृ० १७३।

^६ ‘उचितानुचितविवेको व्युत्पत्तिः’ इति यायावरीयः। प्रतिभाव्युत्पत्त्योः प्रतिभा श्रेयसी इत्यानन्दः। (का० मी०, पृ० ३४)।

^७ सं० का० इति०, काणे, पृ० २७०; सं० का० इति०, डे०, पृ० १११।

ई० तक माना जा सकता है। इन्होंने 'अभिधावृत्तिमातृका' जैसे गम्भीर विषय वाले ग्रन्थ का प्रणयन अल्पायु में तो किया नहीं होगा अतः इसकी रचना ६२० ई० से ६४० ई० के मध्य हुई होगी।

१. ४ मुकुलभट्ट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मुकुलभट्ट जिस काल में हुए उस काल तक व्याकरण एवं मीमांसा-शास्त्र अपने विकास की पराकाष्ठा पर थे, न्यायशास्त्र का भी विकास हो चुका था तथा साहित्यशास्त्र विकासमान था। उस समय तक विविध महत्त्वपूर्ण काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों का प्रणयन भी हो चुका था।

आचार्य मुकुलभट्ट किस शास्त्र से किस सीमा तक प्रभावित थे यह ज्ञात करने के लिए उनके समय तक व्याकरण, मीमांसा, न्याय तथा काव्यशास्त्र से सम्बन्धित विकास की संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है।

१. ४. १ व्याकरण

वाक् तत्त्व का प्राचीन काल से ही सूक्ष्म विश्लेषण करने वाले भारतीय मनीषियों के मनन तथा चिन्तन के फलस्वरूप विविध प्रातिशाख्य एवं व्याकरण ग्रन्थों की रचना हुई। व्याकरण का प्राचीन नाम 'शब्दानुशासन' था। इसका मुख्य उद्देश्य शब्दों की शुद्धता एवं अशुद्धता का निर्णय करना ही है। व्याकरण में शब्द तथा अर्थ का असाधारण दर्शन प्रतिपादित है। इसकी उपयोगिता बताते हुए आचार्य भर्तृहरि ने लिखा है-

अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्द एव निबन्धनम्।

तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते॥ (वा० प०, १/१३)

संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यन्त प्राचीन काल से ही अस्तित्व में था। पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' में आपिशलि (६/१/५२), काश्यप (पा० सू०, १/२/२५), गार्य (८/३/२०), शाकटायन (८/४/५०), स्फोटायन (६/१/१२३), इत्यादि प्राचीन आचार्यों का उल्लेख हुआ है। अत्यन्त प्राचीनकाल में व्याकरण के दो प्रमुख सम्प्रदाय थे- ऐन्द्र एवं शैव। शैव सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी ही सभी व्याकरणों में प्रतिष्ठित तथा श्रेष्ठ मानी जाती है। महामुनि पाणिनि का जन्म बुद्ध से पूर्व लगभग ई०प० ३०० माना जाता है।

पाणिनि से कुछ शताब्दी बाद आचार्य कात्यायन हुए जिन्होंने इनके सूत्रों पर वार्तिक लिखा। इसके माध्यम से इन्होंने पाणिनि द्वारा विस्तृत अथवा अदृष्ट विषयों पर प्रकाश डाला।

पाणिनीय सूत्रों एवं वार्तिकों का स्वरूप अत्यन्त संक्षिप्त होने के कारण इनकी व्याख्या की आवश्यकता पड़ी। इस दिशा में महर्षि पतञ्जलि का योगदान व्याकरण-शास्त्र में अनुपम माना जाता है जिन्होंने पाणिनि के व्याकरण

पर महाभाष्य की रचना की। इनका समय ई०पू० १५० माना जाता है। अपनी प्रवाहपूर्ण तथा सरल शैली के कारण ही यह महाभाष्य अपूर्व है। इसे विविध दार्शनिक चिन्तनों का बीज भी माना जाता है।^१

पाणिनि, कात्यायन एवं पतञ्जलि ये तीनों ही आचार्य मुनित्रय के नाम से जाने जाते हैं। इनमें भी क्रमशः बाद वाले आचार्य को अधिक प्रामाणिक माना गया है।^२

पतञ्जलि के व्याकरण में जो दार्शनिकता उपलब्ध होती है उसका प्रारम्भ इनसे पूर्व भी हो चुका था। महाभाष्य में पतञ्जलि ने स्वयं ही व्याडि नामक आचार्य का उल्लेख किया है जिन्होंने 'सग्रह' नामक ग्रन्थ कोई लिखा था जिसमें शब्द के स्वरूप का दार्शनिक विवेचन हुआ है।^३ इन्हीं दार्शनिक वैयाकरणों की परम्परा में आचार्य भर्तृहरि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ये चतुर्थ शताब्दी के आचार्य थे। इन्होंने 'वाक्यपदीयम्' नामक ग्रन्थ की रचना की। इसके तीन भाग हैं- ब्रह्मकाण्ड, वाक्यकाण्ड तथा पदकाण्ड। भर्तृहरि ने जिस दर्शन को विकसित किया उसे 'शब्दाद्वैत' या 'शब्दब्रह्मवाद' के नाम से जाना जाता है।

१. ४. २ मीमांसा-दर्शन

यह संसार त्रिविधुरूपात्मक है। इन दुःखों से निवृत्ति के उपायों का अन्वेषण करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। संसार के बन्धनों से मुक्ति पाना परम सुख है। इसे ही दार्शनिक भाषा में मोक्ष के नाम से जाना जाता है। बन्धन तथा मोक्ष ही दार्शनिक चिन्तन धारा का मूल है। मोक्ष के स्वरूप एवं उसकी प्राप्ति के उपायों के विषय में भिन्न-भिन्न विचार मिलते हैं। कुछ दार्शनिक विचारधाराएँ ऐसी हैं जिन्होंने तर्क अथवा अनुमान के आश्रय से परम सत्य तक पहुँचने का मार्ग बताया है तो कुछ दार्शनिक वेद को ही मूल तत्त्व का साधन मानते हैं। वेदों तथा वैदिक वाक्यों में ही आस्था रखने वाले दर्शनों को आस्तिक दर्शन की संज्ञा दी जाती है। इन आस्तिक दर्शनों में मीमांसा-दर्शन की गणना सर्वप्रथम होती है। इसके पूर्वमीमांसा तथा उत्तरमीमांसा इन दो भागों में से द्वितीय को 'वेदान्त' के नाम से जाना जाता है।

भारतीय मान्यता के अनुसार वेद ही समस्त विद्याओं के मूल हैं। वेद अपौरुषेय होने के कारण भ्रम तथा प्रमादादि दोषों से रहित हैं। पूर्वमीमांसा-दर्शन वेद तथा ब्राह्मण भागों पर आधारित है। यह कर्मकाण्डपरक दर्शन है। इस दर्शन का अस्तित्व महर्षि जैमिनि के सूत्रों के रूप में है। जैमिनि के द्वारा धर्म-निरूपण के उद्देश्य से इस दर्शन का

^१ कृतेऽथ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना।

सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने॥ (वा० प०, २/४७७)।

^२ यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्, सिं० कौ० में 'न बहुव्रीहै'। (पा० सू०, १/१/२६) पर उल्लिखित।

^३ संग्रह एतत्प्राधान्येन परीक्षितम्-नित्यो वा स्यात्कार्यो वेति। (म० भा०, (१), १.१.१, पृ० ५८)।

सूत्रपात होने के कारण ही इसे 'धर्मदर्शन' के नाम से भी जाना जाता है। जैमिनि का प्रथम सूत्र ही है- 'अथातो धर्मजिज्ञासा'। श्लोकवार्तिक में कहा भी गया है कि धर्म की व्याख्या ही इस दर्शन का प्रयोजन है^१ जैमिनि-ग्रन्थ के १२ अध्याय हैं जिनमें १२ पदार्थों का विचार हुआ है। इस ग्रन्थ का समय चौथी शताब्दी ई०प० माना जाता है^२

जैमिनि के सूत्रों को ही मीमांसा-शास्त्र का मूल ग्रन्थ मानकर अनेक आचार्यों ने इस पर भाष्य तथा टीकाएँ लिखी हैं। इनमें शबरस्वामी का भाष्य सर्वप्राचीन है। मीमांसा से सम्बन्धित समस्त परवर्ती लेखों का आधार शबरभाष्य ही है। शबरस्वामी का समय २०० ई० के लगभग का माना गया है।

मीमांसा-दर्शन के तीन प्रमुख आचार्य हुए हैं - कुमारिलभट्ट, प्रभाकरमिश्र तथा मुरारि। इन्होंने तीन प्रकार के मतों की स्थापना कर इस दर्शन के तीन प्रस्थानों की प्रवर्तना की। इनमें कुमारिल का समय ६२० ई० से ७०० ई० के मध्य माना गया है तथा प्रभाकर का ६५० ई० से ७२० ई० के मध्य^३ तृतीय प्रस्थान के प्रवर्तक मुरारि का कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है^४ प्रभाकरमिश्र कुमारिलभट्ट के शिष्य कहे जाते हैं।

कुमारिलभट्ट ने महर्षि जैमिनि को मान्य प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण के साथ-साथ उपमान, अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि प्रमाण को भी माना है^५ प्रभाकर ने इनमें अनुपलब्धि प्रमाण को नहीं माना है^६ कुमारिल लौकिक तथा वैदिक उभयविध वाक्यों को शब्द प्रमाण मानते हैं। इनके अनुसार पौरुषेय शब्द ही लोक-व्यवहार में आप्तवाक्य हैं। किन्तु प्रभाकर के अनुसार केवल वेदात्मक अपौरुषेय वाक्य ही शब्द प्रमाण के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं।

वाक्य से वाक्यार्थबोध की प्रक्रिया में भी कुमारिलभट्ट एवं प्रभाकर में मतभेद पाया जाता है। कुमारिल भट्ट के मतानुसार अभिधा के द्वारा पहले पद से पदार्थ का बोध होता है तदनन्तर आकाङ्क्षा योग्यता तथा सन्निधिवशात् उन पदार्थों का परस्पर अन्वय होता है जिससे वाक्यार्थ बोध होता है। इनका यह मत 'अभिहितान्वयवाद' के नाम से जाना जाता है।^७ इस विषय में प्रभाकर और उनके अनुयायियों का मत है कि वाक्य का अर्थ ही वाक्यार्थ है। अर्थात् वाक्य

^१ धर्मार्थ्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम्। (श्लो० वा०, पृ० ५)।

^२ भा० द० (II), डॉ० राधाकृष्णन्, पृ० ३२२।

^३ मी० द० विवेऽइति०, मुसलगाँवकर, पृ० १२९।

^४ भा० द० (II), डॉ० राधाकृष्णन्, पृ० ३२५।

^५ प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते।

वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्राभावप्रमाणता॥ (श्लो० वा०, पृ० ३३५)।

^६ प्रभाकर के इस मत की आलोचना खण्डनखण्डखाद्य, पृ० २९, में मिलती है। (भा० द० (II)), डॉ० राधाकृष्णन्, पृ० ३३६)।

^७ अभिहितानां स्वस्ववृत्त्या पदैरुपस्थितानामर्थानामन्वय इति वादिनां भाष्टमीमांसकानामित्यर्थः। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० २६)।

में प्रयुक्त पद परस्पर अन्वित होकर ही वाक्यार्थ का बोध करते हैं। इनका विचार है कि अलग-अलग अर्थ जो परस्पर असम्बद्ध होते हैं वे प्रकट नहीं हो सकते। प्रभाकर का यह मत ‘अन्विताभिधानवाद’ कहलाता है।^१

लक्षणा के क्षेत्र में दोनों ही आचार्यों ने गौणी तथा लक्षणा को भिन्न- भिन्न वृत्ति के रूप में स्वीकार किया है। कुमारिलभट्ट एवं प्रभाकरमिश्र के नाम पर मीमांसा-दर्शन में जो दो प्रकार की चिन्तन-धाराएँ विकसित हुईं उन्हें भाष्ट सम्प्रदाय तथा प्रभाकर-सम्प्रदाय के नाम से जाना जाता है।

१. ४. ३ न्याय-दर्शन

न्याय-दर्शन भी षड् आस्तिक दर्शनों में एक है जो वेदों को प्रमाण मानते हैं। इस दर्शन में प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश पदार्थों के तत्त्व-ज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति बतायी गई है।^२ इस दर्शन में चार प्रमाण माने गये हैं- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द।^३

तर्क की ही प्रधानता होने के कारण न्याय-दर्शन का प्राचीन नाम ‘आन्वीक्षिकी’ है। आध्यात्मिक समस्याओं की तार्किक अथवा आलोचनात्मक दृष्टि से विवेचना करना ही इस दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता रही है। प्राचीन काल में हिन्दुओं के पाँच पाठ्य विषयों में काव्य (साहित्य), नाटक, अलङ्कार तथा व्याकरण के साथ तर्क विद्या को प्राप्त स्थान उस काल में इसकी प्रतिष्ठा का ही सूचक है।^४

महर्षि गौतम इस दर्शन के संस्थापक आचार्य हैं जिन्होंने ‘न्यायसूत्र’ की रचना की। यह न्याय-शास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक है। इसमें पाँच अध्याय हैं। यह ई०प० तृतीय शताब्दी की रचना है।^५

गौतम के न्यायसूत्रों पर विविध भाष्यों की रचना हुई जिनमें सर्वप्राचीन तथा उपलब्ध भाष्य वात्स्यायन का ‘न्यायभाष्य’ है। वात्स्यायन लगभग ४०० ई० के आसपास हुए थे। इस भाष्य पर उद्योतकर ने टीका लिखी जो ‘न्यायवार्तिक’ के नाम से प्रसिद्ध है। यह लगभग छठी शताब्दी ई० की रचना है। न्याय-शास्त्र के अन्य ग्रन्थों में धर्मकीर्ति रचित ‘न्यायबिन्दु’ भी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त वाचस्पति मिश्र ने नवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ‘न्यायवार्तिकतात्पर्य’ नामक टीका लिखी।

^१ पदानि अन्वितानि भूत्वा पश्चाद्विशिष्टमर्थं कथयन्तीति यो वदति सोऽन्विताभिधानवादी। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० २७)।

^२ प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्ताऽवयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाद् निःश्रेयसाधिगमः। (न्या० भा०, पृ० ४)।

^३ प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि। (न्या० भा०, पृ० १७)।

^४ भा० द० (II), डॉ० राधाकृष्णन्, पृ० २१।

^५ भा० द० (II), डॉ० राधाकृष्णन्, पृ० २५।

न्यायशास्त्रीय अन्य ग्रन्थों में जयन्तभट्ट कृत 'न्यायमञ्चरी' का विशेष महत्त्व है। जयन्तभट्ट दसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे। इसके अतिरिक्त गङ्गेशाउपाध्याय की 'तत्त्वचिन्तामणि', विश्वनाथपञ्चाननभट्टाचार्य कृत 'न्यायसिद्धान्तमुक्तावली', अत्रमभट्टकृत 'तर्क-संग्रह' आदि अन्य प्रमुख न्यायशास्त्रीय ग्रन्थ हैं।

१. ४. ४ साहित्यशास्त्र

साहित्यशास्त्रीय आचार्यों में भरतमुनि सर्वप्राचीन हैं। साहित्य जगत् में इनका स्मरण नाट्य-शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में किया जाता है। इनका एकमात्र ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' है जो समस्त कलाओं का विश्वकोश है। भरतमुनि का समय अत्यधिक विवादास्पद है। इनका काल २०० ई० से ३०० ई० के मध्य माना जाता है।

आचार्य भरत के पश्चात् साहित्यशास्त्र के आचार्यों में आचार्य भामह की गणना होती है। इनका समय भी अत्यधिक विवाद का विषय रहा है। इन्हें सातवीं शताब्दी के लगभग का माना गया है। भामह अलङ्कार सम्प्रदाय के प्रवर्तक कहलाते हैं। इनका एकमात्र उपलब्ध ग्रन्थ 'काव्यालङ्कार' है। इसमें इन्होंने काव्य का प्रयोजन, स्वरूप, उसके भेद, गुण, दोष तथा अलङ्कारों का वर्णन किया है। अपनी काव्य की परिभाषा - 'शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्' में सर्वप्रथम भामह ने ही काव्य में शब्द एवं अर्थ का महत्त्व तथा उसका सहभाव स्वीकारा है। इन्होंने वक्रोक्ति को अलङ्कारों का बीज कहा है।

भामह के व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इनके धर्म को लेकर प्रचुर विवाद मिलता है। 'काव्यालङ्कार' की अन्तिम कारिका में इन्होंने स्वयं को 'रक्रिलगोमिन्' का पुत्र बताया है^१ तथा प्रथम कारिका में 'सार्वसर्वज्ञ' को नमस्कार किया है^२। इसके आधार पर कुछ विद्वानों ने इन्हें बौद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया है।

भामह के पश्चात् हुए प्रमुख काव्यशास्त्रीय आचार्यों में दण्डी का नाम लिया जाता है। इनका समय सप्तम शताब्दी का उत्तरार्ध है। दण्डी के नाम से तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं^३ - काव्यादर्श, दशकुमारचरित तथा अवन्तिसुन्दरीकथा। इनका 'काव्यादर्श' काव्यशास्त्रीय विषयों पर लिखा गया ग्रन्थ है जिसमें काव्य का लक्षण, भेद तथा अलङ्कारादि का

¹ सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभावते।

यत्रोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना॥ (भा० काव्या०, २/८५, पृ० ६२)।

² सुजनावगमाय भामहेन ग्रथितं रक्रिलगोमिसूनुनेदम्॥ (भा० काव्या०, ६/६४, पृ० १७३)।

³ प्रणम्य सार्वं सर्वज्ञं मनोवाक्कायकर्मभिः। (भा० काव्या० १/१, पृ० १)।

⁴ त्रयो दण्डीप्रबन्धाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। (का० मी०, १)।

वर्णन है। शब्द तथा अर्थ की महत्ता को समान रूप से स्वीकार करते हुए इन्होंने भी मनोरम अर्थ से युक्त पदावली को काव्य कहा है।^१

दण्डी के पश्चात् आचार्य उद्घट का नाम प्रमुख है। इनका समय आठवीं शताब्दी है। राजतरङ्गिणी के अनुसार ये जयापीड (७७६ ई० - ८१३ ई०) के समाप्ति थे। उद्घट का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह' है। इसका नाम 'काव्यालङ्कारसंग्रह' तथा 'अलङ्कारसारसंग्रह' भी मिलता है।^२ इसके अतिरिक्त इनके दो अन्य ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है- 'भामह-विवरण' तथा 'कुमारसम्बव'^३

'भामह-विवरण' या 'भामह-विवृत्ति' 'भामह' के ग्रन्थ पर इनकी टीका है। यह अनुपलब्ध है। अभिनवगुप्त ने 'तोचन' में भामह के 'शब्दाश्छन्दोऽभिधानार्थः' की टीका के रूप में उद्घट की पंक्ति उद्धृत की है- 'शब्दानामभिधानमभिधाव्यापारो मुख्योगुणवृत्तिश्च' यह पंक्ति इनके 'भामह-विवरण' में रही होगी। इसमें अभिधा के दो प्रकारों का उल्लेख है मुख्य तथा गुणवृत्ति।'

पर्यायोक्त अलङ्कार के प्रसङ्ग में उद्घट ने वाच्यवाचक वृत्ति से भिन्न अवगमात्मक व्यापार का उल्लेख किया है।^४ यह अवगमात्मना कथन ही परवर्ती आलङ्कारिकों को मान्य व्यञ्जना है। इस प्रकार उद्घट ने व्यञ्जन्यार्थ की सत्ता को तो स्वीकृति दी किन्तु न तो उसे इतना महत्त्व दिया जितना ध्वनिवादियों ने और न ही इसकी प्रतीति के लिए व्यञ्जना-व्यापार को माना।

काव्यशास्त्रीय आचार्यों में उद्घट के पश्चात् आचार्य वामन की गणना होती है। साहित्य जगत् में ये रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा है।^५ इस प्रकार काव्य में 'आत्मतत्त्व' का विवेचन करने वाले प्रथम आचार्य वामन ही हैं। इनके अनुसार विशिष्ट पदरचना ही रीति कहलाती है।^६

^१ शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली॥ (काव्यादर्श, १/१०, पृ० ६)।

^२ स० का० इति०, डे, पृ० ६८; स० का० इति०, काणे, पृ० १६७।

^३ (क) विशेषोक्तिलक्षणे च भामहविवरणे भट्टोद्घटेन एकदेश शब्द एवं व्याख्यातो यथेहास्माभिर्निरूपितः। (काव्या० ल० वृ०, पृ० २७५)।

(ख) अनेन ग्रन्थकृता स्वोपरचितकुमारसंभवैकदेशोऽत्रोदाहरणत्वेनोपन्यस्तः। (काव्या० ल० वृ०, पृ० २७६)।

^४ पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते।

वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना॥ (काव्या० सा० स०, पृ० ३५)।

^५ रीतिरात्मा काव्यस्य। (काव्या० सू०, पृ० १४)।

^६ विशिष्टा पदरचना रीतिः। (काव्या० सू०, पृ० १५)।

‘राजतरङ्गिणी’ में वामन को जयपीड का मन्त्री बताया गया है^१ इस प्रकार वामन उद्दट के समकालीन सिद्ध होते हैं। ‘राजतरङ्गिणी’ के ही अनुसार उद्दट जयपीड के सभापति थे।

आचार्य वामन का एकमात्र प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘काव्यालङ्कारसूत्र’ है। यह ग्रन्थ सूत्र शैली में लिखा गया है। इसमें काव्य का प्रयोजन, काव्य की आत्मा, दोष, गुण तथा अलङ्कारों का वर्णन है। आचार्य वामन ने ही सर्वप्रथम गुण तथा अलङ्कारों का भेद विवेचन किया था। काव्य में शोभा उत्पन्न करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। तथा वामन के अनुसार उसकी शोभा के वृद्धिकारक धर्म को अलङ्कार कहा जाता है^२ आचार्य ममट ने अपने ग्रन्थ ‘काव्यप्रकाश’ में वामन के गुण एवं अलङ्कार की परिभाषा का खण्डन किया है।

वामन ने सादृश्यमूलक लक्षणा के स्थल में वक्रोक्ति अलङ्कार माना है। इसके साथ ही इन्होंने लक्षणा की प्रवृत्ति के अनेक निमित्तों की चर्चा की है^३

‘काव्यालङ्कारसूत्र’ के टीकाकार सहदेव के अनुसार वामन का यह ग्रन्थ लुप्त हो गया था। मुकुलभट्ट ने कहीं से इसकी एक प्रति को प्राप्त कर इसका पुनः प्रसार किया।^४

आनन्दवर्धन के पूर्ववर्ती प्रमुख काव्यशास्त्रियों में आचार्य रुद्रट अलङ्कार-सम्प्रदाय के अन्तिम आचार्य थे। इनका समय ८२५ ई० से ८५० ई० मध्य माना जा सकता है। प्रो० पी० वी० काणे ने इन्हें ध्वनिकार का समकालीन अथवा निकट पूर्ववर्ती कहा है^५ इन्होंने अलङ्कारशास्त्र पर ‘काव्यालङ्कार’ नामक ग्रन्थ लिखा। अलङ्कार-सम्प्रदाय के पोषक होते हुए भी इन्होंने रस की महत्ता को भी स्वीकार किया -

तस्मात्कर्त्तव्यं यत्नेन महीयसा रसैर्युक्तम्।

उद्वेजनमेतेषां शास्त्रवदेवान्यथा हि स्यात्॥६॥

^१ मनोरथः शङ्खदन्तश्चटकः सच्चिमांस्तथा।

बूभूवः कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मन्त्रिणः॥ (रा० त०, ४/४८७, पृ० ११०)।

^२ काव्यशोभायाः कर्त्तारो धर्मा गुणाः।

तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः॥ (काव्या० सू०, पृ० ८७, ८८)।

^३ सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः॥ (काव्या० सू०, पृ० १७२)।

^४ वेदिता सर्वशास्त्राणां भट्टोभूम्नुकुलाभिधः-

लब्ध्वा कुतश्चिदादर्शं ग्रष्टात्यायं समुद्धृतम्।

काव्यालङ्कारशास्त्रं यत्तेनैतद्वामनोदितम्।

असूया तत्र कर्त्तव्या विशेषालोकिभिः क्वचित्॥ (सं० का० इति०, काणे, पृ० १८७-१८८)।

^५ सं० का० इति०, काणे, पृ० १६६।

^६ रु० काव्या०, १२/१, पृ० ३७२।

रुद्रट ही प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने काव्य में रस की चर्चा की। आचार्य भरत की रसविषयक विवेचना नाट्य के क्षेत्र में थी।

आचार्य रुद्रट ने वास्तव, औपम्य, अतिशय एवं श्लोष को अलङ्कार-विभाजन का आधार बनाया है। अलङ्कारों का यह वैज्ञानिक विभाजन साहित्यशास्त्र को रुद्रट की देन माना जाता है। रस के प्रसङ्ग में इन्होंने 'प्रेयस्' नामक दशम रस को मान्यता दी है। इनके 'भाव' नाम अलङ्कार-प्रतिपादन में व्यञ्जना-सिद्धान्त का बीज निहित है।^३ इन्होंने दो प्रकार के भाव अलङ्कार के उदाहरण दिये हैं -

ग्रामतरुणं तरुण्या नववञ्जुलमञ्जरीसनाथकरम्

पश्यन्त्या भवति मुहुर्निर्तरां मलिना मुखच्छाया ॥४॥

तथा-

एकाकिनी यदबला तरुणी तथाहमस्मिन्नृहे गृहपतिश्च गतो विदेशम्।

किं याचसे तदिह वासमियं वराकी श्वश्रूर्मान्धबधिरा ननु मूढ पान्थ॥५॥

इनमें प्रथम उदाहरण को आचार्य मम्मट ने 'गुणीभूतव्यङ्ग्य' के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है^६ तथा द्वितीय को अभिनवगुप्त ने लोचन में स्थान दिया है^७

आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनिसम्प्रदाय की प्रवर्तना की। इनका समय नवम शताब्दी है। आनन्दवर्धन की पाँच रचनाएँ मानी जाती हैं- 'विषमबाणलीला', 'अर्जुनचरित', 'देवीशतक', 'तत्त्वालोक' तथा 'धन्यालोक'। इनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ धन्यालोक है। इस ग्रन्थ में ध्वनि-सिद्धान्त का विवेचन, इसके भेद-प्रभेदों का प्रतिपादन तथा ध्वनि-विरोधी मतों का खण्डन किया गया है। इसके अतिरिक्त ध्वनि का महत्त्व दर्शाते हुए ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य के प्रयोग से कवि तथा काव्य की चमत्कारोत्पादकता का भी वर्णन है।

धन्यालोक में 'वृत्ति', 'कारिका' तथा 'उदाहरण' ये तीन भाग हैं। इनमें कारिका तथा वृत्ति के रचनाकार के विषय में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। कतिपय विद्वान् वृत्तिकार तथा कारिकाकार को भिन्न-भिन्न मानते हैं। इस

^३ अर्थस्यालङ्कारा वास्तवमौपम्यतिशयः श्लोषः

एषामेव विशेषा अन्ये तु भवन्ति निशेषाः॥ (र० काव्या०, ७/६, पृ० १६०)।

^४ यस्य विकारः प्रभवत्रप्रतिबद्धेन हेतुना येन।

गमयति तदभिप्रायं तत्प्रतिबन्धं च भावोऽसौ ॥ (र० काव्या०, ७/३८, पृ० २०६)।

^५ र० काव्या०, पृ० २०७।

^६ र० काव्या०, पृ० २०८।

^७ का० प्र०, पृ० २८।

मत को मानने वालों के अनुसार आनन्दवर्धन ने वृत्ति-भाग की रचना की तथा कारिकाओं का निर्माता 'सहदय' नामक विद्वान् था।

आनन्दवर्धन से पूर्व काव्य में गुण एवं अलाङ्कार का ही प्राधान्य था जो कि वाच्य-वाचक भाव पर आश्रित थे। इस वाच्य-वाचक भाव में काव्य का वास्तविक चमत्कार न होने के कारण ही आनन्दवर्धन ने ध्वनि की महत्ता का प्रतिपादन किया तथा उसे ही काव्य की आत्मा कहा। व्यञ्जन-प्रधान काव्य ही ध्वनि कहलाता है। इसकी परिभाषा 'ध्वन्यालोक' में इस प्रकार दी गई है -

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ।

व्यङ्ग्यः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः॥ (ध०, १/१३) ।

इतिहासकारों ने राजशेखर की जो तिथि निर्धारित की है उसके अनुसार ये मुकुलभट्ट के निकट पूर्ववर्ती या समकालीन ही सिद्ध होते हैं^१

राजशेखर यायावर वंश में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने अनेकशः अपना मत 'यायावरीय' नाम से प्रकट किया है। इन्होंने कितने ग्रन्थों की रचना की थी यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हैं। इनकी कृति 'बालरामायण' के अनुसार इन्होंने छः ग्रन्थों की रचना की थी। इनके 'कर्पूरमञ्जरी' नामक नाटक का उल्लेख मिलता है जिसकी रचना इन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा से की थी। राजशेखर की पत्नी अवन्तिसुन्दरी एक विदुषी स्त्री थी। 'काव्यमीमांसा' में इनके विचारों का उल्लेख है।

'काव्यमीमांसा' अपने में अद्वितीय ग्रन्थ है। इसमें १८ अध्याय हैं जिनमें शिव द्वारा ब्रह्मा को काव्यमीमांसा का ज्ञान, काव्यपुरुष की उत्पत्ति के साथ-साथ कवि के लिए आवश्यक गुणों का भी वर्णन है। इसी प्रसङ्ग में प्रतिभा तथा व्युत्पत्ति की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त वैदर्भी, गौणी, पाञ्चाली रीतियों, भारत के विभिन्न प्रान्तों के व्यक्तियों की भाषाओं, ऋतु, वायु, पुष्ट आदि की भी चर्चा की गई है।

उद्भट, वामन, रुद्रट, आनन्दवर्धन आदि के साथ ही अन्य अनेक पूर्ववर्ती आचार्यों तथा उनके ग्रन्थों का उल्लेख होने से यह ग्रन्थ काल-निर्धारण की दृष्टि से भी उपयोगी माना जाता है।

९. ५ पूर्ववर्ती विचारधाराओं एवं आचार्यों का मुकुलभट्ट पर प्रभाव

मुकुलभट्ट के ग्रन्थ में व्याकरण, मीमांसा तथा न्यायशास्त्र के साथ ही पूर्ववर्ती साहित्यशास्त्रीय विचारों का भी

^१ ध० ल००, प्र० उ०, पृ० २३६।

^२ सं० का० इति०, काणे, २७०; सं० का० इति०, डे, पृ० ९९९।

स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इन्होंने तत्त्व शास्त्रों से सम्बन्धित विविध आचार्यों के नाम भी अपने ग्रन्थ में उल्लिखित किये हैं। 'शब्दव्यापार' को ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय बनाने के कारण इनका इन विविध शास्त्रों से प्रभावित होना स्वाभाविक भी है क्योंकि शब्द, अर्थ और उसके सम्बन्धों की चर्चा व्याकरण, मीमांसा, न्याय के लिए तो आवश्यक है ही साथ ही शब्दार्थ रूप शरीर वाले काव्य का शास्त्रीय विवेचन होने के कारण साहित्य-शास्त्र के लिए भी इसकी उपयोगिता कम नहीं है।

शब्द से अर्थ की उपस्थिति के प्रसङ्ग में शब्द से सर्वप्रथम जाति (सामान्य) रूप अर्थ की प्रतीति होती है अथवा व्यक्ति (विशिष्ट) की, इस पर विभिन्न मत मिलते हैं। मुकुलभट्ट ने इसके लिए उपाधिचतुष्टयवाद को माना है। इनके अनुसार अपने-अपने अर्थों का ज्ञान कराने के लिए प्रवृत्त शब्दों के विषयों में उपाधि रूप धर्मों के कारण भिन्नता होती है। उपाधि के आधार पर ही शब्दों का प्रयोग होता है^१ यह उपाधि चार प्रकार की होती है इसी कारण मुख्य अर्थ के चार भेद होते हैं - जाति, गुण, क्रिया तथा यदृच्छा। मुकुलभट्ट की इस मान्यता का आधार महाभाष्यकार के शब्दचतुष्टयवाद का सिद्धान्त है। इसके लिए इन्होंने आदरसहित महाभाष्यकार का उल्लेख भी किया है।^२

मुकुलभट्ट के पूर्व काव्यशास्त्रियों में भी शब्दों के इन प्रकारों को मान्यता मिली थी। आचार्य भामह ने भी द्रव्य, जाति, गुण एवं क्रिया रूप चार प्रकार के शब्दों को माना है^३ तथा आचार्य दण्डी ने स्वभावोक्ति अलङ्कार के निरूपण में जाति, क्रिया, गुण एवं द्रव्य नामक चार पदार्थों का वर्णन किया है।^४

वैयाकरणों में आचार्य भर्तृहरि ने भी मुकुलभट्ट को प्रभावित किया है। मुकुलभट्ट ने 'यदुक्तं वाक्यपदीये गौरिति न हि गौः स्वरूपेण गौः नायगौः गोत्वाभिसम्बन्धात् गौः'^५ 'पङ्क्षि को 'वाक्यपदीय' का कहते हुए उद्धृत किया है। इसके अतिरिक्त अभिधा के दस भेदों का विस्तृत विवेचन करने के पश्चात् मुकुलभट्ट अन्ततः अद्वैतवादी हो गये हैं। पारमार्थिक स्तर पर इन्होंने शब्द की ही एकमात्र सत्ता मानी है। अभिधा के दसों भेद इस 'शब्द-तत्त्व' के ही विवर्त हैं।^६

^१ सर्वेषां शब्दानां स्वार्थाभिधानाय प्रवर्त्तमानानामुपाध्युपरज्ञितविषयविवेकत्वादुपाधिनिबन्धना प्रवृत्तिः। (अ० वृ० मा०, पृ० ५)।

^२ चतुष्टयी हि शब्दानां प्रवृत्तिर्भगवता महाभाष्यकारेणोपवर्णिता जातिशब्दा गुणशब्दा: क्रियाशब्दा यदृच्छाशब्दाश्चेति। (अ० वृ० मा०, पृ० ५)।

^३ द्रव्यक्रियाजातिगुणभेदात्ते च चतुर्विधाः। यदृच्छाशब्दगमित्यन्ये डित्यादिं प्रतिजानते॥ (भा० काव्या०, ६/२९, पृ० १५३)।

^४ जातिक्रियागुणद्रव्यस्वभावाख्यानमीदृशम्।

शास्त्रेष्वस्यैव साम्राज्यं काव्येष्वयेतदीप्सितम्॥ (काव्यादर्श, २/१३, पृ० ७६)।

^५ यद्यपि मुकुलभट्ट के अनुसार यह पंक्ति 'वाक्यपदीय' की है किन्तु भर्तृहरिकृत 'वाक्यपदीय' में यह वाक्य नहीं मिलता है। सम्पूर्ण 'वाक्यपदीय' पद्यमय ग्रन्थ है जबकि मुकुलभट्ट द्वारा उद्धृत वाक्य गद्य का अंश प्रतीत होता है।

^६ विवर्तमानं वाक्यतत्त्वं दशधैव विलोक्यते।

संहतक्रमभेदे तु तस्मिंस्तेषां कुतो गतिः॥ (अ० वृ० मा०, पृ० ६६)।

यहाँ इन पर भर्तृहरि के 'शब्दाद्वैतवाद' का प्रभाव है। भर्तृहरि ने भी शब्द को ब्रह्म का स्वरूप मानते हुए अर्थ को उसका विवर्त कहा है^१

मुकुलभट्ट ने अनेक स्थलों पर मीमांसा सम्मत मतों को भी अपनाया है। उपादान लक्षणा के जो उदाहरण इन्होंने दिये हैं- 'गौरनुबन्धः' तथा 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते' ये दोनों ही मीमांसा-ग्रन्थों से लिये गये हैं^२ इन्होंने शब्द का प्रथम अर्थ जाति को मानते हुए मीमांसकों का सुप्रसिद्ध न्याय प्रस्तुत किया है - 'विशेषं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे' तथा व्यक्तिरूप अर्थ का ग्रहण उपादान लक्षणा से माना है। मीमांसकों में मण्डनमिश्र भी व्यक्तिरूप अर्थ का ग्रहण उपादान लक्षणा से मानते हैं^३ इसके अतिरिक्त मुकुलभट्ट ने शबर स्वामी तथा कुमारिलभट्ट जैसे मूर्धन्य मीमांसकों के विचार भी अपने समर्थन में सादर उल्लिखित किया है^४ भर्तृमित्र, जिसे मीमांसा का लेखक माना जाता है, के नाम से एक कारिका अभिधावृत्तिमातृका में उद्धृत है-

यच्च तत् मुख्यार्थासन्तत्वम्, तत् पञ्चप्रकारतयाचार्यभर्तृमित्रेण प्रदर्शितम् -

अभिधेयेन सम्बन्धात् सादृश्यात् समवायतः

वैपरीत्यात् क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता॥

भर्तृमित्र का कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध न होने के कारण यह कारिका किस ग्रन्थ की है ज्ञात नहीं है।

मुकुलभट्ट ने प्रसङ्गतः लक्षित-लक्षणा का भी उल्लेख किया है, किन्तु इसे लक्षणा से भिन्न नहीं माना है।

आचार्य कुमारिलभट्ट की 'टुप्टीका' में भी लक्षित-लक्षणा का उल्लेख है^५

^१ अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ (वा० प०, १/१, पृ० १)।

^२ (क) पीनो दिवा न भुड्क्ते चेत्येवमादिवचः श्रुतौ।

रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरुच्यते॥ (श्लो० वा०, पृ० ३२६)।

(ख) आचार्य मम्मट ने 'गौरनुबन्धः' उदाहरण को उपादान लक्षणा का उदाहरण मानने का जो खण्डन किया है

उसे 'काव्यप्रकाश' के 'विस्तारिका', 'विवरण' एवं 'बालबोधिनी' आदि टीकाकारों ने मण्डनमिश्र का खण्डन माना है। इससे प्रतीत होता है कि मण्डनमिश्र ने भी अपने ग्रन्थ में इसे उपादान लक्षणा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।

^३ धनि सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त, भोलाशङ्करव्यास, पृ० ८२, ८३ ।

^४ (क) यदुक्तमाचार्यशबरस्वामिना- 'कथं पुनः परशब्दः परत्र वर्तते स्वार्थाभिधानेन इति ब्रूमः' (अ० व० मा०, पृ० २५)।

(ख) तदुक्तं भट्टकुमारिलेन-

निरुद्धा लक्षणाः काश्चिवत् सामर्थ्यादभिधानवत्

क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चिवत् काश्चिवत्रैव त्वशक्तिः॥ (अ० व० मा०, पृ० २५)।

^५ (क) तत्र लक्षितलक्षणायां गृह्णमाणायां फलकल्पना न भवति । (मी० स०, ६/१/२ के शा० भा० पर टुप्टीका, मी० ८० (६), पृ० ६७)।

(ख) तदा लक्षितलक्षणया धर्माणां सम्बन्धः।

‘अभिधावृत्तिमातुका’ में उत्थेक्षा का लक्षण दिया गया है -

तदुक्तमुत्थेक्षा लक्षणे -

साम्यरूपविवक्षायां वाच्ये वाच्यात्मभिः पदैः

अतद्गुणक्रियायोगादुत्थेक्षातिशयान्विता॥ (अ० वृ० मा०, पृ० ३४)।

कतिपय पाठभेद के साथ उद्भट के ‘काव्यालङ्कारसारसंग्रह’ में भी उत्थेक्षा का यही लक्षण दिया गया है-

‘साम्यरूपाविवक्षायां वाच्येवाद्यात्मभिः पदैः

अतद्गुणक्रियायोगादुत्थेक्षाऽतिशयान्विता॥ (काव्या० सा० सं, पृ० ३०)।

इस प्रकार आचार्य मुकुलभट्ट ने यद्यपि उद्भट का नाम नहीं लिया है तथापि उनके ग्रन्थ से उद्धरणस्वरूप उत्थेक्षा-लक्षण दिया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि डॉ० रेवा प्रसाद द्विवेदी ने मुकुलभट्ट द्वारा प्रस्तुत उत्थेक्षा-लक्षण के विषय में लिखा है कि यह अलङ्कार-शास्त्र के किसी ऐसे ग्रन्थ का है जो सम्प्रति लुप्त हो गया है^१। डॉ० ब्रह्मिन अवस्थी लिखते हैं कि मुकुलभट्ट ने किसी अलङ्कार-ग्रन्थ की रचना की होगी जिसमें यह लक्षण रहा होगा क्योंकि यह लक्षण भामह, दण्डी, उद्भट आदि के ग्रन्थों में नहीं मिलता। इसके साथ ही यदि यह किसी प्राचीन आचार्य के ग्रन्थ से सम्बन्धित होता तो उसका नाम मुकुलभट्ट अवश्य उद्धृत करते जैसा कि उन्होंने शबरस्वामी, कुमारिलभट्ट तथा सहदय आदि का किया है^२। अस्तु मुकुलभट्ट द्वारा उद्धृत लक्षण एवं उद्भट के उत्थेक्षा लक्षण को देखते हुए उपर्युक्त विद्वानों के मत निराधार ही हैं। इसके अतिरिक्त आभिधा नामक एक ही शब्द व्यापार को मानते हुए भी इन्होंने इसके मुख्य तथा लाक्षणिक जो दो भेद किये हैं^३ उस पर भी उद्भट की ही इस मान्यता का प्रभाव है -

‘शब्दानामभिधानमभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च।

मुकुलभट्ट को ध्वनि-विरोधी आचार्य कहा जाता है। इनके समय तक यद्यपि आनन्दवर्धन के ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन हो चुका था, किन्तु सर्वथा नवीन होने के कारण यह ध्वनि-सिद्धान्त तत्कालीन विद्वत्समाज में कटु आलोचना का विषय बना हुआ था। इसे न तो कोई सहजता से अपना सका था और न तब तक इसका कोई समर्थक ही हुआ था। यही कारण है कि मुकुलभट्ट पर ध्वनि-विरोधियों का ही प्रभाव अधिक था, फलतः इन्होंने ध्वनि को

तस्माल्लक्षणां श्रुतिर्ब्रवीति लक्षितलक्षणापेक्षया। (मी० सू०, ६/१/३ के शा० भा० पर टुप्टीका, मी० द० (६), पृ० ६६)।

^१ अ० वृ० मा०, पृ० ३७।

^२ वृ० समु०, पृ० ३१, ३२।

सहदय की नूतन स्थापना कहते हुए उसे लक्षणा में ही अन्तर्भावित मान लिया। किन्तु ध्वनि-विरोधी होते हुए भी ‘अभिधावृत्तिमातृका’ ‘ध्वन्यालोक’ के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। ‘अभिधावृत्तिमातृका’ में अनेक स्थलों पर ‘सहदय’ नामक विद्वान् के मतों का उल्लेख है। ‘सहदय’ नाम ‘काव्यशास्त्रीय’ इतिहासकारों के लिए विवाद का विषय बना हुआ है किंतु इसे ‘आनन्दवर्धन’ का ही नाम मानते हैं तो कुछ विद्वानों ने ‘सहदय’ को ध्वन्यालोक का ‘कारिकाकार’ माना है। यहाँ ‘सहदय’ को आनन्दवर्धन से भिन्न मानें अथवा अभिन्न यह तो कहा ही जा सकता है कि इनका सम्बन्ध ध्वन्यालोक से निर्विवाद रूप से है। अतः यह स्पष्ट है कि मुकुलभट्ट पर ‘ध्वन्यालोक’ का प्रभाव था।

सादृश्यादि पञ्चविधि सम्बन्धों से होने वाली लक्षणा के प्रसङ्ग में मुकुलभट्ट ने वाच्य अर्थ की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। इनमें कहीं वाच्य की विवक्षा रहती है तो कहीं अविवक्षा तथा कहीं उसका अत्यन्त तिरस्कार रहता है। अपनी इस विवेचना का आधार मुकुलभट्ट सहदय की मान्यता को बताते हैं^३ यद्यपि मुकुलभट्ट के वाच्यार्थ के विवक्षा-अविवक्षा सम्बन्धी विचार पूर्णतः ‘ध्वन्यालोक’ के विचारों से समानता नहीं रखते, कहीं-कहीं इनमें परस्पर विरोध भी है किन्तु यह विवेचना ‘अभिधावृत्तिमातृका’ में ध्वन्यालोक के आधार पर ही की गई है, इसमें सन्देह नहीं है।

व्यञ्जना-विरोधी आचार्य होते हुए भी मुकुलभट्ट ने अपने ग्रन्थ में स्पष्ट रूप से ‘व्यञ्जन्य’ शब्द का प्रयोग किया है। ‘अभिधावृत्तिमातृका’ में एक उदाहरण आया है-

स्निध्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्बलाका घना

वाता: सीकरिणः पयोदसुहदामानन्दकेकाः कलाः।

कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे

वैदेही तु कथं भविष्यति ह हा हा देवि धीरा भवेति॥ (अ० वृ० मा०, पृ० २७)।

इसमें मुकुलभट्ट ने राज्यभ्रंश, वनवासादि असाधारण दुःखप्रद धर्मों को व्यञ्जन्यधर्मान्तर कहा है^४ यहाँ इन पर ध्वन्यालोक का ही प्रभाव है। आनन्दवर्धन ने भी इस उदाहरण की व्याख्या में ‘व्यञ्जन्यधर्मान्तर’ पद का प्रयोग किया था^५

^३ शब्दस्य च मुख्येन लाक्षणिकेन वाभिधाव्यापारेणार्थावगति - हेतुत्वमिति मुख्यलाक्षणिकयोरभिधाव्यापारयोरत्र विवेकः क्रियते। (अ० वृ० मा०, पृ० ९)।

^४ इदानीं पञ्चविधिसम्बन्धनिबन्धनायामासत्तौ पूर्वोपवर्णितायां क्वचिद् वाच्यस्यातिरस्कारः क्वचिद् विवक्षितत्वं क्वचिच्चाविवक्षितत्वमित्येवंविधं त्रयं यत् सहदयैरुपदर्शितं तस्य विषयविभागमुपदर्शयितुमाह - - - । (अ० वृ० मा० पृ०, ५८)।

^५ अत्र हि रामशब्दवाच्यं दाशरथिरूपं व्यञ्जन्यधर्मान्तरपरिणत्वात् स्वपरत्वेनानुपात्तम् । (अ० वृ० मा०, पृ० ६३)।

^६ अनेन हि व्यञ्जन्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न संज्ञिमात्रम् । (ध०, द्वि० उ०, पृ० १०)।

मुकुलभट्ट को अलङ्कारशास्त्र का भी ज्ञान था। यह आलङ्कारिकों से भी प्रभावित रहे हैं, इसका भी प्रमाण है। वामन के ग्रन्थ ‘काव्यालङ्कारसूत्र’ के टीकाकार सहदेव के कथनानुसार मुकुलभट्ट ने इस ग्रन्थ का पुनः प्रसार किया था। मुकुलभट्ट के निकटस्थ पूर्ववर्तियों में अलङ्कार का ही प्राधान्य था। आनन्दवर्धन का ध्वनि-सिद्धान्त तो नवीन ही था। यद्यपि मुकुलभट्ट ने अलङ्कारशास्त्र से सम्बन्धित किसी भी ग्रन्थ की रचना नहीं की थी तथापि इनका अलङ्कार-शास्त्र के प्रति स्वाभाविक झुकाव तो था ही।

न्याय-वैशेषिक दर्शन में रूप, रस, गन्ध, स्पर्श इत्यादि २४ गुण बताए गये हैं इनमें ‘परिमाण’ भी एक गुण है। परिमाण नामक गुण के चार प्रकारों में अणु जिसमें रहता है वही ‘परमाणुत्व’ परिमाण है। जिस प्रकार न्याय-दर्शन में ‘परमाणु’ ‘गुण’ कहा गया है उसी प्रकार मुकुलभट्ट ने भी नैयायिकों का अनुसरण करते हुए उसे जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा रूप उपाधियों में गुण के अन्तर्गत माना है। इनके अनुसार गुण जिस प्रकार वस्तुओं में व्यक्तिगत विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं उसी प्रकार ‘परमाणुत्वादि’ भी गुण हैं जो किसी परिमेय वस्तु में रहते हैं और जिस वस्तु में रहते हैं उसे अन्य परिमाण वाली वस्तु से पृथक् करते हैं।

अन्ततः मुकुलभट्ट के विषय में यह कहा जा सकता है इन्होंने अपने पूर्ववर्ती सिद्धान्तों को अपनाते हुए अपने स्वतन्त्र मत की स्थापना भी की है किन्तु इतना होते हुए भी अधिकांश रूप से इन्होंने परम्परा का ही अनुसरण किया है। शब्दों की चार उपाधियाँ, नैयायिकों का ‘परमाणुवाद’ इसके उदाहरण हैं इसके साथ ही जाति से व्यक्ति के आक्षेप में भी ये मीमांसा-परम्परा के ही अधिक निकट हैं।

९. ६ आचार्य मम्मट का जीवन-परिचय

काव्यशास्त्रीय जगत् में आचार्य मम्मट की ख्याति आनन्दवर्धन द्वारा स्थापित ध्वनि-सम्प्रदाय के प्रबल समर्थक के रूप में है। मम्मट के मतों तथा तर्कों में आनन्दवर्धन का ध्वनि-सिद्धान्त पूर्ण प्रतिष्ठित हुआ।

मम्मट ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी अपने जीवन और समय के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है, फलस्वरूप अधिकांश आचार्यों की ही भाँति इनका भी जीवन-परिचय तथा काल अनुमान पर ही आधारित है। मम्मट को कश्मीरी कहा जाता है। इसके कई कारण हैं। इनके नाम के साथ ‘राजानक’ उपाधि मिलती है। ‘राजतरङ्गिणी’ के

¹ काव्यप्रकाश ‘सङ्केत’ टीका में प्रथम तथा दशम उल्लास के अन्त में उपसंहारात्मक वाक्य में मम्मट के लिए ‘राजानक’ उपाधि का प्रयोग हुआ है -इति श्रीमद्राजानकामल्लमम्मटरुचकविरचिते- - -’ (सं० का० इति, काणे, पृ० ३३६)।

अनुसार यह उपाधि कश्मीरी ब्राह्मणों को दी जाती थी।^१ इसके अतिरिक्त जैयट, कैयट, वज्रट, उवट, उद्घट आदि कश्मीरी विद्वानों के नाम के साथ सादृश्य के कारण भी (टकारान्त होने से) इन्हें कश्मीरी कहा जाता है।^२ ‘काव्यप्रकाश’ के पञ्चम उल्लास में इन्होंने ‘कुरु रुचिम्’ प्रयोग में पदों के विपर्यय में दोष दिखाया है। इस पर ‘काव्यप्रकाशदर्पण’ नामक अपनी टीका में आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि -चिङ्गकुपदं काश्मीरादिभाषायामश्लीलार्थबोधकम्।^३ इन तर्कों के आधार पर मम्ट को कश्मीरी माना जा सकता है।

आचार्य भीमसेनदीक्षितकृत काव्यप्रकाश की ‘सुधासागर’ टीका में मम्ट का जीवन-परिचय दिया गया है जिसके अनुसार मम्ट कश्मीर देश में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम जैयट था तथा उवट (या औवट) एवं कैयट इनके कनिष्ठ भ्राता थे।^४

‘काव्यप्रकाश’ की ‘बालबोधिनी’ टीका के रचयिता झलकीकरवामन एवं प्रो० पी० वी० काणे इत्यादि विद्वानों के अनुसार उपर्युक्त मत की निश्चितता संदिग्ध है।^५ चारों वेदों के भाष्यकार के रूप में उवट का उल्लेख मिलता है। कैयट ने पतञ्जलि के ‘महाभाष्य’ पर टीका लिखी थी। औवटकृत वाजसनेयी संहिता के भाष्य के अन्त में एक पद्य आया है-

आनन्दपुरवास्तव्यवज्रटाख्यस्य सूनुना।

मन्त्रभाष्यमिदं कलृप्तं भोजे पृथ्वीं प्रशासति॥

इस पद्य के अनुसार उवट के पिता वज्रट थे और उवट भोज के समकालीन थे, किन्तु भीमसेनदीक्षित जी ने मम्ट के पिता का नाम ‘जैयट’ बताया है। यदि उवट मम्ट के भ्राता थे तो दोनों के पिता के नामों में भिन्नता कैसे

^१ राज्ञी कृतज्ञभावेन साऽपि मन्त्रिसभान्तरे ।

तमाजुहाव निर्द्रोहं स्वयं राजानकाख्यया ॥ (रा० त०, ६/२६७) ।

^२ मम्टः कं जनपदं जन्मनालञ्चकारेति निर्णयप्रवृत्ता वयं ‘काश्मीरजनपदम्’ इति निश्चनुमः यदस्य मम्टेति नाम देशान्तरासुलभानां जैयटकैयटवज्रटउवटऔवटउद्घटरुद्रटधम्मटकल्लटभल्लटलोल्लटअल्लटइत्यादिनाम्ना सादृश्यमनुभवति। (का० प्र०, बा० बो०, प्रस्ता०, पृ० ६) ।

^३ का० प्र०, बा० बो०, प्रस्ता०, पृ० ६ ।

^४ सुधासागराख्यकाव्यप्रकाशटीकायां भीमसेनेन तु ‘अयं मम्टः कश्मीरदेशीयः जैयटपुत्रः वाराणसीमागत्याधीतशास्त्रः अस्य च मम्टस्य पतञ्जलिप्रणीतव्याकरणमहाभष्टाटीकाकर्ता कैयटः वेदचतुष्ट्यभाष्यकर्ता उवटापरनामा औवटश्चेति द्वावपि कनिष्ठौ भ्रातरौ’ इति वर्णितम्। (का० प्र०, बा० बो०, प्रस्ता०; पृ० ६) ।

^५ का० प्र०, बा० बो०, प्रस्ता०, पृ० ७; सं० का० इति०, काणे, पृ० ३४९ ।

माना जा सकती है? इसके अतिरिक्त मम्मट को भोज का उत्तरवर्ती या उनके शासन काल के अन्तिम चरण में विद्यमान माना जाता है^१ ऐसी दशा में उनके कनिष्ठ भ्राता उवट को भोज का समकालीन नहीं माना जा सकता है।

एक किंवदन्ती के अनुसार आचार्य मम्मट 'नैषधीयचरितम्' के लेखक महाकवि श्री हर्ष के मामा थे। कोई प्रामाणित आधार न होने से इस किंवदन्ती को सत्य नहीं माना जा सकता। मम्मट तथा श्री हर्ष के समय में भी लगभग १०० वर्षों का अन्तराल है। श्री हर्ष का समय द्वादश शताब्दी का उत्तरार्ध है^२ जबकि मम्मट का समय एकादश शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है।

१.७ मम्मट का समय

'काव्यप्रकाश' में आचार्य मम्मट ने कतिपय विद्वानों का उल्लेख किया है तथा इनके उत्तरवर्ती ग्रन्थों में इनका उल्लेख पाया जाता है जिसके आधार पर इनका समय निर्धारित किया जा सकता है।

'काव्यप्रकाश' में आचार्य अभिनवगुप्त का नाम सहित उल्लेख है^३ तथा पद्मगुप्तरचित 'नवसहस्राङ्कचरित' के श्लोक भी उद्धृत किये गये हैं^४ इसके अतिरिक्त उदात्त अलङ्कार के प्रसङ्ग में भोज की उदारता का भी वर्णन है^५

इनमें आचार्य अभिनवगुप्त का समय दसवीं शताब्दी का अन्त तथा यारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण के मध्य माना गया है^६ 'नवसहस्राङ्कचरित' की रचना १००५ ई० के लगभग की है^७ मम्मट ने जिस भोज की उदारता का वर्णन किया है वे 'शङ्कारप्रकाश' तथा 'सरस्वतीकण्ठाभरण' नामक प्रसिद्ध आलङ्कारिक ग्रन्थों के रचयिता धारा नरेश भोजराज हैं। इनके राज्यकाल की अधिकतम सीमा विद्वानों ने १०५५ ई० निर्धारित की है^८ मम्मट ने भोज का जो वर्णन किया है उससे यही प्रतीत होता है कि इस श्लोक की रचना के समय राजा भोज की कीर्ति का पूर्ण प्रसार

^१ मम्मट ने उदात्त अलङ्कार के प्रसङ्ग में भोज का उल्लेख किया है - 'यद्विद्वद्वनेषु भोजनृपतेस्तत् त्यागलीलायितम्। (का० प्र०, पृ० ५५३)।

^२ 'संस्कृत-सुक्तिविसमीक्षा', आचार्य बलदेव उपाध्याय, पृ० ३७३; 'संस्कृत-कवि-दर्शन', डा० भोलाशङ्कर व्यास, पृ० १५६।

^३ श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः। (का० प्र०, पृ० १३८)।

^४ (क) शिरीषादपि मृद्घङ्गी व्येयमायतलोचना।

अयं क्व च कुकूलाभिनिकर्कशो मदनानलः। (का० प्र०, पृ० ५८०)।

(ख) पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्गना रूपपुरस्कृताङ्ग्यः।

रूपं समुन्मीलितसद्विलासमस्त्रं विलासाः कुसुमायुधस्य। (का० प्र०, पृ० ५८७)।

^५ का० प्र०, पृ० ५५३।

^६ सं० का० इति०, काणे, ३०२; सं० का० इति०, डे, पृ० १०४।

^७ सं० का० इति, काणे, ३४९।

^८ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३२६; सं० का० इति०, डे, पृ० १२५।

हो चुका था, अर्थात् यह भोज के राज्यकाल के अन्तिम समय में अथवा उसके कुछ काल बाद ही रचा गया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि १०५५ ई० या उसके कुछ वर्षों के पश्चात् तक काव्यप्रकाश की रचना हो चुकी थी।

‘काव्यानुशासन’ के रचयिता आचार्य हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्थ में मम्पट का उल्लेख किया है^१ ‘काव्यानुशासन का समय ११४३ ई० है। इसके अतिरिक्त काव्यप्रकाश की अनेक टीकाओं में माणिक्यचन्द्र की ‘सङ्केत’ टीका ही सर्वप्राचीन मानी जाती है। इस टीका की एक हस्तलिखित प्रति पर १२७५ संवत् अर्थात् ११५८ ई० अङ्कित है^२ इन तथ्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बारहवीं शताब्दी के मध्य तक ‘काव्यप्रकाश’ को पूर्ण प्रसिद्ध मिल चुकी थी। इस प्रकार ‘काव्यप्रकाश’ की रचना का काल १०५५ ई० से १०६० ई० तक मान लें तब मम्पट का जन्म समय १०२५ या १०२० ई० माना जा सकता है।

१. ८ मम्पट के ग्रन्थ

आचार्य मम्पट ने दो ग्रन्थों की रचना की- ‘काव्यप्रकाश’ एवं ‘शब्दव्यापारविचार’। साहित्यशास्त्र में इनके ग्रन्थ ‘काव्यप्रकाश’ को अतुलनीय स्थान प्राप्त है। इसमें दस उल्लास हैं। इसके कारिका, वृत्ति तथा उदाहरण ये तीन भाग हैं। इसमें, काव्यलक्षण, प्रयोजन, हेतु, भेद, दोष, गुण एवं धनि-भेदों के साथ-साथ अलङ्कारों का विशद विवेचन हुआ है। मम्पट के इस ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। महेश्वरकृत ‘भावार्थचिन्तामणि’ नामक एक टीका में ‘काव्यप्रकाश’ के विषय में कहा गया है -

‘काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे-गृहे टीका तथाप्येष तथैव दुर्गमः ।

सुखेन विज्ञातुमिमं य ईहते धीरः स एतां निपुणं विलोकताम्’^३

कठिपय विद्वानों का यह मत है कि ‘काव्यप्रकाश’ की कारिकाएँ आचार्य भरत द्वारा लिखी गई तथा मम्पट ने वृत्तियों की रचना की। इस मत को मानने वालों में ‘काव्यप्रकाश’ के परवर्ती टीकाकार विद्याभूषण तथा महेश्वर हैं। विद्याभूषण की ‘साहित्यकौमुदी’ में यह उल्लिखित है -

मम्पटाद्युक्तिमाश्रित्य मितां साहित्यकौमुदीम्

वृत्तिं भरतसूत्राणां श्रीविद्याभूषणो व्यधात्॥^४

^१ यथाह मम्पटः - अगूढमपरस्याङ्ग वाच्यसिद्धचञ्चमस्फुटम्- - - । (काव्यानुशासनम्, पृ० १३०) ।

^२ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३४२ ।

^३ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३४३ ।

^४ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३३५ ।

‘काव्यप्रकाश’ की कारिकाओं का रचयिता भरत मुनि या ममट से भिन्न किसी भी अन्य व्यक्ति को मानना युक्तियुक्त नहीं है। इस मत के विरुद्ध अनेक तर्क दिया जा सकते हैं। आचार्य ममट ने इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया है कि वे किसी दूसरे की कारिकाओं पर वृत्ति लिख रहे हैं और न ही वृत्ति के लिए कोई पृथक् मङ्गलाचरण है। केवल कारिकाओं के प्रारम्भ में ही मङ्गलाचरण मिलता है^१ इसके अतिरिक्त चतुर्थ उल्लास में रस की परिभाषा वाली कारिकायें-

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीण यानि च
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः।
विभावा अनुभवास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः
व्यक्तः स तैर्विभावादैः स्थायी भावो रसः स्मृतः॥

मिलती हैं। इसकी वृत्ति में लिखा गया है - ‘उक्तं हि भरतेन विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः’^२ यदि काव्यप्रकाश की कारिकाएँ भरत की रचना होती तो ममट वृत्ति में अन्यत्र (नाट्य-शास्त्र में) उन्हीं की कही गई उक्ति को प्रमाण रूप में उद्धृत नहीं करते^३ परवर्ती आचार्य हेमचन्द्र ने ममट का उल्लेख कारिका के साथ ही किया है^४

ममट के दूसरे ग्रन्थ ‘शब्दव्यापारविचार’ की तीन कारिकाएँ अक्षरशः ‘काव्यप्रकाश’ की ही हैं^५ यदि ‘काव्यप्रकाश’ की कारिकाएँ ममट की न होती तो दूसरे ग्रन्थ में अन्य के द्वारा रचित कारिकाओं को देने की क्या

^१ प्र० पी० वी० काणे तथा सुशील कुमार डे इत्यादि विद्वानों ने भी विभिन्न तर्कों द्वारा ममट को ही कारिका तथा वृत्ति दोनों का रचयिता माना है। सं० का० इति, काणे, ३३८; सं० का० इति, डे, पृ० १४९ ।

^२ का० प्र०, पृ० ११६ ।

^३ यदि कारिकाकृत् भरतमुनिः स्यात्तदा चतुर्थाल्लासे कारिकया उक्तस्यार्थस्य प्रमाणतया ‘उक्तं हि भरतेन’ इत्यादिना भरतोक्तिरुद्धृता न स्यात्। कः खल्वनुमत्स्तदुक्तावेव तदुक्तिं प्रमाणतया उपन्यस्यति। (का० प्र०, बा० बो०, प्रस्ता०, पृ० ११ - १२)।

^४ यथाह ममटः - अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धचङ्गमस्तुतम् ।

संदिष्टतुल्याधान्ये काव्याक्षिप्तमसुन्दरम् ॥

व्यङ्ग्यमेवं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदाः स्मृताः॥ (काव्यानुशासनम्, पृ० १३०) ।

हेमचन्द्र द्वारा उद्धृत उपर्युक्त कारिकाएँ काव्यप्रकाश के पञ्चम उल्लास की हैं। (का० प्र०, पृ० २१६) ।

^५ स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्

उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा॥

सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा

विषयन्तःकृतेऽन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका

भेदाविमौ च सादृश्यात् सम्बन्धान्तरतस्तथा

गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ लक्षणा तेन षड्विधा।

‘शब्दव्यापारविचार’ की तीनों कारिकाएँ ‘काव्यप्रकाश’ के द्वितीय उल्लास की कारिका संख्या १०, ११ तथा १२ हैं।

आवश्यकता थी? अतः आचार्य ममट ही वृत्ति सहित काव्यप्रकाश की कारिकाओं के भी रचयिता थे इसमें सन्देह नहीं है।

‘काव्यप्रकाश’ के प्रकर रचनाकार के रूप में अलक या अल्लटसूरि का नाम भी लिया जाता है। इसके दशम उल्लास के अन्त में एक श्लोक मिलता है-

‘इत्येष मागो विदुषां भिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्

न तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यग्विनिर्मिता संघटनैव हेतुः॥’^१

विवेद टीकाकारों ने इसकी व्याख्या करते हुए इसके दो अर्थ निकाले हैं और इसी आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ‘काव्यप्रकाश’ के दो रचनाकार थे। आनन्दकवि ने अपनी ‘निर्दर्शना’ नामक टीका में लिखा है कि ममट ने पारकर अलङ्कारपर्यन्त ही ग्रन्थ की रचना की थी। शेष भाग अल्लट सूरि (कहीं कहीं अलक पाठ भी मिलता है) ने रचा गाणिक्यचन्द्र, सरस्वतीतीर्थ इत्यादि अन्य टीकाकारों ने भी दो लेखकों वाले मत की ही पुष्टि की है।

उपर्युक्त मत को मानने में एक विसङ्गति है। आचार्य ममट की दूसरी कृति है ‘शब्दव्यापारविचार’। इसमें ‘शब्द शक्ति’ का विवेचन है जो कि ‘काव्यप्रकाश’ के द्वितीय उल्लास में मिलता है इसके साथ ही ‘शब्दव्यापारविचार’ में ध्वनि विरोधी मत तथा उनका खण्डन भी संक्षिप्त रूप में दिया गया है जो कि ‘काव्यप्रकाश’ के पञ्चम उल्लास में विस्तृत रूप से वर्णित है। ‘शब्दव्यापारविचार’ की रचना ममट ने ‘काव्यप्रकाश’ के पश्चात् की इसका स्पष्ट कथन उन्होंने इस ग्रन्थ के अन्त में किया है-

‘एतच्चान्यत्र विस्तरेण विचारितमिति संक्षेपेणेहोक्तमिति।’^२

यदि ‘काव्यप्रकाश’ के दो लेखकों वाले मत को सत्य मान लिया जाये तक यह मानना पड़ेगा कि ‘काव्यप्रकाश’ को पञ्चम उल्लास तक लिख लेने के बाद उसे अपूर्ण छोड़कर ममट ने ‘शब्दव्यापारविचार’ की रचना की। किन्तु ममट को ‘काव्यप्रकाश’ जैसे बृहत् विषय वाले ग्रन्थ को प्रारम्भ करके और उसे मध्य में ही छोड़कर दूसरे ग्रन्थ की रचना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। यदि कोई अपने एक ग्रन्थ को अपूर्ण छोड़कर दूसरे ग्रन्थ का प्रणयन करता है तब उसका कोई न कोई कारण भी अवश्य होता है। जैसा कि बाणभट्ट ने ‘हर्षचरित’ नामक आख्यायिका में हर्ष का चरित अधूरा ही छोड़ दिया है। इसका कारण यह हो सकता है कि पुलकेशिन् द्वितीय द्वारा हर्ष के पराजित होने से कदाचित् बाणभट्ट ने अपने कथा-नायक की पराजय का वर्णन न

^१ का० प्र०, पृ० ६३।

^२ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३३८।

करने की इच्छा से उसका चारत अपूर्ण ही छोड़ दिया हो। इसी प्रकार 'कादम्बरी' की रचना भी पूरी नहीं हो सकी थी, किन्तु उसका कारण था बाणभट्ट की असमय में मृत्यु। इस दृष्टि से आचार्य ममट को ही सम्पूर्ण 'काव्यप्रकाश' का लेखक गानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

१. ६ 'शब्दव्यापारविचार' एवं उसका महत्त्व

ममट का दूसरा ग्रन्थ 'शब्दव्यापारविचार' एक संक्षिप्त प्रकरण-ग्रन्थ है। इसका नाम 'शब्दव्यापारपरिचय' भी गिलता है।^१ इसमें शब्द शक्तियों की विवेचना है। शब्दों की चार प्रकार की उपाधियों, लक्षण, उसके भेद, व्यञ्जनाशक्ति के घण्ठन के साथ ही संक्षेप में व्यञ्जना विरोधी मतों की उपस्थापना तथा उनका खण्डन किया गया है।

काव्यशास्त्र के समीक्षकों, इतिहासकारों तथा अन्य आधुनिक काव्यशास्त्रीय विद्वानों ने 'शब्दव्यापारविचार' को उतना गहन्त्व गहीं दिया है जितना 'काव्यप्रकाश' को। 'आचार्य ममट' नामक ग्रन्थ के लेखक प्रो० धुण्डराजगोपालसप्रे ने तो अपने इस ग्रन्थ में यहाँ तक लिखा है कि काव्यप्रकाश के समक्ष इस पुस्तिका का कोई महत्त्व नहीं है। 'शब्दव्यापारविचार' ममट की रचना है इस पर भी प्रो० सप्रे ने सन्देह व्यक्त किया है।^२

यह सत्य है कि 'काव्यप्रकाश' जैसे विशाल ग्रन्थ के एक विषय को आधार बनाकर ही 'शब्दव्यापारविचार' लिखा गया तथा इसकी तीन कारिकाएँ 'काव्यप्रकाश' की ही हैं, किन्तु केवल इसी कारण से इस ग्रन्थ की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 'काव्यप्रकाश' में काव्यशास्त्र के सम्पूर्ण विषय का विशद वर्णन है और उसमें प्रसङ्गवश ही विरोधी सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है। 'शब्दव्यापारविचार' मुख्य रूप से 'अभिधावृत्तिमातृका' की आलोचना में लिखा गया है। वस्तुतः आचार्य ममट प्रबल धनि-समर्थक आचार्य थे और मुकुलभट्ट व्यञ्जना अथवा ध्वनि विरोधी आचार्य। इनके ग्रन्थ में वस्तु, अलङ्कार तथा रस इन तीनों प्रकार की ध्वनियों का अन्तर्भाव लक्षण में ही दर्शाया गया है। ममट के मस्तिष्क में मुकुलभट्ट का ग्रन्थ अत्यधिक प्रभावी था जिसके कारण इन्हें पृथक् रूप से ग्रन्थ की रचना करके इसकी आलोचना करनी पड़ी। 'शब्दव्यापारविचार' में विषयों के वर्णन का क्रम 'अभिधावृत्तिमातृका' के अनुरूप ही हुआ है। इस कारण इसमें कई ऐसे विषय भी विचारित हैं जिनका निरूपण 'काव्यप्रकाश' में नहीं मिलता।

'शब्दव्यापारविचार' में लक्षण की परिभाषा 'काव्यप्रकाश' में प्रदत्त परिभाषा से भिन्न शब्दों में दी गई है, किन्तु उसके भेदों का वर्णन 'काव्यप्रकाश' के अनुसार ही है। 'शब्दव्यापारविचार' में वक्ता, वाक्य तथा वाच्य की

^१ श० व्या० वि०, पृ० ३८।

^२ स० का० इति०, दे, पृ० १४३।

सापेक्षता के कारण होने वाली लक्षणा की अनेकता पर विचार हुआ है जिसकी चर्चा 'काव्यप्रकाश' में नहीं मिलती। तृतीय उल्लास में आर्थी व्यञ्जना के प्रसङ्ग में ही वक्ता, बोधव्यादि की सापेक्षता का उल्लेख है। मुकुलभट्ट ने वक्ता, वाक्य तथा वाच्य की सापेक्षता से होने वाली लक्षणा के जो उदाहरण दिये हैं वे व्यनिवादियों को मान्य वस्तु, अलङ्कार तथा रस के उदाहरण हैं। यही कारण है कि मम्मट ने उन उदाहरणों में मुख्यार्थबाधादि के अभाव में लक्षणा का निषेध किया है तथा अपने उदाहरण दिये हैं जो वक्ता आदि की सापेक्षता से होने वाली लक्षणा के हो सकते हैं।

व्यञ्जनाशक्ति की अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हुए विशिष्टलक्षणावाद के खण्डन के अवसर पर इसमें मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' से नवीन तर्क भी दिये हैं। इसके अतिरिक्त 'शब्दव्यापारविचार' में निरुद्धा, प्रयोजनवती तथा त्याज्य लक्षणाओं का पृथक् कारिका में वर्णन किया है^३ 'काव्यप्रकाश' में त्याज्य लक्षणा की चर्चा सप्तम उल्लास में नेयार्थ दोष के प्रसङ्ग में की गई है। वहाँ केवल निषिद्ध लक्षणा का उदाहरण है और साथ ही कुमारिलभट्ट की कारिका भी उद्धृत है^४ रुढ़ि तथा प्रयोजन से रहित लक्षणा ही निषिद्ध लक्षणा होती है^५

लक्षणा अभिधा के पूर्व होती है अथवा पश्चात् इस विषय पर 'काव्यप्रकाश' में विचार नहीं किया गया है, किन्तु मुकुलभट्ट से प्रभावित होकर मम्मट ने 'शब्दव्यापारविचार' में अभिहितान्वयवाद, अचिताभिधानवाद तथा अखण्डार्थवाद में अभिधा तथा लक्षणा के पौर्वापर्य का विवेचन है। अभिहितान्वयवाद तथा अचिताभिधानवाद की व्याख्या 'काव्यप्रकाश' की अपेक्षा इस ग्रन्थ में अधिक स्पष्ट है।

लक्षणा के प्रयोजक हेतुओं में मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध भी एक कारण माना गया है। मम्मट ने 'शब्दव्यापारविचार' में सादृश्य, कार्य-कारण, स्वस्वाभिभाव, अवयवअवयविभाव इत्यादि से होने वाले सम्बन्धों का उल्लेख लक्षणा भेद के अवसर पर 'काव्यप्रकाश' की ही भाँति किया है किन्तु अन्त में पृथक् रूप से भर्तृमित्र की 'अभिधेयेन सम्बन्धात्- - -। इत्यादि कारिका उद्धृत करते हुए पाँच प्रकार के सम्बन्धों की सोदाहरण व्याख्या भी की है जैसा कि मकुलभट्ट ने अपने ग्रन्थ में किया है।

'काव्यप्रकाश' में मम्मट ने व्यञ्जना-शक्ति अथवा व्यञ्जनार्थ की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी है किन्तु 'शब्दव्यापारविचार' की अन्तिम कारिका में व्यञ्जनार्थ को अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जिसमें प्रतिभा

^३ 'आचार्य मम्मट, प्र०० धुण्डराजगोपालसप्रै, पृ० १६।

^४ निरुद्धा काचनान्या तु कार्या सा काचिदन्यथा। (श० व्या० वि०, पृ० २३)।

^५ नेयार्थम् - 'निरुद्धा लक्षणा: काश्चित्सामर्थ्यादभिधानवत्।

क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्काश्चिन्नैव त्वशक्तिः।

इति यत्रिषिद्धं लक्षणिकम्। यथा -

शरत्कालसमुल्लासिपूर्णिमाशर्वरीप्रियम्,

करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातनातिथिम्। (का० प्र०, पृ० २६०)।

की निर्मलता तथा विद्युता पर बल दिया गया है^१ अभिधा के लिए जो महत्व 'सङ्केत' का है, मुख्यार्थबाधादि के विना जैसे लक्षणा नहीं हो सकती वैसे ही प्रतिभानैर्मत्य, वैदस्य तथा प्रस्तावादि के वैशिष्ट्य के विना व्यञ्जनार्थ-बोध सम्बन्ध नहीं हैं। इस ग्रन्थ में व्यञ्जनार्थ का सामान्य परिचय दिया गया है। 'काव्यप्रकाश' में अभिधामूला, लक्षणामूला के साथ ही आर्थी व्यञ्जना का सविस्तार विवेचन है किन्तु 'शब्दव्यापारविचार' में ममट ने पद तथा वाक्य से प्रकाशित होने वाले व्यञ्जनार्थ के पृथक्-पृथक् उदाहरण देकर उन्हें अभिधामूला व्यञ्जना कहा है।

कभी-कभी काव्य में व्यञ्जनार्थ की स्थिति तो होती है किन्तु वह गौण या अप्रधान होता है। 'शब्दव्यापारविचार' में इसके भी दो उदाहरण दिये गये हैं। 'काव्यप्रकाश' में काव्य के एक प्रकार के रूप में गुर्णाभूतव्यञ्जन तथा उसके आठ भेदों की सोदाहरण व्याख्या है।

'शब्दव्यापारविचार' में ममट ने कहीं भी 'उत्तम' काव्य के रूप में ध्वनि काव्य का कोई वर्णन नहीं किया है। 'ध्वनि' शब्द दो बार आया अवश्य है किन्तु वह शब्द के पर्याय के रूप में ही है^२ व्यञ्जना-व्यापार को यहाँ भी ध्वनन कहा गया है^३

इस प्रकार 'शब्दव्यापारविचार' को 'काव्यप्रकाश' के मात्र द्वितीय उल्लास का विस्तृत रूप समझ कर उसको महत्वमौन मानना उचित नहीं है। एक आलोचनात्मक ग्रन्थ के रूप में साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थों में इसका महत्व कम नहीं है।

१. १० आचार्य ममट की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मुकुलभट्ट के पश्चात् काव्यशास्त्रीय जगत् में ममट के पूर्व जो महत्वपूर्ण आचार्य हुए उनमें कालक्रम की दृष्टि से आचार्य कुन्तक का नाम सर्वप्रथम है जिन्होंने काव्यशास्त्रीय विषय पर 'वक्रोक्तिजीवितम्' नामक ग्रन्थ लिखा। कुन्तक ने अपने ग्रन्थ में राजशेखर को उद्धृत किया है तथा महिमभट्ट ने कुन्तक के ग्रन्थ का उल्लेख किया है। इस आधार पर आचार्य कुन्तक का समय दसवीं शताब्दी के अन्त से आठवीं शताब्दी के मध्य माना जा सकता है^४ प्रो०

^१ निषिद्धमिति। रूढिप्रयोजनान्यतरशून्यमिति पर्यवसितोऽर्थः। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० २८३)।

^२ प्रज्ञानैर्मत्य-वैदस्यप्रस्तावादिविधायुजः।

अभिधातक्षणयोगी व्यञ्जयोऽर्थः प्रथितो ध्वनेः॥ (श० व्या० वि०, पृ० ३३)।

^३ उपर्युक्त कारिका में 'ध्वनि' शब्द का ही पर्याय है। इसके साथ ही 'जातिःक्रिया गुणः संज्ञा वाच्योऽर्थः समितध्वनिः'

इस प्रथम कारिका में भी 'ध्वनि' शब्द के लिए आया है।

^४ न चैवमभिधाया लक्षणाया वा कश्चिदवसर इति भिन्नमेव ध्वननम्। (श० व्या० वि०, पृ० ३६)।

^५ स० का० इति०, डे०, पृ० ११८।

काणे ने इनके ग्रन्थ को दसवीं शताब्दी के प्रथम चरण के बाद की ही रचना माना है।^१ इस ग्रन्थ में काव्य के लक्षण, प्रयोजन के साथ साथ छः प्रकार की वक्रता का वर्णन है। कुन्तक अभिधावादी आचार्य थे। इन्होंने वक्रोक्ति की परिभाषा दी है-

विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते' (व० जी०, १/१०, पृ० ५९)।

इन्होंने लक्ष्य एवं व्यञ्ज्य अर्थ को स्वीकार करते हुए भी उसका अन्तर्भाव वाच्य में ही कर लिया है। षड्-विध वक्रता के भेदोपभेदों के वर्णन के माध्यम से ही कुन्तक ने परोक्षरूपेण ध्वनि-भेदों को उसमें समाविष्ट मान लिया है। इस दृष्टि से इन्हें ध्वनि-विरोधी आचार्य माना जाता है यद्यपि इन्होंने साक्षात् रूप से ध्वनि-सिद्धान्त का विरोध नहीं किया है।

कुन्तक के पश्चात् आचार्य अभिनवगुप्त का नाम आता है जिनका समय ६५० ई० से १०२० ई० के मध्य माना गया है।^२ अभिनवगुप्त कश्मीरी विद्वान् थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की। साहित्य के क्षेत्र में 'धन्यालोक' पर 'लोचन' टीका तथा 'नाट्यशास्त्र' पर 'अभिनवभारती' नामक टीका इनकी अनुपम रचनाएँ मानी जाती हैं। कश्मीरी शैव-दर्शन के प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र पर भी इन्होंने कई ग्रन्थ लिखे हैं। इनकी 'लोचन' एवं 'अभिनवभारती' टीकाएँ काव्यशास्त्र के दो प्रमुख सम्प्रदाय ध्वनि तथा रस में प्रमाणस्वरूप समझी जाती हैं। आचार्य मम्मट पर लोचन का बहुत प्रभाव पड़ा है। रस-सिद्धान्त की व्याख्या के अवसर पर उन्होंने अत्यन्त आदर सहित अभिनवगुप्त का उत्तोल्य किया है।

मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्यों में व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट ध्वनि-विरोधी आचार्य थे। इन्होंने 'धन्यालोक' के ध्वनि-सिद्धान्त की आलोचना के लिए ही अपने ग्रन्थ का प्रणयन किया।^३ महिमभट्ट को 'राजानक' उपाधि मिली थी जिससे इनका कश्मीरी होना सिद्ध होता है। महिमभट्ट का समय १०२० ई० से १०५० ई० के मध्य माना जाता है।^४

आचार्य महिमभट्ट नैयायिक थे। व्यञ्जना-विरोधी आचार्यों में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने अभिधा नाम की एक ही शब्द-शक्ति मानी है।^५ व्यञ्जनावृत्ति का विरोध करते हुए व्यञ्ज्यार्थ का अन्तर्भाव इन्होंने

^१ सं० का० इति०, काणे, पृ० २६४।

^२ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३०३; सं० का० इति०, डे, पृ० १०४।

^३ अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्

व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम्। (व्य० वि०, १/१)।

^४ सं० का० इति०, काणे, ३१६।

^५ (क) नपि शब्दस्याभिधाव्यतिरेकेण व्यञ्जकत्वं व्यापारान्तरमुपपद्यते ---। (व्य० वि०, पृ० १२७)।

(ख) शब्दस्यैकाभिधाशक्तिरर्थस्यैकैव लिङ्गता। (व्य० वि०, पृ० १०५)।

अनुमान में ही माना है। आचार्य ममट ने अपने ग्रन्थ में व्यङ्ग्यार्थ प्रतीति को अनुमान मानने का खण्डन किया है। टीकाकार इसे महिमभट्ट की ही आलोचना मानते हैं।

महिमभट्ट के पश्चात् धारा नरेश भोज का नाम लिया जाता है जिनकी दो कृतियाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं - 'सरस्वतीकण्ठाभरण' तथा 'शृङ्गारप्रकाश'। इनकी इन दो रचनाओं का समय १००५ ई० से १०५४ ई० के बीच सम्भावित है।^१ इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है। 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में पूर्ववर्ती कवियों के अनेक ग्रन्थों से उदाहरण लिये गये हैं, जिनमें अधिकांश 'काव्यादर्श' के हैं। इसमें काव्य के प्रयोजन, लक्षण, जाति, रीति, अलङ्कार, रस, नायक, नायिका, नाट्यसन्धियों आदि का वर्णन किया गया है।

भोज की दूसरी रचना 'शृङ्गारप्रकाश' में कुल ३६ प्रकाश हैं। यह ग्रन्थ पूर्ण रूप में प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें 'नाट्यशास्त्र' तथा 'काव्यशास्त्र' दोनों का विवेचन है।^२ इसमें काव्य की परिभाषा भामह के अनुसार ही दी गई है। भोज के शृङ्गार को ही एकमात्र रस माना है। एकावली में भी इनके इस मत की चर्चा है।

भोज के पश्चात् ममट के पूर्ववर्ती आचार्यों में क्षेमेन्द्र कश्मीरी आचार्य थे। इन्होंने अनेक विषयों पर ग्रन्थ लिखे हैं। इनका जन्म एवं रचनाकाल ६६० ई० से १०६६ ई० के मध्य माना गया है।^३ अपने ग्रन्थ 'वृहत्कथामञ्जरी' में इन्होंने अभिनवगुप्त को अपना साहित्यिक गुरु कहा है -

श्रुत्वाभिनवगुप्ताख्यात् साहित्यं बौधवारिधेः।^४

इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कविकण्ठाभरण' तथा 'औचित्यविचारचर्चा' है। 'औचित्यविचारचर्चा' में 'औचित्य' को ही रस-सार मानते हुए इसका सविस्तार वर्णन है। -

औचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचर्वणे।

रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना॥^५

इन्होंने औचित्य की परिभाषा इस प्रकार दी है-

‘उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते’^६

इस ग्रन्थ में आचार्य ने ध्वन्यालोक के सिद्धान्तों का विवेचन किया है।

^१ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३२६ ।

^२ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३२४ ।

^३ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३३९ ।

^४ सं० का० इति०, काणे पृ० ३३९ ।

^५ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३२६ ।

^६ सं० का० इति०, काणे, पृ० ३२६ ।

'कविकण्ठाभरण' पाँच सन्धियों में विभक्त है जिसमें ५५ कारिकाएँ हैं। इसमें तर्क, व्याकरण के अध्ययन तथा काव्य के गुण-दोषों के विषय में चर्चा की गई है।

१. ११ मम्मट पर पूर्ववर्तियों का प्रभाव

आचार्य मम्मट के ग्रन्थों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जहाँ व्याकरण, मीमांसा, न्याय जैसे शास्त्रों की प्रभावी भूमिका रही है वहाँ आचार्य भरत से लेकर क्षेमेन्द्र तक उत्कृष्ट काव्यशास्त्रियों की कृतियाँ भी रही हैं। मम्मट न केवल साहित्यिक विषयों के सूक्ष्मतम् रहस्यों के ज्ञाता थे अपितु व्याकरण, मीमांसा तथा न्याय के सिद्धान्तों में भी ये पारङ्गत थे। व्याकरणसम्बन्धी इनके ज्ञान को देखते हुए तो व्याख्याकारों, टीकाकारों ने इन्हें मूलतः वैयाकरण सिद्ध करने का प्रयास किया है।

किसी भी सहित्यशास्त्रीय पण्डित के लिए पद, वाक्य एवं प्रमाणज्ञ होना आवश्यक ही होता है, क्योंकि साहित्यशास्त्र मुख्य रूप से इन्हीं तीनों पर आधारित होता है। आचार्य मुकुलभट्ट ने इस विषय में सत्य ही लिखा है-

पदवाक्यप्रमाणेषु तदेतत् प्रतिबिम्बितम्

यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति॥^१

उपर्युक्त तीनों शास्त्रों में व्याकरण ने काव्यशास्त्र के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित किया है। इसके प्रत्येक विषय का मूल व्याकरण में विद्यमान है। मुख्यतः शब्दों का तत्त्वज्ञान तो व्याकरण के विना सम्भव ही नहीं है। व्याकरण की उपयोगिता को आचार्य भामह ने जिन शब्दों में दर्शाया है वे प्रस्तुत प्रसङ्ग में उल्लेखनीय हैं -

सूत्राभ्यसं पदावर्त्तं परायणरसातलम्।

धातूणादिगणग्राहं ध्यानग्रहबृहत्प्लवम्॥

धीरैरालोकितप्रान्तमेधोभिरसूयितम्।

सदोपभुक्तं सर्वाभिरन्यविद्याकरेणुभिः॥

नापारयित्वा दुर्गाधममुं व्याकरणार्णवम्।

शब्दरत्नं स्वयंगम्यमलं कर्तुमयं जनः॥^२

^१ अ० वृ० मा०, पृ० ७२।

^२ भा० काव्या०, ६/१,२,३, पृ० १४३।

आचार्य ममट भी अन्य शास्त्रों की अपेक्षा व्याकरण से अधिक प्रभावित रहे हैं। आलङ्गारिकों को इन्होंने स्पष्टरूप से व्याकरणमतानुसारी कहा है। उत्तम काव्य की 'धनि' संज्ञा देते हुए इन्होंने इसका आधार माना है व्याकरण के स्फोट-सिद्धान्त को।^३

वैयाकरणों ने स्फोट रूप व्यञ्जन के व्यञ्जक शब्दों को धनि कहा है। इस प्रसङ्ग में ममट ने वैयाकरणों के लिए 'बुधैः' जैसी सम्मानजनक संज्ञा व्यवहृत की है। इसके अतिरिक्त इनका उपाधि चतुष्टय सिद्धान्त महाभाष्य के शब्दचतुष्टयवाद पर आधारित है।^४

ममट के पूर्व आनन्दवर्धन ने भी वैयाकरणों के स्फोट-सिद्धान्त को धनि का आधार माना है तथा मुकुलभट्ट ने पतञ्जलि के सिद्धान्त पर उपाधिचतुष्टयवाद की स्थापना की। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि ममट ने आनन्दवर्धन एवं मुकुलभट्ट के अनुसरण पर ही इस सिद्धान्त को मान्यता दी। किन्तु काव्यप्रकाश में अन्य अनेक ऐसे स्थल भी हैं जिनपर व्यकारण-शास्त्र का प्रभाव है। जैसे विभावना अलङ्गार का लक्षण इन्होंने दिया है -

क्रियाया: प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिर्विभावना'।

यहाँ क्रिया का अर्थ हेतु है। इसकी व्याख्या में 'प्रदीप' टीकाकार ने लिखा है -

'वैयाकरणानां मते क्रियैव हेतुः ।'

इसके अतिरिक्त ममट ने क्यद्, क्यच्, क्विप्, वाक्य तथा समास आदि के आधार पर उपमा के विविध भेद किये हैं।^५ इस प्रकार का यह भेद वर्णन न केवल इनके व्यकारण सम्बन्धी ज्ञान का परिचायक है अपितु इन पर व्यकारण का प्रभाव भी दर्शाता है।

व्याकरण के साथ-साथ ममट को मीमांसा तथा न्याय का भी उच्च कोटि का ज्ञान था, इसमें सन्देह नहीं है। इन्होंने मीमांसा से सम्बन्धित विविध मान्यताओं का प्रसङ्गनुकूल वर्णन किया है। शब्द-शक्तिप्रकरण में तो खण्डन के रूप में ही सही, मीमांसा-दर्शन ही छाया हुआ है। सङ्केतितार्थ के स्वाभिमत चार प्रकारों को देते हुए 'जातिरेव वा' कहकर इन्होंने मीमांसकों का भी पक्ष रखा है तथा इसका खण्डन भी किया है। नैयायिकों के व्यक्तिशक्तिवाद की

^३ - - - बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यञ्जनव्यञ्जकस्य शब्दस्य धनिरिति व्यवहारः कृतः ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यायावितवाच्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलतस्य। (का० प्र०, पृ० २४) ।

^४ का० प्र०, बा० बो०, पृ० ६५६ ।

^५ (क) वादेलोपे समासे सा कर्मधारक्यचिक्यङ्
कर्मकत्रोणमुलि एतद्विलोपे किवप्समापगा॥

(ख) धर्मोपमानयोलोपे वृत्तौ वाक्ये च दृश्यते।
क्यचिं वाद्युपमेयासे त्रिलोपे च समासगा॥ (का० प्र०, द० उ०, पृ० ४७७, ४८०, ४८१) ।

संक्षिप्त आलोचना की किन्तु बौद्धों के अपोहवाद का ग्रन्थ गौरव के कारण उल्लेख मात्र किया तथा ‘शब्दव्यापारविचार’ में उसका उल्लेख भी अनावश्यक समझा।

इसके अतिरिक्त काव्यप्रकाश में वाच्य लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य अर्थों के साथ-साथ तात्पर्यार्थ को भी मानने वाले मीमांसकों का पक्ष दर्शाते हुए अभिहितान्वयवाद एव अन्विताभिधानवाद की व्याख्या की गई है।^३ इस प्रसङ्ग में टीकाकारों में यह मतभेद है कि मम्मट को अभिहितान्वयवाद अभिप्रेत था या अन्विताभिधानवाद। वस्तुतः मम्मट ने तीन अर्थ ही माने हैं वाच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य। अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद की व्याख्या तो भूमिका के रूप में की गई है क्योंकि व्यञ्जना की स्थापना में मम्मट को इन दोनों में ही व्यञ्जना की अनिवार्यता को दर्शाना था। ‘शब्दव्यापारविचार’ में इनका विवेचन पूर्णतया मुकुलभट्ट के अनुसरण पर ही हुआ है।

मीमांसकों का खण्डन करते हुए भी मम्मट ने मीमांसा-दर्शन को प्रमाण स्वरूप उपस्थित किया है। जैसे काव्यप्रकाश के छिंतीय उल्लास में तथा ‘शब्दव्यापारविचार’ में कुमारिलभट्ट विरचित ‘तन्त्रवार्तिक’ की करिका प्रमाण स्वरूप उद्धृत की है।^४ इसके अतिरिक्त काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास में नेयार्थ दोष को स्पष्ट करते हुए पुनः ‘तन्त्रवार्तिक’ की एक अन्य कारिका उद्धृत है।^५

लक्षणा में प्रयोजन की व्यङ्ग्यता सिद्ध करते हुए प्रयोजनविशिष्ट लक्षणा मानने के विरोध में मम्मट ने मीमांसा तथा न्याय का सिद्धान्त प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि ज्ञान का विषय एवं फल ज्ञान से भिन्न होता है। जैसे प्रत्यक्षादि ज्ञान का विषय नीलादि है और फल ज्ञातता अथवा संवित्ति।^६ यहाँ ‘काव्यप्रकाश’ के अधिकांश टीकाकारों के अनुसार मीमांसकों के अनुसार ज्ञान का फल ज्ञातता है तथा नैयायिकों के अनुसार संवित्ति, किन्तु माणिक्यचन्द्र की ‘सङ्केत’ टीका के अनुसार ‘प्रकटता’ कुमारिल का मत है तथा संवित्ति प्रभाकर का।^७

^३ सङ्केतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा। (का० प्र०, पृ० ४३)।

^४ तात्पर्याऽर्थोऽपि केषुचित्। (का० प्र०, पृ० ३४)।

^५ उक्तं चान्यत्र -

अभिधेयाविनाशूतप्रतीतिरक्षणोच्यते।

लक्ष्यमाणगुणौगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता। (श० व्या० वि०, पृ० १२)।

^६ नैयार्थम्- निरुद्धा लक्षणाः काश्चित्सामर्थ्यादभिधानवत्

क्रियन्ते साम्यतं काश्चित्काश्चत्रैव त्वशक्तिः॥ (का० प्र०, पृ० २६०)।

^७ नीलविषयस्य प्रमाणस्य यथा नीलनिष्ठैव प्रकटता संविद् वा फलं- - -। (श० व्या० वि०, पृ० २२)।

^८ प्रकटत्वं भट्टमते। संवित्तिः प्रभाकरे। (का० प्र०, १६ टीकाएँ, सङ्केत, पृ० ३६९)।

काव्यप्रकाश के पञ्चम उल्लास में व्यङ्गचार्य का अनुमान में अन्तर्भाव मानने वाले सिद्धान्त का सामान्यरूपेण खण्डन करते हुए ममट ने अपने न्याय-दर्शन के ज्ञान का भी परिचय दिया है। इसके अतिरिक्त अनुमान अलङ्कार का लक्षण एवं वृत्ति तथा असङ्गति अलङ्कार का वृत्ति-भाग स्पष्ट रूप से इन पर न्याय-दर्शन का प्रभाव ही दर्शाता है।^१

व्याकरण, मीमांसा आदि शास्त्रों की ही भौति ममट को पूर्ववर्ती साहित्यशास्त्रियों ने भी प्रभावित किया है। किन्तु प्रत्येक विषय में ममट का अपना स्वतन्त्र मत भी है। किसी के विचारों से असहमत होने पर इन्होंने प्रबल तर्कों से उसका खण्डन भी किया है, कहीं नामोल्लेख पूर्वक तो कहीं नाम उल्लिखित किये विना ही।

रस-निरूपण के समय ममट ने प्रारम्भ में ही आचार्य भरत की कारिका उद्धृत की है।^२ रस से सम्बन्धित ‘काव्यप्रकाश’ की कतिपय कारिकाओं तथा नाट्य-शास्त्र की कारिकाओं में साम्य को देखते हुए कुछ विद्वानों ने ‘काव्यप्रकाश’ की कारिकाओं को भरतकृत मानने की सम्भावना व्यक्त की है।

रस की संख्या को ममट ने पहले तो भरतोक्त आठ ही माना है किन्तु ‘शान्तोऽपि नवमो रसः’ कहकर शान्त रस को भी स्वीकृति दी है। आचार्य भरत ने शान्त रस को मान्यता दी है।

भामह से प्रभावित होकर ममट ने इनका उल्लेख किया है, किन्तु भामह का नाम नहीं लिया। शब्दचित्र तथा अर्थचित्र के प्रसङ्ग में भामह के काव्यालङ्कार की कारिकाएँ उद्धृत हैं -

तथा चोक्तम् -

रूपकादिरलङ्कारस्तस्यान्यैर्बहुधेादितः।

न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्॥

रूपकादिमलङ्कारं बाह्यमाचक्षते परे

सुपां तिङ्गां च व्युत्पत्तिं वाचां वाञ्छन्त्यलङ्कृतिम्॥

तदेतदाहुः सौशब्द्यं नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी।

शब्दाभिधेयालङ्कारभेदादिष्टं द्वयन्तु नः॥ इति।^३ (क० प्र०, पृ० २७५)।

^१ (क) अनुमानं तदुक्तं यत् साध्यसाधनयोवचः।

पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकित्वेन त्रिरूपो हेतुः साधनम्। (का० प्र०, पृ० ५६२)।

(ख) इह यद्देशं कारणं तद्देशमेव कार्यमुत्पद्यमानं दृष्टं यथा धूमादि। (का० प्र०, पृ० ५७५)।

^२ उक्तं हि भरतेन विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्वसन्निष्पत्तिः। (का० प्र०, पृ० ११६)।

^३ उपर्युक्त कारिकाएँ भा० काव्या० की हैं - १/१३, १४, १५, पृ० ७, ८।

शब्द तथा अर्थ दोनों प्रकार के वैचित्र्य चमत्कारोत्पादक होते हैं, इसी की प्रामाणिकता हेतु ममट ने भामह की कारिकाएँ उद्धृत की हैं। इसके अतिरिक्त विशेष अलङ्कार के प्रसङ्ग में भी भामह की कारिका उद्धृत की है -

अत एवोक्तम् - सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्था विभाव्यते।

यत्तोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना॥

गुण एवं अलङ्कार के भेदक धर्म के विषय में ममट ने उद्घट तथा वामन की आलोचना की है तथा वामनोक्त गुणों की संख्या का भी विरोध किया है, किन्तु इतना होते हुए भी सप्तम उल्लास की निम्नलिखित कारिका पर आचार्य वामन का प्रभाव है-

कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिर्मितिः

सत्रिधानादिबोधार्थम्- - - - - १^३ (का० प्र०, पृ० ३६५) ।

नवम उल्लास में श्लेष का वर्णन करते समय रुद्रट का भी उल्लेख किया है^४

ममट के ध्वनि-सिद्धान्त एवं व्यङ्गचार्य-निरूपण पर पूर्णतया आनन्दवर्धन का ही प्रभाव है। आनन्दवर्धन के प्रभाव से ध्वनि-विरोधी मुकुलभट्ट मुक्त नहीं रह पाये हैं तो ममट जैसे प्रबल ध्वनि-समर्थक पर आनन्दवर्धन का प्रभाव स्वाभविक ही है। कहीं अल्प परिवर्तन के साथ तो कहीं सम्पूर्ण रूप से ममट ने आनन्दवर्धन के ध्वनि-सम्बन्धी अधिकांश विचारों को अपना लिया है तथा इनके मतों को 'ध्वनिकार', 'ध्वनिकृत' इत्यादि शब्दों के द्वारा उद्धृत किया है।

आनन्दवर्धन के समान ही इन्होंने भी 'ध्वनि' का आधार वैयाकरणों के स्फोट-सिद्धान्त को माना है। 'काव्यप्रकाश' में मुख्यरूप से ध्वनि के वस्तु अलङ्कार एवं रस ध्वनि रूप से जो तीन भेद मिलते हैं उस पर भी आनन्दवर्धन का ही प्रभाव है^५। इसके अतिरिक्त इन्होंने गुणीभूतव्यङ्गचर्य^६ तथा रस दोष के प्रसङ्ग में ध्वनिकार के विचार प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया है।

^३ का० प्र०, पृ० ४९३, ४९४, ४२० ।

^४ कर्णावतंसश्वणकुण्डलशिरः शेखरेषु कर्णादिनिर्देशः सत्रिधेः। (काव्या० सू०, २/२/१४, पृ० ७५) ।

^५ तथा ह्युक्तं रुद्रटेन-

स्फुटमर्थालङ्करावेतावुपमासमुच्चयौ किन्तु

आश्रित्य शब्दमात्रं सामान्यमिहापि सम्भवतः। (का० प्र०, पृ० ४५३ - ४५४) ।

^६ (क) सङ्कलनेन पुनरस्य ध्वनेत्रयो भेदा व्यङ्गचर्यस्य त्रिरूपत्वात्। (का० प्र०, पृ० २३७) ।

(ख) स ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रम् अलङ्काररसादयश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभित्रो दर्शयिष्यते। (ध०, प्र० ८०, पृ० ७३) ।

^७ इति ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्रालङ्कारो व्यज्यते न तत्र गुणीभूतव्यङ्गचर्यत्वम् । (का० प्र०, पृ० २३५) ।

ध्वनि-विरोधियों के खण्डन के अवसर पर भी मम्मट आनन्दवर्धन से प्रभावित रहे हैं। वाच्य तथा व्यञ्जक के परस्पर भेदक कारणों के प्रतिपादन में भी आनन्दवर्धन का प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं मम्मट ‘ध्वन्यालोक’ के शब्द भी अपनाते गये हैं। उदाहरणस्वरूप ‘काव्यप्रकाश’ के ‘न च शब्दः स्वलद्गतिः’^२ शब्द ‘ध्वन्यालोक’ के ‘शब्दो नैवस्वलद्गतिः’^३ से साम्य रखते हैं।

इसी प्रकार अन्य अनेक उदाहरण मम्मट के ग्रन्थ में मिलेंगे जिन पर आनन्दवर्धन का प्रभाव है।

‘काव्यप्रकाश’ के द्वितीय उल्लास पर आचार्य मुकुलभट्ट का सर्वाधिक प्रभाव है इसके अतिरिक्त ‘शब्दव्यापारविचार’ की रचना तो मम्मट पर ‘अभिधावृत्तिमातृका’ के प्रभाव का ही प्रतिफल है। ‘शब्दव्यापारविचार’ का प्रणयन यद्यपि मुकुलभट्ट के खण्डन के उद्योग से ही हुआ किन्तु इसके अनेक विचारों को मम्मट अपने इस ग्रन्थ में अनायास ही अपनाते भी गये हैं। मम्मट का उपाधि-चतुष्टय-निरूपण तो सर्वथा मुकुलभट्ट की ही देन है। इस प्रसङ्ग में मम्मट ने अपने दोनों ही ग्रन्थों में एक पंक्ति उद्धृत की है- ‘उक्तं हि वाक्यपदीये गौर्हिं स्वरूपेण न गौः नाप्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात् गौः।’^४ यह मुकुलभट्ट के ग्रन्थ में भी उद्धृत की गई है, किन्तु ‘वाक्यपदीय’ में नहीं मिलती। सम्बवतः मुकुलभट्ट को ही प्रामाणिक मानते हुए मम्मट ने इसका उल्लेख कर दिया है।

‘शब्दव्यापारविचार’ में जो निरूढा, प्रयोजनवती तथा अन्यथा (अप्रयोज्या) लक्षणाओं का निरूपण मिलता है^५ वह ‘अभिधावृत्तिमातृका’ के अनुसरण पर ही हुआ है। जिस प्रकार मुकुलभट्ट ने ‘द्विरेफ’ के सादृश्य पर होने वाली तुरङ्गकान्ताननहव्यवाह’ लक्षणा को त्याज्य कहा है उसी प्रकार मम्मट ने भी ‘द्विरेफ’ से अनुगत ‘कोकिल’ के लिए ‘द्विक’ आदि को अप्रयोज्या माना है।

इसके अतिरिक्त अभिधा तथा लक्षणा के पौरापर्य का ‘अभिहितान्वयवाद’ आदि चार वादों के अन्तर्गत ‘शब्दव्यापारविचार’ में मम्मट ने निरूपण किया है वह भी ‘अभिधावृत्तिमातृका’ के ही आधार पर हुआ है।

आचार्य मम्मट ध्वनि-प्रकरण में आनन्दवर्धन के ही समान अभिनवगुप्त की ‘लोचन’ टीका से भी प्रभावित रहे हैं। इनके जिन विचारों पर ‘लोचन’ का प्रभाव है उनमें से कतिपय उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

लोचन के साम्य पर ही मम्मट ने अपने दोनों ग्रन्थों में व्यञ्जना के लिए ‘ध्वनन्’ शब्द का प्रयोग किया है^६ आर्थी व्यञ्जना में अर्थ की व्यञ्जकता के साथ शब्द की सहकारिता जो मम्मट ने मानी है उससे सम्बन्धित वाक्य भी

^१ का० प्र०, पृ० ८३।

^२ ध्व०, प्र० उ०, पृ० २७६।

^३ श० व्या० वि�०, पृ० ४।

^४ श० व्या० वि�०, पृ० २४।

^५ (क) अभिधातात्पर्यलक्षणाव्यापारातिरिक्तं ध्वननम्। (श० व्या० वि�०, पृ० ३८)।

(ख) व्यापारो ध्वनन्योतनव्यञ्जनप्रत्यायनावगमनादि- - -। (ध०, लो०, प्र० उ०, पृ० ८८)।

‘लोचन’ में मिलता है। अभिनवगुप्त के समान ही ममट ने लक्षणा को ‘अभिधापुच्छभूता’ कहा है¹ इसके अतिरिक्त रस के सन्दर्भ में - ‘इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः’ कहते हुए इन्होंने आदर सहित अभिनवगुप्त का उल्लेख किया ही है।

¹ अत एवाभिधापुच्छभूता सेत्याहुः। (का० प्र०, पृ० २६५) ।
तत्रास्तीत्यभिधापुच्छभूतैव - - - । (ध्व०, लो०, प्र० उ०, पृ० २८०) ।

अभिधावृत्ति-विवेचन

शब्द, अर्थ तथा उसके सम्बन्धों की विशद चर्चा काव्यशास्त्र में तो की ही गई है, इसके पूर्व व्याकरण तथा दर्शन ग्रन्थों में भी इस विषय पर विस्तार से विचार हुआ है।

अर्थ-बोध कराना ही शब्द की उपयोगिता है। शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है इस विषय में सभी विद्वानों में मतेक्ष्य है। नैयायिकों को छोड़कर वैयाकरणों, मीमांसकों एवं साहित्यशास्त्रीय विचारकों ने शब्द के साथ अर्थ के सम्बन्ध को नित्य माना है। आचार्य भर्तुहरि ने शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध को स्वभावसिद्ध तथा अनादि कहा है। कैयट के अनुसार भी शब्द में एक स्वाभाविक योग्यता रहती है जो उच्चारण के पश्चात् अर्थोपस्थिति कराती है। मीमांसा में भी शब्द एवं अर्थ के सम्बन्ध को ‘औत्पत्तिक’ अर्थात् नित्य माना गया है^१ नैयायिक शब्द को ही अनित्य मानते हैं^२, इस कारण उनके अनुसार शब्द एवं अर्थ में भी नित्य सम्बन्ध नहीं होता।^३

यह सर्वविदित तथ्य है कि कोई विशेष शब्द किसी विशेष अर्थ की ही प्रतीति कराता है। ‘घट’ शब्द का उच्चारण करने से कम्बुग्रीवादिमान् घट पदार्थ की ही प्रतीति होती है ‘घट’ की नहीं। इससे सिद्ध है कि शब्द तथा अर्थ में कोई सम्बन्ध अवश्य होता है। ऐसा न होने पर प्रत्येक शब्द से प्रत्येक अर्थ की प्रतीति होती। इस प्रकार शब्द से अर्थ प्रतीति के लिए कोई नियामक शक्ति अवश्य होती है जिसके बिना अर्थ-ज्ञान नहीं हो सकता।^४ यह नियामक शक्ति ही शब्द-शक्ति के नाम से जानी जाती है। ‘न्यायसिद्धान्तमुक्तावली’ में ‘शक्ति’ की परिभाषा दी गई है-

^१(क) औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः - - - - । (शा० भा०, मी० द० (१), पृ० २८) ।

^२(ख) औत्पत्तिक इति नित्यं ब्रूमः। (शा० भा०, मी० द० (१), पृ० २८) ।

^३न्यायसूत्र में शब्द की अनित्यता का कारण दिया गया है -

आदिमत्त्वादैन्द्रियकल्पात् कृतकवदुपचाराच्च। (न्या० सू०, २/२/१३) ।

^४पूरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेश्च सम्बन्धाभावः। (न्या० सू०, २/१/५३) ।

^५वृत्तिश्चशक्तिलक्षणान्यतरः सम्बन्धः। अत्रैव शक्तिज्ञानस्योपयोगः। पूर्वं शक्तिग्रहाभावे पदज्ञानेषि तत्संबन्धेन स्मरणानुपपत्तेः। (न्या० सि० मु०, शब्दप्रमाणनिरूपणम्, पृ० ५) ।

शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः। सा चाऽमाच्छब्दादयमर्थो बोधव्य इतीश्वरेच्छारूपा।^१

दर्शन-शास्त्र में शक्ति के लिए 'वृत्ति' शब्द का ही अधिकता से प्रयोग हुआ है। 'वृत्तिदीपिका' में शब्दबोध के हेतुभूत शब्दार्थ की उपस्थिति के अनुकूल सम्बन्ध को 'वृत्ति' कहा गया है।^२ दर्शन-ग्रन्थों में 'शक्ति' मुख्य रूप से 'अभिधा' का पर्याय बनकर ही आया है। काव्यशास्त्र में 'शक्ति' के लिए 'वृत्ति' के साथ-साथ 'व्यापार' शब्द भी व्यवहृत हुआ है।^३

शब्द शक्ति की संख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। मुख्य रूप से अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना, तीन प्रकार की शक्तियाँ मानी गई हैं। कहीं-कहीं 'तात्पर्य' नामक चौथी शक्ति भी मानी गई है। मीमांसक गौणी को लक्षणा से भिन्न मानते हैं। इस प्रकार गौणी भी एक पृथक् वृत्ति हुई।

शब्द की उपर्युक्त वृत्तियों में अभिधा सभी शास्त्रों में निर्विवाद रूप से स्वीकृत है। शब्द से सर्वप्रथम जिस अर्थ का बोध होता है उसकी प्रतीति कराने वाली शब्द की शक्ति ही अभिधा कहलाती है। उदाहरण स्वरूप 'गौः' शब्द के उच्चारण के पश्चात् सास्नादिमान् पशुविशेष का बोध होता है। यह अर्थबोध अभिधावृत्ति अथवा व्यापार के कारण ही होता है। अभिधा से बोधित होने वाले अर्थ को 'वाच्यार्थ' अथवा 'मुख्यार्थ' भी कहा जाता है। आचार्य भृत्यृहरि ने भी अभिधा से प्रतीत होने वाले अर्थ को मुख्यार्थ कहा है। उनके अनुसार मुख्य अर्थ का बोध शब्द-श्रवण मात्र से हो जाता है। जिन अर्थों की प्रतीति शब्द-श्रवण के तत्काल बाद नहीं होती अपितु निमित्त की अपेक्षा से होती है उन्हें 'गौण'

^१ न्या० सि० मु०, शब्दप्रमाणनिरूपणम्, पृ० ५।

^२ शब्दबोधहेतुशब्दार्थोपस्थित्यनुकूलशब्दतदर्थसम्बन्धो वृत्तिः। (वृत्तिदीपिका)।

^३ (क) वाचकत्वगुणवृत्तिव्यतिरिक्तो व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दव्यापारोऽस्तीत्यसाभिरभ्युपगतम्। (ध०, तृ० उ०, पृ० ३६९)।

(ख) शब्दस्य चार्थप्रतिपत्तिलक्षणकार्यान्यथानुपपत्त्या कारकत्वात् कल्प्यमानो व्यापारोऽभिधादिशब्दप्रतिपाद्यो नानाप्रकारः

- - -। (श० व्या० वि०, पृ० ९)।

(ग) वृत्तयः काव्यसरणावलङ्घारप्रबन्धिः

अभिधालक्षणाव्यक्तिरिति तिस्रो निरूपिताः। (वृ० वा०, पृ० २६)।

कहा जाता है^१ इसका उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया है^२ मीमांसा-दर्शन में भी सर्वप्रथम अभिव्यक्त होने वाले अर्थ को ‘मुख्य’ कहा गया है तथा मुख्य अर्थ के माध्यम से प्रकट होने वाला अर्थ गौण कहलाता है^३

अभिधावृत्ति का आधार सङ्केत-ग्रह है। सङ्केत का ग्रहण होने पर ही शब्द से अर्थ-प्रतीति होती है। आचार्य मम्ट ने लिखा भी है कि-

अगृहीतसङ्केतस्य शब्दस्यार्थप्रतिपत्तेरभावात् सङ्केतसहाय एव शब्दोऽर्थं प्रतिपादयति।^४

पद एवं पदार्थ का इतरेतराध्यास रूप तादात्म्य ही सङ्केत कहलाता है^५ नैयायिकों ने -‘इस शब्द से इस अर्थ का बोध हो’ इस प्रकार की ईश्वरेच्छा को सङ्केत कहा है जबकि नव्य नैयायिक इच्छामात्र को सङ्केत मानते हैं^६ नैयायिकों के अनुसार शक्तिग्रह व्याकरण आदि आठ उपायों से होता है^७ आचार्य अभिनवगुप्त ने ‘लोचन’ में ‘सङ्केत’ के लिए ‘समय’ शब्द का प्रयोग किया है। इनके मतानुसार ‘समय’ की अपेक्षा से अर्थ बोध कराने वाली शक्ति अभिधा है^८ मम्ट ने भी ‘सङ्केत’ के लिए ‘समय’ शब्द का प्रयोग किया है-

‘नाभिधा समयाभावात्’ (का० प्र०, छि० उ०, पू० द२)।

काव्यशस्त्रियों में शब्द-शक्ति विवेचन स्पष्ट रूप से आनन्दवर्धन के ग्रन्थ से प्रारम्भ होता है तथा इसकी सुस्पष्ट व्याख्या उनके भी परवर्ती ग्रन्थों में ही देखने को मिलती है। आनन्दवर्धन से पूर्व भामह, दण्डी, वामन आदि आचार्यों के प्रतिपाद्य विषय मुख्यतः गुण एवं अलङ्कारादि ही थे अतः शब्दशक्तियों की विवेचना नहीं की गई है किन्तु

^१ श्रुतिमात्रेण यत्रास्य तादर्थ्यमवसीयते।

मुख्यं तमर्थं मन्यन्ते गौणं यत्तोपपादितम्॥ (वा० प०, २/२७८)।

^२ यथा सास्नादिमान् पिण्डो गोशब्देनाभिधीयते।

तथा स एव गोशब्दो वाहीकेऽपि व्यवस्थितः॥ (वा० प०, २/२५२)।

^३ कः पुनर्मुखः को वा गौण इति। उच्चते। यः शब्दादेवागम्यते स प्रथमोऽर्थो मुख्यः। मुखमिव भवतीति मुख्य इत्युच्यते।

यस्तु खलु प्रतीतादर्थात् केनचित्सम्बन्धेन गम्यते स पश्चाद्ब्रवाज्जघनमिव भवतीति जघन्यः। गुणसम्बन्धाच्च गौण

इति। (मी० सू०, ३/२/९ पर शा० भा०, मी० द० (४), पू० १२३)।

^४ श० व्या० वि०, पू० ९ ।

^५ तदुक्तं पातञ्जलभाष्ये- सङ्केतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यासरूपः स्मृत्यात्मकः योऽयं शब्दः सोऽर्थो योऽर्थः स शब्दः। (वि० सि० ल० म०, पू० २५)।

^६ नव्यास्तु ईश्वरेच्छा न शक्तिः किन्तु इच्छैव तेनाधुनिकसंकेतितेऽपि शक्तिरस्त्येवेत्याहुः। (न्या० सि० मु०, शब्दग्रामाण्यनिरूपणम्, पू० ८)।

^७ शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च।

वाक्यस्य शेषाद्विवृत्तेवदन्ति सात्रिष्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः॥’ (न्या० सि० मु०, पू० ८)।

गुणातङ्करों के शब्द एवं अर्थ पर आश्रित होने के कारण प्रसङ्गतः इन आचार्यों ने भी अभिधा तथा अभिधेयार्थादि का नाम अवश्य लिया है^३ आचार्य भामह ने ‘शब्दशङ्कोऽभिधानार्थः’ तथा ‘शब्दाभिधेये विज्ञाय’ इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। ‘अभिधानकोशतः पदार्थनिश्चयः’^४ कहते हुए आचार्य वामन ने भी अभिधेयार्थ का स्पर्श अवश्य किया है। लोचन में यह उल्लेख आया है कि उद्घट ने भामह के ‘शब्दशङ्कोऽभिधानार्थः’ की व्याख्या में ‘अभिधान’ शब्द का अर्थ ‘अभिधाव्यापार’ बताया है जिसके मुख्य तथा गुणवृत्ति ये दो भेद होते हैं^५ आचार्य रुद्रट ने तो स्पष्ट रूप से ‘अभिधा’ एवं ‘वाचक’ शब्द का प्रयोग किया है तथा अर्थ के चार भेद माने हैं -

अर्थः पुनरभिधावान् प्रवर्तते यस्य वाचकः शब्दः

तस्य भवन्ति द्रव्यं गुणः क्रिया जातिरिति भेदाः॥६॥

आचार्य आनन्दवर्धन ने वाच्यार्थ को ही अन्य सभी अर्थों के ज्ञान का आधार बताया है^७ जिस वृत्ति अथवा व्यापार से वाच्यार्थ प्रतीति होती है उसे इहोंने ‘मुख्यावृत्ति’ भी कहा है^८ लोचनकार ने इसी मुख्यावृत्ति को अभिधा व्यापार कहा है^९

२. ९ मुकुलभट्ट के अनुसार अभिधा का स्वरूप

आचार्य मुकुलभट्ट ने अभिधा नाम की एक ही शब्द-वृत्ति मानी है। इस अभिधा के दस भेद होते हैं। शब्द मुख्य एवं लाक्षणिक दो प्रकार के अभिधा व्यापार से अर्थ की प्रीति कराता है^{१०} मुख्य एवं लाक्षणिक अभिधाव्यापार से

^१ समयापेक्षयार्थावगमनशक्तिर्ह्यभिधा। (ध० ल००, प्र० उ० पृ० ६०) ।

^२ भा० काव्या०, पृ० ५ ।

^३ काव्या० सू०, पृ० ३० ।

^४ भट्टोद्धटो बभाषे - शब्दानामभिधानमभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च। (ध० ल००, प्र० उ०, पृ० ५२) ।

^५ र०० काव्या०, ७/१, पृ० १८३ ।

^६ (क) आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यलवाङ्जनः

तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः ॥ (ध०, १/६, पृ० १६४) ।

(ख) यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते।

वाच्यार्थपूर्विका तद्वद्यतिपत्तस्य वस्तुनः॥ (ध०, १/१०, पृ० १६६) ।

^७ मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य- - - । (ध०, १/१७, पृ० २७६) ।

^८ मुख्यां वृत्तिमभिधाव्यापारं परित्यज्य। (ध० ल००, प्र० उ०, पृ० २७७) ।

^९ शब्दस्य च मुख्येन लाक्षणिकेन वाभिधाव्यापारेणार्थावगतिहेतुत्वमिति। (अ० वृ० मा०, पृ० १) ।

प्रतीत होने वाले अर्थों को भी मुख्य तथा लाक्षणिक कहा जाता है। इनमें मुख्य अभिधा के चार प्रकार होते हैं तथा लाक्षणिक के छः। इस प्रकार अभिधा के दस भेद होते हैं^१

जिस अर्थ का ज्ञान शब्दव्यापार से ही होता है उसे मुख्य कहा जाता है। लक्षणीय अर्थ का ज्ञान मुख्य अर्थ की पर्यातोचना द्वारा होता है^२ प्रथम अर्थ को 'मुख्य' कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मुख अन्य सभी शारीरिक अङ्गों, हाथ, पैर इत्यादि, से पहले दृष्टिगोचर होता है उसी प्रकार वह अर्थ भी सभी प्रतीत होने वाले अर्थों में सर्वप्रथम जाना जाता है^३ उदाहरण स्वरूप 'गौरनुबन्धः' अर्थात् (यज्ञ के लिए) गो का अनुबन्धन किया जाये', इस वाक्य में अभिधा से प्रथमतः 'गो' शब्द से 'गोत्व' जाति का बोध होता है। यहाँ सर्वप्रथम प्रतीत होने के कारण 'गो' शब्द का जाति रूप अर्थ मुख्य अर्थ हुआ। यह अर्थ साक्षत् 'गो' शब्द के व्यापार से विदित हुआ है^४

प्रस्तुत उदाहरण में 'गोत्व जाति' बिना व्यक्ति के यज्ञ का साधन नहीं बन सकती।^५ व्यक्ति में ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति की योग्यता रहती है। अतः व्यक्ति रूप अर्थ का बोध होना आवश्यक है। मुकुलभट्ट के अनुसार यहाँ जाति रूप अर्थ का बोध कराकर ही अभिधा की शक्ति समाप्त हो जाती है। उससे 'व्यक्ति' का बोध नहीं हो सकता। इस प्रसङ्ग में मुकुलभट्ट मीमांसा-सम्मत न्याय भी प्रस्तुत करते हैं कि विशेषण के ज्ञापन में क्षीण शक्ति वाली अभिधा विशेष का ज्ञान नहीं करा सकती।^६ इस कारण शब्द से बोधित जाति रूप अर्थ के द्वारा उसके आश्रयभूत व्यक्ति का आक्षेप किया जाता है।^७ यहाँ 'गो' शब्द का प्रथम अर्थ जाति है तथा उस अर्थ की सहायता से पुनः व्यक्ति रूप अर्थ का आक्षेप होता है, अतः जाति रूप अर्थ मुख्य हुआ तथा व्यक्ति रूप अर्थ लाक्षणिक।^८

^१ इत्येतदभिधावृत्तं दशधाऽत्र विवेचितम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ७२)।

^२ शब्द-व्यापारतो यस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता

अर्थात्वसेयस्य पुनर्लक्ष्यमाणत्वमुच्यते॥। (अ० वृ० मा०, पृ० २)।

^३ (क) स हि यथा सर्वेभ्यो हस्तादिभ्योऽवयवेभ्यः पूर्वं मुखमवलोक्यते तद्वदेव सर्वेभ्यः प्रतीयमानभ्योऽर्थान्तरेभ्यः पूर्वमवगम्यते। तस्मान्मुखमिव मुख्य इति शाखादियान्तेन मुख्यशब्देनाभिधीयते। (अ० वृ० मा०, पृ० २)।

(ख) यहाँ 'मुख' के समान जो हो वह मुख्य है। इस अर्थ में पाणिनि सूत्र 'शाखादिभ्यो यः' (५/३/१०३) के आधार पर मुख शब्द से 'य' प्रत्यय करके 'मुख्य' शब्द बना है।

^४ तस्योदाहरणं 'गौरनुबन्धः' इति। अत्र हि गोशब्दव्यापाराद् यागसाधनभूता गोत्वलक्षणा जातिरवगम्यते। अतस्तस्या मुख्यता। तदेवं शब्दव्यापारगण्यो मुख्योऽर्थः। (अ० वृ० मा०, पृ० २)।

^५ जातिस्तु व्यक्तिमन्तरेण यागसाधनभावं न प्रतिपद्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० २)।

^६ यथा पूर्वस्मिन्नेवोदाहरणे व्यक्तेः। सा हि न शब्दव्यापारादवसीयते 'विशेषं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे' इति न्यायात् शब्दस्य जातिमात्रपर्यवसितत्वात्। (अ० वृ० मा०, पृ० २)।

^७ शब्दप्रत्यायितजातिसामर्थ्यादत्र जातेराश्रयभूता व्यक्तिराक्षिप्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० ३)।

^८ तेनासौ लाक्षणिकी। (अ० वृ० मा०, पृ० ३)।

इस प्रकार मुकुलभट्ट ने अभिधा नामक एक ही शब्दव्यापार माना, किन्तु मुख्य अर्थ के ज्ञापन में उसका विराम मानते हुए उसी अभिधा के लाक्षणिक नामक भेद से अन्य अर्थ का बोध माना है। मुख्य अर्थ की अभिधा प्रथम अर्थ तक स्वयं शब्दव्यापार से पहुँचती है, किन्तु लाक्षणिक अर्थ का बोध कराने के लिए उसे मुख्यार्थ की सहायता अपेक्षित रहती है। इस प्रकार प्रथम अर्थ के बोधन में अभिधा का सहायक है केवल शब्द, किन्तु द्वितीय अर्थ के बोध हेतु शब्द के साथ अर्थ भी सहायक है। इस कारण से अभिधाव्यापार दो प्रकार का हो जाता है 'निरन्तरार्थविषय' तथा 'सन्तरार्थनिष्ठ'^१

आचार्य मुकुलभट्ट के 'निरन्तरार्थविषय' का तात्पर्य है कि जिस अर्थ का ज्ञान होते समय किसी अन्य अर्थ का व्यवधान नहीं होता, ऐसा अर्थ जिस व्यापार का विषय बनता है वह 'निरन्तरार्थविषय' कहलाता है। व्यवधान युक्त अर्थ का ज्ञान जिस व्यापार से होता है उसे 'सन्तरार्थनिष्ठ' कहा जाता है। इस प्रकार अभिधा व्यापार एक ही है किन्तु उसके भेद दो हैं। ये भेद भी, अव्यवहित तथा व्यवधानयुक्त अर्थबोधन के कारण हैं।

२. २ मुख्य अर्थ के भेद

मुकुलभट्ट के अनुसार मुख्य अर्थ के चार प्रकार होते हैं^२ - जातिगुण, क्रिया तथा यदृच्छा-शब्द। इस प्रकार इस मुख्य अर्थ का ज्ञापन करनेवाले अभिधाव्यापार के भी चार भेद हो जाते हैं^३ - जातिबोधक, गुणबोधक, क्रियाबोधक तथा यदृच्छा शब्द अर्थात् संज्ञाबोधक।

अभिधा शक्ति के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विवाद का विषय यह ज्ञात करना है कि सर्वप्रथम उससे किस अर्थ का बोध होता है ? इस समस्या के विषय में भारतीय दर्शनिकों में कई मत प्रचलित हैं। अभिधा से संकेतित अर्थ का ही बोध होता है। मीमांसक अभिधा का सङ्केत जाति में मानते हैं। इस प्रकार मीमांसकों के अनुसार अभिधा से सर्वप्रथम शब्द का जातिरूप अर्थ प्रकट होता है। महर्षि जैमिनि ने 'जाति' के लिए 'आकृति' शब्द का प्रयोग किया है^४। आचार्य शबर स्वामी ने 'आकृति' की परिभाषा दी है-

'द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यमात्रमाकृतिः'^५

^१ एवमयं मुख्यलाक्षणिकात्मविषयोपर्वर्णनद्वारेण शब्दस्याभिधाव्यापारो द्विविधः प्रतिपादितो निरन्तरार्थविषयः
सन्तरार्थनिष्ठश्च। (अ० वृ० मा०, पृ० ३)।

^२ तयोर्मुख्यलाक्षणिकयोर्मध्यान्मुख्यस्यार्थस्य चत्वारो भेदाः जात्यादिभेदात्। (अ० वृ० मा०, पृ० ४)।

^३ सम्प्रति मुख्याभिधाव्यापारस्य चातुर्विधमभिधीयते (अ० वृ० मा०, पृ० ४)।

^४ आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात्। (मी० सू०, १/३/३३)।

^५ मी० सू०, १/३/३० पर शा० भा०, मी० द० (२), पृ० २३५।

इन्होंने 'आकृति' को ही शब्दार्थ कहा है^१ जाति में ही शक्ति मानने के कारण मीमांसक जातिशक्तिवादी कहलाते हैं।

सङ्केतग्रह के विषय में 'व्यक्तिशक्तिवादियों' का मत है कि शब्द का अर्थ 'व्यक्ति' ही होता। इस मत का उल्लेख खण्डन के अवसर पर वैयाकरणों, मीमांसकों, नैयायिकों सभी ने किया है, किन्तु इस प्रसङ्ग में किसी भी आचार्य का नाम नहीं लिया है। महाभाष्य में व्याडि के मत का उल्लेख है जिन्होंने व्यक्ति को शब्दार्थ माना है।

नैयायिकों ने जातिविशिष्ट व्यक्ति में सङ्केतग्रह माना है। महर्षि गौतम के अनुसार किसी पद का अर्थ किसी वस्तु की 'व्यक्ति' 'आकृति' तथा 'जाति' सभी में है।^२

बौद्धमत में शब्द का अर्थ 'अपोह' है^३ बौद्धदर्शन में 'अपोह' पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है 'अतद्व्यावृत्ति' अथवा 'तद्भिन्नभिन्नत्व'। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक घट घटभिन्न सभी पदार्थों से भिन्न है इसलिए उनमें 'घटः घटः' इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती है। आचार्य भास्मह ने अपने ग्रन्थ में 'अपोहवाद' को स्पष्ट किया है।

अन्यापोहेन शब्दोऽर्थमाहेत्यन्ये प्रचक्षते।

अन्यापोहश्च नामान्यपदार्थापाकृतिः किल ॥४॥

मुकुलभट्ट ने अभिधा से बोधित अर्थ के लिए 'सङ्केत' शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने मुख्य अर्थ के चार भेद माने हैं। इसका आधार महर्षि पतञ्जलि की 'चतुष्टयी शब्द-प्रवृत्ति' की मान्यता है। महाभाष्यकार ने शब्दों को जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द और यदृच्छाशब्द इस प्रकार से चार दिशाओं में बढ़ने वाला बताया है।^५

मुकुलभट्ट के अनुसार अपने अर्थ के ज्ञान के लिए प्रवृत्त जितने भी शब्द होते हैं उनके विषयों में भिन्नता होती है। यह भिन्नता शब्दों में रहने वाली उपाधियों के कारण ही होती है। इस प्रकार सभी शब्दों की प्रवृत्ति उपाधियुक्त

^१ आकृति शब्दार्थः कुतः। क्रियार्थत्वात्। (मी० सू०, १/३/३३ पर शा० भा०, मी० द० (२), पृ० २४५)।

^२ व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्थः। (न्या० सू०, २/२/६७, पृ० २९३)।

^३ गोशब्दश्रवणात्तर्वासां गोव्यक्तीनामुपस्थितेरतस्मादश्वादितो व्यावृत्तिर्दर्शनाच्च अतद्व्यावृत्तिरूपोऽपोहो वाच्य इति बौद्धमतम्। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ३८)।

^४ भा० काव्या०, ६/१६, पृ० १५०।

^५ चतुष्टयी हि शब्दानां प्रवृत्तिर्भगवता महाभाष्यकारेणोपवर्णिता 'जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यदृच्छाशब्दाश्चेति। (अ० वृ० मा०, पृ० ४-५)।

विषयों का बोध कराने के कारण उपाधिमूलक होती है^१ शब्दों की ये उपाधियाँ चार प्रकार की होती हैं। प्रथमतः इसके दो प्रकार होते हैं - 'वक्तृसन्निवेशित' तथा 'वस्तुधर्म'^२ इनमें प्रथम उपाधि विषय में स्वतः नहीं रहती अपितु वक्ता द्वारा सन्निवेशित होती है। अर्थात् वक्ता अपनी इच्छा से विना किसी तर्क के किसी का कोई नाम रख लेता है। जैसे-यदि किसी गो विशेष का नाम डित्य रख दिया जाता है तो यह नाम गो शब्द का 'वक्तृसन्निवेशित' धर्म हुआ। इस 'डित्य' संज्ञा को गो रूप संज्ञी में इस प्रकार सन्निविष्ट किया जाता है कि उस सन्निवेश के द्वारा उस संज्ञी रूपी विषय की शक्ति अर्थात् अभिधा शक्ति जागृत हो सके^३ इसका तात्पर्य यह है कि 'डित्य' संज्ञा के उच्चारण से अभिधा द्वारा किसी गो विशेष का बोध हो सके। डित्यादि शब्दों का कोई वौगिक अर्थ नहीं होता। इनसे गुण, क्रिया तथा जाति में से किसी का बोध नहीं होता है ये नाम विना किसी तर्क के वक्ता की इच्छा से संज्ञी में उपाधिरूप से सन्निविष्ट किये जाते हैं। इसी कारण डित्यादि शब्दों को 'यदृच्छा शब्द' कहा जाता है।

मुकुलभट्ट ने यदृच्छा शब्द का जो स्वरूप माना है वह डित्यादि शब्दों का वर्ण-क्रम रहित स्वरूप है जिसका बोध अन्तिम वर्ण के अनुभव से होता है। जिनके मत में डित्यादि शब्दों का डकारादि वर्णों से भिन्न कोई स्वरूप नहीं होता, अतः डित्यादि शब्दों का क्रमरहित स्वरूप संज्ञी में सन्निवेशित नहीं किया जा सकता, उनके अनुसार भी 'यदृच्छा शब्द' उपपत्र हो ही जाते हैं। क्योंकि उनके मत में भी अभिधा शक्ति के द्वारा किसी संज्ञा के अभिधान के लिए वक्ता की इच्छा से काल्पनिक समुदाय रूप डित्यादि शब्दों की प्रवृत्ति होती ही है^४

आचार्य मुकुलभट्ट को मान्य दूसरी उपाधि 'वस्तुधर्म' वस्तु का स्वयं अपना ही धर्म होती है^५ अर्थात् वस्तु में समवाय सम्बन्ध से रहती है^६ यह उपाधि भी साध्य एवं सिद्ध रूप से दो प्रकार की होती है^७ इनमें साध्यरूप उपाधि

^१ सर्वेषां शब्दानां स्वार्थाभिधानाय प्रवर्त्तमानानामुपाध्युपरञ्जितविषयविवेकत्वादुपाधिनिबन्धना प्रवृत्तिः। (अ० वृ० मा०, पृ० ५)।

^२ उपाधिश्च द्विविधः वक्तृसन्निवेशितो वस्तुधर्मश्च। (अ० वृ० मा०, पृ० ५)।

^३ कश्चित् खलु वक्त्रा तस्मिंस्तस्मिन् वस्तुन्युपाधितया सन्निवेश्यते। तत्र यो वक्त्रा यदृच्छया तत्त्सञ्जितविषयशक्त्यभिव्यक्तिद्वारेण तस्मिंस्तस्मिन् संज्ञिनि सन्निवेश्यते स वक्तृसन्निवेशितः यथा डित्यादीनां शब्दानामन्त्यबुद्धिनिर्ग्राह्यं संहृतक्रमं स्वरूपम्। तत् खलु तां तामभिधाशक्तिमभिव्यञ्जयता वक्त्रा यदृच्छया तस्मिन्स्तस्मिन् संज्ञिनि उपाधितया सन्निवेश्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० ५)।

^४ येषामपि च डकारादिवर्णव्यतिरिक्तसंहृतक्रमस्वरूपाभावात्र डित्यादिशब्दस्वरूपं संहृतक्रमं संज्ञिष्ठध्यवस्थते इति दर्शनं तेषामपि वक्तृयदृच्छाभिव्यज्यमानशक्तिभेदानुसारेण काल्पनिकसमुदायरूपस्य डित्यादेः शब्दस्य तत्त्संज्ञाभिधानाय प्रवर्त्तमानत्वाद् यदृच्छाशब्दत्वं डित्यादीनामुपपद्यत एव। (अ० वृ० मा०, पृ० ५)।

^५ कश्चित्तु वस्तुधर्म एव। (अ० वृ० मा०, पृ० ५)।

के आधार पर किसी शब्द को 'क्रिया शब्द' कहा जाता है। जैसे - 'पचति' शब्द क्रिया शब्द कहलाता है।^१ इसका कारण यहाँ शब्द की साध्य रूप उपाधि का होना है।

जाति एवं गुण के भेद से 'सिद्ध' नामक उपाधि भी दो प्रकार की होती है। जो उपाधि पदार्थ के लिए प्राणप्रद होती है उसे ही 'जाति' कहा जाता है। जाति से सम्बन्ध के विना किसी भी वस्तु को अपना मूल स्वरूप नहीं मिल सकता।^२ जैसा कि 'वाक्यपदीय' में कहा गया है कि गो नामक प्राणी स्वरूप से न तो गो होता है न उससे भिन्न होता है अपितु 'गोत्व' के अभिसम्बन्ध से ही 'गो' होता है।^३

कोई उपाधि जाति के द्वारा लब्धस्वरूप वाले वस्तु में विशेषता का आधान करती है उसे गुण कहते हैं। जैसे शुक्लादि गुण होते हैं। ये गुण वस्तुओं के अपने स्वरूप निष्पादन में कोई सहयोग नहीं देते। वस्तुओं को स्वरूप तो जाति के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। गुणों का कार्य मात्र इतना है कि ये वस्तुओं में व्यक्तिगत विशिष्टता उत्पन्न कर देते हैं।^४

इस प्रसङ्ग में मुकुलभट्ट ने परमाणुत्वादि का उल्लेख किया है। वैशेषिक दर्शन में रूप, रस, गन्ध स्पर्श आदि गुणों के मध्य 'परिमाण' को भी एक गुण माना गया है। 'परिमाण' नामक गुण अणु, महत्, दीर्घ एवं छस्व भेद से चार प्रकार का होता है। इनमें अणु परिमाण 'परमाणु' एवं द्वयणुक, इन्हीं दो में पाया जाता है। परमाणुगत अणु नित्य होता है। इसे 'परिमाण्डल्य' भी कहा जाता है। नित्य होने के साथ ही ये परमाणु अपरिवर्तनशील एवं अविभाज्य भी होते हैं। परमाणु विभाजन की अन्तिम सीमा हैं। गोलाकार होने के कारण ही इन्हें परिमाण्डल्य कहा जाता है।^५

^१ दो अयुतसिद्ध पदार्थों का सम्बन्ध समवाय सम्बन्ध कहलाता है। जिन दो पदार्थों में एक अविनष्टदवस्था में दूसरे के आश्रित ही रहता है वे दोनों अयुतसिद्ध कहलाते हैं। गुण-गुणी, क्रिया-क्रियावान्, जाति-व्यक्ति अयुतसिद्ध हैं। क्योंकि इनमें गुण, क्रिया तथा जाति अविनश्यदवस्था में गुणी, क्रियावान् तथा व्यक्ति में आश्रित होकर ही रहते हैं। तत्रायुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः। कौ पुनरयुतसिद्धौ ?

ययोर्मध्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ । (त० भा०, पृ० २६-२७) ।

^२ यस्य तु वस्तुर्धमत्वेनोपाधेवरस्थानं तस्यापि द्वैविष्यम् साध्यसिद्धताभेदात् । (अ० वृ० मा०, पृ० ५) ।

^३ तत्र साध्योपाधिनिबन्धनाः क्रियाशब्दाः यथा पचतीति । (अ० वृ० मा०, पृ० ५) ।

^४ सिद्धस्य तूपाधिद्वैविष्यम् जातिगुणभेदात् । कस्यचित् खलु सिद्धयोपाधिः पदार्थस्य प्राणप्रदता यथा जातेः । (अ० वृ० मा०, पृ० ५) ।

^५ न हि कश्चित् पदार्थो जातिसम्बन्धमन्तरेण स्वरूपं प्रतिलभते यदुक्तं वाक्यपदीये- गौरिति न हि गौः स्वरूपेण गौः नाथ्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात् गौः। यह पांक्ति वाक्यपदीय में नहीं मिलती। (अ० वृ० मा०, पृ० ५) ।

^६ कश्चित् पुनरुपाधिलब्धस्वरूपस्य वस्तुनो विशेषाधानहेतुः यथा शुक्लादिर्गुणः । (अ० वृ० मा०, पृ० ५) ।

^७ भा० द० (II), डॉ० राधाकृष्णन्, पृ० १६८-१६९; भा० द० सर्वे०, संगमलालपाण्डे, पृ० २४३ ।

परमाणुत्वादि के विषय में मुकुलभट्ट का यह विचार है कि यद्यपि ये परमाणुत्व जाति के समान नित्य होते हैं, किन्तु इन्हें जाति नहीं कहा जा सकता। परमाणु किसी परिमेय वस्तु में ही रहते हैं और जिनमें रहते हैं उनमें अन्य गुणों के समान ही व्यक्तिगत विशिष्टता उत्पन्न कर उन्हें अन्य वस्तुओं से पृथक् करते हैं। विशेषाधान हेतु होने के कारण इन्हें गुण ही मानना चाहिए।¹

इस प्रकार मुकुलभट्ट के अनुसार चार प्रकार की उपाधियों के कारण शब्दों के चार प्रकार होते हैं- जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द एवं यदृच्छाशब्द इनसे बोधित अर्थ भी चार प्रकार के होते हैं।

२. ३ मुकुलभट्ट के अनुसार जाति शक्तिवाद का खण्डन

मीमांसा-दर्शन में शब्द का सर्वप्रथम अर्थ जाति को माना गया है। मुकुलभट्ट ने व्याकरणाभिमत चार शब्दों को मानते हुए प्रथम बोध्य मुख्य अर्थ के चार प्रकार माने हैं। इन्होंने अपने ग्रन्थ में किसी भी परम्परा अथवा आचार्य का नाम न लेते हुए जातिशक्तिवादियों की तरफ से यह शङ्का उठाते हुए उसका समाधान भी किया है कि गुणशब्द, क्रियाशब्द, संज्ञाशब्द, इन सब को भी जातिशब्द ही क्यों न मान लिया जाय? इस शङ्का का स्वरूप इस प्रकार है - दूध, शङ्ख, सारस आदि में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले जो शुक्ल गुण हैं वे भिन्न-भिन्न होते हैं। इन भिन्न-भिन्न स्थलों में पाये जाने वाले जो शुक्ल गुण हैं उनमें सवाय सम्बन्ध से रहने वाली शुक्लत्व जाति रहती है। इसी कारण भिन्न होते हुए भी उन्हें एक ही 'शुक्ल गुण' के नाम से जाना जाता है। इस कारण शुक्लादि शब्दों को भी जातिवाचक मानना चाहिए।² इसी प्रकार गुड़, तण्डुल, तिल आदि भिन्न-भिन्न द्रव्यों में रहने वाली पाक क्रिया भिन्न-भिन्न ही होती है। उनमें भी समवाय सम्बन्ध से रहने वाली 'पाकत्व' जाति माननी पड़ती है इस कारण वे भी जाति वाचक ही हैं।³ डित्यादि यदृच्छा शब्दों में भी डित्यत्वादि जाति रहती है क्योंकि शुक्ल, सारिका, मनुष्य आदि भिन्न-भिन्न आश्रयों द्वारा उच्चरित होने के कारण डित्यादि शब्दों में भिन्नता रहती ही है।⁴ अथवा इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्रतिक्षण होने वाले वृद्धि एवं क्षय के कारण पूर्व क्षण में विद्यमान डित्यादि उत्तर क्षण में विद्यमान से भिन्न होते हैं इस कारण एक

¹ येऽपि च नित्या परमाणुत्वादयो गुणास्तेषामपि सर्वेषां गुणजातीयत्वादेवंप्रकारत्वमेव। (अ० वृ० मा०, पृ० ५ - ६)।

² ननु सर्वेषामपि गुणक्रियायदृच्छाशब्दभिमतानां जातिनिबन्धनत्वम्। तथाहि गुणशब्दानां तावच्छुक्लादीनां पयः:

शङ्खुबलाकाद्याश्रयसमवेता ये शुक्लादिलक्षणा गुणा विभिन्नास्तत्समवेतसामान्यवाचिनः। (अ० वृ० मा०, पृ० ८)।

³ एवं क्रियाशब्दानामपि गुडतिलतण्डुलादिद्रव्याश्रिता ये पाकादयोऽन्योन्यमन्यत्वेनावस्थिताः क्रियाविशेषाः तत्समवेतं तासां सामान्यमेव वाच्यम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ८)।

⁴ यदृच्छाशब्दानां तु डित्यादीनां शुक्लारिकामनुष्याद्युदीरितेषु भिन्नेषु डित्यादिशब्देषु समवेतं डित्यशब्दत्वादिकं सामान्यमेव यथायोगं संज्ञिष्ठधर्मवसेयम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ६)।

नहीं कहे जा सकते। उनमें 'डित्य' 'डित्य' इस प्रकार की बाधरहित जो अभेदप्रतीति होती है उसका कारण डित्यत्व सामान्य अथवा जाति ही है। वह जाति डित्यादि शब्दों से अभिहित होती है^१ इस प्रकार गुण, क्रिया तथा यदृच्छा शब्द भी जाति शब्द ही होते हैं इस कारण शब्दों की चतुष्टयीप्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती।^२

इस प्रकार की शङ्का को उठाते हुए मुकुलभट्ट उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए तर्क देते हैं कि गुण शब्द एवं क्रिया शब्दों में एकाकारता की प्रतीति में संज्ञी ही कारण होते हैं, जाति नहीं। महाभाष्यकार को भी यही अभिमत है^३ व्यक्तियों में प्रतीत होने वाले भेद का कारण उपाधि ही है। जैसे एक ही मुख तैल, खड़ग, जल एवं दर्पण में प्रतिबिम्बित होने के कारण भिन्न-भिन्न दृष्टिगत होता है। उसकी भिन्नता का कारण भिन्न-भिन्न आश्रय ही होते हैं वस्तुतः मुख में भिन्नता नहीं होती। उसी प्रकार एक ही शुक्लादि व्यक्ति देश, काल से अवच्छिन्न हो शङ्कादि भिन्न आश्रय विशेष के कारण वस्तुतः एक होते हुये भी भिन्न प्रतीत होता है। अतः शुक्लादि व्यक्तियों को जाति नहीं माना जा सकता क्योंकि सभी शुक्ल व्यक्ति मूलतः एक ही होते हैं। जाति तो अनेक में समवाय सम्बन्ध से रहती है^४ इसी प्रकार 'पचति' आदि क्रिया के स्थलों में भी उसे जाति नहीं कहा जा सकता। गुड, तण्डुलादि में रहने वाली पाकक्रिया आश्रय भेद से ही भिन्न प्रतीत होती है, वस्तुतः भिन्न नहीं होती। यदृच्छा शब्दों में भी डित्यादि शब्द के शुक, सारिका आदि भिन्न-भिन्न धनियों से उच्चरित होने के कारण उन्हें भिन्न नहीं माना जा सकता अथवा न ही कौमारादि अवस्थाओं के कारण भिन्न प्रतिभाषित डित्यादि व्यक्ति को भिन्न माना जा सकता है। वस्तुतः भिन्न न होने के कारण इनमें जाति का प्रसङ्ग ही नहीं उपस्थित होगा।

इस प्रकार शब्दों की प्रवृत्ति के निमित्त चार होने से शब्दार्थ भी चार प्रकार के सिद्ध होते हैं^५

^१ यदि चोपचयापचययोगितया डित्यादौ सञ्जिनि प्रतिकालं भिद्यमानेष्वभिद्यमानो यन्महिमा डित्यो डित्य इत्येवमादिरूपत्वेनाभिन्नाकारः प्रत्ययो बाधशून्यः सञ्जायते तैः तथाभूतं डित्यादिशब्दावसेयवस्तुसमवेतमेव डित्यत्वादिसामान्यमेष्टव्यम्। तच्च डित्यादिशब्दैरभिन्नीयते। (अ० वृ० मा०, पृ० ६)।

^२ अतश्च गुणक्रियायदृच्छाशब्दानामपि जातिशब्दत्वाच्चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिर्णोपपद्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० ६)।

^३ गुणक्रियाशब्दसञ्जिव्यक्तीनामेव तत्तदुपाधिनिबन्धनभेदजुषामेकाकारतावगतिनिबन्धनत्वं न तु जातेरिति भगवतो महाभाष्यकास्यात्राभिमतम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ९०)।

^४ यथा हि एकमेव मुखं तैलखड्गोदकादर्शादीनां प्रतिबिम्बावगतिनिबन्धनानां भेदानानाकारत्वेन प्रत्यवभासते तथैकैव शुक्लादिव्यक्तिर्देशकालावच्छिन्ना तत्त्वारणसामग्र्युपजनितशङ्काद्याश्रयविशेषवशेन नानारूपतयाभिव्यक्तिमासादयन्ती विचित्रेव स्यादिति। अतश्च तस्याः शुक्लादिव्यक्तरेकत्वाज्ञातेश्च भिन्नाश्रयसमवेतत्वात् शुक्लत्वादिजात्यभावात् शुक्लादिशब्दानां जातिशब्दत्वम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ९०)।

^५ एवं पचतीत्यादौ डित्यशब्दादौ डित्यादौ च सञ्जिनि वाच्यम्। अत्राप्येकस्या एव पाकादिक्रियाव्यक्तेः डित्यादिशब्दव्यक्तेः डित्यादेश्च सञ्जिनो यथाक्रममभिव्यक्तानां पाकादीनां तथा धनीनां वयोऽवस्थाविशेषाणां कौमारादीनां च यो

२. ४ ममट के अनुसार अभिधा का स्वरूप तथा सङ्केत-ग्रह-विभाग

आचार्य ममट ने शब्द की तीन वृत्तियों को स्वीकार किया है - अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना। 'शब्दव्यापारविचार' में इन्होंने अभिधा व्यापार की कोई परिभाषा नहीं दी है। 'काव्यप्रकाश' में उसका जो स्वरूप स्पष्ट किया है उसके अनुसार साक्षात् संकेतित अर्थ को बोधित करने वाला शब्द वाचक कहलाता है^१ तथा साक्षात् संकेतितार्थ को ही 'मुख्य' कहा जाता है। उस मुख्य अर्थ के बोधन में वाचक शब्द का जो व्यापार है वही अभिधा है^२।

मुकुलभट्ट की ही भाँति ममट ने भी वाच्य अर्थात् अभिधेय अर्थ को 'मुख्य' कहा है। वह शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है। उसे 'मुख्य' कहने का अभिप्राय मात्र इतना ही है कि यह आरम्भ में प्रतीत होता है। मुख्य शब्द का 'परमप्रतिपाद्य' अर्थ भी होता है, किन्तु ममट को वह अर्थ अभिप्रेत नहीं है^३।

आचार्य ममट ने भी चार प्रकार के वाच्य अर्थ माने हैं जिनमें शब्द का सङ्केत रहता है। ये अर्थ हैं - जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा^४। वाच्यार्थ बोधन की प्रक्रिया में सङ्केतग्रह अत्यावश्यक है। जिस शब्द में सङ्केतग्रहण नहीं रहता उससे अर्थ की प्रतीति नहीं होती।^५ शब्द सङ्केत की सहायता से ही अर्थ प्रतिपादन करता है इस कारण ममट ने अर्थ को 'समितध्वनि' भी कहा है^६।

ममट का सङ्केतग्रह-विभाग पूर्णतया व्याकरणाभिमत है। जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा रूप चार प्रकार के अर्थों में शब्द का सङ्केत होने से सङ्केतग्रह चार प्रकार का होता है। ये जात्यादि चार प्रकार की उपाधियाँ हैं जिनमें शब्दों का सङ्केत रहता है।

प्रवृत्ति और निवृत्ति के योग्य व्यक्ति ही होता है अतः व्यक्ति में ही सङ्केत मानना चाहिए, यह व्यक्तिशक्तिवादियों का तर्क हो सकता है। इस प्रकार की सम्भावना को उठाकर ममट इसका उत्तर देते हैं कि यद्यपि

भेदस्तद्वशेन नानाविधेन रूपेणावभासमानत्वात् स्थितमेतच्छब्दप्रवृत्तिनिमित्तानां चतुष्ट्वान्मुख्यः शब्दार्थश्चतुर्विधः।
(अ० वृ० मा०, पृ० ९०)।

^१ साक्षात्सङ्केतितं योऽर्थमभिधत्ते सः वाचकः। (का० प्र०, द्वि० उ०, पृ० ४७)।

^२ स मुख्योऽर्थस्तत्र मुख्योव्यापारोऽस्याभिधोच्यते। (का० प्र०, द्वि० उ०, पृ० ५३)।

^३ पूर्वमुपलभ्यमानत्वात् न तु विश्रान्तिधामत्वात् मुख्य इति प्रसिद्धो वाच्योऽभिधेयोऽर्थः। (श० व्या० वि०, पृ० ९)।

^४ (क) जातिः क्रिया गुणः संज्ञा वाच्योऽर्थः समितध्वनिः। (श० व्या० वि०, पृ० ९)।

(ख) सङ्केतितश्चतुर्भद्रो जात्यादिर्जातिरेव वा। (का० प्र०, द्वि० उ०, पृ० ४३)।

^५ अगृहीतसङ्केतस्य शब्दस्यार्थप्रतिपत्तेरभावात् सङ्केतसहाय एव शब्दोऽर्थ प्रतिपादयति। (श० व्या० वि०, पृ० ९)।

^६ समितध्वनि का अर्थ है - समय अर्थात् सङ्केत से युक्त है ध्वनि अर्थात् शब्द जिसमें

तेन समितः संकेतितो ध्वनिः शब्दो यत्र। (श० व्या० वि०, पृ० ९)।

आनयन, अपनयन आदि रूप अर्थक्रिया का निर्वाहक होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार के योग्य व्यक्ति ही होता है तथापि आनन्द्य तथा व्यभिचार दोष के कारण व्यक्ति में सङ्केत मानना उचित नहीं होता।^१ यदि व्यक्ति में सङ्केत माना जायेगा तब व्यक्तियों के अनन्त होने के कारण सङ्केत भी अनन्त मानने पड़ेंगे क्योंकि जिस व्यक्तिविशेष में सङ्केतग्रह होगा उससे उसी व्यक्तिविशेष का बोध होगा, उससे भिन्न व्यक्ति के बोध हेतु भिन्न सङ्केत मानना पड़ेगा। इस प्रकार आनन्द्य दोष हो जाएगा। यदि इस आनन्द्य दोष से निवृत्ति हेतु यह मान लिया जाए कि किसी एक व्यक्ति में ही सङ्केत मानकर उसी से व्यवहार चला लिया जाता है तब यह नियम व्यभिचरित हो जाता है कि सङ्केतग्रह के पश्चात् ही अर्थोपस्थिति होती है। इस प्रकार व्यक्ति में सङ्केत मानने से व्यभिचार दोष भी उपस्थित हो जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि एक ही व्यक्ति में सङ्केतग्रह मान लिया जाये तब महाभाष्यकार को अभिमत चतुष्टयी शब्दप्रवृत्ति भी नहीं उपपत्र हो सकती।^२ ‘गौः शुक्लः चलो डित्यः’ इत्यादि में ‘गौः’ जातिवाचक है, ‘शुक्लः’ गुणवाचक, ‘चलः’ क्रिया वाचक तथा ‘डित्यः’ संज्ञावाचक। केवल व्यक्ति में सङ्केत मानने पर इन सबका अर्थ व्यक्ति ही होगा, ऐसी दशा में चारों शब्द घट; कलशः की भाँति पर्याय होने से साथ प्रयुक्त नहीं हो सकेंगे। किन्तु व्यवहार में इनका (चारों का) साथ प्रयोग देखा ही जाता है। इन्हीं कारणों से शब्दों की जात्यादिरूप चार प्रकार की उपाधियों में ही सङ्केत मानना उचित है। इससे उपर्युक्त दोष नहीं होंगे।

शब्दों का सङ्केत उसकी उपाधियों में दर्शाते हुए जिस प्रकार मुकुलभट्ट ने उपाधियों का वर्गीकरण करके उसके चार प्रकार माने हैं, मम्मट ने भी उसी प्रकार से उपाधियों के चार भेद माने हैं। वस्तुधर्म नामक उपाधि के सिद्ध एवं साध्य भेदों में सिद्ध उपाधि के जाति एवं गुण रूप जो दो प्रकार होते हैं, उनमें जाति पदार्थों का प्राणप्रद धर्म है तथा गुण विशेषाधानहेतु। गुण व्यक्तियों का सजातीय व्यावर्तक धर्म है।^३

^१ इह यद्यपि प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयो व्यक्तिरेव तथाप्यन्तर्मुख्यम् तत्र सङ्केतः कर्तुं न पार्यते इति। (श० व्या० वि०, पृ० १)।

^२ गौः शुक्लश्चलो डित्य इत्यादीनामेकाद्युत्तमा प्रसाङ्गीदिति च शब्दानामुपाधावद् सङ्केतः। (श० व्या० वि०, पृ० १)।

^३ (क) उपाधिश्च वस्तुधर्मो वक्तृयदृच्छासत्रिवेशितश्च। आद्यः सिद्धः साध्यश्च। सिद्धोऽपि द्विविधः पदार्थस्य प्राणप्रदो विशेषाधानहेतुश्च। आद्यो जातिः। उक्तं हि वाक्यपदीये - ‘गौर्हिं स्वरूपेण न गौः नाप्यगौः गोत्वाभिसम्बन्धात् गौः’ इति। द्वितीयो गुणः। शुक्लादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशेष्यते। (श० व्या० वि०, पृ० ४)।

(ख) मुकुलभट्ट के समान ही मम्मट ने भी ‘वाक्यपदीय’ का कहते हुए ‘गौर्हिं स्वरूपेण -----’ इत्यादि जो पक्ति उद्धृत की है वह भर्तृहरि कृत ‘वाक्यपदीय’ में नहीं प्राप्त होती। इस सम्बन्ध में पं० श्रीजगदीशशास्त्री ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भर्तृहरि ने स्वोपज्ञवृत्ति निर्मित की थी जो कि वर्तमान समय में अनुपलब्ध है, सम्भवतः उसमें यह वाक्य रहा हो। अथवा यह भी सम्भव है कि पूर्ववर्ती आचार्य मुकुलभट्ट के उद्धरण को ही

साध्य नाम की उपाधि क्रिया रूप होती है। यह वस्तु के साध्यावस्था का धर्म है। मम्ट ने इसे 'पूर्वापरीभूतावयवरूप' कहा है^१ इसका तात्पर्य यह है कि इसमें एक के बाद दूसरा अंश निरन्तर घटित होता रहता है। जैसे 'पचति' क्रिया में ओदन पकाने के लिए अन्न पर पात्र का रखना, तण्डुल के अवयवों का शिथिलीकरण, पात्र को उतारना इत्यादि कार्य होता रहता है। इसी प्रकार 'गच्छति' क्रिया में एक पैर का उठना, भूमि पर पड़ना तदनन्तर दूसरे पैर का उठते हुए आगे बढ़ना इत्यादि अंश घटित होते हैं। इसी कारण क्रिया को क्रमिक रूप से घटित होने वाले अवयवों से युक्त कहा गया है। आचार्य भर्तृहरि ने भी क्रिया की परिभाषा इसी प्रकार की है -

यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते।

आश्रितक्रमस्त्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते॥३

वस्तु की चतुर्थ उपाधि वक्तृयदृच्छासन्निवेशित है जो संज्ञा रूप होती है। यह वस्तु के धर्म जाति, गुण, क्रिया से इसलिए भिन्न है क्योंकि यह वक्ता द्वारा अपने व्यवहार हेतु किसी व्यक्तिविशेष के लिए कल्पित संज्ञा मात्र है। जैसे डित्यादि शब्द। ये डित्यादि शब्द वर्णों के क्रम से रहित स्वरूप वाले होते हैं। इनमें अन्तिम वर्ण के श्रवण के पश्चात् पूर्व-पूर्व वर्ण के संस्कार से उत्पन्न शब्द का स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है। इसे ही वक्ता अपनी इच्छा से उसके अर्थों में उपाधि रूप से सन्निविष्ट कर देता है। इस प्रकार से 'डित्य' संज्ञा शब्द का अर्थ होता है - 'डित्य नामधारी गो विशेष'।^४

शब्दों की इन चार उपाधियों से गौः शुक्लश्चलो डित्यः इत्यादि चतुष्टयी शब्दप्रवृत्ति उपपत्र हो जाती है।^५ उपाधियों के प्रसङ्ग में आचार्य मम्ट ने 'परमाणुत्व' आदि को जाति माना है। उनके अनुसार परमाणुत्व आदि की

विश्वसनीय मानकर मम्ट ने भी अपने ग्रन्थों में इस वाक्य को उद्धृत कर दिया। श्रीजगदीशशास्त्री का यह विचार युक्तियुक्त ही प्रतीत होता है। (आधार - धनि प्रस्थान में आचार्य मम्ट का अवदान, पृ० ६९)।

(ग) मम्ट के परवर्ती ग्रन्थों में भी 'गौर्हि स्वरूपेण - - - ' इत्यादि वाक्य उद्धृत किया गया है तथा उसे 'वाक्यपदीय' का बताया गया है। जैसे -

न हि कश्चित्पदार्थो जातिसम्बन्धमन्तरेण स्वरूपं प्रतिलभते। यदुक्तं वाक्यपदीये - 'गौः स्वरूपेण न गौर्नाप्यगौर्गोत्वाभिसम्बन्धात् गौः' इति। (काव्यानुशासनम्, पृ० २७)।

नरेन्द्रप्रभसूरि ने अपने ग्रन्थ में लिखा है -

नहि जातिं विना पदार्थः सत्तामात्रमप्यासादयति। यदुक्तं वाक्यपदीये - 'गौः स्वरूपेण न गौर्नाप्यगौर्गोत्वाभिसम्बन्धात् गौः'। (अ० म०, पृ० १५)।

^१ साध्यः पूर्वापरीभूतावयवः क्रियारूपः। (श० व्या० वि०, पृ० ४)।

^२ वा० प०, (३), क्रिया समुद्रदेश्य, ९।

^३ डित्यादिशब्दानामन्त्यबुद्धिनिर्ग्राहां संहृतक्रमं स्वरूपं वक्त्रा यदृच्छया डित्यादिष्वर्थेषुपाधितया सन्निवेश्यते इति च संज्ञारूपो यदृच्छात्मक इति। (श० व्या० वि०, पृ० ४)।

^४ गौः शुक्लश्चलो डित्य इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिर्भाष्ये कथिता। (श० व्या० वि०, पृ० ४)।

न्याय-वैशेषिक दर्शन में 'परिमाण' नामक गुणों के मध्य गणना की गई है वह पारिभाषिक ही है^१ जिस प्रकार लोक में गुण, वृद्धि आदि का जो अर्थ प्रचलित है उससे भिन्न कुछ विशेष अर्थ में ही व्याकरण-शास्त्र में उनका प्रयोग होता है। उसी प्रकार जाति होते हुए भी परमाणुत्वादि की गुणों में गणना हुई है। जिस प्रकार 'गोत्व' रूप धर्म के कारण किसी पशुविशेष को गो कहा जाता है उसी प्रकार परम अणु परिमाण जिसमें है उसे परमाणु कहा जाता है, यह उसका जातिगत धर्म है^२

२.५ मम्ट के अनुसार जातिशक्तिवाद का खण्डन

'काव्यप्रकाश' में आचार्य मम्ट ने - 'सङ्केतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा'^३ कहते हुए जातिशक्तिवादियों का भी पक्ष दर्शाया है। 'शब्दव्यापारविचार' में पूर्वपक्षीय सम्मावना के रूप में जातिवाद का पक्ष रखते हुए उसका खण्डन किया है, जिस प्रकार मुकुलभट्ट ने किया है।

जातिवादियों का यह तर्क हो सकता है कि गुण, क्रिया तथा संज्ञा शब्दों में भी जाति माननी पड़ती है अतः सभी शब्दों की प्रवृत्ति जातिरूप अर्थ के प्रति होने से चतुष्टयी शब्द-प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती। दुश्य, शङ्ख आदि आश्रयों के अनेक होने से उनमें रहने वाले शुक्ल गुण भी अनेक हैं। उनमें एकत्व की प्रतीति 'शुक्लत्व जाति' के कारण होती है। गुड, तण्डुलादि के भेद से पाकादि क्रिया भी अनेक होती है, उनमें भी पाकत्व जाति माननी चाहिए, उसी प्रकार शुक, सारिका आदि वक्ताओं के भेद से डित्यादि संज्ञा शब्द भी अनेक होते हैं अतः उनमें डित्यत्वादि शब्द जाति अथवा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले डित्यादि अर्थों में एकाकारता की प्रतीति हेतु डित्यत्वादि अर्थजाति माननी चाहिए।^४

मम्ट ने इसका खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि व्यक्तिगत शरीर में संस्थान (अवयवों की स्थिति), अवस्थान (आकृति), प्रमाण (ऊँचाई, नीचाई), वर्ण (रंग) के कारण भिन्नता रहती है। उदाहरण स्वरूप चितकबरापन एवं ध्वलता आदि वर्णों के भेद से गो व्यक्तियों में भिन्नता होती है, किन्तु उनमें गोत्व जाति एक ही होती है जिससे

^१ परमाणुत्वादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वम्। (श० व्या० वि०, पृ० ४)।

^२ न खलु स्वयं परमाणुः नाप्यपरमाणुः परमाणुत्वयोगात् परमाणुरिति। (का० प्र०, का० प्र० और १६ टीकाएँ, सङ्केत, पृ० २०६)।

^३ का० प्र०, द्वि० उ०, पृ० ४३।

^४ ननु पयश्चान्त्राद्याशयिभूतेषु शुक्लादिगुणेषु यद्वशेन शुक्लः शुक्ल इत्यभिन्नाभिधानप्रत्ययौ स्तः; तच्छुक्लत्वादि सामान्यम्। गुडतण्डुलादिपाकेष्वेवमेव पाकत्वादिकम्। शुकसारिकाद्युदीरितेषु डित्यादिशब्देषु च डित्यादिशब्दत्वम्, प्रतिक्षणं शिद्यमाने वा डित्याद्यर्थे डित्यादित्वमस्तीति कथं चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः। (श० व्या० वि०, पृ० ४)।

व्यक्तिगत भेद होते हुए भी सभी को एक ही 'गौ' शब्द से अभिहित किया जाता है।^१ इसी प्रकार गुण, क्रिया और संज्ञा शब्द भी भिन्न-भिन्न स्थानों में एकरूप होते हुए भी भिन्न प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता का कारण आश्रय भेद है। जिस प्रकार एक ही मुख्य खड़ग, दर्पण तथा तेल आदि में प्रतिबिम्बित होने पर एक होते हुए भी भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होता है,^२ इसका कारण आश्रय भेद ही है। हंस एवं मुक्ताहार दोनों में वस्तुतः शुक्लगुण एक ही रहता है। धृत, गुड आदि की पाकक्रिया भी एक ही है शुक सारिका आदि द्वारा उच्चरित डित्य शब्द अथवा अनेक स्थिति में परिवर्तित होते डित्यादि अर्थों में एकता रहती ही है। स्पष्ट है कि गुण, क्रिया और यदृच्छा शब्दों के एक होने के कारण इनमें एकाकारक प्रतीति करानी वाली जाति को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तीनों जाति रूप ही हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस स्थिति में शब्दों की प्रवृत्ति के निमित्त चार ही हैं।^३

आचार्य मुकुलभट्ट एवं मम्मट ने संकेतितार्थ के विषय में पतञ्जलि की चतुष्टयी शब्द प्रवृत्ति को ही स्पष्ट स्वीकृति प्रदान की है। महाभाष्य में महर्षि पतञ्जलि ने दो प्रमुख वैयाकरणों का मत भी उल्लिखित किया है— वाजप्यायन एवं व्याडि। इनमें वाजप्यायन जाति शक्तिवाद को मानने वाले हैं तो व्याडि व्यक्तिशक्तिवादी हैं। महाभाष्य में तर्क-वितर्क पूर्वक इन दोनों आचार्यों का मत तथा इनका समन्वित रूप प्रस्तुत किया गया है।

२.६ वाजप्यायन का मत

महाभाष्य से ज्ञात होता है कि वाजप्यायन के मत में जाति एक होती है तथा शब्द की वाचक शक्ति द्वारा इसे अभिव्यक्त किया जाता है।^४ उदाहरण स्वरूप जब 'गौः' इस शब्द का उच्चारण किया जाता है तो उसका अर्थ 'गौत्व' सामान्य होता है न कि कोई काली अथवा लाल रंग वाली विशेष गाय।^५ रूप, अवस्था, स्थान विशेष से सम्बद्ध,

^१ संस्थानवस्थानप्रमाणवर्णभेदेऽपि व्यक्तीनां शाब्देयो गौः धावलेयो गौरित्यादेकप्रत्ययहेतुत्वं जातेरेव। (श० व्या० वि०, पृ० ५)।

^२ गुणक्रियायदृच्छानां वस्तुत एकरूपाणामप्याश्रयभेदाद् भेद इव लक्ष्यते यथैकस्य मुखस्य खड़गमुकुरतैलाद्यालम्बनभेदात्। (का० प्र० उ०, पृ० ५०)।

^३ हंसहारादीनां धृतगुडादीनां शुकसारिकाद्युदीरितडित्यादिशब्दानां नानावस्थडित्याद्यर्थानां च भेदेऽपि 'हंसः शुक्लः' 'हारः शुक्लः' 'धृतं पच्यते' 'गुडं पच्यते' 'डित्यशब्दो डित्यशब्दः' 'डित्यो डित्य' इत्येकाकारावगतिनिबन्धनत्वादेकरूपत्वमेव गुणक्रियायदृच्छानामिति नैतासां भिन्नेष्वभिन्नाभिधानप्रत्ययहेतुः जातिर्वर्टत इति चत्वार्येव शब्दप्रवृत्तिनिमित्तानि। (श० व्या० वि०, पृ० ५)।

^४ आकृत्यभिधानाद्वा एकं शब्दं विभक्तौ वाजप्यायन आचार्यो न्यायं मन्यते। एका आकृतिः साचाभिधीयते इति। (म० भा०, (२), १. २. ३, पृ० ६०)।

^५ (क) न हि गौरित्युक्ते विशेषः प्रख्यायते शुक्ला नीला कपिला कपोतिकेति। (म० भा० (२), १. २. ३, पृ० ६०)।

भिन्न-भिन्न गायों के लिए एक ही गो शब्द का प्रयोग यह सूचित करता है कि एक वर्ग के सभी व्यक्तियों का एक सामान्य रूप होता है जिसे 'जाति' अथवा 'सामान्य' कहा जाता है। महाभाष्य के अनुसार व्यक्तिवादियों का यह तर्क हो सकता है कि कारक सम्बन्ध का अन्वय व्यक्ति के साथ होता है जाति में इसकी योग्यता नहीं होती। इसका उत्तर जातिवादी यह दे सकते हैं कि व्यक्ति को किसी भी दशा में शब्द का वाच्यार्थ नहीं माना जा सकता। व्यक्तियों की संख्या असीम होने से शब्द द्वारा उन सभी का अभिधान सम्भव नहीं है।^१ इसके अतिरिक्त यदि एक शब्द किसी व्यक्तिविशेष का अभिधान करे तो इसके अनुसार असंख्य व्यक्तियों के लिए असंख्य शब्द की कल्पना करनी होगी।^२

व्यवहार में यह देखा जाता है कि किसी बालक को गो शब्द का अर्थ समक्ष उपस्थित पशुविशेष बताया जाता है तत्पश्चात् वह बालक अन्य स्थान पर पूर्व दृष्ट गाय से भिन्न गाय को देखकर उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को न देखते हुए उसे गो शब्द से ही संज्ञित कर देता है।^३ इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि कोई विशेष गाय ही गो शब्द का वाच्यार्थ होती तो बालक दूसरी गाय के लिए यह शब्द नहीं प्रयुक्त करता।

एक ही जाति एक समय में अनेक स्थानों पर उपलब्ध हो सकती है। जैसे एक सूर्य अनेक स्थानों पर एक साथ उपलब्ध होता है उसी प्रकार जाति भी अपने में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों में उपलब्ध होती है।^४ इसी तथ्य को एक अन्य उदाहरण से भी स्पष्ट किया गया है कि जैसे इन्द्र एक होते हुए भी एक समय में विभिन्न यज्ञों में आहूत होने पर उन सबमें उपस्थित रहते हैं उसी प्रकार जाति भी अनेक व्यक्तियों से सम्बद्ध रहती है।^५

यदि अनेक व्यक्ति एक ही सत्ता से सम्बद्ध न होते तो एक ही शब्द भिन्न-भिन्न व्यक्तियों का अभिधान न कर पाता। धर्मशास्त्र आदि के वचनों से भी जाति रूप पदार्थ की सिद्धि होती है। 'ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए' इस

(ख) गौरित्येतेन शब्देनोक्ते प्रत्यायिते सामान्यलक्षणेर्थे विशेषानवधारणादैवयं सामान्यस्यावसीयत इत्यर्थः। (म० भा० (२),

प्र०, ९.२.३, पृ० ६०-६१)।

^१ व्यक्तीनां त्वानन्त्यात्तासु न शक्तिग्रहो, नापि शुद्धानां तासां बोधस्तासां विशेषरूपत्वेन विशेषावगतिप्रसङ्गात्। (म० भा० (२), उ०, ९.२.३, पृ० ६१)।

^२ जात्युपलक्षितस्य द्रव्यस्य शब्देनाभिधाने सत्यभिधेयानेकत्वेनाऽनेकशब्दत्वप्रसङ्गात्। (म० भा० (२), प्र०, ९.२.३., पृ० ६३)।

^३ गौरस्य कदाचिदुपदिष्टो भवति। स तमन्यस्मिन्देशेऽन्यस्मिन्कालेऽन्यस्यां च वयोऽवस्थायां दृष्ट्वा जानाति अयं गौरिति। (म० भा० (२), ९.२.३, पृ० ६१)।

^४ तद्यथा एक आदित्योऽनेकाधिकरणस्थो युगपदुपलभ्यते (म० भा० (२), ९.२.३, पृ० ६२)।

^५ तद्यथा एक इन्द्रोऽनेकस्मिन् क्रतुशते आहूते युगपत्सर्वत्र भवति। एवमाकृतिर्युगपत्सर्वत्र भविष्यति। (म० भा० (२), ९.२.३, पृ० ६२)।

विधि वाक्य में यदि 'ब्राह्मण' पद का अर्थ 'ब्राह्मणविशेष' होगा तो इसका यही अर्थ निकलेगा कि एक ब्राह्मणविशेष को छोड़कर अन्य किसी भी ब्राह्मण को मारने में कोई हानि नहीं है।^१

जाति को शब्दार्थ मानने के विपक्ष में व्यक्तिवादी का एक यह भी तर्क हो सकता है कि यदि एक वर्ग के सभी व्यक्तियों का समावेश करने वाली जाति ही शब्द का अर्थ है तो इससे समस्या यह उत्पन्न हो जाएगी कि जाति के विषय में कहीं हुई कोई बात तक तक नहीं समझी जा सकेगी जब तक उस वर्ग के सभी व्यक्तियों को दृष्टिगत न किया जाए। इसका खण्डन जातिवादी मतानुसार इस प्रकार है कि वस्तुतः जाति व्यक्तियों का समुच्चय नहीं है और न ही उनमें सामूहिक रूप में समवेत है। जाति का एक व्यक्ति विशेष से भी वही सम्बन्ध है जो अन्य व्यक्तियों से है। जाति प्रत्येक व्यक्ति में स्वतन्त्र तथा स्वतः पूर्ण रूप से रहती है। इससे स्पष्ट है कि जाति को शब्दार्थ मानने पर किसी एक गाय को लाने की बात कहने पर समस्त गायों को नहीं लाना पड़ेगा। किसी भी एक गो व्यक्ति को लाने पर गामानय आदेश पूर्ण हो जाएगा।^२ इस प्रकार जाति को ही शब्दार्थ मानना चाहिए।

२. ७ व्याडि का मत

आचार्य व्याडि शब्द का वाच्यार्थ व्यक्ति को मानते हैं। इन्होंने जातिवाद का खण्डन किया है। व्याडि ने 'संग्रह' नामक एक लाख श्लोक वाला ग्रन्थ लिखा जो कि वर्तमान समय में अनुपलब्ध है। 'संग्रह' के उद्धरण कात्यायन के वार्तिक में मिलते हैं। पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में इसकी चर्चा की है।^३

व्याडि के अनुसार लिङ्ग एवं संख्या का अन्वय केवल व्यक्ति के साथ होने से व्यक्ति को ही शब्दार्थ मानना चाहिये। व्यक्ति को शब्दार्थ मानने से पुलिङ्ग मे 'ब्राह्मणः' स्त्रीलिङ्ग में 'ब्राह्मणी' द्विवचन में 'ब्राह्मणौ' बहुवचन में 'ब्राह्मणाः' आदि प्रयोग उपपन्न हो जाते हैं।^४

^१ एवं च कृत्वा धर्मशास्त्रं प्रवृत्तं 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' 'सुरा न पेयेति ब्राह्मणमात्रं च न हन्ते सुरामात्रं च न पीयते। यदि द्रव्यं पदार्थः स्यात् एकं ब्राह्मणमहत्वा एकां च सुरामपीत्वाऽन्यत्र कामाचारः स्यात्' (म० भा०, (२), १. २. ३, पृ० ६२)।

^२ सर्वाभिर्व्यक्तिभिः सम्बन्धस्य तुल्यत्वात् सर्वत्रैवाभिन्नबुद्ध्युत्पादनात् प्रत्येकं परिसमाप्तत्वादेकस्मिन्नपि द्रव्ये तत्कर्म क्रियमाणं जातौ कृतमेव भवतीत्यर्थः। (म० भा० (२), प्र०, १. २. ३, पृ० ६३)।

^३ (क) द्रव्याभिधानं व्याडिराचार्यो न्यायं मन्यते द्रव्यमधिधीयते इति। (म० भा० (२), १. २. ३, पृ० ६४)।

(ख) संग्रह एतत्प्राधान्येन परीक्षितम् - नित्यो वा स्यात्कार्यो वेति - - - -। इस महाभाष्य पर उद्योत टीका-संग्रह - व्याडिकृतो लक्षश्लोकसंख्यो ग्रन्थ इति प्रसिद्धिः। (म० भा० (१), १. १. १, पृ० ५८)।

^४ एवं च कृत्वा लिङ्गवचनानि सिद्धानि भवन्ति। ब्राह्मणी ब्राह्मणः ब्राह्मणौ ब्राह्मणा इति। (म० भा० (२), १. २. ३, पृ० ६४-६५)।

क्रियाओं का सहज एवं स्वाभाविक सम्बन्ध केवल व्यक्ति के साथ ही होता है अतः व्यक्ति को ही शब्दार्थ मानना चाहिए।

जातिवादियों को मान्य एक ही सत्ता की अनेक अधिकरणों में एक ही समय में उपलब्धि भी सम्भव नहीं हो सकती। एक ही देवदत्त सुस्तु देश में तथा मधुरा में एक साथ नहीं रह सकता।^१ जाति को शब्दार्थ मान लेने पर 'कुते' की मृत्यु हो गई' या 'गौ का जन्म हुआ' जैसे वाक्यों में 'कुते' तथा 'गौ' का अर्थ हुआ वे असंख्य व्यक्ति जिनमें जाति समवेत हैं। ऐसी दशा में एक कुते के मृत हो जाने पर सम्पूर्ण श्वान जाति को समाप्त हो जाना चाहिए तथा एक गो के जन्म लेने पर सभी गायों को जन्म लेना चाहिए। परन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत देखी जाती है। इसलिए सिद्ध है कि शब्द का अर्थ व्यक्ति ही होता है।^२

महाभाष्य पर उद्योत टीका के रचयिता नागेशभट्ट ने जाति और व्यक्ति के सम्बन्ध की समस्या पर प्रश्न उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति में समवेत मानी जाने वाली जाति एक-एक व्यक्ति में अपने समग्र रूप में समवेत होती है अथवा समस्त व्यक्तियों में सामूहिक रूप में समवेत होती है जाति यदि एक व्यक्ति में सम्पूर्ण रूप से समवेत हो जाती है तो वह अन्य व्यक्तियों में समवेत नहीं होगी और यदि समस्त व्यक्तियों में सामूहिक रूप में समवेत रहती है तो इसका ज्ञान तभी सम्भव हो सकेगा जबकि इसको आकार देने वाले सभी व्यक्ति एक साथ एक ज्ञान का विषय हो सके। व्यवहार में ऐसा द्रष्टव्य नहीं है अतः जाति को शब्द का अर्थ नहीं माना जा सकता।^३

प्रत्येक व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है। जाति को पदार्थ मानने पर यह प्रश्न उठेगा कि व्यक्ति के साथ अभेद सम्बन्ध से सम्बन्धित जाति के आश्रय भिन्न-भिन्न कैसे हो सकते हैं? एक ही वस्तु की भिन्न तथा अभिन्न दोनों नहीं माना जा सकता। 'गौश्च गौश्च' इस विग्रह में दोनों पद दो भिन्न सत्ताओं को सूचित करते हैं। दोनों का यदि एक ही अर्थ मान लिया जाए तब इनका एक साथ प्रयोग पर्यायवाची पदों के समान असंगत हो जाएगा।^४

^१ न खल्वप्येकमनेकाधिकरणस्थं युगपदुपलभ्यते। न ह्येको देवदत्तो युगपत्सुष्ठे भवति मथुरायां च। (म० भा० (२), १. २. ३, पृ० ६५)।

^२ विनाशो प्रादुर्भावे च सर्वं तथा स्यात्। (भाष्य) किम् विनष्टेच्च प्रादुष्याच्च। 'श्वामृतः' इति श्वा नाम लोके न प्रचरेत्। 'भीर्जात' इति सर्वं गोभूतमनवकाशं स्यात्। (म० भा०, (२), १. २. ३ पृ० ६५)।

^३ जातिर्न तावद्वद्वेषु व्यासज्यवृत्तिः एकाश्रयनाशेऽप्रतीत्यापत्तेः। किं च गामालभेतेत्यादिनोदनासु सर्वद्रव्यात्म्भापत्तिः। प्रत्येकसमाप्तौ तु द्रव्यान्तरे तदनापत्तिसत्त्रापि सत्त्वे एकाकृतिरिति प्रतिज्ञाहानिरित्यर्थः। (म० भा० (२), उ०, १. २. ३, पृ० ६४)।

^४ एवं च कृत्वा विग्रह उपपत्रो भवति - गौश्च गौश्चेति। (म० भा० (२), १. २. ३, पृ० ६६)।

द्रव्य ही अभिधेय होते हैं इसका समर्थन धर्मशास्त्र के आदेशों से भी हो जाता है। जाति को शब्दार्थ मानने पर 'गौरनुबन्धः' आदि शास्त्रविधियों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है इस वाक्य में एक व्यक्ति के आलम्बन में तात्पर्य है— समस्त गो जाति में नहीं। शब्द से जाति का अभिधान हो और आलम्बन व्यक्ति का हो यह तर्कसंगत नहीं है^१। इन्हीं कारणों से व्यक्तिवादियों ने व्यक्ति को ही शब्द का अर्थ माना है जाति को नहीं।

२. ८ वाजप्यायन एवं व्याडि के मत का समन्वय

वाजप्यायन के जातिशक्तिवाद एवं व्याडि के व्यक्तिशक्तिवाद रूप एक-एक पक्ष की जहाँ महाभाष्यकार ने विस्तृत रूप से व्याख्या की है वहाँ इन दोनों मतों का तर्क सहित समन्वय भी प्रस्तुत किया है। पतञ्जलि का मत है कि जातिवादी का जाति को पदार्थ कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि उस समय व्यक्ति का बोध होता ही नहीं है। इसी प्रकार व्यक्तिवादी जब व्यक्ति को पदार्थ कहता है तो वहाँ भी जाति अवश्य ही रहती है। वस्तुतः इन दोनों का मतभेद जाति एवं द्रव्य की प्रधानता तथा गौणता को लेकर है। जब जाति की प्रधानता होती है तब शब्द का अर्थ जाति होता है तथा व्यक्ति भी गौणरूपेण वहाँ उपस्थित रहता है। उसी प्रकार व्यक्ति की प्रधानता होने पर व्यक्ति को शब्दार्थ माना जाता है किन्तु अप्रधानतया वहाँ जाति भी अवश्य ही रहती है^२।

व्याडि ने लिङ्ग एवं वचन का अन्वय केवल व्यक्ति के साथ माना था। इसका समाधान महाभाष्यकार के अनुसार इस प्रकार हो जाता है कि जैसे गुणवादी शब्दों के लिङ्ग एवं वचन उनके विशिष्ट द्रव्यों के लिङ्ग एवं वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं जैसे शुक्ला पटी, शुक्लं वस्त्रम्, द्वे शुक्ले कम्बले इत्यादि। उसी प्रकार जाति भी द्रव्य के लिङ्ग वचन को अपना लेती है क्योंकि वह द्रव्य में समवेत रहती है^३।

^१ आकृतौ चोदितायां द्रव्ये आरम्भणालम्भनप्रोक्षणविशसनादीनि क्रियन्ते। (म० भा० (२), १. २. ३, पृ० ६५)।

^२ (क) नह्याकृतिपदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः द्रव्यपदार्थकस्य वा आकृतिर्न पदार्थः। उभयोरुभयं पदार्थः।

कस्यचिक्तिचित्प्रधानभूतं किञ्चिद् गुणभूतम्। आकृतिपदार्थकस्य आकृतिः प्रधानभूता द्रव्यं गुणभूतम्। द्रव्यपदार्थकस्य द्रव्यं प्रधानभूतमाकृतिरुणभूता। (म० भा० (२), १. २. ३, पृ० ६८ - ६९)।

(ख) किं पुनराकृतिः पदार्थः अहेस्विद् द्रव्यम् ? उभयमित्याह। कथं ज्ञायते ? उभयथा ह्याचार्येण सूत्राणि पठितानि। आकृतिं पदार्थं मत्वा-जात्याख्यायामेकस्मिन्बुहुवचननम्यतरस्याम्' इत्युच्यते। द्रव्यं पदार्थं मत्वा-'सरूपाणाम्' इत्येकशेष आरभ्यते। (म० भा० (१), १. १. १, पृ० ५६)।

^३ गुणवचनवद्वा लिङ्गवचनानि भविष्यन्ति। तद्यथा-गुणवचनानां शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति-शुक्लं वस्त्रम्, शुक्ला शाटी, शुक्लः कम्बलः; शुक्लौ कम्बलौ, शुक्लाःकम्बला इति। यदसौ द्रव्यं श्रितो भवति गुणस्तस्य यत्लिङ्गं वचनं शुक्ला शाटी, शुक्लः कम्बलः; शुक्लौ कम्बलौ, शुक्लाःकम्बला इति। यदसौ द्रव्यं श्रिता आकृतिस्तस्य यत्लिङ्गं वचनं च तदाकृतेरपि भविष्यति। (म० भा० (२), १. २. ३, पृ० ६६)।

व्यक्तिवादी का यह कथन भी युक्तिसङ्गत नहीं है कि क्रियाओं का सम्बन्ध केवल व्यक्ति के साथ ही होता है। क्रियाओं का वास्तविक सम्बन्ध तो जाति से युक्त व्यक्ति के साथ ही होता है। इस तथ्य को महाभाष्य के 'प्रदीप' टीकाकार इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अग्नि लाने का आदेश दिया जाता है तब वह व्यक्ति उसे पात्र में रखकर लाता है यद्यपि आदेश वाक्य में पात्र का कथन नहीं होता। उसी प्रकार जब जाति के लिए किसी क्रिया का विधान किया जाता है तब उसके साथ व्यक्ति सहज रूप से जुड़ा ही होता है।^१

जाति के विषय में यह प्रश्न व्यक्तिवादियों के मतानुसार उठाया गया था कि एक ही सत्ता एक से अधिक आश्रयों में नहीं रह सकती। इसके समाधान स्वरूप सूर्य एवं इन्द्र का उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। प्रदीपकार ने इसे अर्धक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जाति विभु तथा नित्य अर्थात् देश काल की सीमा से परे हैं। व्यक्ति की उत्पत्ति एवं विनाश से जाति की उत्तरात्त तथा विनाश को नहीं सिद्ध किया जा सकता। जाति अपने अस्तित्व के लिए द्रव्य के आश्रित नहीं रहती। द्रव्य का विनाश हो जाने पर भी इसका विनाश नहीं होता।^२ वृक्ष के ऊपर चढ़ाया गया वितान वृक्ष के कट जाने पर भी अवशिष्ट ही रहता है। ऐसी ही स्थिति जाति की भी है। द्रव्यों में भिन्नता के कारण ही जाति भी भिन्न भिन्न प्रतीत होती है।

व्यक्तिवादी का यह भी तर्क था कि अनेक और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में कोई एक जाति नहीं हो सकती। पतञ्जलि इसके उत्तर में स्पष्ट करते हैं कि अक्ष शब्द के पासे, ज्ञानेद्रिय तथा धुरी कई अर्थ हैं। इस प्रकार एक ही शब्द विविध वर्गों से सम्बद्ध विविध अर्थों को बोधित करता है। यहाँ अभिहित अर्थों में भिन्नता होते हुए भी एक अंश में समानता है वह है अश् धातु जिसका अर्थ है- व्याप्ति की क्रिया। यह सभी भिन्न अर्थों में समान है। इसी प्रकार जाति को भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों से सम्बद्ध मानने में कोई दोष नहीं है।^३ इस प्रकार जाति और व्यक्ति दोनों को ही शब्दार्थ मानना चाहिए।

२. ६ महाभाष्यकार का चतुर्विध शब्द-विभाग

महाभाष्य में जातिशक्तिवाद एवं व्यक्तिशक्तिवाद, दोनों ही मतों की एकाङ्गिता को दर्शाते हुए पतञ्जलि ने

^१ यथाभिन्नरानीयताभित्युक्ते केवलस्याम्नेरानयनासंभवत्रान्तरीयकत्वादचोदितमपि पात्रमानीयते एतदेवाम्नेरानयनं यत् पात्रस्थस्य तथा आकृतावारभ्यणादीनि चोद्यमानानि सामर्थ्यात् साहचर्यात् द्रव्यमभिनिविशन्ते। (म० भा० (२), प्र०, १. २. ३, पृ० ६६)।

^२ द्रव्यविनाशे आकृतेरविनाशः। कुतः ? अनैकात्म्यात् अनेक आत्मा आकृतेर्द्रव्यस्य च। तद्यथा वृक्षस्थोऽवतानो वृक्षे छिन्नेषि न विनश्यति। (म० भा० (२), १. २. ३, पृ० ९००)।

इनका समन्वय प्रस्तुत किया है। इसके साथ-साथ अपने चतुर्विधि शब्द-विभाग सम्बन्धी मान्यता की व्याख्या भी की है।

इन्होंने शब्दों की चार प्रवृत्तियाँ स्वीकार की हैं - जाति, गुण, क्रिया तथा यदृच्छा^३ अर्थात् शब्दों की अर्थ के विषय में जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति के निमित्त चार प्रकार के होते हैं^४:

पतञ्जलि से पूर्व पाणिनि ने 'जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्' (पा० सू० १.२.५८) सूत्र का निर्माण जाति को पदार्थ मान कर तथा 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ (१.२.५८)' का निर्माण व्यक्ति को शब्दार्थ मानकर किया है। 'उपसर्गः क्रियायोगे' (१.४.५६) सूत्र क्रिया के विधान को मान्यता देता है। 'पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन' (२.२.११.) सूत्र द्वारा पूरणगुण आदि वाले तथा सत् आदि शब्दों से प्राप्त षष्ठी समास का निषेध किया है। यह सूत्र पाणिनि को मान्य गुण रूप पदार्थ को सिद्ध करता है। महाभाष्य में पतञ्जलि ने एक स्थल पर यदृच्छा शब्दों को न मानते हुए शब्दत्रयीवाद को स्वीकार किया है^५ किन्तु अन्ततः इन्होंने चतुष्टयवाद की ही स्थापना की है। पतञ्जलि ने लोकव्यवहार में अर्थबोध कराने वाली ध्वनि को ही शब्द कहा है। इन्होंने पाणिनि के 'ऋत्युक्' सूत्र की व्याख्या करते हुए इसका प्रयोजन स्पष्ट किया है। इसी लृकारोपदेश के सन्दर्भ में यदृच्छा शब्दों की स्थिति आती है^६:

प्रदीपकार के अनुसार अर्थगत प्रवृत्तिनिमित्त की अपेक्षा किये विना ही जो शब्द वक्ता के अभिप्राय से प्रयुक्त होते हैं। वही यदृच्छा शब्द हैं। उद्योतकार का विचार है कि स्वेच्छा से एक व्यक्ति में संकेतित शब्द यदृच्छा शब्द है^७। पतञ्जलि की ऐसी मान्यता है कि पाणिनि ने लृकार का उपदेश यदृच्छा शब्दों के लिए ही किया है। जैसे -किसी का नाम 'लृतक' रख दिया जाता है तो यह नाम यदृच्छा शब्द ही है। 'लृतक' शब्द के परे रहते भी अच् निमित्तक कार्य हो सके इसके लिए लृकार का उपदेश सार्थक है। जैसे किसी ने कहा - 'दछलृतकाय देहि', 'मध्वलृतकाय देहि' इन स्थलों

^३ विभिन्नार्थेषु च सामान्यात्सिद्धम्। सर्वत्र अश्नोतेरक्षः; पद्यते: पादः; मिमीते माषः। तत्र क्रियासामान्यात्सिद्धम्। (म० भा० (२), १.२.३, पृ० १०९)।

^४ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः - जातिशब्दः; गुण शब्दः; क्रिया शब्दः; यदृच्छाशब्दाश्चतुर्थाः। (म० भा० (१), १.१.२, पृ० १०९)।

^५ शब्दानार्थे या प्रवृत्तिः सा प्रवृत्तिनिमित्तभेदात्रकारचतुष्टयवतीत्यर्थः। (म० भा० (१), उ०, १.१.२, पृ० १०९)।

^६ त्रयी च शब्दानां प्रवृत्तिः - जातिशब्दः; गुणशब्दः; क्रियाशब्दा इति। न सन्ति यदृच्छाशब्दाः। (म० भा० (१), १.१.२, पृ० १०३)।

^७ अथ लृकारोपदेशः किमर्थः ? लृकारोपदेशो यदृच्छाऽऽस्तिज्ञानुकरणप्लुत्यादर्थः। (म० भा० (१), १.१.२, पृ० १०० - १०१)।

^८ (क) अर्थगतं प्रवृत्तिनिमित्तमनपेक्ष्य यः शब्दः प्रयोक्त्रभिप्रायेणैव प्रवर्तते स यदृच्छाशब्दो डित्यादिः। (म० भा० (१), प्र०, १.१.२, पृ० १०१)।

(ख) स्वेच्छैकस्यां व्यक्तौ सङ्केत्यमानः शब्दः यदृच्छाशब्दः इति बोध्यम्। (म० भा० (१), उ०, १.१.२, पृ० १०१)।

में लृतक के लृकार को अच् मानकर उसके परे रहते क्रमशः दधि एवं मधु के इ, उ के स्थान पर यण हुआ है। इसी प्रकार जैसे - 'उदङ्घलृतकोऽगमत्', 'प्रत्यङ्घलृतकोऽगमत्' में उदङ्घ तथा प्रत्यङ्घ से परे लृतक का अच् अर्थात् लृकार है इसी कारण यहाँ ङ्गुट का आगम हुआ है।^१ इन्हीं कारणों से पतञ्जलि के अनुसार शब्दों का प्रयोग चार प्रकार का देखा जाता है- जातिशब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द तथा यदृच्छा शब्द।

यहाँ यदि यदृच्छा शब्द को न माना जाए तो लृकार के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए सर्वत्र लृकार के स्थलों में ऋकार सिद्ध करना होगा। अतः यदृच्छा शब्दों की स्थिति को स्वीकार कर लेना ही श्रेयस्कर है अन्यथा लृकार का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा।

महर्षि पतञ्जलि का यही शब्द चतुष्टयवाद मुकुलभट्ट एवं ममट सहित अन्य परवर्ती साहित्यकारों के सङ्केतग्रह के उपाधि-चतुष्टय का भी आधार बना है। यदृच्छा शब्द को ही कहीं-कहीं संज्ञा शब्द के नाम से भी जाना जाता है।^२ साहित्यदर्पणकार यदृच्छा शब्द के स्थान पर द्रव्य शब्द प्रयुक्त करते हैं। इनके अनुसार केवल एक व्यक्ति के वाचक हरि, हर, डित्य, डवित्य, देवदत्त, यज्ञदत्तादि शब्दों को द्रव्य शब्द कहते हैं।^३ हेमचन्द्र ने भी 'यदृच्छा' शब्द के लिए 'द्रव्य' शब्द का प्रयोग किया है।^४

^१ यदृच्छाशब्दार्थस्तावत् - यदृच्छया कश्चिद् लृतको नाम। तस्मिन्त्रकार्याणि यथा स्युः - दध्मलृतकाय देहि मध्वलृतकाय देहि, उदङ्घलृतकोऽगमत् प्रत्यङ्घलृतकोऽगमत्। (म० शा० (१), १.१.३, पृ० १०९)।

^२ - - - - - संज्ञाखणो यदृच्छात्मक इति । (श० व्या० वि०, पृ० ४)।

^३ द्रव्यशब्दा एकव्यक्तिवाचिनो हरिहरडित्यडवित्यादयः। (सा० द०, पृ० २७)।

^४ अव्यवधानेन यत्र सङ्केतः क्रियते स मुखमिव हस्ताद्यवयवेऽम्भोऽर्थात्तरेभ्यः प्रथमं प्रतीयते इति मुख्यः; स च जातिगुणक्रियाद्रव्यरूपः - - - - -। (काव्यानुशासनम्, पृ० २७)।

लक्षणावृत्ति - विवेचन

शब्द के साक्षात् संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा है। उससे बोधित अर्थ ही मुख्यार्थ है जो कि शब्द से सर्वप्रथम जाना जाता है, परन्तु कभी-कभी मुख्यार्थ अथवा वाच्यार्थ का वाक्य के पदों के साथ अन्य असङ्गत हो जाता है अथवा मुख्यार्थ से तात्पर्य की उपपत्ति नहीं होती। फलतः मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। ऐसी दशा में उससे सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है। यह प्रतीति रुढ़ि या प्रसिद्धि के कारण अथवा किसी विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए ही होती है। इसी ‘अन्य’ अर्थ को ‘लक्ष्यार्थ’ तथा उसकी बोधिका शक्ति को ‘लक्षणाशक्ति’ के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए ‘गङ्गयां घोषः’ (गङ्गा में बस्ती है) इस वाक्य का प्रवाह रूप मुख्यार्थ बाधित हो जाता है क्योंकि गङ्गा की धारा के साथ घोष का आधाराधेय सम्बन्ध नहीं बन सकता। इसलिए लक्षण द्वारा गङ्गा पद का तट अर्थ निकलता है। यहाँ बस्ती में अतिशय शैत्य और पावनत्व की प्रतीति कराना ही इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग का प्रयोजन है।

मानव व्यवहार में इस प्रकार के प्रयोग अति साधारण हैं। शास्त्र-जगत् में शब्द की शक्ति के रूप में लक्षणा सुप्रतिष्ठित ही है।

लक्षणा को ‘भक्ति’ तथा ‘गुणवृत्ति’ के नाम से भी जाना जाता है। कहीं ये तीनों ही पर्यायावाची के रूप में प्रयुक्त हुए हैं तो कहीं भक्ति अथवा गुणवृत्ति को लक्षणा से अलग वृत्ति के रूप में मान्यता मिली है।

काव्यशास्त्र में ही हमें लक्षणा का विकसित रूप तथा शब्द की द्वितीय शक्ति के रूप में स्पष्ट स्थापना देखने को मिलती है, परन्तु इसके बीज वैदिक साहित्य, व्याकरण ग्रन्थों तथा दर्शन ग्रन्थों में देखे जा सकते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रतिष्ठित लक्षणा की आधारभूमि मुख्यरूप से व्याकरण, मीमांसा तथा न्याय-दर्शन की तत् सम्बन्धी मान्यताएँ ही हैं।

वैदिक काल से ही लक्षणा का स्वरूप - विवेचन प्रारम्भ हो गया था। ब्राह्मण ग्रन्थों में भक्त प्रयोग का उल्लेख पाया जाता है। ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में 'भक्ति' शब्द का प्रयोग मिलता है। यास्क ने 'निरुक्त' में 'बहुभक्तिवादीनि ब्राह्मणवाक्यानि भवन्ति' कहकर ब्राह्मण ग्रन्थों में लक्षणा के निरूपण का समर्थन किया है। स्वयं यास्क ने भी 'निरुक्त' के द्वितीय अध्याय में लक्षणा का विवेचन प्रस्तुत किया है। यास्क ने मुख्य रूप से सादृश्यमूलक प्रयोगों के आधार पर ही लक्षणा को स्वीकारा है। 'निरुक्त' के द्वितीय अध्याय में कुछ वैदिक उदाहरणों को प्रस्तुत कर यास्क ने उनमें लक्षणा प्रदर्शित की है। उदाहरण स्वरूप गमनार्थक 'पद' धातु से निष्पत्र होने वाले पाद एवं पद शब्द मुख्यतः पशुओं के पैर के बोधक होते हैं। पशुओं के चार पैर होते हैं इसी सादृश्य के आधार पर चार चरण वाले श्लोक के प्रत्येक चरण को 'पाद' कह दिया जाता है। यह लाक्षणिक प्रयोग है। इस प्रकार किसी भी वस्तु के चतुर्थांश को पाद कहना भी लाक्षणिक प्रयोग ही है। इसी प्रकार गो शब्द का मुख्यार्थ पृथ्वी तथा गाय, बैत है। किन्तु वह उससे सम्बद्ध अन्य पदार्थों को भी प्रकट करता है। इस प्रकार का प्रयोग भी लाक्षणिक ही है।^३

वैयाकरणों में पाणिनि ने 'पुंयोगादाख्यायाम्' (४.९.४८) सूत्र की रचना की, जिसके अनुसार पुरुषवाची शब्दों से पुंयोग में स्त्री की आख्या में 'डीष्' का विधान होता है। जैसे 'प्रष्ठस्य स्त्री', 'ब्राह्मणस्य स्त्री' आदि अर्थों में 'प्रष्ठ', 'ब्राह्मण' आदि से स्त्रीत्व की आख्या में उपर्युक्त सूत्र से डीष् प्रत्यय करने पर प्रष्ठी, ब्राह्मणी शब्द निष्पत्र होते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ये शब्द मूलतः पुलिङ्ग कैसे हो सकते हैं? अर्थात् भिन्न में अभिन्नता का ज्ञान, अतः में तत् का ज्ञान कैसे सम्भव हो सकता है?^४ इसके समाधान का अन्येषण महाभाष्यकार ने पाणिनि के सूत्रों में ही किया है - पाणिनि के 'तदर्हति' (५.९.६३) तथा 'तदर्हम्' (५.९.१७) सूत्र इस तथ्य का सङ्केत देते हैं कि इन्हें दो पदार्थों में योग्यता रूप सम्बन्ध अभिमत था। इसी के कारण भिन्न पदार्थ में भिन्न पदार्थ का अभेद आरोपित होता है इसी अभेद सम्बन्ध को स्पष्ट करने में लक्षणा की स्थिति आती है। पतञ्जलि ने अन्य में अन्य के धर्म के आरोप के लिए चार प्रकार माने हैं -

(१) तात्स्थ्य (२) ताद्धर्म्य (३) तत्सामीप्य (४) तत्साहचर्य*

* मरुतां सा भक्तिरुत्तीयमुक्थं शस्त्वा मरुत्तीयया यजति यथाभागं तद्देवताः प्रीणाति। (ऐ० ब्रा०, ३.१२.६, पृ० ४५२)।

^३ (क) पादः पद्यते: तत्रिधानात् पदम्। पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः। प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि। (निरुक्त, २/७)।

(ख) ज्यापि गौरुच्यते। गव्या चेत् तद्धितम्। (निरुक्त, २/५)

^४ किं पुनरिहोदाहरणम्? प्रष्ठी, प्रचरी। कथं पुनरयं प्रष्ठशब्दोऽकारान्तः स्त्रियां वर्तते? तस्येदमित्यनेनाभिसम्बन्धेन। यथैव ह्यसौ तत्कृतान् स्नानोद्धर्तनपरिषेकान् लभते एवं प्रष्ठशब्दमपि लभते॥ (म० भा० (४), ४.९.३, पृ० ६४ - ६५)।

* कथं पुनरतस्मिन् 'सः' इत्येतद्द्ववति? चतुर्भिः प्रकारैत्यस्मिन् 'सः' इत्येतद्द्ववति - तात्स्थ्यात्, तात्स्थ्यात्, तत्सामीप्यात् तत्साहचर्यादिति। (म० भा० (४), ४.९.२, पृ० ६७)।

१ - इनमें तात्स्थ्य सम्बन्ध आधाराधेयभाव रूप होता है। यह सम्बन्ध लक्षणा का प्रयोजक है। मुख्य अर्थ के अनुपपत्र होने के बाद लक्षणा द्वारा जिस अन्य अर्थ का बोध होता है वह अर्थ मुख्यार्थ से किसी न किसी सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है। तात्स्थ्य सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा में मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ में आधाराधेय सम्बन्ध होता है। महाभाष्यकार ने इस प्रकार के सम्बन्ध के लिए दो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं - 'मञ्चः हसन्ति' तथा 'गिरिद्व्यते'^१ यहाँ प्रथम उदाहरण में मञ्च पर रहने वाले बालकों को भिन्न होते हुए भी आधाराधेय सम्बन्ध के कारण 'मञ्च' कह दिया गया है। यही तात्स्थ्य सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा है।

२ - जब गुणों या क्रिया की समानता के कारण एक वस्तु पर दूसरे का आरोप किया जाता है तब वहाँ तादृधर्म्य सम्बन्ध होता है। इसका उदाहरण है 'जटीः ब्रह्मदत्तः' यहाँ तादृधर्म्य के कारण गुणों की समानता के आधार पर जो व्यक्ति ब्रह्मदत्त नहीं है उसे ब्रह्मदत्त कह दिया गया है^२

३ - सामीप्य सम्बन्ध के कारण होने वाली लक्षणा के लिए पतञ्जलि ने 'गङ्गायां घोषः तथा 'कूपे गर्गकुलम्' उदाहरण दिया है। यहाँ सामीप्य के कारण गङ्गा तट में गङ्गा का तथा कुएँ के तट में कुएँ का आरोप किया गया है^३

४ - किसी वस्तु के साहचर्य के कारण वस्तुधारी व्यक्ति को उसी वस्तु के नाम से सम्बोधित कर दिया जाता है। ऐसे स्थलों में साहचर्य के कारण ही अन्य वस्तु में अन्य के धर्म का आरोप होता है। महाभाष्यकार ने 'कुन्तान् प्रवेशय' तथा 'यष्टीः प्रवेशय' उदाहरण तत्साहचर्य से होने वाली लक्षणा के लिए प्रस्तुत किया है। यहाँ अचेतन कुन्त एवं यष्टी के द्वारा प्रवेशन क्रिया बाधित है अतः उनके साहचर्य सम्बन्धी कुन्तधारी तथा यष्टीधारी पुरुषों का लक्षणा से बोध होता है^४

इस प्रकार पतञ्जलि ने लक्षणा को आवश्यक मानते हुए अन्यत्र भी उसका स्वरूप स्पष्ट किया है। महाभाष्य में अनेक स्थलों पर 'उपचार' के रूप में लक्षणा के सङ्केत द्रष्टव्य हैं -

१ - युवत्वं लोके ईप्सितं पूजेत्युपचर्यते (म० भा० (४), ४.९.४, पृ० २५३)।

२ - लोके हि संख्यां प्रवर्त्तमानामुचरन्ति। (म० भा० (४), ४.९.३, पृ० १३२)।

इसके अतिरिक्त पतञ्जलि के द्वारा 'त्रैकाल्यं खल्वपि लोके लक्ष्यते' (३.९.६६) वाक्यांश में प्रयुक्त 'लक्ष्यते' पद ही लक्षणा का मूल है।

^१ तात्स्थात्तावत् मञ्चः हसन्ति गिरिद्व्यते। (म० भा० (४), ४.९.२, पृ० ६७)।

^२ तादृधर्म्यात् - जटिनं यान्तं ब्रह्मदत्त इत्याह। ब्रह्मदत्ते यानि कार्याणि जटिन्यपि तानि क्रियन्त इत्यतो जटी ब्रह्मदत्त इत्युच्यते। (म० भा० (४), ४.९.३, पृ० ६७)।

^३ तत्सामीप्यद् - गङ्गायां घोषः; कूपे गर्गकुलम्। (म० भा० (४), ४.९.२, पृ० ६७)।

^४ तत्साहचर्यात् - कुन्तान् प्रवेशय, यष्टीः प्रवेशयेति। (म० भा० (४), ४.९.२, पृ० ६७)।

भर्तृहरि प्रणीत 'वाक्यपदीयम्' में भी लक्षणा के स्पष्ट सङ्केत द्रष्टव्य हैं। भर्तृहरि के अनुसार शब्द में सभी प्रकार के अर्थों के बोधन की शक्ति होती है। प्रसिद्ध अर्थ के प्रतिपादन में शब्द की मुख्य वृत्ति प्रवृत्त होती है तथा अप्रसिद्ध अर्थ के प्रतिपादन में गौणवृत्ति^१ गो शब्द का जो 'गोत्व' अर्थ होता है वह प्रसिद्ध होने के कारण मुख्य है तथा वाहीक अर्थ अप्रसिद्ध है। इस अप्रसिद्ध अर्थ में शब्द की प्रवृत्ति सादृश्य के निमित्त से होती है। इस प्रकार भर्तृहरि ने यह माना है कि अर्थ, प्रकरण तथा मुख्यार्थबाध आदि की अपेक्षा किए विना शब्द के श्रवण के पश्चात् ही जिस अर्थ का बोध होता है वह मुख्य अर्थ है। अर्थ, प्रकरण, मुख्यार्थबाध आदि के बाद जिस अर्थ का बोध होता है वह गौण अर्थ है।^२

३. १ मीमांसकों के अनुसार लक्षणा -

दर्शन के क्षेत्र में लक्षणा शब्द का प्रयोग मीमांसा-दर्शन में बहुलता से मिलता है। शाब्दरभाष्य में 'लक्षणा' शब्द का प्रयोग मीमांसा-दर्शन में लक्षणा की स्पष्ट स्थिति का सङ्केत देता है।^३ मीमांसकों में अग्रगण्य कुमारिलभट्ट की 'तच्चवार्तिक' में लक्षणा की परिभाषा एवं इसकी विस्तृत व्याख्या मिलती है।

मीमांसकों ने 'गौणी' एवं 'लक्षणा' को भिन्न-भिन्न वृत्तियों के रूप में स्वीकार किया है। कुमारिलभट्ट ने भी गौणी तथा लक्षणा को भिन्न-भिन्न ही माना है। इनके मतानुसार अभिधेय से अविनाभूत अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति लक्षणा है तथा लक्षणा से बोधित गुणों के योग से होने वाली शब्दवृत्ति की गौणता होती है।^४ अर्थात् गुणों के योग से अर्थ-प्रतीति कराने वाली वृत्ति गौणी है। आचार्य मम्मट के अनुसार कुमारिलभट्ट की लक्षणा-परिभाषा में 'अविनाभूत सम्बन्ध' का तात्पर्य सम्बन्ध मात्र है न कि किसी प्रकार की व्याप्ति। 'अविनाभाव' का दर्शनिक अर्थ होता है व्याप्ति। व्याप्ति कहते हैं एक के विना दूसरे का न होना। जैसे अभि के विना धूम नहीं हो सकता। लक्ष्यार्थ की वाच्यार्थ से इस प्रकार की व्याप्ति नहीं होती। यदि व्याप्ति के कारण ही लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती तब 'मञ्चः क्रोशन्ति'

^१ सर्वशक्तेस्तु तस्यैव शब्दस्यानेकधर्मणः।

प्रसिद्धिभेदाद् गौणत्वं मुख्यत्वं चोपवर्णते॥ (वा० प०, २. २५३)।

^२ श्रुतिमात्रेण यत्रास्य तादर्थ्यमवसीयते।

मुख्यं तमर्थं मन्यन्ते गौणं यत्तोपपादितम्॥ (वा० प०, २. २७८)।

^३ (क) लक्षणाऽपि हि लौकिकी। (शा० भा०, मी० द० (२), पृ० ३६)।

(ख) लौकिकी हि लक्षणा हठोऽप्रसिद्धकल्पनेति। (शा० भा०, मी० द० (२), पृ० २७५)।

^४ अभिधेयाविनाभूते प्रवृत्तिलक्षणेष्वते

लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता। (तं० वा०, मी० द० (२), पृ० ३१३)।

इस उदाहरण में 'मञ्च' शब्द की मञ्चस्थ पुरुषों में लक्षणा नहीं हो सकती थी, क्योंकि मञ्च पर स्थित पुरुष मञ्च के साथ व्याप्ति-सम्बन्ध से सम्बन्धित नहीं हैं।

प्रभाकर मतानुयायी शालिकनाथमिश्र अपने ग्रन्थ में प्रभाकरमिश्र के अनुसार लक्षणा का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि वाक्यार्थ में वाच्यार्थ के सम्बन्ध की अनुपपत्ति ही लक्षणा का कारण है। सम्बन्ध की अनुपपत्ति के कारण अन्वय की कल्पना की जाती है। यह अन्वय जिस व्यापार द्वारा कल्पित होता है उसी व्यापार को लक्षणा कहते हैं।^३

लक्षणा की परिभाषा एवं स्वरूप-विवेचन के साथ-साथ मीमांसा-दर्शन में इसके कारण एवं प्रयोजनों पर भी विचार किया गया है। महर्षि जैमिनि ने अपने सूत्र में लक्षणा के ४ः कारण उल्लिखित किए हैं। ये हैं - तत्सिद्धि, जाति, सारूप्य, प्रशंसा, भूमा तथा लिङ्गसमवाय।^४

३. २ नैयायिकों के अनुसार लक्षणा -

न्याय-दर्शन के प्राचीन ग्रन्थों में लक्षणा की स्पष्ट परिभाषा दृष्टिगोचर नहीं होती है। आचार्य गौतम के 'न्याय-सूत्र' में 'उपचार' शब्द का प्रयोग लक्षणा के पर्याय के रूप में हुआ है।^५ गौतम-सूत्र में लक्षणा के निमित्तों की चर्चा करते हुए उसके दस प्रकार माने गये हैं - सहचरण, स्थान, तादर्थ्य, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, योग, साधन तथा आधिपत्य।^६

न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीकार लक्षणा की परिभाषा देते हैं - तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर शक्यार्थ से सम्बन्ध को लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के उदाहरण में इन्होंने 'गङ्गायां घोषः' वाक्य को प्रस्तुत किया है तथा तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का बीज स्थीकार किया है।^७

^५ अविनाभावोऽत्र सम्बन्धमात्रम्, न तु नात्तरीयकत्वम्, तत्त्वे हि मञ्चः क्रोशन्तीत्यादौ लक्षणा न स्यात्, ---। (श० व्या० वि०, पृ० १२)।

^६ गुरुमतेन लक्षणा निरूपणम् -

वाच्यस्यार्थस्य वाक्यार्थे सम्बन्धानुपपत्तिः।

तस्म्बन्धवशप्राप्तस्यान्वयाल्लक्षणोच्यते॥ (संग्रह श्लोक, वा० मा०, पृ० ४६ - ५०)।

^७ तत्सिद्धिः जातिः सारूप्यं प्रशंसा भूमा लिङ्गसमवायात् ---। (मी० सू०, पृ० ३८ - ३६)।

^८ (क) तदर्थे व्यक्त्याकृतिजातिसनिधावुपचारात् संशयः। (न्या० सू०, २/२/६०)।

(ख) या शब्दसमूहत्यागपरिग्रहसंख्यावृद्धयोग्यतावर्णसमाप्तिनुबन्धानां व्यक्तावुपचाराद् व्यक्तिः। (न्या० सू०, २/२/६१)।

^९ सहचरणस्थानतादर्थवृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाऽधिपत्येभ्यो

ब्राह्मणमञ्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशकटाऽनुरुषेष्वऽतद्वावेपि तदुपचारः। (न्या० सू०, २/२/६३)।

^{१०} लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तात्पर्यानुपपत्तिः। लक्षणाशक्यसम्बन्ध इति। गङ्गायां घोष इत्यादौ गङ्गापदस्य शक्यार्थे प्रवाहरूपे

घोषस्यान्वयानुपपत्तिस्तात्पर्यानुपपत्तिर्वा यत्र प्रतिसन्धीयते तत्र लक्षणयैव तीरस्य बोधः। (न्या० सि० मु०,

शब्दप्रमाणनिरूपणम्, पृ० ४८)।

नागेशभट्ट ने नैयायिकों के अनुसार लक्षणा का विवेचन करते हुए लिखा है कि स्व से शक्य का सम्बन्ध लक्षणा है तथा वह गौणी और शुद्धा रूप से दो प्रकार की होती है। इसी प्रसङ्ग में इन्होंने तात्स्थ्यादि लक्षणा के पाँच कारणों का भी उल्लेख किया है।^१

नैयायिक लक्षणा एवं गौणी को भिन्न वृत्ति नहीं मानते जैसा कि मीमांसकों ने माना है।

३. ३ लक्षणा सम्बन्धी काव्यशास्त्रीय मत

संस्कृत काव्य-शास्त्र में शब्द शक्ति के रूप में लक्षणा की सुस्पष्ट व्याख्या ध्वनि की स्थापना के पश्चात् अर्थात् आनन्दवर्धन के परवर्ती आचार्यों के ही ग्रन्थों में उपलब्ध होती है, परन्तु इसकी मान्यता का सङ्केत पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों में भी अवश्य देखा जा सकता है, जिसे हम लक्षणा का काव्यशास्त्रीय जगत् में प्रारम्भिक रूप कह सकते हैं।

आचार्य भामह अलङ्कार सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कहे जाते हैं। इनके ग्रन्थ 'काव्यालङ्कार' में विविध अलङ्कारों का निरूपण किया गया है। आचार्य भामह ने अपने ग्रन्थ में न तो शब्द-शक्ति की पृथक् चर्चा की है न ही लक्षणा का स्वरूप निर्धारित किया है, किन्तु समासोक्ति^२, वक्रोक्ति^३ तथा पर्यायोक्ति^४ अलङ्कारों के वर्णन के माध्यम से वाच्य से भिन्न अर्थ की सत्ता में सङ्केत किया है। इससे स्पष्ट होता है कि भामह व्यञ्जना से अवश्य परिचित थे और व्यञ्जना से परिचित होना ही इस तथ्य को पुष्ट करता है कि भामह को लक्षणा भी अवश्य ज्ञात थी।

काव्यशास्त्रियों में दण्डी ने भी शब्दशक्तिविषयक चर्चा पृथक् रूप से नहीं की है किन्तु 'काव्यादर्श' में इन्होंने 'समाधि' नामक गुण का वर्णन करते हुए लिखा है कि दूसरे के धर्म का दूसरे में व्यवहार करना समाधि नामक गुण है।^५ 'काव्यादर्श' के टीकाकार श्री प्रेमचन्द्रतर्कवागीशभट्टाचार्य का स्पष्ट मन्त्रव्य है कि समाधि गुण में 'उपचार' रहता है

^१ (क) ननु लक्षणा कः पदार्थः इति चेत्, अत्र तार्किकाः स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा। सा च द्विधा गौणी शुद्धा च। (प० ल० म०, पृ० ४५)।

(ख) तात्स्थ्यात्तथैव ताद्वर्म्यात्तसामीप्यात्तथैव च

तत्साहचर्यात्तादर्थाज् ज्ञेया वै लक्षणा बुधैः। (प० ल० म०, पृ० ४८)।

^२ यत्रोक्ते गम्यतेऽन्योऽर्थस्तसमानविशेषणः:

सा समासोक्तिरुद्दिदप्ता संक्षिप्तार्थतया यथा॥ (भा० काव्या०, २/७६, पृ० ६०)।

^३ समानवस्तुन्यासेन प्रतिवस्तूपमोच्यते

यथेवानभिधानेऽपि गुणसाम्यप्रतीतिः॥ (भा० काव्या०, २/३४, पृ० ४३)।

^४ पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । (भा० काव्या०, ३/८, पृ० ७०)।

^५ अन्यधर्मस्ततोऽन्यत्र लोकसीमानुरोधिना

सम्यगाधीयते तत्र स समाधिः स्मृतो यथा॥ (काव्यादर्श, १/६३, पृ० ६६)।

और 'उपचार' ही लक्षणा का मूल है अतः स्पष्ट है कि समाधि गुण में लक्षणा होती है। प्रेमचन्द्रतर्कवागीश इस स्थल पर साध्यवसान गौणी लक्षणा मानते हैं¹

आचार्य उद्घट ने 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह' नामक ग्रन्थ तथा 'भामहविवरण' नाम से भामहकृत 'काव्यालङ्कार' पर टीका लिखी है। यह टीका वर्तमान समय में अनुपलब्ध है। अभिनवगुप्त की लोचन टीका से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि उद्घट ने अपने ग्रन्थ में कहीं शब्दशक्तियों की चर्चा नहीं की है तथापि वे अभिधा, लक्षणा आदि से परिचित अवश्य थे² व्यनि का अन्तर्भाव भक्ति अथवा लक्षणा में करने की पूर्वपक्षीय सम्भावना को आनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ में प्रस्तुत किया है। इसी खण्ड की व्याख्या में अभिनवगुप्त ने भामह, वामन इत्यादि को भी उल्लिखित किया है। भामह ने काव्य के हेतुओं की गणना करते हुए यह लिखा था कि शब्द, छन्द, अभिधान, इतिहासाश्रित कथा, लोकयुक्ति एवं कला ये काव्य के हेतु होते हैं। भामह की इस कारिका में कथित शब्द और अभिधान की व्याख्या करते हुए उद्घट लिखते हैं कि अभिधान का अर्थ है - शब्दों का अभिधा व्यापार। वह दो प्रकार का होता है - मुख्य एवं गुणवृत्ति। इससे स्पष्ट है कि उद्घट लक्षणा से भली-भौति परिचित थे। 'काव्यालङ्कारसंग्रह' के टीकाकार प्रतीढारेन्दुराज के अनुसार गुणवृत्ति लक्षणा ही है। जब अभिधाव्यापार से विरुद्ध अर्थ का अभिधान करने वाले समानविभक्तियुक्त शब्दों का अभेद अर्थात् समन्वय नहीं हो पाता तब इनमें से एक को लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है अतः उसे गुणवृत्ति कहा जाता है³

उद्घट का रूपक अलङ्कार-वर्णन भी लक्षणा की ही उपादेयता सिद्ध करता है। इनके अनुसार जहाँ अभिधाशक्ति से प्राप्त अर्थों का सम्बन्ध उपपत्र न हो सकने के कारण गुणवृत्ति पद का प्रधानपद से योग हो वहाँ रूपक अलङ्कार होता है। गुणवृत्ति पद का अभिप्राय यहाँ गुणबोधक पद से है⁴ अभिधा से प्राप्त दो भिन्न अर्थों का

¹ यत्र वाक्यार्थे सम्यगाधीयते गौणशब्दप्रयोगेण साध्यवसानगौण्या लक्षणया उपचर्यते स वाक्यार्थः समाधिः- - - - ।

उपचारश्चात्राहार्यभेदप्रतीतिरूपः स च लक्षणायां प्रयोजनभूतः- - - - लक्षणा चात्र साध्यवसानरूपा सा च विषयस्यानुपादान एव सम्भवति तेन च विषयोपादाने सारोपगौण्यां न समाधेः सम्भवः। (काव्यादर्श, सटीक, पृ० ८४) प्रेमचन्द्रतर्कवागीश भट्टाचार्य।

² भामहेनोक्तम् - 'शब्दाश्छन्दोऽभिधानार्थाः' इति। अभिधानस्य शब्दादभेदं व्याख्यातुं भट्टोद्घटोबभाषे - शब्दानामभिधानमभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च इति। वामनोऽपि सादृश्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः' इति । (ध्व० ल००, प्र० उ०, पृ० ५२)।

³ विरुद्धार्थाभिधायिनोः समानाधिकरणयोः शब्दयोनिरन्तरार्थनिष्ठेन अभिधाव्यापारेण अनुपपद्यमानोन्यान्यसमन्वयत्वाद्येकस्य लक्षणया गुणवृत्तित्वमधीयते। (काव्या० ल० वृ०, पृ० २७०)।

⁴ श्रुता सम्बन्धविरहाद्यत्पदेन पदान्तरम् गुणवृत्ति प्रधानेन युज्यते रूपकं तु तत् । (काव्या० सा० सं०, पृ० ७)।

अभेद सम्बन्ध सम्भव नहीं हो सकता जबकि रूपक दो पदार्थों के अभेद सम्बन्ध को ही कहते हैं। ऐसी दशा में अभिधा से अनुपपत्र अभेद सम्बन्ध के लिए लक्षणा का आश्रय लेना ही पड़ेगा।

आलङ्गरिकों में आचार्य वामन ने अपने ग्रन्थ के प्रथम सूत्र की व्याख्या के सन्दर्भ में ‘भक्ति’ शब्द का प्रयोग किया है जो कि लक्षणा अथवा ‘उपचार’ के लिए ही प्रयुक्त है। वामन यह स्वीकार करते हैं कि लक्षणा की प्रवृत्ति अनेक निमित्तों से होती इनमें सादृश्य निमित्त के कारण होने वाली लक्षणा के स्थल में वक्रोक्ति अलङ्गर होता है।^१ वामन ने सादृश्यमूलक तथा सामीप्यमूलक लक्षणा की सोदाहरण व्याख्या भी की है। इससे स्पष्ट है कि वामन लक्षणा में विभिन्न प्रयोजक हेतुओं को मानते थे।^२

आचार्य आनन्दवर्धन के ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य धनि ही है, किन्तु प्रसङ्गवश उसमें इन्होंने अभिधा, लक्षणा की भी चर्चा की है। ध्वन्यातोक के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आनन्दवर्धन के पूर्व भी लक्षणा सुस्थापित हो चुकी थी।^३

आनन्दवर्धन ने शाब्द व्यवहार के तीन प्रकार माने हैं - वाचकत्व, गुणवृत्ति तथा व्यञ्जकत्व।^४ इनके अनुसार मुख्यावृत्ति अर्थात् अभिधा केवल मुख्यार्थ का ही बोध करा सकती है। उसके अनुपपत्र होने पर जिस द्वितीय वृत्ति का आश्रय लिया जाता है वही गुणवृत्ति है जो कि अभिधा के आश्रित ही रहती है।^५ लक्षणा के लिए इन्होंने कहीं ‘भक्ति’ तो कहीं ‘गुणवृत्ति’ शब्द का प्रयोग किया है। इनमें भी ‘गुणवृत्ति’ ही बहुलता से प्रयुक्त हुआ है।

आनन्दवर्धन ने ‘भक्ति’ की परिभाषा दी है - ‘उपचारमात्रं तु भक्तिः’।^६ लोचनकार ने इसे और अधिक स्पष्ट किया है कि ‘उपचार’ गुणवृत्ति अर्थात् लक्षणा को कहते हैं।^७ स्पष्ट है कि ‘गुणवृत्ति’ और ‘भक्ति’ लक्षणा ही है।

^१ काव्यशब्दोऽयं गुणाऽलङ्गारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते। भक्त्या तु शब्दार्थमात्रवचनोऽत्र गृह्णते। (काव्या० सू०, १ / १ / १ की वृत्ति, पृ० ४)।

^२ बहूनि हि निबन्धनानि लक्षणायाम्। तत्र सादृश्यात्तलक्षणा वक्रोक्तिरिति। (काव्या० सू०, ४ / ३, पृ० १७२)।

^३ उन्मील कमलं सरसीनां कैरवं च निमील मुहूर्तात्। अत्र नेत्रधर्मावुन्मीलननिमीलने सादृश्याद्विकाससङ्क्लेचौ लक्ष्यतः।

असादृश्यनिबन्धना तु लक्षणा न वक्रोक्तिः यथा -

‘जरठकमलकद्धेदगौरमूर्खैः’

अत्रच्छेदः सामीप्याद् द्रव्यं लक्षयति, तस्यैव गौरत्वोपपत्तेः॥ (काव्या० सू०, ४/३, पृ० १७२ - १७३)।

^४ भाक्तमाहुस्तमन्ये। अन्ये तं ध्वनिसङ्गितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः। (ध०, प्र० उ०, पृ० ४५)।

^५ तदेवं शाब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाराः वाचकत्वं गुणवृत्तिर्व्यञ्जकत्वं च। (ध०, तृ० उ०, पृ० ३२४)।

^६ मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थदर्शनम्। (ध०, प्र० उ०, पृ० २७६)।

^७ वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यञ्जिता। (ध०, प्र० उ०, पृ० २८१)।

^८ भक्त्या विभर्ति नैकत्वं रूपभेदादयं धनि:। (ध०, प्र० उ०, पृ० २६२)।

^९ ध०, प्र० उ०, पृ० २६२।

आचार्य मुकुलभट्ट एवं मम्मट ने लक्षणा के जिन तीन हेतुओं को स्वीकारा हैं उसका कथन 'धन्यालोक' में भी किया गया है। यद्यपि उनकी उस प्रकार से स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है जैसे मुकुलभट्ट, मम्मट इत्यादि ने की है।

लक्षणा के तीन हेतु हैं मुख्यार्थबाध, सम्बन्ध तथा प्रयोजन अथवा रूढि में से किसी एक का होना। 'धन्यालोक' की एक कारिका में मुख्यार्थबाध तथा प्रयोजन रूप हेतु का उल्लेख है -

मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थदर्शनम्
यदुद्दिदश्य फलं तत्र शब्दो नैव स्खलद्गतिः॥ ध०, १/१७ ।

इसके अतिरिक्त 'रूढि' से होने वाली लक्षणा की भी चर्चा की गई है^३

आचार्य अभिनवगुप्त ने तो 'भक्ति' का अर्थ तीन प्रकार से करते हुए तीनों हेतुओं को स्पष्ट कर दिया है^४ अन्ततः इन हेतुओं को 'उपचार' का बीज कहा है^५

३. ४ मुकुलभट्ट के अनुसार लक्षणावृत्ति विवेचन

मुकुलभट्ट के अनुसार मुख्य अर्थ के पश्चात् बोधित होने वाले सभी अर्थ लाक्षणिक हैं। उसका बोध लाक्षणिक व्यापार से होता है, जो कि अभिधा का ही भेद है। लक्ष्यार्थ का ज्ञान मुख्यार्थ की पर्यालोचना से ही होता है। इसकी परिभाषा इन्होंने दी है-

अर्थावसेयस्य पुनर्लक्ष्यमाणत्वमुच्यते^६

'गौरनुबन्धः' उदाहरण में व्यक्ति रूप अर्थ जाति रूप मुख्यार्थ के आश्रय से आक्षिप्त होने के कारण लाक्षणिक अर्थ है^७ मुख्य अर्थ के व्यवधान से युक्त होने के कारण ही इस अर्थ को 'सान्तरार्थनिष्ठ' भी कहा जाता है।

^६ उपचारो गुणवृत्तिलक्षणा। उपचरणमतिशयितो व्यवहार इत्यर्थः। (ध०, प्र० उ०, पृ० २६३)।

^७ रुढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दः स्वविषयादपि

लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः। (ध०, १/१६, पृ० २७७)।

^८ (क) मुख्यस्य चार्थस्य भज्ञे भक्तिः। (ध० ल००, प्र० उ०, पृ० ४६)।

(ख) भज्यते सेव्यते पदार्थेन प्रसिद्धतयोत्प्रेक्ष्यते इति भक्तिधर्मोऽभिषेयेन सामीप्यादिः। (ध० ल००, प्र० उ०, पृ० ४८)।

(ग) गुणसमुदायवृत्तेः शब्दस्यार्थागस्तैष्यादिर्भक्तिः। (ध० ल००, प्र० उ०, पृ० ४८)।

^९ एवं मुख्यार्थबाधानिभित्तप्रयोजनमितित्रयसद्भाव उपचारबीजमित्युक्तं भवति। (ध० ल००, प्र० उ०, पृ० ४८)।

^{१०} अ० वृ० मा०, पृ० २।

^{११} जातिस्तु व्यक्तिमत्तरेण यागसाधनभावं न प्रतिपद्यते इति शब्दप्रत्यायितजातिसामर्थ्यादत्र जातेराश्रयभूता व्यक्तिराक्षिप्यते। तेनासौ लाक्षणिकी। (अ० वृ० मा०, पृ० २ - ३)

मुकुलभट्ट ने ‘गौरनुबन्धः’ में ‘व्यक्ति रूप’ अर्थ को लाक्षणिक कहा है। यहाँ इनका विचार पूर्णरूपेण मीमांसकों के अनुरूप हो गया है। अन्तर इतना है कि मीमांसक केवल ‘जाति’ को ही शब्द का प्रथम अर्थ मानते हैं और मुकुलभट्ट ने जाति, गुणादि चार प्रकार के मुख्यार्थ माने हैं।

जाति से व्यक्ति के ज्ञान के विषय में मीमांसकों में भी परस्पर भिन्न-भिन्न मत पाए जाते हैं। भाट्ट मीमांसक व्यक्ति का ज्ञान आक्षेप से मानते हैं। ‘शक्तिवाद’ नामक ग्रन्थ में आक्षेप का अर्थ ‘अनुमान’ अथवा ‘अर्थापत्ति’ दिया गया है^१ कुमारिलभट्ट ने ‘तत्रवार्तिक’ में स्पष्ट रूप से व्यक्तिरूप अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा है^२ श्रीकर ने जाति से व्यक्ति का बोध उपादान से माना है^३ मण्डनमिश्र के अनुसार ‘लक्षणा’ से ‘व्यक्ति’ रूप अर्थ की प्रतीति होती है। ‘गौरस्ति’ ‘गौरनास्ति’ इत्यादि प्रयोगों में वक्ता का अभिप्राय व्यक्ति के अस्तित्व, नास्तित्व से है। जाति तो नित्य है^४

मीमांसकों में प्रभाकरमिश्र का मत सबसे भिन्न है। इनकी मान्यता है कि जाति से व्यक्ति का स्मरण होने से व्यक्ति का बोध हो जाता है। पद के श्रवणान्तर ही जाति तथा व्यक्ति के सम्बन्धज्ञान का स्मरण हो जाता है^५

मीमांसकों के उपर्युक्त मतों में मुकुलभट्ट का मत कुमारिलभट्ट एवं मण्डनमिश्र के मत से ही साम्य रखता है।

३. ४. ९ लक्ष्यार्थ की सापेक्षता -

किसी भी शब्द से अर्थ की प्रतीति तभी सम्भव है जबकि उसका अर्थ के साथ निश्चित सम्बन्ध गृहीत हो। शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है उसके साथ शब्द का निश्चित सम्बन्ध होता है^६ सम्बन्ध का तात्पर्य यहाँ सङ्केत से है। सङ्केत गृहीत होने से ही ‘गङ्गायां घोषः’ में ‘गङ्गा’ शब्द के मुख्यार्थ ‘प्रवाह’ का बोध होता है। सम्बन्ध निर्धारण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम वक्ता द्वारा उच्चरित अखण्डवाक्य तथा वाक्यार्थ के मध्य कार्यकारणभाव का निश्चय होता है।

^१ अथ भाट्टः - पदात्र व्यक्तेः स्मरणमनुभवो वा किंत्वाक्षेपादेव व्यक्तिधी; आक्षेपिका च जातिरेव।

आक्षेपश्चानुमानमर्थापत्तिर्वा। (शक्तिवाद, पृ० २०७)।

^२ तत्र यथैवाऽऽकृतिवचनः शब्दस्तस्त्वचरितां व्यक्तिं लक्षयति। (मी० द० (२), १/४/२२ पर तं० वा०, पृ० ३९४)।

^३ “ - - - जातिवाचकपदाज्जातिबोधः शाब्दो व्यक्तिबोधस्त्वौपादानिक एवेति श्रीकरमतम् - - ”। (शक्तिवाद, पृ० २७७)।

^४ जातेरस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिद् विवक्षति।

नित्यत्वाल्लक्षणीयाया व्यक्तेस्ते हि विशेषणे॥ (मण्डनमिश्र)।

^५ प्रभाकरास्तु जातिज्ञानादेव जातिप्रकारेण व्यक्तेः स्मरणं शाब्दबोधश्च न तु निर्विकल्पकरूपं जातिस्मरणं निर्विकल्पकानभ्युपगमात्। (शक्तिवाद, पृ० २७६)।

^६ मुख्यार्थं शब्दस्य सम्बन्धावधारणात् प्रतिपादकत्वमुपपद्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० २४)।

तदनन्तर शनैः शनैः एक से अधिक बार उच्चारण से अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पृथक्-पृथक् शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। इस प्रकार शब्द एवं अर्थ के मध्य कार्यकारणभाव का निर्धारण होता है^१

मुख्य अर्थ का तो शब्द से सम्बन्ध होता है किन्तु लाक्षणिक अर्थ का उससे इस प्रकार का साक्षात् सम्बन्ध नहीं होता। लाक्षणिक अर्थ का भी शब्द से सीधा सम्बन्ध होने की दशा में वह भी 'मुख्यार्थ' ही कहा जाता लाक्षणिक नहीं^२ इस स्थिति में यह समस्या उपस्थित होती है कि लक्ष्यमाण अर्थ की प्रतीति कैसे होगी? इस समस्या का समाधान मुकुलभट्ट ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है -

शब्द के मुख्य अर्थ के साथ लाक्षणिक अर्थ का सम्बन्ध होता है जिसके माध्यम से शब्द द्वारा ही उसकी प्रतीति हो जाती है। किन्तु यह प्रतीति निरपेक्ष रूप से नहीं होती क्योंकि ऐसा होने पर सदा ही लक्ष्यमाण अर्थ की प्रतीति होती। यद्यपि लक्ष्य अर्थ का ज्ञान भी अभिधा शक्ति से ही होता है किन्तु मुख्य अर्थ की भाँति शब्द स्वतन्त्र रूप से लक्ष्यार्थ के प्रतिपादक नहीं होते अपितु इनके प्रतिपादन में इन्हें कठिपय कारण सामग्रियों की अपेक्षा होती है^३ ये कारण तीन हैं - वक्ता, वाक्य तथा वाच्य। इन तीनों के समस्त तथा व्यस्त रूप से दो-दो भेद होते हैं^४ समस्त का अर्थ है किसी एक का अन्य दोनों के साथ रहना तथा व्यस्त का तात्पर्य है इनका एकाकी रहना। इन्हीं अर्थों की सहायता से लक्ष्यार्थ का बोध होता है^५

इससे यह स्पष्ट हो गया कि वक्ता आदि की अपेक्षा से तथा मुख्यार्थ-ज्ञान के पश्चात् लक्ष्यमाण अर्थ का ज्ञान होता है। इसी सन्दर्भ में मुकुलभट्ट ने शबरस्वामी का मत उद्धृत किया है। शबरस्वामी के अनुसार भी अन्य शब्द का अन्य अर्थ में प्रयोग अपने मुख्य अर्थ के अभिधान के माध्यम से ही होता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने लक्षणा को

^१ सम्बन्धावधारणसमये व्यवहृत्योस्तावत् शब्दप्रयोगार्थप्रतिपत्त्योरविभक्तोद्देशवाक्यवाक्यार्थनिष्ठतया पूर्व हेतुफलभावावसायो भवति। तदनन्तरं च त्रिचतुरादिदर्शनेभ्योऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां वाक्यवाक्यार्थोद्देशप्रविभागगते ये शब्दप्रयोगार्थप्रतिपत्तीं तन्निष्ठकार्यकारणभावावधारणम्। तदुत्तरकालं च व्यवहृत्यार्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या शब्दार्थसम्बन्धावगतिः। (अ० वृ० मा०, पृ० २४)

^२ न हि लाक्षणिकेनार्थेन सह शब्दस्य सम्बन्धः। मुख्येनैवार्थेन परिदृश्यते। तथाभावे हि सति तस्य मुख्यत्वमेव स्यात् लाक्षणिकत्वम् (अ० वृ० मा०, पृ० २४)

^३ अथ शब्दस्य मुख्यो योऽसावर्थस्तेन सह सम्बन्धो लक्ष्यमाणस्यार्थस्य दृष्ट इति तद्द्वारेण शब्दात् तस्यावगतिरित्यभिधीयते एवं सति यदि निरपेक्षः स्वार्थप्रतिपादनद्वारेण लक्ष्यमाणमर्थमवगमयति तदा सर्वदा तमर्थमवगयेत् अथ सापेक्षः - - -। (अ० वृ० मा०, पृ० २४)

^४ वक्तुर्वाक्यस्य वाच्यस्य रूपभेदावधारणात्। लक्षणा षट्प्रकारैषा विवेक्तव्या मनीषिणिः॥। (अ० वृ० मा०, पृ० २४)

^५ एतेषां त्रयाणां वत्रादीनां व्यस्तसमस्तभेदभिन्नानां देशकालावस्थावैलक्षण्यगतसमस्तव्यस्तभेदसंयोजितानां यः स्वभावभेदप्रपञ्चः तत एषा षट्प्रकारा लक्षणा परामर्शकुशलैर्विवेचनीया। (अ० वृ० मा०, पृ० २४ - २५)

‘लौकिकी’ भी कहा है। ‘लोक में विदित होना’ ही ‘लौकिकी’ का अर्थ है। इसका तात्पर्य है कि शब्द से अर्थ का ग्रहण व्यवहारवेद्य ही होता है।^१

वक्ता, वाक्य एवं वाच्य रूप तीन प्रकार के सम्बन्धों में वक्ता का अर्थ है वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के बोधन हेतु वाक्य का उच्चारण करता है^२ वक्ता के आधार पर होने वाले लाक्षणिक अर्थ के लिए मुकुलभट्ट ने उदाहरण दिया है-

दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मद्गृहे दास्यसि

प्रायो नैष शिशोः पिताऽस्यविरसाः कौपीरपः पास्यति।

एकाकिन्यपि यामि तद् वरमितः स्रोतस्तमालाकुलं

नीरञ्चा वपुरालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः।^३

यह कथन एक व्यभिचारिणी स्त्री का है जो परपुरुषगमनार्थ सङ्केतस्थल पर जा रही है तथा भावी संभोग चिह्नों को नलगाँठों की सम्भावना से छिपा रही है। यहाँ वक्त्री के कथन में अपह्रव है। उसका कथन अलीक अर्थात् असत्य है। यह असत्य उक्ति ही मुख्यार्थ है, किन्तु इसकी असत्यता का भान श्रोता को तभी होता है जब उसे यह ज्ञात रहता है कि वक्त्री स्त्री व्यभिचारिणी है और इस असत्य रूप मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए भावी रत्नगोपन रूप सत्य अर्थ का आक्षेप कर लिया जाता है। यही लक्ष्यार्थ है। यहाँ लक्ष्यार्थ का बोध ‘वक्ता’ की सापेक्षता से हुआ है। यहाँ उपादान लक्षणा है। इस लक्ष्यार्थ बोधन में ‘वाक्य’ तथा ‘वाच्य’ का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि यदि यह किसी साध्वी का

^१ यदुक्तमाचार्यशबरस्वामिना कथं पुनः परशब्दः परत्र वर्तते। स्वार्थाभिधानेनेति द्वूमः इति अत्र हि स्वार्थद्वारेण लक्ष्माणार्थाभिनिवेशिता शब्दानामुक्ता। पुनश्चासावेवाह ‘लक्षणापि हि लौकिक्येवे’ ति। अत्र हि सम्बन्धावधारणसापेक्षाणां शब्दानां लक्ष्यमाणेऽर्थे प्रवृत्तिरुक्ता। व्यवहारोपारूढानि हि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि लोकशब्देनाभिधीयन्ते। लोक एव विदिता लौकिकी व्यवहारावगम्या परिगृहीतसंबन्धशब्दनिष्ठेत्यर्थः। (अ० वृ० मा०, पृ० २५)।

^२ यः परप्रतिपत्तये वाक्यमुच्चारयति स वक्ता। (अ० वृ० मा०, पृ० २४)।

^३ अ० वृ० मा०, पृ० ३९।

वक्तृत्व होता तब इस प्रकार के अर्थ के आक्षेप की आवश्यकता ही न होती अर्थात् यहाँ लक्षणा का प्रसङ्ग ही नहीं होता।^१

‘वाक्य’ की सापेक्षता से लक्ष्यार्थ-ज्ञान में ‘वाक्य’ कहते हैं साकाङ्क्ष पदों के एकार्थक प्रयोग को^२ वाक्यगत विशिष्टता के आधार पर प्रतीत होने वाले लाक्षणिक अर्थ के लिए मुकुलभट्ट ने जो पद्य उद्धृत किया है वह एक चाटु उक्ति है। इसमें किसी राजा की स्तुति की गई है -

प्राप्तश्रीरेष कस्मात् पुनरपि मयि तं मन्थखेदं विदध्या-

निद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नैव सम्भावयामि।

सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात-

स्त्वय्यायाते वितर्कनिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधे:॥३॥

इस पद्य में जिस राजा की स्तुति है उसकी विशाल सेना से असामान्य स्थिति वाले समुद्र का कम्पन अतिशयोक्ति द्वारा वर्णित किया गया है। उस कम्पन का कारण है वितर्क, जिसमें ‘उच्चेश्वा’ की गई हैं।^४

चेतनव्यक्तियों में वितर्क करते समय संशय के कारण सिर हिलाने की जो क्रिया होती है उसकी समानता के आधार पर समुद्र के कम्पन में वितर्क की सम्भावना की गई है। कम्पन युक्त वस्तु के सादृश्य के कारण समुद्र में कम्पन का जो अध्यवसान है वह गौण उपचार है।^५

^१ अत्र हि परपुरुषसंभोगानुभवेच्छया सङ्केतस्थानं युवतिर्वजन्ती स्वप्रवृत्तिप्रयोजनं विशिष्टसङ्केतस्थानाधारं परपुरुषसंभोगात्मकं तथा संभोगचिह्नानि नखदशनक्षतानि गात्रसंलभतया शङ्खमानाविभवाणि यथाक्रमं भर्तृपृष्ठासानिवृत्तिक्षमनादेयसरसपानीयानयनेन चिरच्छन्नलग्रन्थिपरुषजर्जरप्रान्तजनयिष्यमाणेन च गात्रगतविकारविशेषोद्गमेनापहुत्याभिधत्ते। सा चात्रापहुतिरसाध्या वक्तृत्वं पर्यालोच्यावगम्यते। अपह्वस्य चालीकवस्त्वभिधानात्मकत्वादलीकस्य च सत्यार्थविपर्यासकारित्वादलीकेनर्थेन त्वसत्योक्तः स्वसिद्ध्यर्थवेनाक्षिप्यते। तेनात्र वक्तृविशेषपर्यालोचनया सन्तार्थे निष्ठाया उपादानात्मिकाया लक्षणायाः प्रतिपत्तिः। न ह्यत्र वाक्यवाच्ययोः सामर्थ्यम्। साध्या वक्तृत्वे सति तयोरेवविद्यार्थक्षेपासमर्थत्वात्। (अ० वृ० मा०, पृ० ३९-३२)।

^२ साकाङ्क्षणां पदानामेकार्थः समूहो वाक्यम्। (अ० वृ० मा०, पृ० २४)।

^३ अ० वृ० मा०, पृ० ३३।

^४ अत्र हि चाटुश्लोकेनोपश्लोकयते यो नृपतिस्तदीयबलभरक्षेप्यमाणस्वावस्थस्य समुद्रस्य यः कम्पः अतिशयोक्त्योपवर्णितः तस्य समुद्रकर्तृकवितर्कधारणहेतुकत्वमत्रोद्येक्षितम् इति वितर्कान् दधत इवे' ति। (अ० वृ० मा०, पृ० ३३)।

^५ अतोऽत्र यदेतद् बलभराक्रान्तत्वेन समुद्रस्याकम्पमानस्यापि कम्पमानार्थसादृश्यात् कम्पमानत्वमध्यवसितं त्राध्यवसानर्गर्भगौणोपचारः। (अ० वृ० मा०, पृ० ३३)।

चेतन एवं अचेतनगत भिन्न-भिन्न कम्पनों में अभिन्नता होने के कारण इस स्थल पर भेद में अभेदरूपा अतिशयोक्ति है। इसी अतिशयोक्ति को अन्तर्निहित करके यहाँ उत्थेक्षा हुई है।^१ उत्थेक्षा अतिशयोक्ति से गर्भित रहती है इसके समर्थन में मुकुलभट्ट ने उद्घट का उत्थेक्षा-लक्षण भी प्रस्तुत किया है।^२

इस उदाहरण में राजा पर भगवान् विष्णु के स्वरूप का अध्यवसान किया गया है, यही लक्ष्यार्थ है। यहाँ लक्षण उपादानात्मिका है। वाक्य के रूप की पर्यालोचना से ही यहाँ लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो रही है। अतः लक्षण वाक्यनिबन्धना है।^३

‘वाच्य’ के सामर्थ्य से भी कहीं-कहीं लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। मुख्य अथवा लाक्षणिक व्यापार के द्वारा शब्द से जो अर्थ प्रकट होता है उसे ही मुकुलभट्ट ने ‘वाच्य’ कहा है।^४ इसका उदाहरण है -

दुर्वारा मदनेष्वो दिशि दिशि व्याजृम्भते माधवो-

हृद्युन्मादकराः शशाङ्करुचयश्चेतोहराः कोकिलाः।

उत्तुङ्गस्तनभारदुर्धरमिदं प्रत्यग्रमन्यद् वयः।

सोढव्याः सखि साम्प्रतं कथममी पञ्चाम्नयो दुःसहाः॥५॥

इस पद्य में कामदेव के बाण, वसन्त तथा चन्द्रकिरणों इत्यादि पर अभिन्नता का आरोप किया गया है। इनकी असह्यता ही वाच्यार्थ है। इसी वाच्यार्थ की पर्यालोचना से विप्रलम्भ शृङ्गर का आक्षेप किया गया है। यहाँ विप्रलम्भ शृङ्गर लक्ष्यार्थ है। उसकी प्रतीति उपादान लक्षण से हो रही है। इस प्रकार इस उदाहरण में वाच्यमूला लक्षण है।^६

^१ विकल्पवशाद् यश्चेतनानां मूर्धकम्पो बाहुल्येन परिदृश्यते चेतनगतसंशयहेतुकमूर्धकम्पसादृश्यात् तद्भावोऽस्य कम्पस्योपचर्यते - - -। इयमपि च विभिन्नयोरपि कम्पयोरभेदेनाध्यवसानात् भेदेष्यभेद इत्येवात्मिकातिशयोक्तिः। (अ० वृ० मा०, पृ० ३३-३४)।

^२ तदुक्तमुत्थेक्षा लक्षणे -

साम्प्रतपविवक्षायां वाच्ये वाच्यात्मभिः पदैः:

अतद्गुणक्रियायोगदुत्थेक्षातिशयाच्चित्ता॥। (अ० वृ० मा०, पृ० ३४)।

उत्थेक्षा का यह लक्षण पाठ-भेद के साथ उद्घट के ग्रन्थ में मिलता है।

^३ प्राप्तश्रीरित्यादिषु तु त्रिषु वितर्केषु भगवद्वासुदेवविषयेषु यथायोगं तत्त्वार्थानिराकरणहेतुगर्भतया प्रवर्त्तमानेषु नृपतेर्भगवद्वासुदेवताऽक्षिप्तात्। तेनात्रोपादानात्मिका लक्षणा। भगवद्वासुदेवरूपतया चात्र नृपतेरध्यवसानादध्यवसानगर्भो गौण उपचारः। एतच्चात्र सर्ववाक्योपात्तपदसमन्वयान्यथानुपत्यावगम्यत इति वाक्यनिबन्धनात्र लक्षणा। (अ० वृ० मा०, पृ० ३४)।

^४ शब्देन मुख्यं लाक्षणिकं वाभिशाब्यापारमाश्रित्य यद् गोचरीक्रियते तद् वाच्यम्। (अ० वृ० मा०, पृ० २४)।

^५ अ० वृ० मा०, पृ० ३७।

^६ अत्र हि स्मरश्चरप्रभृतीनां पञ्चानामध्यारोपितवह्निभावानामसह्यत्वं वाक्यार्थीभूतम् अतस्तस्य वाच्यता। तात्पर्यालोचनसामर्थ्याच्च विप्रलम्भशृङ्गरस्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षण वाच्यनिबन्धना। (अ० वृ० मा०, पृ० ३७)।

यहाँ शब्दों की उपेक्षा करके वक्ता के स्वभाव का परिशीलन नहीं किया गया है अतः लक्षणा वक्ता की सापेक्षता से नहीं है। न ही इस स्थल पर वाक्य में पदों का अन्वय विप्रलम्भ शृङ्खर के आक्षेप के अनन्तर होता है। अतः वाक्यमूला लक्षणा भी नहीं है। केवल वाच्यार्थ के स्वरूप ज्ञान के अनन्तर ही लक्षणा हो रही है। विप्रलम्भ शृङ्खर यद्यपि यहाँ आक्षेपलभ्य हैं तथापि प्रधानता वाच्य की अपेक्षा उसकी ही है क्योंकि उसमें सहदयहृदयाहृदकता है¹

इस प्रकार वक्ता, वाक्य एवं वाच्य के आधार पर होने वाली लक्षणा में एक का अन्य दो के साथ संयोजन होने पर तीन और स्थितियाँ हो सकती हैं तथा तीनों को एक साथ संयोजित करने पर एक अन्य भेद बना जाता है²

३. ४. २ लक्षणा के हेतु -

मुख्यार्थ के पश्चात् लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु होने वाली प्रवृत्ति के लिए मुकुलभट्ट ने तीन कारण माने हैं - मुख्यार्थ का असम्भव होना, मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ की आसत्ति तथा रुढ़ि अथवा प्रयोजन।³

इनमें मुख्यार्थ के असम्भव होने का तात्पर्य है अन्य प्रमाणों से मुख्यार्थ के बाधित होने के कारण उसका अपनाया जाना सम्भव न होना।⁴ दूसरा कारण है लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ किसी न किसी सम्बन्ध से सम्बन्धित होना। सम्बन्धों को आचार्य भर्तृमित्र ने पाँच प्रकार का माना है - अभिधेय से सम्बन्ध, सादृश्य सम्बन्ध, समवाय सम्बन्ध, वैपरीत्य तथा क्रियायोग सम्बन्ध।⁵

सम्बन्ध रूप सम्बन्ध के उदाहरण में मुकुलभट्ट ने 'गङ्गायां घोषः' उदाहरण प्रस्तुत किया है तथा इसे समीपसमीपभावात्मक माना है। यहाँ 'गङ्गा' शब्द का मुख्यार्थ जलप्रवाह बाधित है अतः वह लक्षणा द्वारा जलप्रवाह से सामीप्य सम्बन्ध से सम्बद्ध तट रूप अर्थ का बोध करता है। यहाँ लक्षणा का प्रयोजन है एकमात्र गङ्गा रूप अर्थ में

¹ नहात्र वक्तृस्वभावपरिशीलनस्य शब्दरहितस्योपयोगः नापि च वाक्ये पदानां विप्रलम्भशृङ्खराक्षेपमन्तरेणान्वयोपपत्तिः। वाच्यस्वरूपविचारेण तत्र विप्रलम्भशृङ्खराक्षेपादुपादानात्मिका लक्षणा वाच्यनिबन्धना। विप्रलम्भशृङ्खरस्य चाक्षिप्यमाणस्यापि वाच्यापेक्षया प्राधान्यम्, सहदयहृदयाहृदहेतुतया प्राधान्येनाक्षेपात्। (अ० वृ० मा०, पृ० ३७ - ३८)।

² एवं वक्तृवाक्यवाच्यानामेकैकसमाश्रयेण ये त्रयो भेदा भवन्ति ते तावदुदाहृताः। अन्येऽपि च ये वक्तारं वाक्यवाच्ययोरन्यतरेणसंयुज्य तथा वाक्यं वाच्येन सह समुच्चित्य द्विकभेदास्त्रयः तथा तत्त्विकभेदाश्च वक्तृवाक्यवाच्यानां त्रयाणामपि परस्परसंयोजनया वैक इत्येवं चत्वारो भेदा दृश्यन्ते ते स्वबुद्ध्या षट्प्रकारलक्षणाविषयत्वेन मनीषिभिरुदाहार्याः। (अ० वृ० मा०, पृ० ४०-४१)।

³ मुख्यार्थासम्भवात् सेयं मुख्यार्थासत्तिहेतुका रुढ़ेः प्रयोजनाद् वापि व्यवहारे विलोक्यते॥ (अ० वृ० मा०, पृ० ५०)।

⁴ मुख्यास्यार्थस्य प्रमाणान्तरबाधितत्वेनासम्भवात्। (अ० वृ० मा०, पृ० ५०)।

रहने वाले तथा 'तट' शब्द से अविदित पुण्यत्व और मनोहारित्व रूप धर्मविशेष का प्रतिपादन करना जिसकी प्रतीति 'तट' शब्द से कदापि नहीं हो सकती थी। 'तट' शब्द का प्रयोग करने पर 'अव्याप्ति' और अतिव्याप्ति दोष हो जाएँगे^३। इसका तात्पर्य यही है कि 'गङ्गायां घोषः' की अपेक्षा 'गङ्गातटे घोषः' प्रयोग करने पर तट में पुण्यत्वादि का ज्ञान न होने से अव्याप्त हो जाएगी। यदि इन धर्मों को किसी भी प्रकार से तट में विद्यमान मान भी लिया जाये तब तटेतर पटादि में भी उच्चे मानना पड़ेगा इस प्रकार से 'अतिव्याप्ति' दोष हो जाएगा।

सादृश्य सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा का उदाहरण है -

भमर भ्रमता दिग्न्तराणि क्वचिदासादितमीक्षितं श्रुतं वा।

वद सत्यमपास्य पक्षपातं यदि जातीकुसुमानुकारि पुष्पम्॥^४

इस उदाहरण में भ्रमर जैसे प्राणी के लिए सम्बोधन सम्बन्ध न होने से 'भ्रमर' शब्द का मुख्यार्थ बाधित है। इसी प्रकार पुष्प का भी मुख्यार्थ बाधित है। ये दोनों ही शब्द अपने वाच्यार्थ से सादृश्य सम्बन्ध रखने वाले वाच्यार्थ के गुणों के समान गुणों से युक्त होने के आधार पर लक्षणा द्वारा क्रमशः कामी पुरुष एवं नायिका का बोध कराते हैं^५।

समवाय सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा का उदाहरण है 'छत्रिणो यान्ति'। यहाँ एक छत्रधारी व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होने से मुख्यार्थ बाधित है अतः छत्रधारी पुरुष के साथ गमन करने वाले अन्य व्यक्तियों के समुदाय का साहचर्य होने के कारण छत्ररहित पुरुषों के समूह में लक्षणा होती है। इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग का प्रयोजन है छत्ररहित व्यक्तियों में छत्रधारी स्वामी का अनुयायित्व प्रतिपादन।^६

^३ यच्च तत् मुख्यार्थासन्नत्वं तत् पञ्चप्रकारतयाचार्यभर्तुमित्रेण प्रदर्शितम् -

अभिधेयेन सम्बन्धात् सादृश्यात् समवायतः।

वैपरीत्यात् क्रियायोगात्तलक्षणा पञ्चधा मते-॥ ति । (अ० वृ० मा०, पृ० ५०)।

^४ अत्र हि गङ्गशब्दाभिधेयस्य स्रोतोविशेषस्य घोषाधिकरणत्वानुपपत्त्या मुख्यशब्दार्थबाधे सति योऽसौ

समीपसमीपिभावात्कः सम्बन्धः तदाश्रयेण तटं लक्षयति। अत्र च लक्षणायाः प्रयोजनं तटस्य

गङ्गात्वैकार्थसमवेतासीविज्ञानपदपुण्यत्वमनोहरत्वादिप्रतिपादनम्। न हि तत् पुण्यत्वमनोहरत्वादि स्वशब्दैः स्पष्टुं शक्यते अव्याप्तिव्याप्तिप्रसङ्गत्। (अ० वृ० मा०, पृ० ५२)।

^५ अ० वृ० मा०, पृ० ५२।

^६ अत्र हि भ्रमरपुषशब्दौ संबोधनान्यथानुपपत्त्या बाधितमुख्यार्थावभिधेय-सादृश्यात् तद्गतगुणसदृशगुणप्रयुक्तमर्थान्तरं लक्षणयावगमयतः। प्रयोजनं चात्र भ्रमरत्वपुष्ट्वैकार्थसमवेतक्रियागुणसदृशानामसंविज्ञानपदानां क्रियागुणानां प्रतिपादनम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ५४)।

^७ समवायतो लक्षणा यथा - 'छत्रिणो यान्ति'। अत्र बहुवचनप्रयोगानुख्यशब्दार्थबाधः। न होकरिसंश्छत्रिणि बहुवचनस्य प्रयोग उपपद्यते अतोऽत्र गमनलक्षणायां क्रियायां छत्रिणा सह योऽसौ छत्रशून्यानां समवायः साहचर्य तद्वशात् छत्रिशब्देन छत्रशून्या अपि लक्षणयाऽवगम्यन्ते। प्रयोजनं चात्र छत्रशून्यानां सर्वात्मना छत्रोपेतस्वाम्यनुयायितया प्रतिपादनम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ५४)।

वैपरीत्य लक्षणा का उदाहरण है - 'भद्रमुख'। किसी अभद्रमुख व्यक्ति के लिए इस पद का प्रयोग होने से मुख्यार्थ बाधित हो जाता है अतः 'भद्रमुख' पद अपने अर्थ के विपरीत 'अभद्रमुख' अर्थ का वैपरीत्य लक्षणा से बोध कराता है। इस लक्षणा का प्रयोजन है गुप्त असत्य अर्थ का प्रतिपादन।^१

क्रियायोग लक्षणा में 'महति समरे शत्रुघ्नस्त्वम्' इस वाक्य में जो व्यक्ति शत्रुघ्न (दशरथ-पुत्र) नहीं है उसके लिए इस पद का प्रयोग होने से मुख्यार्थ बाधित हो जाता है। शत्रुहनन रूप क्रिया के आधार पर अशत्रुघ्न है लिए शत्रुघ्न कथन लक्षणा से हुआ है। इसका प्रयोजन है शत्रुघ्न शब्द के मुख्यार्थ (दशरथ-पुत्र) के साथ राजा की अभिन्नता प्रतिपादन।^२

लक्षणा के त्रिविध कारणों में प्रयोजन तृतीय कारण है। मुकुलभट्ट के अनुसार यह प्रयोजन भी दो प्रकार का होता है। इनमें प्रथम लाक्षणिक अर्थ को अपनाने में अनादिकाल से चले आ रहे रुढि (प्रसिद्धि) और वृद्ध व्यवहार पर निर्भर रहता है। इस प्रकार प्रथम प्रयोजन रुढि का अनुसरण होता है। जैसे - 'द्विरेफ' शब्द का मुख्य अर्थ है दो रेफ से युक्त, किन्तु लक्षणा से यह 'भ्रमर' अर्थ का बोध कराता है। इस प्रकार का प्रयोग अनादि काल से होता चला आ रहा है जिसके फलस्वरूप 'द्विरेफ' से तत्काल ही 'भ्रमर' का बोध हो जाता है। यही रुढि के अनुसरण पर होने वाली लक्षणा है। मुकुलभट्ट ने इसे भी एक प्रकार का प्रयोजन मान लिया है।^३

दूसरा प्रयोजन किसी अन्य वस्तु के अन्तर्निहित ऐसे विशिष्ट रूप का प्रतिपादन करना है, जिसका प्रतिपादन अभीष्ट हो। जैसे -

स्तिष्ठश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लाद्बलाका घना

वाताः सीकरिणः पयोदसुहदामानन्दकेकाः कलाः।

कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे

^१ वैपरीत्याल्लक्षणा यथा - 'भद्रमुख' इति। अत्र हि भद्रमुख शब्दस्याभद्रमुखे प्रयोगात् स्वार्थबाधः अतोऽसौ वाच्यभूतभद्रमुखत्वाविपरीतत्वादभद्रमुखत्वं विपरीतनिबन्धनया लक्षणया प्रत्याययति। अत्र च लक्षणाप्रयोजनं गुप्तासत्यार्थप्रतिपत्तिः। गुप्तो ह्यसत्योऽर्थः तत्तदभिप्रायवशेन प्रायेण प्रयोक्तृभिः प्रतिपाद्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० ५६)।

^२ क्रियायोगाल्लक्षणायाम् उदाहरणं यथा- 'महति समरे शत्रुघ्नस्त्वमिति'। अत्र हि अशत्रुघ्ने शत्रुघ्नशब्दप्रयोगान्मुख्यशब्दर्थबाधः। शत्रुघ्नशब्दश्चाशत्रुघ्ने शत्रुहननक्रियाकर्तृत्वयोगाल्लक्षणयोक्तः। प्रयोजनं चात्र शत्रुघ्नशब्दाभिधेये नृपतिरुपतप्रतिपादनम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ५६)।

^३ प्रयोजनस्यापि द्वैविध्यम्। किञ्चिद्द्विं सात्तरार्थपरिग्रहे प्रयोजनम् अनादिवृद्धव्यवहार प्रसिद्धचनुसरणात्मकत्वाद् रुढयनुवृत्तिस्वभावं यथा द्विरेफादौ। द्विरेफशब्देन हि रेफद्वितयोगितया भ्रमरशब्दलक्षणाद्वारेण रुढयनुवृत्तिरेव क्रियते। (अ० वृ० मा०, पृ० ५०)।

*अपरं तु रुढयनुसरणात्मकं यत् प्रयोजनमुक्तं तद्व्यतिरिक्तवस्त्वन्तरगतस्य संविज्ञानपदस्य रुपविशेषप्रतिपादनं नाम यथा पूर्वमुदाहृतं 'रामोऽस्मी'ति। (अ० वृ० मा०, पृ० ५०)।

‘वैदेही तु कर्थं भविष्यति ह हा हा देवि धीरा भवे’-ति॥^१

इस उदाहरण में ‘राम’ शब्द का संज्ञी रूप मुख्यार्थ स्वयं राम के ही वक्ता होने से बाधित है। फलतः राम पद के अर्थ में विद्यमान राज्यभ्रंश, वनवास, सीता का अपहरण, पिता की मृत्यु आदि असाधारण दुःखों के सहिष्णु धर्म से युक्त ‘राम व्यक्ति’ का ज्ञान लक्षणा से होता है। राम व्यक्तित्व में विद्यमान इन धर्मों का प्रतिपादन ही लक्षणा का प्रयोजन है।

इस प्रकार मुकुलभट्ट निरुद्धा तथा प्रयोजनवती लक्षणाओं को भी स्वीकार करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ लक्षणाएँ ऐसी भी होती हैं जो त्याज्य होती है क्योंकि वे अर्थज्ञान की शक्ति से बाहर होती हैं। इसके लिए इन्होंने ‘तन्त्रवार्तिक’ की कारिका उद्धृत की है तथा प्रसङ्गवश उसकी व्याख्या भी की है -

निरुद्धा लक्षणः काश्चित् सामर्थ्यादभिधानवत्।

क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित् काश्चित्त्रैव त्वशक्तिः॥^२

इसमें निरुद्धा लक्षणा ‘राजा’, ‘द्विरेफ’ आदि हैं। कुछ लक्षणाएँ ऐसे होती हैं जो तत्काल की जाती हैं। इसका तात्पर्य उन लक्षणाओं से है जो वृद्धव्यवहार और वक्ता आदि के आधार पर प्रयोजन-प्रतिपादन हेतु की जाती हैं। जैसे-‘स्तिष्ठश्यामल - - - - ’ इत्यादि उदाहरण में ‘लिप्त’ शब्द बाधितमुख्यार्थ है क्योंकि कुड्कुम आदि के समान कान्ति लेपन का साधन नहीं बन सकती। अतः लक्षणा द्वारा कान्ति से युक्त वस्तु का बोध होता है। यह प्रतीति ‘लिप्त’ अर्थ में विद्यमान ‘आच्छादित करने की शक्ति’ आदि धर्म के सादृश्य के आधार पर हो रही है^३ इसी प्रकार ‘सुहृद्’ शब्द का मुख्य अर्थ है मित्र, वह बाधित हो रहा है क्योंकि मेघ के साथ मैत्री सम्बन्ध सम्भव नहीं है, वे अचेतन होते हैं अतः सुहृद् में रहने वाले सामुख्य आदि गुणों की समानता के आधार पर पयोद्सुहृद् का अर्थ मेघाभिमुख मयूर होता है। यह अर्थ लाक्षणिक है^४

कतिपय लक्षणाएँ ऐसी होती हैं जो न तो लिप्त आदि शब्दों के समान वृद्धव्यवहार में दृष्टिगत होती हैं और न ही ‘राजा’ आदि शब्द के समान रूढि के अनुसरण पर होती हैं। ऐसी लक्षणाएँ सर्वथा अशक्य होती हैं, वे ही त्याज्य लक्षणाएँ कहलाती हैं। उदाहरण स्वरूप -

^१ अ० वृ० मा०, पृ० २७।

^२ अ० वृ० मा०, पृ० २५।

^३ अत्र हि लिप्तशब्दः कान्तोः कुड्कुमादिवल्लेपनसाधनत्वाभावाद् बाधितमुख्यार्थः अतस्तेन स्वार्थगतो योऽसावीषत्तिरोधीयमानत्वादि धर्मः प्रतिपादितः तत्सदृशेषत्तिरोधीयमानत्वादिधर्मयोगात् कान्तिसंपृक्तोऽर्थो लक्ष्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० २७-२८)।

^४ एवं सुहृच्छब्देनापि पयोदानामचेतनत्वेन मैत्री सम्बन्धाभावान्मुख्यशब्दार्थबाधे सति सुहृदगता ये ते ते सामुख्यादयो धर्माः तत्सदृशसामुख्यादिधर्मयोगतः पयोदाभिमुखा मयूरा लक्ष्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० २८)।

मध्येसमुद्रं कुकुभः पिशङ्गीर्या कुर्वती काञ्चनभूमिभासा।

तुरङ्गकान्ताननहव्यवाहज्वालेव भित्त्वा जलमुल्लास।^१

इसमें प्रयुक्त 'तुरङ्गकान्ताननहव्यवाह' पद लक्षणा द्वारा समुद्र की अभि के लिए प्रयुक्त है। यह पद न तो वडवामुखानल (समुद्र में प्रज्ज्वलित अभि) के लिए रूढि से युक्त है और न ही ऐसा प्रयोग वृद्धव्यवहार में स्वीकार किया गया है^२ द्विरेफ आदि शब्दों की समानता के आधार पर ऐसे शब्दों को लक्षक नहीं कहा जा सकता। वृद्धव्यवहार में लाक्षणिक रूप से प्रचलित शब्द ही लक्षक होते हैं। उनसे जिस किसी प्रकार से समानता रखने वाले शब्द भी लक्षक नहीं हो सकते। अन्यथा सभी शब्दों में आशिक साम्य देखकर ही उन्हें सभी अर्थों का लक्षक स्वीकार किया जाने लगेगा। कोई भी शब्द जिस किसी भी अर्थ का बोधक नहीं होता।^३

'तुरङ्गकान्ताननहव्यवाह' शब्द के प्रयोग का कोई विशेष प्रयोजन भी नहीं है अतः प्रयोजन के अभाव में इसे दोषयुक्त ही माना जाएगा। यदि इस प्रकार के प्रयोग में किसी गुप्त अर्थ का प्रतिपादन रूप प्रयोजन सम्भव हो तब इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग को भी दोषरहित माना जाएगा।^४ अन्यथा ऐसी लक्षणाएँ त्याज्य ही होती हैं।

३. ४. ३ लक्षणा में वाच्यार्थ की स्थिति -

लक्षणा में लाक्षणिक अर्थ वाच्यार्थ से किसी न किसी रूप में सम्बद्ध रहता है। ये सम्बन्ध सादृश्यादि पाँच प्रकार के होते हैं। इनसे होने वाली लक्षणा में वाच्यार्थ की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। कहीं उसका अत्यन्त तिरस्कार होता है, कहीं उसकी विवक्षा रहती है तो कहीं वह अविवक्षित रहता है।^५

^१ अ० वृ० मा०, पृ० २६।

^२ अत्र हि तुरङ्गकान्ताननहव्यवाह शब्दो वडवामुखान्मौ लक्षणया प्रयुक्तः। न चासौ वडवामुखान्मौ निरुङ्गः नापि च तज्जातीयः शब्दो विशिष्टसामग्र्यनुप्रविष्टतया विद्वाविद्वार्थावगाहित्वेन परिदृष्टः। (अ० वृ० मा०, पृ० २६)।

^३ ननु द्विरेफादीनां शब्दानां रेफद्वितयानुगतभ्रमरादिशब्दलक्षणाद्वारेण यथा षट्पदादौ प्रवृत्तिः तथा तुरङ्गकान्ताननहव्यवाहशब्दस्यापि वडवामुखान्मौ वडवादिशब्दलक्षणाद्वारेण कथं प्रवृत्तिर्न स्यात् तज्जातीये द्विरेफादौ शब्दलक्षणायाः परिदृष्टत्वात्।

नैतत् यतो वृद्धव्यवहाराभ्यनुज्ञातेष्व शब्देषु तज्जातीयशब्ददर्शनात् लक्षणात्मभ्युपगम्यते न तु सर्वत्र। अन्यथा सर्वेषामेव शब्दानां येन केनचिज्जातिलेशेन सर्वान्तर्थान् प्रति लक्षणशब्दत्वस्य वक्तुं शक्यत्वात् न कश्चिच्छब्दः कंचिदर्थं प्रत्यवगमकः स्यात्। (अ० वृ० मा०, पृ० २६-३०)।

^४ - - - तुरङ्गकान्ताननहव्यवाहेत्यादीनामसति प्रयोजने दुष्टत्वमेव सति तु गुप्तार्थप्रतिपादनादिप्रयोजनसंभवे एवंविधानामपि लक्षणानामदुष्टत्वम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ३०)।

^५ इदानीं पञ्चविधसंबन्धनिबन्धनायामासत्तौ पूर्वोपवर्णिताश्यां क्वचिद् वाच्यस्यातितिरस्कारः क्वचिद् विवक्षितत्वं क्वचिच्चाविवक्षितत्वम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ५८)।

मुकुलभट्ट ने विविध लक्षणाओं में वाच्यार्थ की स्थिति का विस्तृत विवेचन किया है। इन्होंने 'सहदय' नामक विद्वान् की मान्यता को इसका आधार माना है।^१ 'सहदय' आनन्दवर्धन ही थे अथवा उनसे भिन्न, उनका सम्बन्ध धन्यालोक से था ही। 'धन्यालोक' में धनि के 'अविवक्षितवाच्य' तथा 'विवक्षितान्यपरवाच्य' रूप से दो प्रकार माने गये हैं। इनमें अविवक्षितवाच्यधनि लक्षणामूलाधनि है जिसके अर्थान्तरसंक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्कृत ये दो अवान्तर भेद हो जाते हैं।^२

मुकुलभट्ट के मतानुसार सादृश्य एवं वैपरीत्य सम्बन्ध से होने वाली लक्षण में वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार रहता है।^३ सादृश्य से होने वाली लक्षण में उपमानवाची पद उपमेयपरक रहता है। ऐसी दशा में उपमान रूप वाच्यार्थ त्यक्त रहता है। उदाहरणस्वरूप 'स्तिष्ठश्यामलकान्ति' और 'पयोदसुहृदाम्' इत्यादि स्थलों में 'लिप्त' एवं 'सुहृद' शब्द का मुख्यार्थ उपमानरूप है जो पूर्णतया तिरस्कृत है।^४ इसी प्रकार वैपरीत्य सम्बन्ध में भी वाच्य अर्थ से सर्वथा विपरीत अर्थ का ग्रहण होने से वाच्यार्थ तिरस्कृत रहता है।^५

सम्बन्ध और समवाय के स्थलों में वाच्य अर्थ विवक्षित भी रहता है और अविवक्षित भी। इन दोनों में जहाँ उपादान लक्षण का प्रसङ्ग होता है वहाँ वाच्य की विवक्षा रहती है तथा लक्षणलक्षण में वाच्य की अविवक्षा रहती है।^६ समवाय सम्बन्ध के आधार पर होने वाली उपादान लक्षण 'छत्रिणो यान्ति' वाक्य में छत्रधारी व्यक्ति रूप मुख्यार्थ भी विवक्षित रहता है।^७

^१ इत्येवंविधं त्रयं यत् सहदयैरुपदर्शितं तस्य विषयविभागमुपदर्शयितुमाह - - - - । (अ० वृ० मा०, पृ० ५८) ।

^२ (क) अस्ति धनि: । स चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः। (ध०, प्र० उ०, पृ० २५४) ।

(ख) अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्

अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधा मतम् ॥ (ध०, द्वि० उ०, पृ० ९) ।

^३ सादृश्ये वैपरीत्ये च वाच्यस्यातिरस्किया। (अ० वृ० मा०, पृ० ५८) ।

^४ सादृश्यनिबन्धनायां लक्षणायामुपमानवाचिनः पदस्योपमेयपरत्वमुपमानात्मकं वाच्यमत्यन्तं तिरस्कियते। यथोपदर्शितं 'स्तिष्ठश्यामलकान्तिलिप्ते' ति 'पयोदसुहृदामि' ति च। अत्र हि लिप्तसुहृच्छब्दयोः स्वार्थोपमितवस्तुपरत्वात् स्वार्थस्यात्यन्तं कार्येऽनन्वितत्वम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ५८) ।

^५ वैपरीत्यसमाश्रयायामपि तस्यामर्थान्तरस्य वाच्यविपरीतस्योपादेयत्वाद् वाच्यस्यात्यन्तं तिरस्कारः। (अ० वृ० मा०, पृ० ५८-५९) ।

^६ विवक्षा चाविवक्षा च संबन्धसमवाययोः ।

उपादाने विवक्षात्र लक्षणे त्वविवक्षणम्॥ (अ० वृ० मा०, पृ० ५८) ।

^७ उपादाने वाच्यस्य विवक्षितत्वं यथा 'छत्रिणो यान्तीति। अत्र हि यदा छत्री बहुत्वोपेतत्वात्

स्वगतबहुत्वान्वयससिद्धर्थत्वेन छत्रशून्यानपि आक्षिपति तदा समवायनिबन्धने छत्रशून्यानामुपादाने क्रियमाणे वाच्यश्छत्री विवक्षितः। (अ० वृ० मा०, पृ० ६०)।

सम्बन्ध से उपादान लक्षणा के उदाहरण में मुकुलभट्ट ने 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड़क्ते' वाच्य प्रस्तुत किया है। इसमें रात्रिभोजन रूप कारण का लक्षणा से आक्षेप होता है। यहाँ वाच्यार्थ 'दिन में भोजन का अभाव होने पर भी देवदत्त की 'स्थूलता' विवक्षित रहती है।¹

सम्बन्ध तथा समवाय से होने वाली लक्षणलक्षणा में वाच्य की अविवक्षा रहती है किन्तु उसका अत्यन्त तिरस्कार नहीं रहता² सम्बन्ध से लक्षणा के उदाहरणस्वरूप 'रामोऽस्मि - - -'। इत्यादि पद्य में पद का वाच्यार्थ दशरथपुत्र रूप अर्थ अविवक्षित रहता है किन्तु उसका अत्यन्त तिरस्कार भी नहीं होता क्योंकि अन्य व्यञ्जय धर्मों में उसका अन्यथा हो जाता है। इसी प्रकार की स्थिति 'गङ्गायां घोषः' में भी है।³ यहाँ गङ्गा पद का मुख्यार्थ जलप्रवाह अविवक्षित तो होता है किन्तु अत्यन्त तिरस्कृत नहीं रहता। तट रूप लक्ष्यार्थ में प्रतीयमान शैत्य एवं पावनत्व का जो बोध होता है वह मुख्यार्थ जल-प्रवाह का ही धर्म है।

समवाय से होने वाली लक्षणलक्षणा में वाच्य की अविवक्षा दर्शाते हुए मुकुलभट्ट ने 'छत्रिणो यान्ति' उदाहरण ही प्रस्तुत किया है जिसे उन्होंने वाच्य की विवक्षा के प्रसङ्ग में भी उदाहरण माना था। यहाँ बहुवचन के प्रयोग की उपपत्ति के लिए छत्री पद समुदाय का लक्षक मान लिया जाता है। इस स्थिति में छत्रधारित्वरूप वाच्यार्थ अविवक्षित रहता है। प्रस्तुत उदाहरण में विवक्षा के स्थल में प्रधानतया गमन क्रिया अभीष्ट है। छत्रधारी राजा के साथ उसके अनुचर गौण रूप से विवक्षित रहते हैं अतः यहाँ मुख्यार्थ छत्रधारी विवक्षित रहता है। द्वितीय अविवक्षा स्थल में समुदाय रूप अर्थ प्रधानतया अभिप्रेत रहता है। ऐसी दशा में छत्रधारी पुरुष अर्थ गौण हो जाता है तथा मुख्यार्थ की अविवक्षा मान ली जाती है।⁴ इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि सम्बन्ध और समवाय के स्थलों में वाच्य की विवक्षा अथवा अविवक्षा रहती है किन्तु उसका अत्यन्त तिरस्कार नहीं रहता।

¹ सम्बन्धनिबन्धनायां लक्षणायामुपादाने वाच्यविवक्षायामुदाहरणम् - 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड़क्ते' इति। अत्र हि दिनाधिकरणभोजनाभावविशिष्टतया पीनत्वलक्षणं कार्यं विवक्षितमेव सत् स्वसिद्धचर्थत्वेन सम्बन्धनिबन्धनायां लक्षणायां रात्रिभोजनात्मकं कारणमाक्षिपति। (अ० वृ० मा०, पृ० ६०)।

² लक्षणात्मिकयोस्तु तयोर्वाच्यस्याविवक्षितत्वम्, न त्वत्यन्तं तिरस्कारः लक्ष्यमाणद्वारेण कथंचित् कार्येऽन्वितत्वात्। (अ० वृ० मा०, पृ० ६३)।

³ सम्बन्धनिबन्धनायां लक्षणायामविवक्षितवाच्यत्व उदाहरणं 'रामोऽस्मीति' अत्र हि रामशब्दवाच्यं दाशरथिरूपं व्यञ्जयधर्मान्तरपरिणतत्वात् स्वपरत्वेनानुपात्तम्, तस्मादविवक्षितं नत्वत्यन्तं तिरस्कृतम्। - - -। एवं 'गङ्गायां घोष' इत्यादावप्युत्त्रेयम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ६३)।

⁴ समवायसम्बन्धनिबन्धनायां तु लक्षणायामविवक्षितवाच्यता 'छत्रिणो यान्ती' - त्यत्रैवोदाहार्या। तथाहि यदा छत्रित्वं बहुत्वान्यान्यथानुपपत्त्या समुदायपरतयोपादीयते तदात्र समुदायस्य विवक्षितत्वाद् वाच्यस्याविवक्षा। एवमपि च समुदायान्तर्भूतत्वात् समुदायद्वारेण छत्रिणोऽपि क्रियान्वयः सुलभ एव। अत एव चात्र वाच्यस्य नात्यन्तं तिरस्कारः समुदायरूपान्तरभूतत्वेन क्रियान्वितत्वात्। (अ० वृ० मा०, पृ० ६३ - ६४)।

क्रियायोग पर आधारित लक्षणा में कहाँ वाच्य का तिरस्कार रहता है तो कहाँ स्थिति इसके विपरीत रहती है अर्थात् कहाँ तिरस्कार नहीं रहता^१ कभी जब शब्द के अवयवों के आधार पर लक्षणा होती है तो वहाँ लक्ष्यार्थबोध शब्दशक्तिमूलक माना जाता है। ऐसे स्थलों में वाच्यार्थ का जहाँ तिरस्कार रहता है उसका उदाहरण है ‘पुरुषः पुरुष’ है। इस प्रयोग में प्रथम पुरुष शब्द के द्वारा पुरुषत्वरूपी जातिविशिष्ट का प्रतिपादन किया जा रहा है और द्वितीय पुरुष शब्द द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न क्रियायोग सम्बन्ध से अतिशय से युक्त अर्थ का लक्षणा द्वारा बोध कराया जा रहा है। यहाँ वाच्य का तिरस्कार है^२

जहाँ किसी निमित्त के रहने से वाच्य अर्थ विवक्षित रहता है और लक्षणा से बोधित दूसरा अर्थ अर्थात् लक्ष्यार्थ छिपाया नहीं जाता वहाँ स्थिति विपरीत रहती है अर्थात् वहाँ वाच्य अर्थ अत्यन्त तिरस्कृत नहीं रहता। जैसे ‘घोर संग्राम में तुम शत्रुघ्न हो’ इस प्रयोग में शत्रुघ्न शब्द क्रियायोग सम्बन्ध से लक्षणा द्वारा शत्रुघ्नन् रूप क्रिया के कर्ता को तो बताता ही है परन्तु उसका दशरथ-पुत्र रूप मुख्य अर्थ भी विवक्षित रहता है। यहाँ वाच्यार्थ को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है^३

इस प्रसङ्ग में मुकुलभट्ट ने ‘सहदय’ नामक विद्वान् से अपने मत की भिन्नता भी दर्शायी है। ‘सहदय’ इस प्रकार के स्थलों में उपमान के उपमेयपरक होने के कारण वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार मानते हैं^४ किन्तु मुकुलभट्ट के अनुसार क्रियायोगमूलक लक्षणा के स्थलों में वाच्य उपमान रूप से भी स्वीकृत रहता है अतः उसकी विवक्षा रहती है अत्यन्ततिरस्कार नहीं।

३. ४. ४ लक्षणा एवं अभिधा का पौर्वार्पण -

लक्षणा के सम्बन्ध में विचार करते समय यह प्रश्न उपस्थित होता है कि लक्षणा सदैव अभिधा के पश्चात्

^१ तिरस्किया क्रियायोगे वच्चित् तद्विपरीतता। (अ० वृ० मा०, पृ० ५८)।

^२ क्रियायोगनिबन्धनायां तु लक्षणायां शब्दगतावयवशक्त्यनुसरणे शब्दशक्तिमूलता लक्ष्यमाणस्यार्थस्य। तत्र च वाच्यस्यार्थस्य तिरस्किया यथा ‘पुरुषः पुरुष’ इति। अत्र होकेन पुरुषशब्देन विशिष्टजातीयस्यार्थस्योपात्तत्वादपरः पुरुषशब्दः स्ववाच्यव्यतिरेकेणैव क्रियायोगनिबन्धनया लक्षणया पुनरतिशयितृत्वमुपादत्ते। (अ० वृ० मा०, पृ० ६५)।

^३ यत्र तु निमित्तसद्वावाद् वाच्येऽर्थे विवक्षित एव तस्यार्थान्तरस्य शब्दशक्त्यन्तरमूलतया व्यवस्थितस्याऽव्यवायः क्रियते तत्र तद्विपरीततया वाच्यार्थतिरस्कियावैपरीत्यम्। न खल्वत्र वाच्यस्यार्थस्य तिरस्किया अपि तु विवक्षितत्वमेव यथा महति समरे शत्रुघ्नशब्दः शत्रुघ्ननक्रियायाः कर्तृत्वं क्रियायोगनिबन्धनया लक्षणयावगमयन्नपि स्वार्थ दाशरथिमुपमानतयापि प्रतिपादयति। तेन तस्य विवक्षितस्य स्वार्थतापि। (अ० वृ० मा०, पृ० ६५ - ६६)।

होती है या उसके पहले भी होती है ? इसी पृष्ठभूमि में मुकुलभट्ट ने अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद दोनों का समुच्चय तथा दोनों का अभाव रूप चार पक्ष प्रस्तुत किया है । इसमें अभिहितान्वयवाद में लक्षणा अभिधा के पश्चात् होती है, अन्विताभिधानवाद में पहले । दोनों के समुच्चय में पूर्व तथा पश्चात् दोनों होती है तथा दोनों के अभाव में जहाँ वाक्यार्थ अखण्ड माना जाता है वहाँ लक्षणा होती ही नहीं ।^३

३. ४. ४. ९ अभिहितान्वयवाद -

वाक्य से वाक्यार्थ बोधन की प्रक्रिया के विषय में मीमांसकों में दो मत प्रचलित हैं जो अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद के नाम से जाने जाते हैं । अभिहितान्वयवाद कुमारिलभट्ट तथा उनके मतानुयायियों का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के अनुसार अभिधा से पहले पदों का पृथक्-पृथक् जातिरूप अर्थ प्रकट होता है। तदनन्तर आकाङ्क्षा योग्यता एवं सत्रिधि के कारण तात्पर्य वृत्ति से वाक्यार्थबोध होता है। अभिहितान्वयवादियों के अनुसार पदों में केवल पदार्थबोधन की ही शक्ति रहती है। शब्दों के द्वारा उनके अन्वय को प्रकट नहीं किया जा सकता। अन्वय या सम्बन्ध रूप अर्थ तो तात्पर्यार्थ है जो वाच्य अर्थ से विलक्षण प्रकार का होता है। इस प्रकार वाक्यार्थबोध में अभिहित अर्थात् अभिधा द्वारा उपस्थित पदार्थ का बाद में अन्वय मानने के कारण इस सिद्धान्त को अभिहितान्वयवाद के नाम से जाना जाता है ।^४ इस मत में पदार्थों का परस्पर अन्वय आकाङ्क्षा, योग्यता तथा सत्रिधि के बल से होता है। आकाङ्क्षा से तात्पर्य है पदों की पारस्परिक अपेक्षा के कारण वाक्यबोध के लिए अगले पद की श्रवणेच्छा ।^५ योग्यता का

^३ यद्यपि चोपमेयपरत्वेनोपमानस्योपादानादेवविद्ये विषयेऽत्पत्तिरस्कृतवाच्यता सहदयैरङ्गीक्रियते तथापि क्रियायोगनिबन्धनलक्षणावसरे तावद् वाच्यस्योपमानत्वेनाङ्गीकृतत्वादतिरस्कृतवाच्यतापि भवति। (अ० वृ० मा०, पृ० ६६) ।

^४ अन्वयेऽभिहितानां सा वाच्यत्वादूर्ध्मिष्टते अन्वितानां तु वाच्यत्वे वाच्यत्वस्य पुरः स्थिता। द्वये द्वयमखण्डे तु वाक्यार्थपरमार्थतः नास्त्यसौ कल्पितेऽर्थे तु पूर्ववत् प्रविभज्यते॥ (अ० वृ० मा०, पृ० ४२) ।

^५ आकाङ्क्षयोग्यतासत्रिधिवशाद् वक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वय तात्पर्यार्थो विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्यार्थः समुल्लसतीत्यभिहितान्वयवादिनां मतम् । (का० प्र०, द्वि० उ०, पृ० ३४) ।

^६ का पुनरियमाकाङ्क्षा ? प्रतिपत्तुर्जिज्ञासा: । कित्रिबन्धना पुनरसौ? अविनाभावनिबन्धनेति केचित्। क्रिया हि कारकाविनाभाविनीति तां प्रतीत्य कारकं जिज्ञासते एवं कारकमपि बुद्ध्वा क्रियामिति। (वा० मा० वृ०, पृ० ३७ - ३८) ।

अर्थ है पदार्थ के परस्पर सम्बन्ध में बाधा का अभाव^१ सत्रिधि का अभिप्राय है एक ही व्यक्ति द्वारा अविलम्ब पदों का उच्चारण। इसे आसत्ति भी कहा जाता है^२

अभिहितान्वयवाद को स्पष्ट करते हुए मुकुलभट्ट कहते हैं कि पदों की पहुँच अपने सामान्य अर्थ तक ही रहती है आकाङ्क्षा आदि से जो वाक्यार्थबोध होता है वह अनभिधेय होता है। जैसे 'ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः', 'कन्या ते गर्भिणी' इन वाक्यों से क्रमशः जो हर्ष एवं शोक होता है उसके अभिधायक शब्द यहाँ प्रयुक्त नहीं हैं। फलतः इन दोनों के अभिधा से कथित न होने से हर्ष और शोक का आक्षेप होता है। यही स्थिति वाक्यार्थ की भी है। वह भी पदों से विदित अर्थों द्वारा आक्षिप्त ही होता है। इस प्रकार अर्थ पहले अभिहित हो जाते हैं उसके बाद उनका अन्वय होता है, इसी कारण यह सिद्धान्त अभिहितान्वयवाद कहलाता है^३ मुकुलभट्ट ने अभिहितान्वयवाद का जो स्वरूप स्पष्ट किया है उसके अनुसार वाक्यार्थबोध तात्पर्यवृत्ति से नहीं अपितु आक्षेप से होता है। आक्षेप इनके अनुसार लक्षणा ही है। अभिहितान्वयवाद में लक्षणा अभिधा के पश्चात् ही होती है। अर्थात् पदों से सामान्यरूप अर्थों का अभिधा द्वारा बोध हो जाने के पश्चात् उन पदार्थों के आधार पर वाक्यार्थबोध होने लगता है तब लक्षणा मानी जाती है^४

३. ४. ४. २ अन्विताभिधानवाद -

अन्विताभिधानवाद प्रभाकर एवं उनके अनुयायियों का है। अन्विताभिधानवादी अभिहितान्वयवाद का खण्डन करते हैं। उनके अनुसार वाक्यार्थबोध में पदों से अन्वित पदार्थ का ही बोध अभिधा से होता है। अलग-अलग अर्थ जो परस्पर सम्बद्ध नहीं हैं, प्रकट नहीं हो सकते। अपने मत की पुष्टि हेतु अन्विताभिधानवादियों का यह तर्क है कि सङ्केतग्रह के पश्चात् ही पद से पदार्थबोध होता है। सङ्केतग्रह के साधनों में 'व्यवहार' एक प्रमुख साधन है। उदाहरण स्वरूप पिता के समीप बैठा एक बालक पिता द्वारा उच्चरित 'गामानय' इस वाक्य को सुनता है तथा अपने अग्रज को सास्नादिमान् पिण्ड के आनयनरूप कार्य को करते देखकर यह अनुमान करता है कि 'गामानय' इस अखण्ड वाक्य

^१ पदार्थं तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता। (न्या० सि० मु०, शब्दप्रामाण्यनिरूपणम्, पृ० ७६)।

^२ सत्रिधानं तु पदस्यासति रुच्यते। (न्या० सि० मु०, शब्दप्रामाण्यनिरूपम्, पृ० ६५)।

^३ इह केषाचिदन्वयव्यतिरेकावसेयसामान्यभूतस्वर्थमात्रविश्वानेषु पदेषु पदार्थकाङ्क्षासत्रिधियोग्यतामहिमा वाक्यार्थस्यानभिधेयभूतस्य हर्षशोकादिवदवसेयत्वमेव। यथा हि 'ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः', 'ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणीती' - ति यथाक्रमं पुत्रजन्मकन्यागर्भिणीत्वनिमित्तौ हर्षशोकौ स्वशब्देनानभिहितावपि शब्दाभिधेयभूतवस्तुसामर्थ्यादाक्षिप्यते एवं वाक्यार्थस्यानभिधेयभूतस्यैव पदार्थक्षेप्यत्वे द्रष्टव्यम्। एषां चैवंवादिनां मतेनार्थानामभिहितानामुत्तरकालं परस्परान्वयवादभिहितान्वयः। (अ० वृ० मा०, पृ० ४२)।

^४ तत्र च यदा तावदभिहितान्वयः तदा स्वाचकैरभिहितानां पदार्थानामभिहितोत्तरकालम् आकाङ्क्षयोग्यतासांनिधि माहात्म्याद् विशेषणविशेष्यभावात्मके परस्परमन्वये सति सा लक्षणा पदार्थानां सामान्यभूतानां यद् वाच्यत्वं तस्माद्वर्ध वाक्यार्थं पदार्थसामर्थ्यादवगम्यमाने सतीष्यते। (अ० वृ० मा०, ४७)।

का सास्नादिमान् पिण्ड के लाने में अभिप्राय था। इसके पश्चात् पिता के 'गां नय', 'अश्वमाहर' आदि वाक्यों को सुनकर अग्रज को तदनुसार व्यवहार करते देखकर शनैः शनैः भिन्न-भिन्न शब्दों का उसे अर्थ बोध होने लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सङ्केतग्रह केवल किसी पदार्थ में नहीं अपितु किसी के साथ अन्वित पदार्थों में ही होता है, अतः पारस्परिक सम्बन्धयुक्त पदार्थ ही वाक्यार्थ होते हैं।^१

मुकुलभट्ट ने अन्विताभिधानवाद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वृद्धव्यवहार पर निर्भर बताया है। वृद्धव्यवहार प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप होता है। प्रवृत्ति-निवृत्ति अन्य अर्थों से अन्वित अर्थात् विशिष्ट अर्थ में होती है। अतः विशिष्ट अर्थ ही अभिधेयार्थ होता है, अभिधा से विदित होने के पश्चात् अर्थों में वैशिष्ट्य नहीं आता है। अर्थ पहले परस्पर अन्वित होकर ही वाक्यार्थरूप में आते हैं तदनन्तर उनका ज्ञान पदों द्वारा होता है। इस प्रकार इनका पदों से सम्बन्ध सामान्य रूप ही होता है। इसी सिद्धान्त को अन्विताभिधानवाद कहते हैं।^२

यहाँ मुकुलभट्ट ने 'सामान्यावच्छादित' पद का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यही है कि अभिधा से सामान्यावच्छादित विशेष रूप का ही बोध होता है। व्यवहार में विशेष रहित सामान्य का प्रयोग नहीं हो सकता। 'गामानय' में 'आनयन' क्रिया सामान्य है। यह एकाकी अर्थबोध नहीं करा सकती 'आनय' पद की सामान्यरूपता तो प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आनय पद में रहेगी। उसमें विशेषरूपता किसी अन्य पदार्थ विशिष्ट से संयुक्त होने पर ही आएगी। इसी कारण सङ्केतग्रह सामान्यावच्छादितविशेष में ही होता है।

अन्विताभिधानवाद में सम्पूर्ण वाक्यार्थ में ही अभिधा मानी जाती है। वहाँ अभिधा के निश्चय के लिए पहले लक्षण होती है। इसका अभिप्राय यह है कि वाक्यार्थ के रूप में सामान्य अर्थ का ज्ञान होने के पश्चात् जब पद-पदार्थ

¹ (क) वाच्य एव वाक्यार्थ इत्यन्विताभिधानवादिनः (का० प्र०, द्वि० उ०, पृ० ३४)।

(ख) येष्याहुः -

शब्दवृद्धाभिधेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति

श्रोतुश्च प्रतिपत्रत्वमनुमानेन चेष्टया।

अन्यथाऽनुपपत्त्या तु बोधेच्छक्तिं द्वयात्मिकाम्

अर्थापत्त्याऽवबोधेत सम्बन्धं त्रिप्रमाणकम्॥ (का० प्र०, प० उ०, पृ० २४२)।

(ग) विशिष्टा एव पदार्था वाक्यार्थो न तु पदार्थानां वैशिष्ट्यम्। (का० प्र०, प० उ०, पृ० २४३)

² अपरे त्वाहुःवृद्धव्यवहाराच्छब्दार्थसंबन्धावसायः। स च वृद्धव्यवहारः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपः। प्रवृत्तिनिवृत्ती च

विशिष्टार्थनिष्ठे। अतो विशिष्ट एवार्थे पदानां संबन्धावधृतिः। ततश्च विशिष्टा एव पदार्थः न तु पदार्थानां वैशिष्ट्यम्

एवं च परस्परान्वितानां तत्तत्सामान्यावच्छादितत्वेन गृहीतस्ववाचकसंबन्धानां पदैः प्रत्यायनादन्विताभिधानमिति। (अ०

वृ० मा०, पृ० ४४)।

रूप विशेष अर्थ का ज्ञान होने लगता है तब उनमें सम्बन्धतत्त्व के ज्ञान के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है।
अतः अन्विताभिधानवाद में लक्षणा की स्थिति अभिधा के पूर्व आती है।^१

३. ४. ३ समुच्चयवाद -

समुच्चयवाद के सिद्धान्त के अनुसार पद से सामान्य वाच्य अर्थ का ज्ञान होता है और वाक्य से परस्पर अन्वित पदार्थ का। इस सिद्धान्त में अभिहितान्वयवाद एवं अन्विताभिधानवाद दोनों ही मान्य हैं। यहाँ पद की दृष्टि से अभिहितान्वयवाद तथा वाक्य की दृष्टि से अन्विताभिधानवाद सत्य है। इसी कारण इसे 'समुच्चयवाद' कहते हैं।^२ समुच्चयवाद से मुकुलभट्ट ने भाषा तथा लोक व्यवहार दोनों का समन्वितरूप प्रस्तुत किया है। भाषा में शब्द के अनुसार अर्थ की ओर प्रवृत्ति होती है अतः वहाँ अभिहितान्वयवाद की स्थित होती है किन्तु लोक में अर्थ देखकर ही उसके सम्बन्ध का अन्वेषण होता है तब शब्द के प्रति उन्मुखता होती है। ऐसी दशा में अन्विताभिधानवाद की प्रक्रिया आती है।

इन दोनों के समुच्चय में पद की दृष्टि से लक्षणा अभिधा के बाद होती है तथा वाक्य की दृष्टि से अभिधा के पहले होती है।^३

'न्यायमङ्गरी' में जयन्तभट्ट ने भी अभिहितान्वयवाद एवं अन्विताभिधानवाद में दोष दर्शाते हुए समुच्चयवाद का स्वरूप प्रस्तुत किया है।^४

^१ तत्र विशिष्यमाणानां वस्तुनां पदार्थत्वं तावत्र घटते यावत् सकलवाक्यार्थानुयायितया
प्रतिपत्रस्याव्यभिचरित-स्व-वाचकसम्बन्धस्य सामन्यस्तपस्य निमित्तभूतस्यार्थस्य संप्रत्यये सति तत्तद्वाक्यार्थविषयतया
यथाविषयं षट्प्रकारा लक्षणा नाविर्भवति। अतोऽन्विताभिधाने विशिष्टानां पदार्थानां वाक्यर्थस्वभावानां यद् वाच्यत्वं
तस्य 'पुरः' तस्मात् पूर्वं निमित्तावस्थायां लक्षणावस्थिताः। (अ० वृ० मा०, पृ० ४७)।

^२ अन्येषां तु मते- पदानां तत्तसामान्यभूतो वाचोऽर्थः वाक्यस्य तु परस्परान्विताः पदार्था इति पदापेक्षयाभिहितान्वयः
वाक्यापेक्षया तु अन्विताभिधानम् एवं चैतयोरभिहितान्वयान्विताभिधानयोः समुच्चय इति। (अ० वृ० मा०, पृ० ४५)।

^३ 'द्वये' अभिहितान्वयान्विताभिधानसमुच्चयात्मके द्वयं वाच्यत्वाद् ऊर्ध्वम्, प्राप्त्वावश्च लक्षणाया इत्यर्थः। (अ० वृ० मा०,
पृ० ४८)।

^४ अथमेव च पक्षः श्रेयान् यत्संहत्यकारित्वं पदानामसंकीर्णार्थत्वं च -

निरपेक्षप्रयोगेऽयः शलाका कल्पना भवेत्।
तदन्विताभिधाने तु पदान्तरमनर्थकम्॥
संहत्यकारिपक्षे तु दोषो नैकोऽपि युज्यते।
तेनायमुपगत्वो मार्गो हि हतकण्टकः॥ (न्या० म०, पृ० ३७२)।

३. ४. ४ अखण्डार्थवाद -

अखण्डार्थवाद का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए मुकुलभट्ट लिखते हैं कि वाक्य एवं वाक्यार्थ दोनों ही वास्तविक रूप में अखण्ड होते हैं। पदार्थ नामक कोई वास्तविक वस्तु नहीं होती। पदार्थ एक काल्पनिक सत्य है^१ अतः जहाँ वाक्यार्थ को अखण्ड माना जाता है वहाँ लक्षणा होती ही नहीं है। वहाँ भिन्न-भिन्न पदार्थों की अभिधेयता सिद्ध नहीं होती फलतः उन पर आश्रित रहने वाली लक्षणा भी वस्तुतः असिद्ध ही होती है^२ ऐसी दशा में अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद तथा समुच्चयवाद तीनों ही अनुपयोगी हैं। व्यावहारिक स्तर पर पद-पदार्थ की जो स्थिति होती है वह तो काल्पनिक होती है, उस स्थिति में काल्पनिक रूप में लक्षणा मानी जाती है तब उपयोगिता अथवा अपनी रुचि के अनुसार तीनों ही वादों में यथावसर लक्षणा को स्वीकार करना चाहिए।^३

अखण्डार्थवाद का यह स्वरूप पूर्णतया व्यक्तरणशास्त्र में मान्य अखण्डार्थवाद के अनुसृप ही है। शबरस्वामी ने वैयाकरणों को 'स्फोटवादी' कहा है^४ वैयाकरणों के अनुसार स्फोट के व्यञ्जक वर्णों को ध्वनि कहते हैं। श्रोत्र से सुनाई देने वाली ध्वनि क्षणिक तथा अस्थिर होती है। स्फोट की नित्य सत्ता होती है। इनके अनुसार वाक्यार्थ का निमित्त अखण्ड स्फोट होता है तथा वाक्य में पद, पदार्थ वर्णादि का विभाग नहीं होता। वक्ता अखण्डवाक्य का प्रयोग करता है और श्रोता अपनी प्रतिभा से अखण्ड अर्थ को ही ग्रहण करता है। पारमार्थिक रूप से वाक्य में पद और पदांश का कोई महत्त्व नहीं है।^५

आचार्य भर्तृहरि ने वाक्य-स्फोट को ही वाक्यार्थ का प्रतिपादक कहा है। पद एवं पदार्थ को ही सत्य मानने वाले मीमांसकों का खण्डन करते हुए वाक्यार्थ को ही सत्य कहा है। पद एवं पदार्थ में निश्चितता का अभाव है अतः इसे सत्य नहीं माना जा सकता। वाक्य ही अखण्ड इकाई है। पदादि भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न-भिन्न रूपों में प्रयुक्त होने

^१ परमार्थतो वाक्यवाक्यार्थयोरखण्डत्वात्रभिहितान्वयो नाप्यन्विताभिधानम्, न च तत्समुच्चयो युज्यते, पदार्थनामविद्यमानत्वात् कल्पितपदार्थनिष्ठत्वेनोभयमपि व्यस्तसमस्तरूपतया कल्प्यत इति। (अ० वृ० मा०, पृ० ४६)।

^२ अखण्डे तु वाक्यार्थेऽसो लक्षणा परमार्थेन नास्ति। भिन्नानां पदार्थानां परमार्थोऽभिधेयभावस्यानुपपद्यमानत्वात्, तदाश्रितत्वाच्च लक्षणायाः। (अ० वृ० मा०, पृ० ४८)।

^३ कल्पितपदार्थश्रयेण तु सा लक्षणा यथारुचि पूर्ववदभिहितान्वयान्विताभिधानतत्समुच्चयकल्पनया विभक्तव्यभागे निवेश्या परस्परस्य देशकालावच्छेदेनाशेषव्यवहर्तृनिष्ठतया गूढत्वात् (अ० वृ० मा०, पृ० ४८)।

^४ स्फोटवादिनः वैयाकरणः (शा० भा०, १ - १ - ५)।

^५ पदे न वर्णः विद्यन्ते वर्णोष्ववयवा न च
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन। (वा० प०, १/७२)।

से असत्य हैं। लोक-व्यवहार के लिए वाक्य में वर्ण, पद, पदार्थ आदि का विभाग किया जाता है ।^१ यह विभाग तो काल्पनिक है वास्तविक सत्ता तो अखण्ड वाक्य की ही है।

३. ५ मम्पट के अनुसार लक्षणा का स्वरूप -

आचार्य मम्पट ने जाति, क्रिया, गुण एवं संज्ञा को वाच्यार्थ माना है जिनमें शब्द का सङ्केत रहता है। इसी वाच्यार्थ का बाध होने पर रुढि अथवा प्रयोजन के कारण इससे सम्बन्धित जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह लक्षणीय अर्थात् लक्ष्य अर्थ होता है।^२ इस प्रकार स्पष्ट है कि मम्पट ने भी लक्षणा के तीन हेतु माने हैं - मुख्यार्थबाध, मुख्यार्थ सम्बन्ध तथा रुढि अथवा प्रयोजन में से किसी एक का होना। इन तीनों कारणों के एक साथ उपस्थित रहने पर ही लक्षणा होती है। उदाहरणार्थ 'शब्दे कुशलः'^३ इस वाक्य में 'कुशल' पद का वाच्यार्थ है 'कुश नामक तृण को लाने वाला' परन्तु इस वाक्य में यह अर्थ संगत नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में 'कुशल' शब्द की 'चतुर' अर्थ में लक्षणा हो जाती है। यहाँ रुढि अथवा प्रसिद्ध के कारण ही लक्षणा हुई है। किसी शब्द का यौगिक अर्थ कुछ अन्य होता है, किन्तु लोकव्यवहार में, उसका मूल अर्थ परिवर्तित हो जाता है उसके स्थान पर किसी अन्य अर्थ का प्रयोग होने लगता है, उसे ही रुढि कहते हैं। 'काव्यप्रकाश' में इन्होंने रुढि लक्षणा का उदाहरण 'कर्मणि कुशलः' दिया है।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने मम्पट के इस उदाहरण की आलोचना की है। उनके अनुसार यहाँ रुढि लक्षणा नहीं है। रुढि लक्षणा का उन्होंने उदाहरण दिया है 'कलिङ्गः साहसिकः'। विश्वनाथ के अनुसार 'कुशल' पद का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ यद्यपि कुशग्राहक है तथापि उसका मुख्यार्थ चतुर रूप अर्थ ही होता है। व्युत्पत्ति तथा प्रवृत्ति के निमित्त भिन्न-भिन्न होते हैं। यदि व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ को ही मुख्यार्थ माना जाए तो 'गम्' धातु से 'गमेऽर्द्धः' इस सूत्र से 'डो' प्रत्यय करके निष्पत्र 'गो' शब्द का 'गच्छति इति गौः' यह अर्थ होगा। ऐसी दशा में शयनकाल में गमन का अभाव होने के कारण गो शब्द का प्रयोग न हो सकेगा। अतः व्युत्पत्तिनिमित्त को ही प्रवृत्तिनिमित्त नहीं मानना चाहिए।^४

^१ अविभक्तेऽपि वाक्यार्थे शक्तिभेदादपोद्धृते वाक्यान्तरविभागेन यथोक्तं न विरुद्धते॥ (वा० प०, २/८८)।

^२ तद्बाधे रुढितोऽर्थाद् वा लक्षणीयस्तदन्वितः। (श० व्या० वि०, पृ० ७)।

^३ शब्दे कुशल इत्यादौ दर्भग्रहणाद्योगाद् - - - । (श० व्या० वि०, पृ० ७)।

^४ केचित्तु 'कर्मणि कुशलः' इति रुढावुदाहरन्ति। तेषामयमभिप्रायः - कुशाल्लातीति व्युत्पत्तिलभ्यः कुशग्राहस्त्रो मुख्योऽर्थः प्रकृतेऽसंभवन्विवेचकत्वादिसाधर्यसम्बन्धसम्बन्धिनं दक्षस्त्रपमर्थं बोधयति। तदन्ये न मन्यन्ते। कुशग्राहस्त्रपार्थस्य व्युत्पत्तिलभ्यत्वेऽपि दक्षस्त्रपयैव मुख्यार्थत्वात्। अन्यद्विंशत्वानां व्युत्पत्तिनिमित्तम् अन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम्। व्युत्पत्तिलभ्यस्य मुख्यार्थत्वे 'गौः शेते' इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्। 'गमेऽर्द्धः' (उणादि- २/६७) इति गम् धातोर्द्धोप्रत्ययेन व्युत्पत्तिलभ्यस्य गोशब्दस्य शयनकालेऽप्रयोगात्। (सा० द०, पृ० ३०-३१)।

विश्वनाथकृत यह आलोचना आपाततः तो युक्तियुक्त प्रतीत होती है किन्तु पार्यान्तिक रूप से सत्य नहीं है। अनेक ऐसे आवश्यक स्थल आते हैं जहाँ पद का व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ लिया जाता है। यमक एवं श्लेष अलङ्कारों के स्थलों में पदों का व्युत्पत्ति निमित्तक अर्थ भी कभी-कभी गृहीत होता है।

मम्मट ने प्रयोजन से होने वाली लक्षणा का उदाहरण दिया है 'गङ्गायां घोषः'। यहाँ आभीरपल्ली में शैत्य एवं पावनत्व धर्मों की प्रतीति कराने के कारण ही ऐसा प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के प्रयोजन की प्रतीति का सामर्थ्य 'गङ्गाते घोषः' इस प्रयोग में नहीं है। लक्षणा से प्राप्त तट अर्थ गङ्गाप्रवाहरूप मुख्य अर्थ से सामीप्य सम्बन्ध से सम्बन्धित है।^१

'काव्यप्रकाश' में प्रदत्त लक्षणा की परिभाषा में मम्मट ने इसे 'आरोपिता क्रिया' अथवा आरोपित शब्द व्यापार कहा है जो कि सान्तरार्थनिष्ठ अर्थात् व्यवहित अर्थ में रहता है।^२ मुकुलभट्ट भी अमुख्य अर्थ को सान्तरार्थनिष्ठ ही कहते हैं, किन्तु मुकुलभट्ट लक्षणा को एक स्वतन्त्र व्यापार अथवा वृत्ति नहीं मानते जबकि मम्मट ने इसे शब्द का एक स्वतन्त्र व्यापार माना है तथा अभिधा और लक्षणा को क्रमशः वाचक तथा वाच्य में रहने वाला व्यापार कहा है।^३ मुकुलभट्ट ने भी मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ को 'शब्दव्यापारावगम्य' तथा 'अर्थावसेय' कहा है। अर्थात् इन्होंने भी लक्षणा को अर्थनिष्ठ ही माना है।

इस प्रकार लक्षणा अर्थनिष्ठ ही होती है। शब्द में तो वह आरोपित व्यापार है। लक्ष्यार्थ के पूर्व मुख्यार्थ का व्यवधान रहता है। शब्द से सीधे लक्ष्यार्थ तक नहीं पहुँचा जा सकता। 'गङ्गायां घोषः' में 'गङ्गा' पद एकाकी लक्ष्यार्थबोध नहीं करा सकता। प्रथमतः उससे प्रवाह रूप मुख्यार्थ ही उपस्थित होगा तत्पश्चात् लक्ष्यार्थ की ओर प्रवृत्ति होगी।

३. ५. ९ लक्ष्यार्थ की सापेक्षता -

मुकुलभट्ट ने लक्ष्यार्थ को वक्ता आदि तीन कारण सामग्रियों से सापेक्ष माना था। उसी प्रकार मम्मट ने भी

^१ 'गङ्गातट' इत्यादेर्येषां न तथा प्रतिपत्तिस्तेषां पावनत्वादीनां तथाप्रतिपादनात्मना प्रयोजनेन च तेन मुख्यार्थेनाच्चितो लक्षणीयो लक्षणाव्यापारगोचरः। सम्बन्धश्चात्र विवेचकत्वादिः सामीप्यादिश्च। (श० व्या० वि०, पृ० ७)।

^२ (क) मुख्यार्थबोधे तद्योगे रुढितोऽथ प्रयोजनात्

अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिताक्रिया। (का० प्र०, पृ० ५४)।

- - - मुख्येनामुख्योऽर्थो लक्ष्यते यत् स आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तरार्थनिष्ठो लक्षणा। (का० प्र०, पृ० ५७)।

(ख) आरोपितव्यापार को ही विश्वनाथ अर्पितशक्ति कहते हैं -

सा शब्दस्यार्पिता स्वभाविकतेरा ईश्वरानुद्भाविता वा शक्तिलक्षणा नाम। (सा० द०, पृ० २६)।

^३ एवं वाच्यवाचकार्थनिष्ठौ व्यापारावभिधालक्षणे। (श० व्या० वि०, पृ० ७)।

वक्ता, वाक्य एवं वाच्य के भेद से लक्षणा के अनेक प्रकार माने हैं^१ लक्ष्य अर्थ की इस सापेक्षता का वर्णन 'काव्यप्रकाश' में नहीं है। वहाँ वक्ता आदि के वैशिष्ट्य से होने वाली आठ प्रकार की आर्थी व्यञ्जनाओं का सोदाहरण एवं विस्तृत विवेचन किया गया है।

'शब्दव्यापारविचार' में लक्ष्यार्थ की सापेक्षता का जो प्रसङ्ग आया है, उसके दो कारण प्रतीत होते हैं। प्रथम तो आचार्य मम्मट मुकुलभट्ट से प्रभावित हो लक्ष्य अर्थ की सापेक्षता भी स्वीकार करते हैं तथा द्वितीय यह कि मुकुल ने वक्ता आदि की सापेक्षता से होने वाली लक्षणा के जो उदाहरण दिये हैं, उनका खण्डन करना। क्योंकि वे तीनों ही उदाहरण जिनमें मुकुलभट्ट ने लक्षणा मानी है, मम्मट के अनुसार ध्वनिकाव्य के उदाहरण हैं। उनमें लक्षणा हो ही नहीं सकती। वक्ता के वैशिष्ट्य से होने वाली लक्षणा के लिए मम्मट ने उदाहरण दिया है -

उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्।

विदधदीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्य ततः शरदां शतम्॥

इस पद्य में किसी के अत्यधिक अपकारों से सन्तप्त व्यक्ति की विशेषता के आधार पर अपकारी व्यक्ति की दुर्जनता का लक्षणा से बोध होता है। यहाँ लक्षणा वैपरीत्य सम्बन्ध से हो रही है। जैसे किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए 'वृहस्पति' शब्द का प्रयोग करने से उस व्यक्ति में 'मूर्खत्व' की प्रतीति होती है^२

वाक्य के वैशिष्ट्य से होने वाली लक्षणा का उदाहरण है -

धन्यासि या कथयसि प्रियसङ्गमेऽपि

विस्त्रब्ध्याटुकशतानि रतान्तरेषु

नीवीं प्रति प्रणिहिते च करे प्रियेण

सख्यः शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि।

इसमें 'धन्य हो' इस कथन से 'मैं अत्यन्त धन्य हूँ' यह अर्थ लक्षणा द्वारा प्रतीत हो रहा है। यह प्रतीति वाक्य की विशेषता के आधार पर ही हो रही है।^३

यही पद्य मम्मट ने 'काव्यप्रकाश' के चतुर्थ उल्लास में ध्वनि-भेदों के प्रसङ्ग में स्वतंसिद्ध वस्तु से अलङ्कार की व्यञ्जना के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।^४

^१ वक्तुर्वाक्यस्य वाच्यस्य रूपभेदाद् विभिन्नते। (श० व्या० वि०, पृ० ९५)।

^२ बहुभिरपकरैस्ताप्यमानस्य कस्यचिदुक्तिरियम् अतो वक्तृमहिमा मूर्खे वृहस्पतिशब्देन मूर्खत्वमिवापकारिणि दुर्जनत्वादि अत्र लक्ष्यते। (श० व्या० वि०, पृ० ९५)।

मम्मट के अनुसार वाच्य वह व्यक्ति है जिससे कुछ कहा जाये। वाच्य की विशिष्टता से होने वाली लक्षण का उदाहरण है -

भुवनाभयदानसक्तशक्तेः सकलस्वीक्रियमाणसंपदस्ते।

न समानधुराधिरोहदोषं सुमते कोऽपि कदापि कर्तुमीष्टे॥

यह ऐसे व्यक्ति के प्रति कथन है जो प्राणों से भी प्रिय व्यक्ति को, विपत्ति के समय भी तटस्थ रहकर तृणमात्र भी देने में असमर्थ है। वह व्यक्ति ही वाच्य है। वाच्य के वैशिष्ट्य से यहाँ लक्षणा हुई है^३ यह लक्षणा भी वैपरीत्य सम्बन्ध पर आधारित है।

इसी प्रकार वक्ता, वाक्य आदि में दो - दो की विशेषता से होने वाले तीन अन्य भेद तथा तीनों के संयोजन से होने वाले भेद भी हो सकते हैं^४

वक्ता आदि के स्वाभिमत उदाहरणों को प्रस्तुत करने के अनन्तर आचार्य मम्मट ने मुकुलभट्ट के उदाहरणों की आलोचना की है। यद्यपि इस प्रसङ्ग में इन्होंने मुकुलभट्ट का नामोल्लेख नहीं किया है किन्तु तीनों ही पद्य 'अभिधावृत्तिमातुका' के हैं।

मम्मट के अनुसार इन तीनों ही उदाहरणों में मुख्यार्थ के बाधित न होने के कारण इनमें लक्षणा नहीं मानी जा सकती। 'दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि- - -' इत्यादि पद्य में सम्भावित संभोगचिह्नों का अपह्लव रूप वस्तु व्यङ्ग्य है लक्ष्य नहीं^५

द्वितीय पद्य में मुकुलभट्ट ने अतिशयोक्ति गर्भित उत्तेक्षा मानी है। मम्मट यहाँ रूपक अलङ्कार मान रहे हैं तथा उसे भी इन्होंने व्यङ्ग्य कहा है। इनके अनुसार आक्षिप्त अलङ्कार की लक्षणा से प्रतीति नहीं मानी जा सकती। क्योंकि यदि आक्षिप्त अलङ्कारों को भी लक्ष्य माना जाने लगेगा तब अभि लाने के लिए पात्र के आनयन में भी

^१ अत्र धन्यास्मीति लक्ष्यते। वाक्यस्यैवात्र शक्तिः। (श० व्या० वि०, पृ० १६)।

^२ धन्याऽसि - - - - ।

अत्र त्वमधन्या अहन्तु धन्येति व्यतिरेकालङ्कारः। (का० प्र०, च० उ०, पृ० १७६)।

^३ अत्र प्राणसमस्य व्यसनेऽपि तटस्थः तुणमात्रमपि दातुमसमर्थश्च वाच्यः। (श० व्या० वि०, पृ० १६)।

^४ एवं द्विकभेदास्त्रयः त्रिकभेदश्चैक उदाहार्यः। (श० व्या० वि०, पृ० १६)।

^५ नादेयपानीयानयनेन परपुरुषसंभोगस्य नडग्रन्थिलेखनेन संभाव्यमाननखदशनक्षतानां च निह्नवात्सकं वस्तु भवान् हरिरिति रूपकालङ्कारः विप्रलम्बशृङ्गारश्च रसो लक्ष्यत इति नोदाहार्यं मुख्यार्थस्य बाधाभावात्। (श० व्या० वि०, पृ० १८)।

लक्ष्यता माननी होगी।^१ जब कि अभिन्न के आनयन में पात्र का लाना भी जुड़ा रहता है। 'धन्यातोक' में भी शब्द के द्वारा अनुकूल किन्तु शब्दशक्ति के द्वारा ही आक्षिप्त अलङ्कार को शब्दशक्त्युद्भव ध्वनि कहा गया है।^२

ममट ने अलङ्कारों को अभिधान का ही प्रकार माना है। पण्डितराजजगन्नाथ ने भी 'वाच्यसौन्दर्यसारा हि अलङ्कारा:' कहकर अलङ्कारों को वाच्यनिष्ठ माना है। जहाँ ये अलङ्कार आक्षिप्त होते हैं वहाँ लक्षणा से इनकी प्रतीति नहीं होती वरन् ये व्यञ्जन होते हैं। अलङ्कारों के स्थल में जहाँ व्यञ्जन की सत्ता होती भी है वहाँ प्रधानता अलङ्कारों की ही रहती है। ध्वनि-काव्य में व्यञ्जन वाच्यातिशायी होता है, अतः वहाँ यदि अलङ्कार व्यञ्जन होकर प्रधान होते हैं तब वे अलङ्कार न होकर 'अलङ्कार्य' होते हैं। 'ब्राह्मणश्रमणन्याय' से उन्हें 'अलङ्कार' कह दिया जाता है।^३ अर्थात् जैसे कोई व्यक्ति पूर्व में ब्राह्मण था, किन्तु बाद में बौद्ध भिक्षु हो जाता है। बौद्ध हो जाने के पश्चात् यद्यपि वह ब्राह्मणत्वादि से मुक्त हो जाता है तथापि पहले के आधार पर वह 'ब्राह्मणश्रमण' ही कहलाता है। उसी प्रकार वाच्य दशा में अलङ्कार कहलाने के कारण जहाँ अलङ्कार व्यञ्जन एवं प्रधान होते हैं वहाँ भी उन्हें 'अलङ्कार' ही कह दिया जाता है।

मुकुलभट्ट प्रदत्त 'दुर्वारा मदनेष्वो- - ' इत्यादि वाच्य की सापेक्षता से होने वाली लक्षणा के उदाहरण में विप्रलम्घ शृङ्खार व्यञ्जन है लक्ष्य नहीं। बाधित वाच्यार्थ से रसप्रतीति नहीं हो सकती। ममट रस को सदा व्यञ्जन ही मानते हैं। लक्षणा में मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बाध अनिवार्य है। रस असंलक्ष्यक्रमव्यञ्जन होता है। यदि पूर्व में मुख्यार्थ का बाध हो तो रस प्रतीति में व्यवधान होगा।

इस प्रकार मुकुलभट्ट के तीनों ही उदाहरणों में मुख्यतया मुख्यार्थबाध का अभाव दर्शाते हुए ममट ने उनमें लक्षणा का निषेध किया है। यद्यपि मुकुलभट्ट ने भी मुख्यार्थबाध को लक्षणा का हेतु माना है किन्तु उसका स्वरूप ममट को स्वीकृत मुख्यार्थबाध से भिन्न है। मुकुलभट्ट के अनुसार मुख्यार्थ के अन्य प्रमाण से बाधित होने के कारण उसका अपनाया जाना सम्भव न होना ही मुख्यार्थबाध है। प्रथम अर्थ के बाद बाधित होने वाले सभी अर्थ इनके अनुसार लक्ष्यार्थ ही हैं।

^१ आक्षिप्तस्यालङ्कारस्य लक्ष्यत्वे च वह्यानयने पात्रानयनस्य लक्ष्यत्वप्रसङ्गात्। (श० व्या० वि०, पृ० १८)।

^२ आक्षिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते।

यस्मिन्नुकूलः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हि सः॥ (ध०, द्वि० उ०, २९, पृ० १६०)।

^३ अलङ्कार्यस्यापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेनालङ्कारता। (का० प्र०, च० उ०, पृ० १७२)।

३. ५. २ ममट के अनुसार निरुढा, प्रयोजनवती एवं अकार्या लक्षणाएँ -

ममट ने भी निरुढा एवं प्रयोजनवती, जिसे वे 'कार्या' लक्षणा कहते हैं, के साथ 'अकार्या' लक्षणाओं का विवेचन किया है।^१

निरुढा लक्षणा के उदाहरणस्वरूप 'शब्दव्यापारविचार' में 'अनुलोम' तथा 'प्रतिकूल' शब्द दिये गये हैं। इनके मुख्यार्थ (रोम के अनुरूप मालिश तथा तट के विपरीत) लक्ष्यार्थ में ही वाचक के समान रूढ हो जाते हैं। इसलिए इन्हें निरुढा लक्षणा कहा जाता है।^२

'कार्या' अर्थात् प्रयोजनवती लक्षणाएँ हैं जो किसी प्रयोजन के रहने पर की जाती हैं। जैसे -

रविणा हृतसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः ।

निश्चासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते॥

तथा - स पुरुषः स च जीवति सत्कृतं जगति यस्य पराक्रमसंभृतम्।

भ्रमति सूर्यकरैः सह गामिमामभिनवोदितपल्लवितं यशः॥

इनमें 'अन्ध' आदि शब्दों की वाच्यार्थ से संगति नहीं होती, इस कारण उसका अत्यन्त तिरस्कार हो जाता है तथा लक्षणा से 'कान्तिरिक्तता' का बोध होता है। इस लक्षणा का प्रयोजन है कान्तिहीनता का प्रतिपादन जो व्यञ्जनालभ्य है।^३

इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में 'पुरुषः' शब्द अपने साथ रहने वाले पराक्रम आदि धर्मों का लक्षणा से बोध करते हैं। यहाँ उन धर्मों की अनन्तता का व्यञ्जना से बोध होता है क्योंकि वही लक्षणा का प्रयोजन है। इसमें वाच्य अर्थ दूसरे अर्थ में संक्रान्त हो जाता है।^४

जहाँ रूढि के अनुकरण पर किसी शब्द की कल्पना करके लक्षणा की जाती है वे 'अकार्या' लक्षणाएँ होती हैं तथा वे प्रयोजनीय नहीं होतीं। जैसे दो रेफों के सम्बन्ध से द्विरेफ शब्द 'भ्रमर' शब्द को अभिधेय बनाते हुए 'षट्पद'

^१ निरुढा काचनान्या तु कार्या सा काचिदन्यथा। (श० व्या० वि०, पृ० २३)।

^२ अनुलोमप्रतिकूलादिशब्देषु काचन सा वाच्यमर्थ परिहृत्य लक्ष्य एवार्थे वाचकवन्निरुढा। (श० व्या० वि०, पृ० २३)।

^३ इत्यादावन्धादिशब्देषु अनुपद्यमानत्वाद् वाच्यमत्यन्ततिरस्कृतम् इति विच्छायत्वस्य लक्षितस्यासामान्यत्वं व्यञ्जयम् । (श० व्या० वि०, पृ० २४)।

^४ इत्यादौ पुरुषशब्दोऽनुपयुज्यमानत्वात्लक्षितस्वगतपराक्रमादिर्धर्मव्यञ्जयतदान्त्य संक्रमितवाच्यः। (श० व्या० वि०, पृ० २४)।

अर्थ के लिए लक्षणा द्वारा प्रयुक्त होता है उसी प्रकार 'द्विक' आदि शब्द का प्रयोग 'कोकिल' आदि के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार की लक्षणाएँ प्रयोग के योग्य नहीं होतीं।^१

३. ५. ३ लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से सम्बन्ध -

लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से सम्बन्ध रूप हेतु के प्रकारों के लिए मम्मट ने भी मुकुलभट्ट द्वारा उद्धृत भर्तृमित्र की कारिका प्रस्तुत की है। किन्तु जहाँ मुकुलभट्ट ने भर्तृमित्र का नाम लिया है वहाँ मम्मट ने नामोल्लेख नहीं किया है।^२

पाँच प्रकार के सम्बन्धों में अभिधेय के साथ सम्बन्ध रूप से होने वाली लक्षणा का उदाहरण है 'द्विरेफ'। द्विरेफादि शब्दों के अभिधेय अर्थ होते हैं 'ब्रमर' आदि शब्द (जो दो रेफ से युक्त होते हैं), उन अभिधेय शब्दों का सम्बन्ध रहता है और से। अतः लक्षणा द्वारा 'द्विरेफ' से 'भौंरा' अर्थ बोधित होता है।^३

सादृश्य से होने वाली लक्षणा का उदाहरण है 'सिंहो माणवकः' तथा -

वर्षे समस्त एवैकः श्लाघ्यः कोऽप्येष वासरः

दिनैर्महत्तयान्वेयो यो न पूर्वैर्न चापरैः ॥^४

इस पद्य में 'दिवस' की उसके सदृश 'महापुरुष' में लक्षणा हुई है। यहाँ गुणों के सादृश्य के कारण ही लक्षणाएँ हुई हैं।

समवाय सम्बन्ध को सामीप्य एवं साहचर्य रूप से मानकर इनके क्रमशः उदाहरण दिये गये हैं - 'गङ्गायां धोषः' तथा 'छत्रिणो यान्ति'^५

^१ 'रेफद्यानुगतभ्रमरादिशब्दाभिधेयत्वे द्विरेफशब्दः षट्पदे यथा प्रयुज्यते तथा कोकिलादौ द्विक इत्यादिका 'अन्यथा' न प्रयोज्याः। (श० व्या० वि०, पृ० २४)।

^२ यश्च सम्बन्धो लक्षणाया निमित्तं तं पञ्चविधमाहुः। यथोक्तम् -
अभिधेन सम्बन्धात् सादृश्यात् समवायतः।
वैपरीत्यात् क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा मता॥। (श० व्या० वि०, पृ० ३०)।

^३ तत्र द्विरेफादिशब्दस्य ब्रमरादिः शब्दोऽभिधेयः। तत्संबन्धात् तेन षट्पदो लक्ष्यते इति अभिधेयसम्बन्धनिमित्तता । (श० व्या० वि०, पृ० ३०-३१)।

^४ अत्र प्रकरणवशाद् महापुरुषः कश्चिल्लक्ष्यते यस्य पूर्वे भाविनो वा पुरुषा न समानत्वमुपयन्ति। (श० व्या० वि०, पृ० ३०)।

^५ समवायः उक्तसम्बन्धेऽप्योऽन्यः।
सामीप्याद् 'गङ्गायां धोष' इति
साहचर्यात् 'छत्रिणो यान्ति'-ति। अत्र हि छत्रिसाहचर्यादच्छत्रा अप्येवं व्यपदिश्यन्ते। (श० व्या० वि०, पृ० ३०)।

वैपरीत्य सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा का उदाहरण है किसी भीरु को 'परशुराम' कह देना।^१

क्रियायोग से होने वाली लक्षणा के लिए ममट ने भी मुकुलभट्ट प्रदत्त पद्य ही प्रस्तुत किया है-

पृथुरसि गुणैः कीर्त्या रामो नलो भरतो भवान्

महति समरे शत्रुघ्नस्त्वं तथा जनकः स्थितेः।

इति सुचरितैर्मूर्तिं बिप्रत् पुरातनभूभृतां

कथमसि न मान्याता देव त्रिलोकविजय्यपि॥२

इन उदाहरणों में 'गङ्गायां घोषः' को मुकुलभट्ट ने अधिखेय सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा में भी दिया है और उसे उन्होंने समीपसमीपिभावात्मक माना है।

इन पाँचों प्रकार के सम्बन्धों के अतिरिक्त 'शब्दव्यापारविचार' तथा 'कार्यप्रकाश' दोनों ही ग्रन्थों में ममट ने शुद्धा एवं गौणी लक्षणा के भेद के प्रसङ्ग में सम्बन्ध के दो वर्ग माने हैं - सादृश्य सम्बन्ध तथा सादृश्येतरसम्बन्ध। सादृश्य से अधिक स्थलों में होने वाली लक्षणा कहीं कार्य-कारण रूप से होती है जैसे 'आयुर्धृतम्' तो कहीं तादर्थ्य उपचार से जैसे 'इन्द्रार्थास्थूणा इन्द्रः'। यहाँ इन्द्र के लिए बनाई हुई स्थूणा को इन्द्र कह दिया गया है। कहीं 'स्वस्वामिभाव' सम्बन्ध से भी लक्षणा होती है जैसे राजकीय अथवा राजा के विशेष कृपापात्र पुरुष को 'राजा' कह देना। 'अवयव-अवयविभाव' सम्बन्ध से भी लक्षणा होती है जैसे 'अग्रहस्त'; यहाँ हाथ के केवल अग्रभाग के लिए 'हस्त' शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। 'तात्कर्म्य (उस कर्म के करने के कारण) सम्बन्ध' से भी कहीं कहीं लक्षणा होती है। उदाहरणार्थ जो व्यक्ति बढ़ई जाति का नहीं है, उसे बढ़ई का कार्य करने के कारण 'तक्षा' कह देना। उसके कार्य की निपुणता ही यहाँ लक्षणा का प्रयोजन है।^३

इससे यही प्रतीत होता है कि सम्बन्धों के द्विविध वर्गों की चर्चा करके भी पाँच प्रकारों के सम्बन्धों का विवेचन ममट ने मुकुलभट्ट की मान्यता को स्वीकृति देने के लिए ही किया है।

^१ वैपरीत्याद् यथा 'कातरे भार्गव' इति। (श० व्या० वि०, पृ० ३०)।

^२ अशत्रुघ्नेऽपि शत्रुहननक्रियायोगाच्छत्रुघ्नत्वेन व्यपदेशः। (श० व्या० वि०, पृ० ३९)।

^३ 'आयुर्धृतम्' 'आयुरेवेदम्' इत्यादौ सादृश्यादन्यः कार्यकारणभावादिः परः सम्बन्धः।

क्वचित् तादर्थादुपचारः यथा इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्रः क्वचित् स्वस्वामिभावात् यथा राजकीयः पुरुषो राजा, क्वचिदवयवावयविभावाद् यथा अग्रहस्त इत्यत्राग्रमात्रावयवे हस्तः क्वचित् तात्कर्म्यात् यथा अतक्षा तक्षा। (श० व्या० वि०, पृ० १४)।

३. ५. ४ अभिधा एवं लक्षणा का पौरापर्य -

अभिधा एवं लक्षणा के पौरापर्य पर विचार करने के लिए ममट ने भी मुकुलभट्ट के अनुसार ही अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, समुच्चयवाद तथा अखण्डार्थवाद की चर्चा की है।

३. ५. ४. ९ अभिहितान्वयवाद -

लक्षणा अभिहितान्वयवाद में अभिधा के पश्चात् होती है। वाक्य से जो वाक्यार्थबोध होता है वह अभिधा से नहीं अपितु तात्पर्य-शक्ति से होता है। वाक्यार्थ के विशेषरूप होने से उसमें सङ्केत-ग्रह मानने पर आनन्द तथा व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाएँगे, इसी प्रकार वाक्य में प्रथमतः सामान्य रूप से पदों का अर्थ अभिहित होता है उसके पश्चात् आकाङ्क्षा आदि के द्वारा उनका परस्पर अन्वय होता है तदनन्तर उनमें सम्बन्धकृत वैशिष्ट्य आता है। यह विशिष्टता किसी पद का नहीं, अपितु वाक्य का अर्थ होती है जो तात्पर्य-शक्ति से उत्पन्न होती है। यही अभिहितान्वयवाद है। इस पक्ष में अभिधा पहले आती है और अन्वय में बाधा उत्पन्न होने पर लक्षणा उसके बाद आती है।^१

‘अभिहितान्वयवाद’ कुमारिलभट्ट का सिद्धान्त माना जाता है। यद्यपि इन्होंने वाक्यार्थ का बोध अभिधा से नहीं माना है तथापि इनके ग्रन्थों में कहीं भी ‘तात्पर्यशक्ति’ का नाम नहीं मिलता है। ममट द्वारा उल्लिखित ‘तात्पर्यशक्ति’ का मूल कहाँ है यह स्पष्ट नहीं हो सका है। ‘काव्यप्रकाश’ में भी ‘तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्’ कहकर इन्होंने कतिपय विद्वानों को तात्पर्यशक्ति को मानने वाला बताया है किन्तु ये विद्वान् कौन हैं इसे स्पष्ट नहीं किया है। ‘काव्यप्रकाश’ के कुछ टीकाकार ‘केषुचित्’ से मीमांसकों का ग्रहण मानते हैं,^२ किन्तु भीमसेनदीक्षित ने ‘तात्पर्यवृत्ति’ को मीमांसकों का नहीं अपितु नैयायिकों का मत माना है।^३

मीमांसाशास्त्र के किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में ‘तात्पर्यवृत्ति’ का स्पष्ट शब्दों में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु व्याख्याकारों ने ‘तात्पर्यवृत्ति’ को मीमांसकों की ही वृत्ति माना है। ‘श्लोकवार्तिक’ की ‘न्यायरत्नाकर’ टीका में

^१ इहानन्त्यात् व्यभिचाराच्च वाक्यस्य वाक्यार्थ इव विशेषरूपे पदार्थे पदस्य सङ्केतः कर्तुं न पार्यत इति सामान्य एव सङ्केतः। आकाङ्क्षा-सत्रिधि-योग्यतावशात् सामान्यानामभिहितानां सतां अन्वय इति पदार्थानां वैशिष्ट्यम्। एवं चापदार्थोऽपि वाक्यार्थः तात्पर्यशक्त्या प्रतिपाद्यते। अत्र पक्षे पूर्वमभिधा ततोऽन्वयबाधे लक्षणा। (श० व्या० वि०, पृ० २६)।

^२ (क) केषुचिदिति। - - -। अभिहितान्वयवादिनामित्यर्थः। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० २६)।
(ख) तात्पर्यार्थोऽपि केष्विति। अभिहितान्वयवादिभट्टेष्वित्यर्थः। (का० प्र०, १६टीकाओं सहित, सङ्केत, पृ० १६६)।

^३ (क) केषुचिन्यायादिनयेषु न तु मीमांसकादिमतेष्वपि। (का० प्र०, १६टीकाओं सहित, सुधासागर, पृ० १७३)।
(ख) केषुचिदिति। प्राचीननैयायिकमतेष्वित्यर्थः। (का० प्र०, १६टीकाओं सहित, आदर्श, पृ० १७३)।

पार्थसारथिमिश्र ने 'तात्पर्य' शब्द का प्रयोग किया है।^१ साहित्यदर्शकार ने भी 'तात्पर्यवृत्ति' को मीमांसकों की ही वृत्ति कहा है।^२ मुकुलभट्ट ने अभिहितान्वयवाद का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उसमें कहीं भी 'तात्पर्यवृत्ति' का नाम नहीं लिया है। अभिधा से कथित न होने वाले अर्थ का आक्षेप लक्षणा से ही हो जाता है।

मम्मट के पूर्व अभिनवगुप्त ने 'लोचन' टीका में अनेक स्थलों पर 'तात्पर्यवृत्ति' का उल्लेख किया है।^३ अभिनवगुप्त ने व्यञ्जना-सिद्धि के प्रसङ्ग में ही तात्पर्य-वृत्ति की विवेचना की है।

सम्भवतः मम्मट ने भी व्यञ्जनावृत्ति की सिद्धि की भूमिका हेतु ही तात्पर्यवृत्ति का उल्लेख किया है।

३. ५. ४. २ अन्विताभिधानवाद -

यह सिद्धान्त प्रभाकर एवं उनके अनुयायियों का है जो कि अभिहितान्वयवाद के घोर विरोधी हैं। शब्दव्यापारविचार में मम्मट ने इसका स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया है - उत्तमवृद्ध के वाक्य को सुनकर, मध्यमवृद्ध के व्यवहार को देखकर श्रोता पहले तो अखण्ड अर्थ के वाचक अखण्ड वाक्य को ही समझता है, उसके पश्चात् ही अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर किसी निश्चित अर्थांश को किसी निश्चित वाक्यांश का अर्थ मानता है। इस प्रकार सामान्यावच्छादित विशिष्टपदार्थ में ही पदों का सङ्केत रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ स्वरूपतः सामान्य होते हैं किन्तु अन्वय से उनमें वैशिष्ट्य आता है। स्पष्ट है कि अन्वय से युक्त पदार्थों का ही अभिधा से बोध होता है। इस पक्ष में लक्षणा पहले होती है। अभिधान के पूर्व ही पदार्थों के साथ अन्वयजनित वैशिष्ट्य जुड़ जाता है। लक्षणा की स्थिति अन्वय के बाधित होने पर ही होती है अतः इस पक्ष में यदि लक्षणा का प्रसङ्ग होता भी है तो वह अभिधान के पूर्व ही हो जाता है।^४

^१ वाक्यार्थे हि शब्दानां तात्पर्यं न पदार्थेषु तेषां प्रमाणान्तरसिद्धत्वात्। अतो यद्यप्यभिधाव्यापारः पदार्थेष्व एव पर्यवसितः तथापि तात्पर्यव्याप्तेरपर्यवसिताया वाक्यार्थपर्यन्तत्वात् तात्पर्ये शब्दस्य प्रामाण्यात् सिध्यति शब्दे प्रमेयतया वाक्यार्थस्य शाब्दत्वमिति । (श्लो० वा०, पृ० ६४)।

^२ अभिहितान्वयवादिभिरङ्गीकृता तात्पर्याद्या वृत्तिरपि- - -। (सा० द०, प्र० परि०, पृ० १५७)।

^३ (क) ननु तात्पर्यशक्तिपर्यवसिता विवक्षया दृप्तधार्मिक- - -। (ध्व० ल००, प्र० उ०, पृ० ७६)।
(ख) ततो विशेषरूपे वाक्यार्थे तात्पर्यशक्तिः परस्परान्विते - - - (ध्व० ल००, प्र० उ०, पृ० ८०)।

^४ अन्वितोक्तौ पुनः पुरः।
‘देवदत्त गामानये’- त्याद्युत्तमवृद्धवाक्यश्ववणान्मध्यमवृद्धो विशिष्टं व्यापारं करोतीति दृष्ट्वा व्युत्पाद्यमानो निर्विभागोऽर्थं निर्विभागं वाक्यं वाचकं जानाति। ततो ‘यज्ञदत्त गामानये’- त्यादिवाक्यान्तरप्रयोगे सति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां नियतस्य नियतार्थमवस्थतीति सामान्यावच्छादिते विशिष्ट एव पदार्थे पदानां सङ्केत इत्यन्वितानामेव सत्ताम् अभिधानमिति विशिष्टानां पदार्थता। अत्र पक्षे अभिधायाः ‘पुरः’ आदौ लक्षणा विशिष्टस्यैव पदार्थत्वात्। (श० व्या० वि०, पृ० २७-२८)।

न्यायमञ्जरीकार जयन्तभट्ट ने भी लिखा है कि संसृष्ट अर्थ की विवक्षा हेतु ही वक्ता वाक्य का प्रयोग करता है।¹

३. ५. ४. ३ समुच्चयवाद -

पद की दृष्टि से अभिहितान्वयवाद तथा वाक्य की दृष्टि से अन्विताभिधानवाद, इस प्रकार दोनों वादों का समुच्चय मानने पर वह लक्षणा अभिधा की पूर्ववर्ती भी होती है और पश्चात्वर्ती भी। प्रत्येक वाक्य में ये दोनों ही पक्ष सम्भव हो सकते हैं ऐसी दशा में लक्षणा की भी दोनों ही स्थितियाँ स्वीकार की जा सकती हैं²

३. ५. ४. ४ अखण्डार्थवाद -

जहाँ वस्तुतः अखण्ड वाक्य को ही अखण्ड वाक्यार्थ का वाचक माना जाता है वहाँ वाक्यों में पदों का कोई अर्थ नहीं होता इसलिए उस दशा में लक्षणा होती ही नहीं है। जिस प्रकार किसी पद में एक-एक वर्णों का पृथक्-पृथक् कोई अर्थ नहीं होता वैसे ही अखण्डार्थवादियों के अनुसार वाक्य में पदों की स्थिति होती है। मम्मट ने एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया है कि जैसे चाबुक से आहत धोड़े के मस्तिष्क में दौड़ने की प्रेरणा होती है उसी प्रकार विशिष्ट वाक्य से अखण्डार्थ का बोध प्रतिभा के आधार पर होता है। यह बोध अखण्ड वाक्यार्थस्वरूप होता है। पद, प्रकृति, प्रत्ययादि की कल्पना मिथ्या है। यह उसकी व्यावहारिक स्थिति है। इस दशा में यदि पद, पदार्थादि की कल्पना की भी जाती है तो उपर्युक्त तीनों पक्ष मात्र होंगे एवं उनमें लक्षणा की तीन स्थितियाँ होंगी।³

३. ६ मम्मट के परवर्ती काव्यशास्त्रियों के अनुसार लक्षणा -

लक्षणा सम्बन्धी विभिन्न पक्षों के सन्दर्भ में अब तक के विश्लेषण से यह तो स्पष्ट ही है कि मुकुलभट्ट इस

¹ वक्ता वाक्यं प्रयुक्ते च संसृष्टार्थविवक्षया।

तथैव बुद्ध्यते श्रोता तथैव च तटस्थितः॥ (न्या० म०, पृ० ३६६)।

² द्वये द्वयम् -

पदपेक्ष्याभिहितान्वयः वाक्यापेक्ष्यात्वन्विताभिधानमिति द्वयं पक्षे 'द्वयम्' अभिधायाः पश्चात् पुरस्ताच्च सा। (श० व्या० वि�०, पृ० २६)।

³ अखण्डे तु वाक्यार्थे नास्ति सत्यतः।

वाक्यमेव वाक्यार्थस्य वाचकम्। पदेषु वर्णवद् वाक्येषु हि पदानामनर्थकत्वम् ततश्च लक्षणा नास्त्येव। कशाभिधातात् तु रगस्य यथा प्रेषितो हमनेनधावन इति प्रतिभोदेति तदवत् प्रतिभावशाद् विशिष्टवाक्यात् प्रतिपत्तिरिति सैव वाक्यार्थः। असत्यभूतप्रकृतिप्रत्ययादिकल्पनादविद्यापदे पदार्थकल्पनार्थां तूक्षेषु त्रयः पक्षाः। (श० व्या० वि�०, पृ० २६)।

विषय में अपना स्वतन्त्र मत रखते हुए भी अपने पूर्ववर्ती विद्वानों से प्रभावित हैं तथा मम्मट के लक्षणा विवेचन पर मुकुलभट्ट का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है। मम्मट की लक्षणानिरूपण-शैली अपने में विलक्षण ही है। उनका लक्षण-लक्षण पूर्णतया काव्यशास्त्र के अनुकूल एवं उपयोगी है। यही कारण है कि परवर्ती काव्यशास्त्रियों ने किसी न किसी रूप में मम्मट के विचारों को अपनाया अवश्य है किन्तु मम्मट के समान लक्षणा का लक्षण कोई भी नहीं दे सका है। संक्षेप में कतिपय प्रमुख काव्यशास्त्रियों का लक्षणा-विवेचन उल्लेखनीय है।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथप्रदत्त लक्षणा की परिभाषा तो मम्मट के अत्यधिक निकट है¹ अन्तर मात्र इतना है कि मम्मट के अनुसार ‘आरोपिताक्रिया’ लक्षणा है तथा ये लक्षणा को ‘अर्पितशक्ति’ मानते हैं। यह अभिधा की भाँति ईश्वरोद्भावित नहीं होती अतः यह अर्पित अर्थात् कल्पित शक्ति है।

काव्यशास्त्र के दार्शनिक आलङ्कारिकों में अप्पयदीक्षित अन्यतम माने जाते हैं। इनके अनुसार मुख्य अर्थ से सम्बन्ध के आधार पर जब शब्द अर्थ का प्रतिपादन करता है तब वहाँ उस अर्थ की बोधिका शक्ति को लक्षणा कहते हैं। इन्होंने गौणी को लक्षणा का ही एक भेद माना है। इसके अतिरिक्त मुख्यार्थ से परम्परया सम्बन्ध होने पर लक्षणा होती है। इस सम्बन्ध को नैयायिकों के अनुसार स्पष्ट करते हुए अप्पयदीक्षित कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इन्द्रिय और अर्थ का परस्पर सम्बन्ध आवश्यक है। घट के विशेषणरूप तथा उसमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाले नील गुण के साथ नेत्र का परम्परया सम्बन्ध होता है। नेत्र और घट-नील के मध्य संयुक्तसमवाय सम्बन्ध होगा। इसलिए परम्परा सम्बन्ध के आधार पर लक्षणा मानी जा सकती है²

पण्डितराजजगत्राथ ने शक्य सम्बन्ध को लक्षणा कहा है³ अर्थात् जिस किसी पद के शक्यार्थ का जिस किसी पद से जो सम्बन्ध होता है, उसे लक्षणा कहते हैं। पण्डितराज की यह परिभाषा न्यायदर्शन के अनुसार की गई है। किन्तु इन्होंने भी मुख्यार्थबाध, मुख्यार्थ सम्बन्ध एवं रूढि अथवा प्रयोजन को लक्षणा का हेतु कहा है। मुख्यार्थ में

¹ मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो यथाऽन्योऽर्थः प्रतीयते।

सूठे: प्रयोजनादाऽसौ लक्षणा शक्तिरपिता॥ (सा० ८०, प्र० ८० परि०, पृ० २८, २६)।

² अथ लक्षणा निर्णयते -

सा च मुख्यार्थसम्बन्धेन शब्दस्य प्रतिपादकत्वम् । तत्सादृशेन प्रतिपादकत्वरूपा गौण्यपि लक्षणाप्रभेद एव, तत्सदृशेऽपि तत्रिरूपितसादृश्याधिकरणत्वपरम्परासंबन्धसत्त्वात् । न हि ‘साक्षात्सम्बन्धे विशिष्टबुद्धियोग्यसम्बन्धे वा सत्येव लक्षणा’ इति नियमः; चक्षुरादेवं नैत्यादिषु संयुक्तसमवायादिवद्विशिष्टबुद्धियोग्यस्य परम्परा सम्बन्धस्यापि प्रत्यासन्तित्वोपपत्तेः व्यतिरेकलक्षणास्थले तत्रिरूपितविरोधाधिकरणत्वादिपरम्परासम्बन्धमात्रेण तादृशेन लक्षणा कलृप्तेश्च। (वृ० १०, पृ० ५०)

³ शक्यसम्बन्धो लक्षणा । (२० गङ्गा०, द्वि० आ०(I), पृ० १६२)।

तात्पर्य की अनुपपत्ति मानी है। गौणी को लक्षणा का ही भेद मानते हुए इन्होंने सामीप्य, सादृश्य, कारण-कार्यादि सम्बन्धों को मान्यता प्रदान की है।^१

‘अलङ्कारमहोदधिकार’ नरेन्द्रप्रभसूरि ‘उपचार’ को लक्षणा कहते हैं तथा इन्होंने भी लक्षणा के हेतुत्रय को स्वीकार किया है। यही उपचार रूपकादि अलङ्कारों का मूल है।^२ सम्बन्ध के विषय में इन्होंने मुकुलभट्ट को मान्य पाँच सम्बन्धों में से चार को ही उल्लिखित किया है।^३ रुढि को लक्षणा न मानते हुए^४ गौणी को लक्षणा का ही एक भेद स्वीकार किया है।

जैन आचार्य हेमचन्द्र ने मुख्य, गौण, लक्षक और व्यञ्जक चार प्रकार के शब्द माने हैं।^५ इससे स्पष्ट है कि ये गौणी को लक्षणा से भिन्न वृत्ति मान रहे हैं। गुणों से होने के कारण ही अर्थ गौण होता है तथा उसका विषय अर्थात् शब्द भी गौण कहलाता है। इन्होंने रुढि से होने वाली लक्षणा को नहीं माना है।^६

शृङ्गारप्रकाशकार ओज ने गौणीवृत्ति को लक्षणा से पृथक् माना है। मुख्यार्थ की अनुपपत्ति होने पर शब्द अपने मुख्यार्थ से सम्बद्ध अर्थ का बोध लक्षणा व्यापार द्वारा ही करता है। शौर्यादि गुणों के योग से अन्यार्थ बोध कराने वाली वृत्ति गौणी है।^७

३. ७ मुख्यार्थबाध - अन्वयानुपपत्ति या तात्पर्यानुपपत्ति -

लक्षणा की प्रक्रिया में मुख्यार्थ का बाधित होना अनिवार्य माना गया है। इस विषय में यह समस्या उपस्थित

^१ ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यत्र सामीप्यम्, ‘मुखचन्द्रः’ इत्यादौ सादृश्यम्, व्यतिरेकलक्षणायां विरोधः आयुर्धृतम् इत्यादौ कारणत्वादयस्त्वं सम्बन्ध्या यथायोगं लक्षणाशरीराणि। (२० गङ्गा०, छि० आ० (I), पृ० १६४-१६५)।

^२ कथञ्चित्त्वलब्धबाधस्य तत्पत्यासत्तिशालिनि।

मुख्यार्थस्य सामान्यमन्यर्थेऽतिशयाय यत्।

शब्देनारोप्यते सेयमुपचारविचित्रता

रूपकादीनलङ्कारान् या प्रसूते रसोत्तरान्॥ (अ० म०, पृ० ३२)।

^३ अभिधेयेन सम्बन्धात् सादृश्याद् वैपरीत्यतः:

क्रियायोगाच्च तामाहु प्रत्यासत्तिं चतुर्विधाम्। (अ० म०, पृ० ३३)।

^४ रुढिलक्षणा त्वभिधातुल्यैव तेनात्र नोदाहृयत। (अ० म०, पृ० ३३)।

^५ मुख्यागौणलक्ष्यव्यङ्ग्यार्थभेदान्मुख्यगौणलक्षकव्यञ्जकाः शब्दाः। (काव्यानुशासनम्, पृ० २६)।

^६ कुशलद्विरेफद्विकादयस्तु साक्षत्सङ्केतविषयत्वान्मुख्या एवेति। न रुढिलक्ष्यस्यार्थस्य हेतुत्वेनास्माभिरुक्ता। (काव्यानुशासनम्, पृ० ३०)।

^७ शृङ्गारप्रकाश, सप्तमः केवलशब्दशक्तिप्रकाशः। (पृ०, २२६, २४६)।

होती है कि मुख्यार्थबाध का स्वरूप क्या है ? बाध में अन्वय की अनुपपत्ति होती है या तात्पर्य की ? नागेशभट्ट ने तात्पर्यानुपपत्ति को ही लक्षणा का बीज स्वीकार किया है। इनके अनुसार अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का हेतु मानने पर ‘काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्’ में लक्षणा नहीं हो सकेगी क्योंकि यहाँ अन्वय की अनुपपत्ति न होते हुए भी वक्ता का तात्पर्य ‘काक’ से सभी ‘दध्युपद्यातक जीवों’ से है। यदि अन्वयानुपपत्ति ही मानें तो यहाँ लक्षणा निरवकाश हो जाएगी। नागेश के अनुसार अन्य उदाहरण भी हैं जिनमें तात्पर्य की अनुपपत्ति से ही लक्षणा होती है। ‘गङ्गायां घोषः’ में ‘घोष’ पद की गङ्गा में रहने वाले मकर आदि प्राणी में लक्षणा मानकर भी अन्वय की उपपत्ति हो जाती तथा ‘गङ्गायां पापी गच्छति’ वाक्य में गङ्गा पद का लक्ष्यार्थ ‘नरक’ मानकर अनुपपत्ति का परिहर हो जाएगा जबकि यहाँ वक्ता का तात्पर्य पूर्व में किए गये पापों वाला पुरुष स्मानार्थ गङ्गा में जाता है, इस अर्थ में है। इसके अतिरिक्त ‘नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेत्’ यहाँ वक्ता का तात्पर्य नक्षत्र-दर्शन-योग्य-काल अर्थात् रात्रि से है। कालविशेष को बताने के लिए यह लक्षणा की गई है। कभी-कभी दिन में नक्षत्र दिखाई दे जाते हैं परन्तु उस समय मौन भंग नहीं किया जाता। इस प्रकार तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणा का कारण है।⁹

मुकुलभट्ट एवं मम्मट ने मुख्यार्थबाध का क्या अर्थ लिया है यह शब्दतः नहीं कहा। उनकी लक्षणा-प्रक्रिया को देखकर ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। मुकुलभट्ट के ग्रन्थ के कुछ उदाहरण, जिनमें उन्होंने लक्षणा मानी है, मम्मट वहाँ मुख्यार्थबाध के अभाव में लक्षणा का निषेध कर रहे हैं। इससे तो यही सिद्ध होता है कि मुकुलभट्ट ने क्रिया-कारकादि से अन्वय की बाधा न होते हुए भी वक्ता के अभिप्राय में बाधा मानी है। लक्षणा के हेतु में ‘मुख्यार्थासम्भव’ का अभिप्राय तात्पर्य की अनुपपत्ति ही है क्योंकि मुकुलभट्ट प्रदत्त लक्षणा के समस्त उदाहरणों में अन्वयेन बाधा ही हो, ऐसा नहीं है। मीमांसकों की भाँति मुकुलभट्ट भी तो एकमात्र अभिधाशक्तिवादी हैं। एक ही अभिधाव्यापार तात्पर्य की समाप्तिपर्यन्त रहती है। इनकी लक्षणा भी तो अभिधा का ही भेद है। ध्वनिवादी आचार्य जिस वस्तु, अलङ्कार, रस में लक्षणा नहीं मानते, उसे भी मुकुलभट्ट लक्ष्य ही कहते हैं। इनके लाक्षणिक अर्थ में सभी तात्पर्यभूत अर्थ समाहित हो जाते हैं। वक्ता के अभिप्राय की समाप्ति के पश्चात् ही लक्षणा विश्रान्त होती है।

मम्मट ने ‘शब्दव्यापारविचार’ में एक स्थान पर अभिहितान्वयवाद की व्याख्या में एक वाक्य लिखा है -‘ततोऽन्वयबाधे लक्षणा’ इससे तो यही प्रतीत होता है कि अन्वय की बाधा इन्हें स्वीकृत थी। किन्तु काव्यप्रकाश के

⁹ वसुतस्तु तात्पर्यानुपपत्तिप्रतिसन्धानमेव तद्बीजम्। अन्वया गङ्गायां घोष इत्यादौ घोषादिपदे एव मकरादिलक्षणापत्तिस्तावताऽप्यन्वयानुपपत्तिपरिहारात्। गङ्गायां पापी गच्छतीत्यादौ गङ्गापदस्य नरके लक्षणापत्तेश्च। अस्माकं तु भूतपूर्वपापावच्छिन्नलक्षकत्वे तात्पर्यान्त्रदोषः। ‘नक्षत्रं दृष्ट्वा वाचं विसृजेद्’ इत्यत्रान्वयसम्बवेऽपि तात्पर्यानुपत्त्यैव- लक्षणास्वीकारात्। (प० ल० म०, प० ५०)।

प्रमुख टीकाकारों ने ममट के अनुसार भी तात्पर्यानुपपत्ति को ही लक्षणा का बीज माना है। इन टीकाकारों में वामन^१ परमानन्दचक्रवर्ती^२ तथा भीमसेनदीक्षित^३ आदि प्रमुख हैं।

शब्दों का प्रयोग विवक्षित अर्थ की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है अतः अर्थप्रतीति में तात्पर्य को महत्त्व देना युक्तिसङ्गत ही है। वस्तुतः तो ‘मुख्यार्थबाध’ का अर्थ ‘मुख्यार्थ की अविवक्षा’ ही है क्योंकि लक्षणा के स्थलों में वक्ता को मुख्य अर्थ की विवक्षा नहीं रहती। यही कारण है कि आनन्दवर्धन एवं ममटादि ध्वनिवादियों ने लक्षणामूलक ध्वनि में मुख्यार्थ को अविवक्षित बताया है।

नव्य नैयायिक विश्वनाथपंचाननभद्राचार्य ने तो लक्षणा की परिभाषा में ही तात्पर्यानुपपत्ति का उल्लेख किया है। इनके अनुसार भी यदि अन्वयानुपपत्ति ही लक्षणा का कारण माना जाए तो ‘यष्टीः प्रवेशय’ इत्यादि स्थलों में लक्षणा नहीं हो सकेगी क्योंकि लाठियों के प्रवेश में अन्वय उपपत्र हो सकता है किन्तु वहाँ वक्ता का तात्पर्य ‘भोजनार्थ प्रवेश’ है इसी तात्पर्य की अनुपपत्ति होने पर यहाँ लक्षणा होती है।^४

वेदान्तपरिभाषाकार धर्मराजाध्वरीन्द्र ने भी तात्पर्य की अनुपपत्ति को ही मान्यता दी है।^५

^१ ‘मुख्यार्थबाधश्च शक्यतावच्छेदकस्येण तात्पर्यविषयान्वयबाधः’ इति प्रभायां व्याख्यातम् - - - ।

एतेन तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजं नत्वन्वयानुपपत्तिरिति सूचितम् (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ४७)।

^२ तथा हि तात्पर्यानुपपत्तौ लक्षणाया आवश्यकत्वेन यथाकथञ्चित् सम्बन्धस्य सुवचत्वात् तदभावे तु मुख्यार्थबाधविरहेणैव लक्षणाया अप्रसङ्गत्। (का० प्र०, १६ टीकाओं सहित, विस्तारिका, पृ० २५३)।

^३ कुशं लातीति यौगिकार्थो मुख्यः दक्षान्वये तात्पर्यमिति मुख्यार्थबाध इति भावः। (का० प्र०, १६टीकाओं सहित, सुधासागर, पृ० २५८)।

^४ परन्तु यद्यन्वयानुपपत्तिर्लक्षणाबीजं स्यात् तदा यष्टीः प्रवेशयेत्प्रत्र लक्षणा न स्यात् यस्तिषु प्रवेशान्वयस्यानुपपत्तेरभावात्। तेन तद्यवेशे भोजनतात्पर्यानुपपत्त्या यस्तिष्यरेषु लक्षणा। (न्या० सि० मु०, शब्दप्रामाण्यनिरूपणम्, पृ० ४६)।

^५ लक्षणाबीजं तु तात्पर्यानुपपत्तिरेव नत्वन्वयानुपपत्तिः काकेष्यो दधि रक्ष्यतामित्यत्रान्वयानुपपत्तेरभावात्। गङ्गायां घोष इत्यादौ तात्पर्यानुपपत्तेरपि सम्भवात्। (वे० परि०, पृ० १२६)।

लक्षणा के भेद

संस्कृत काव्य-शास्त्र में लक्षणा के भेदों के विषय में भिन्न-भिन्न मत एवं दृष्टिकोण रहे हैं। सर्वप्रथम मुकुलभट्ट के ग्रन्थ में ही इसका व्यवस्थित एवं स्पष्ट ढंग से वर्गीकरण देखने को मिलता है। इसके पूर्व मीमांसा तथा न्याय-दर्शन में कहीं कहीं लक्षणा के भेदों की चर्चा हुई है। जैमिनि-सूत्रों में अमुख्यवृत्ति के दो रूप मिलते हैं - गौणी एवं लक्षणा^१ कुमारिलभट्ट ने भी प्रयोजनवती तथा निरुद्धा लक्षणा के निरूपण में लक्षणा के भेद को ही दर्शाया है।^२

मुकुलभट्ट के पूर्ववर्ती आनन्दवर्धन के ग्रन्थ में ध्वनि-स्थापना के प्रवाह में ही लक्षणा का विवेचन हुआ है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं भी लक्षणा का भेद नहीं किया है किन्तु इनके ग्रन्थ में प्रसङ्गतः इसके विभिन्न प्रकार दृष्टिगत अवश्य होते हैं। 'धन्यालोक' में रुद्धा लक्षणा के उदाहरण के रूप में लावण्यादि शब्द का उल्लेख मिलता है।^३ तथा जिस फल या प्रयोजन के उद्देश्य से लक्षणा की जाती है उसकी प्रतीति व्यञ्जना से ही दर्शायी गई है।^४ इससे यहीं सिद्ध होता है कि आनन्दवर्धन निरुद्धा एवं प्रयोजनवती लक्षणा के रूप में इसके भेदों से अवश्य परिचित थे।

'धन्यालोक' में अविवक्षितवाच्य ध्वनि अथवा लक्षणामूलक ध्वनि के भेद मिलते हैं अर्थात् रसंक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य। इनमें प्रथम में मुख्य अर्थ अपनी प्रतीति का परित्याग किये विना ही अन्य अर्थ की प्रतीति

^१ (क) अहीनो वा प्रकरणाद्गौणः। (मी० सू०, ३/३/१५)।

(ख) स्याच्छुतिलक्षणे नियतत्वात्। (मी० सू०, ६/३/३४)।

^२ निरुद्धा लक्षणा: काश्चित् सामर्थ्यादभिधानवत्

क्रियते साम्प्रतं काश्चित् काश्चिच्चैव त्वशक्तिः। (तं० वा०, ३/१/१२)।

^३ रुद्धा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि


लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः॥ (ध०, प्र० उ०, पृ० २७९)।

^४ मुख्यां वृत्तिं परित्यज्य- - - - -। (ध०, प्र० उ०, पृ० २७६)।

कराता है। दूसरे में, लक्षणीय अर्थ रूप में परिणत होकर ही लक्ष्यार्थ होता है- जैसे ‘गङ्गायां घोषः’ में^१ लक्षण की ये दो स्थितियाँ ही इसके दो भिन्न प्रकारों का सङ्केत देती हैं।

४. ९ मुकुलभट्ट के अनुसार लक्षण के भेद -

मुकुलभट्ट ने अभिधा के जो दस प्रकार माने हैं^२ उनमें जात्यादि प्रथम चार तो मुख्य कहलाते हैं। लाक्षणिक अभिधा व्यापार के भी छः भेद इन्होंने किये हैं। प्रथमतः तो शुद्धा एवं उपचारमिश्रा रूप से लक्षण के दो वर्ग हुए तदनन्तर उपादान तथा लक्षण-लक्षण रूप से शुद्धा लक्षण दो अवान्तर भेदों में बाँटी गई। पुनः उपचारमिश्रा के शुद्ध एवं गौण दो भेद करके उनमें प्रत्येक के अध्यारोप एवं अध्यवसान के आधार पर दो-दो भेद होते हैं^३ इस प्रकार शुद्धा लक्षण के दो भेद तथा उपचारमिश्रा के चार भेदों को मिलाकर लक्षण के कुछ छः प्रकार हो जाते हैं^४ मुकुलभट्ट के लक्षण-भेदों को चित्र संख्या (९) द्वारा समझा जा सकता है।



चित्र संख्या (९): मुकुलभट्ट के अनुसार लक्षण-भेद ।

^१ यद्युपावृत्तौ यदार्थोऽर्थान्तरमुपलक्ष्यति तदोपलक्षणीयार्थात्मना परिणत एवासौ सम्पद्यते। यथा ‘गङ्गायां घोषः’ इत्यादौ। (ध्य०, तृ० उ०, पृ० ३१७) ।

^२ इत्येतदभिधावृत्तं दशाऽत्र विवेचितम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ७२) ।

^३ शुद्धोपचारमिश्रत्वालक्षण द्विविधा मता
उपादानाल्लक्षणाच्च शुद्धा सा द्विविधोदिता।

आरोपाध्यवसानाभ्यां शुद्धगौणपचारयोः
प्रत्येकं भिद्यमानत्वादुपचारश्चतुर्विधः। (अ० वृ० मा०, पृ० ११-१५) ।

^४ एतेन चतुर्विधोपचारेण सह पूर्वोक्तौ द्वौ लक्षणभेदौ संक्लित्य षट्प्रकारा लक्षणा वक्तव्या। (अ० वृ० मा०, पृ० १८) ।

४. १. १ शुद्धा लक्षणा

शुद्धा लक्षणा के उदाहरण में मुकुलभट्ट ने 'गङ्गायां घोषः' वाक्य प्रस्तुत किया है^१ जल-प्रवाह में घोष के प्रति आधारता सम्बन्ध न होने के कारण उसके समीप में स्थित तट रूपी अर्थ का लक्षणा से ज्ञान होता है।

दूसरे प्रकार की लक्षणा उपचारमिश्रा लक्षणा है। 'उपचार' का अर्थ होता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर उपचरित अथवा आरोपित करना^२ जैसे - 'गौवाहीकः' यहाँ गो शब्द की वाहीक शब्द से अभिन्नता उपपत्र नहीं हो पाती अतः इसका मुख्यार्थ 'गोत्व' बाधित हो जाता है। तब वह गोगत जाङ्घमान्द्यादि गुणों के समान जाङ्घमान्द्यादि से युक्त वाहीकगत गुणों का लक्षणा से बोध करता हुआ उससे युक्त वाहीक में उपचरित हो जाता है। इसी कारण यहाँ उपचारमिश्रा लक्षणा हुई^३।

४. १. १. १ उपादान लक्षणा -

शुद्धा लक्षणा के दो भेदों में जहाँ अपनी सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लिया जाता है वहाँ उपादान लक्षणा होती है^४ इसके लिए मुकुलभट्ट ने दो उदाहरण दिये हैं - 'गौरनुबन्धः' तथा 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते'^५ प्रथम उदाहरण में 'गो' का मुख्यार्थ 'गोत्व' जाति है वह व्यक्ति के विना यज्ञ का साधन नहीं बन सकती अतः उसके व्यक्ति रूप अर्थ का आक्षेप कर लिया जाता है। यही उपादान है। दूसरे उदाहरण में देवदत्त का 'स्थूलत्व' प्रतिपाद्य है जो कि दिन में भोजनाभाव के कारण अनुपपत्र है, अतः वह अपनी सिद्धि के लिए उसके (स्थूलत्व के) कारणभूत रात्रिभोजन का आक्षेप कर लेता है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि स्थूलत्व को रसायनादि के उपयोग से निष्पत्र क्यों न मान लिया जाए ? मुकुलभट्ट के अनुसार इस वाक्य को उदाहरण के रूप में रखने का अर्थ ही यही है कि रसायन आदि के उपयोग का अन्य प्रमाण से अभाव है^६ इसके अतिरिक्त 'स्थूलत्व' रसायनादि के उपयोग का बाधक भी है, क्योंकि उसका प्रतिपादन दिन में भोजन के अभाव के साथ ही हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि यदि

^१ शुद्धा तावल्लक्षणा 'गङ्गायां घोष' इति । (अ० वृ० मा०, पृ० ९९) ।

^२ उपचारमिश्रा तु यत्र वस्त्वन्तरं वस्त्वन्तरे उपचर्यते यथा 'गौवाहीक' इति। (अ० वृ० मा०, पृ० ९९) ।

^३ अत्र हि गोशब्दो वाहीकशब्देनानुपपद्यमानसामानाधिकरण्याद् बाधितमुख्यार्थः सन् गोगता ये जाङ्घमान्द्यादयो गुणः तत्सदृशवाहीकगतजाङ्घमान्द्यादिगुणलक्षणाद्वारेण गोगतजाङ्घमान्द्यादिगुणसदृशजाङ्घमान्द्यादिगुणोपेते वाहीक

उपचरितः। तेनेयमुपचारमिश्रा लक्षणा। (अ० वृ० मा०, पृ० ९९) ।

^४ स्वसिद्धर्थतयाक्षेपो यत्र वस्त्वन्तरस्य तत् उपादानं --- । (अ० वृ० मा०, पृ० ९३) ।

^५ यथा 'गौरनुबन्ध' इति - - - । यथा च 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते' इति। (अ० वृ० मा०, पृ० ९३) ।

वक्ता के अन्तर्मन में रसायनादि के उपयोग से ही स्थूलत्व की निष्पत्रता निहित होती तब वह दिन में भोजन के अभाव का उल्लेख नहीं करता, जिस प्रकार रात्रि-भोजन का उल्लेख नहीं किया है।

उपर्युक्त उदाहरण में 'रात्रौ भुड्के' इस शब्द का आक्षेपरूप श्रुतार्थापत्ति मानें अथवा रात्रिभोजन रूप कारण का आक्षेप, यहाँ अपने अर्थ की सिद्धि हेतु अर्थात्तर का आक्षेप रूप उपादान भी है^३

मीमांसकों ने अर्थापत्ति नाम से एक पृथक् प्रमाण माना है^४ जिसके दो भेद होते हैं - श्रुतार्थापत्ति तथा दृष्टार्थापत्ति। 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्के' यह अर्थापत्ति प्रमाण का प्रसिद्ध उदाहरण है। यही कारण है कि मुकुलभट्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस उदाहरण में अर्थापत्ति मानने पर भी इसे उपादान लक्षणा का उदाहरण माना जा सकता है क्योंकि इसमें उपादान लक्षणा का लक्षण घटित हो रहा है।

यहाँ प्रसङ्गतः अर्थापत्ति प्रमाण का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है। अनुपपद्यमान अर्थ को देखकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना करना अर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है। अनुपपद्यमान अर्थ का ज्ञान दो प्रकार से हो सकता है कभी देखकर तो कभी सुनकर^५ जैसा कि शबरस्वामी ने लिखा है -

अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वाऽर्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यर्थकल्पना^६

इन्हीं दोनों अवस्थाओं के कारण मीमांसकों ने श्रुतार्थापत्ति एवं दृष्टार्थापत्ति रूप से अर्थापत्ति के दो प्रकार माने हैं। 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्के' यह उदाहरण दोनों ही प्रकार की अर्थापत्ति का हो सकता है क्योंकि यहाँ अनुपपद्यमान अर्थ 'पीनत्व' का ज्ञान सुनकर एवं देखकर दोनों प्रकार से हो सकता है। भाष्ट-मत के अनुसार दिन के

^३ अत्र हि पीनत्वं दिनाधिकरणभोजनाभावविशिष्टतयावगम्यमानमेव कार्यत्वात् स्वसिद्धचर्थत्वेन कारणभूतं रात्रिभोजनमाक्षेपादभ्यन्तरीकरोति। न हि पीनत्वस्य रसायनाद्युपयोगजन्यता प्रमाणान्तरेण तदभावावसाये सत्येतस्योदाहरणत्वात्। (अ० वृ० मा०, पृ० १३)।

^४ अत्र च रात्रौ भुड्क्त इत्येतच्छब्दाक्षेपपूर्वकतया प्रमाणस्यापरिपूरणस्य परिपूरणात् श्रुतार्थापत्तित्वं भवतु अथवा कारणस्यैव रात्रिभोजनस्याक्षेप इति सर्वथा स्वसिद्धचर्थत्वेनार्थान्तरस्याक्षेपपूर्वकतयान्तर्भावनादुपादानत्वमुपपद्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० १३)।

^५ प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत्। अदृष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहृता। (श्लो० वा०, पृ० ३२०)।

^६ अनुपपद्यमानार्थदर्शनात् तदुपपादकीभूतार्थान्तरकल्पनमर्थापत्तिः। तथाहि 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्के' इति दृष्टे श्रुते वा रात्रिभोजनं कल्पयते। (त० भा०, पृ० १३८)।

^७ शा० भा०, १/१/५ पर।

भोजनाभाव के होते हुए भी पीनत्व रात्रिभोजन के विना अनुपपत्र हैं अतः 'रात्रौ भुड्क्ते' इस शब्द की कल्पना कर ली जाती है। प्रभाकर के मत में यहाँ अर्थ की कल्पना होती है।^१

श्रुतार्थापत्ति का एक दूसरा उदाहरण दिया जाता है - 'विश्वजिता यजेत्'। यहाँ किसी अभिलिषित फल की कामना के विना यज्ञ की विधि अनुपपत्र होती है। अतः वह अपनी सिद्धि के लिए स्वर्गादि इच्छित फल की कामना कर लेता है। यहाँ अनुपपद्यमान अर्थ श्रुत है अतः यहाँ श्रुतार्थापत्ति है।

वेदान्तियों ने भी अर्थापत्ति को पृथक् प्रमाण माना है। इससे उपलब्ध ज्ञान को मीमांसक एवं वेदान्ती विशिष्ट प्रकार का मानते हैं क्योंकि यह प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द प्रमाण के अन्तर्गत नहीं आ सकता, यद्यपि नैयायिक इसमें भी व्याप्ति सम्बन्ध दर्शाते हुए इसका अन्तर्भाव अनुमान प्रमाण में ही कर लेते हैं।^२

मीमांसक पद के साथ-साथ वाक्य में भी लक्षण मानते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में पूरे वाक्य में ही लक्षण मानी गई है।

४. ९. ९. २ लक्षणलक्षणः -

शुद्धा लक्षण का दूसरा भेद लक्षणलक्षण है। उपादान के विपरीत जहाँ अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर दिया जाता है वहाँ लक्षणलक्षण होती है।^३ इसका उदाहरण है 'गङ्गयां घोषः' इसमें गङ्गा शब्द तट रूप अर्थ की सिद्धि के लिए अपने प्रवाहरूप मुख्यार्थ का परित्याग कर देता है। इसलिए यहाँ लक्षणलक्षण है।

४. ९. २ उपचारमिश्रा लक्षणः -

उपचारमिश्रा लक्षण चार प्रकार की होती है। उपचार के शुद्ध तथा गौण रूप से दो भेद करके उसके पुनः दो-दो प्रकार माने गये हैं। इनमें शुद्धोपचार वहाँ होता है जहाँ मूलभूत उपमानोपमेयभाव नहीं होता। शुद्धोपचार में

^१(क) भृष्टमते दिवाभौजानाभाववतः पीनत्वं रात्रिभोजनं विनानुपपत्रमित्यनुपपत्त्या रात्रौ भुड्क्ते इति शब्दः कल्प्यते गुरुमते तु तदर्थमात्रं कल्प्यते। (का० प्र०, बा० ब०, पृ० ४५)।

(ख) पीनो दिवा न भुड्क्ते चेत्येवमादिवचः श्रुतौ।

रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरुच्यते। (श्ल० वा०, पृ० ३२६)।

^२ रात्रिभोजनस्यानुमानविषयत्वात्। तथाहि अयं देवदत्तो रात्रौ भुड्क्ते दिवाऽभुज्ञानत्वे सति पीनत्वात्। यस्तु न रात्रौ भुड्क्ते नासौ दिवाऽभुज्ञानत्वे सति पीनो यथा दिवा रात्रौ चाऽभुज्ञानोऽपीनो न चायं तथा तस्मान्त तथेति केवलव्यतिरेक्यनुमानेनैव रात्रिभोजनस्य प्रतीयमानत्वात्। किमर्थमर्थापत्तिः पृथकत्वेन कल्पनीया। (त० भा०, पृ० ९४०-९४१)।

कार्यकारण भावादि के सम्बन्ध के आधार पर लक्षणा होती है क्योंकि वहाँ उपमानोपमेयभाव का अभाव होने से उपमानगत गुणों के समान गुणों के सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा नहीं हो पाती है। इसका उदाहरण है ‘आयुर्धृतम्’ यहाँ धृत आयु का कारण है धृत पर आयु का आरोप कार्य-कारण भाव के कारण है अतः उपचार शुद्ध है^१ इससे भिन्न गौण उपचार वहाँ होता है जहाँ उपमानोपमेयभाव के आधार पर उपमानगत गुणों के समान गुणों के सम्बन्ध से लक्षणा होती है। इस स्थल में उपचार गुणों के आधार पर होता है अतः ‘गौण’ कहलाता है। इसका उदाहरण है ‘शौर्वाहीकः’। यहाँ गोगत जाङ्ग्यमान्यादि के समान जाङ्ग्यमान्यादि के सम्बन्ध के आधार पर वाहीक पर गो शब्द एवं गोत्व अर्थ दोनों का उपचार होता है^२

कुछ लोग उपचार में केवल शब्द का ही उपचार मानते हैं किन्तु मुकुलभट्ट के मतानुसार शब्दोपचार अर्थोपचार के विना नहीं हो सकता अतः दोनों का उपचार मानना चाहिए^३

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुकुलभट्ट उपचार का अर्थ ‘आरोप’ लेते हैं। यही कारण है कि इन्होंने सादृश्येतर सम्बन्ध में भी उपचार मानते हुए उसके शुद्ध तथा गौण दो भेद किये हैं। यह दोनों प्रकार का उपचार भी अध्यारोप और अध्यवसान के आधार पर दो-दो प्रकार का होता है।

४. १. २. १ अध्यारोप -

जब आरोप्याण तथा आरोपाश्रय के भेद का अपहनव किए विना एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप होता है वहाँ अध्यारोप नामक भेद होता है। यहाँ एक वस्तु में उससे अधिक गुणवाली वस्तु का आरोप होने के कारण ही इसे अध्यारोप (अधि=अधिक आरोप) कहते हैं^४ जहाँ यह अध्यारोप उपमानोपमेयभाव से भिन्न स्थलों में होता है वहाँ

^१ यत्र तु पूर्वोदितोपादानरूपविपर्याससंश्रयात्र स्वार्थसिद्धचर्थतयार्थारन्तस्याक्षेपः अपित्वर्थान्तरसिद्धचर्थत्वेन स्वार्थसमर्पणम्, तत्र लक्षणम्, यथा पूर्वमुदाहृतं ‘गङ्गायां घोष’ इति। (अ० वृ० मा०, पृ० १३)।

^२ शुद्धो यत्र मूलभूतस्योपमानोपमेयभावस्याभावेनोपमानगतगुणसदृशगुणयोगलक्षणासंभवात् कार्यकारणभावादिसम्बन्धाल्लक्षण्या वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरमुपचर्यते यथा ‘आयुर्धृतमि’ ति। अत्र ह्यायुषः कारणे धृते तद्गतकार्यकारणभावाल्लक्षणापूर्वकत्वेनायुष्ट्वं कार्यं तच्छब्दश्चेत्युभयमुपचरितम्। तस्माच्छुद्धोऽयमुपचारः (अ० वृ० मा०, पृ० १६)।

^३ गौणः पुनरुपचारो यत्र मूलभूतोपमानोपमेयभावसमाश्रयेणोपमानगतगुणसदृशगुणयोगलक्षणां पुरस्सरीकृत्योपमेय उपमानशब्दस्तर्दर्थश्चाथारोप्यते। स हि गुणेभ्य आगतत्वात् गौणशब्देनाभिधीयते यथा ‘शौर्वाहीक’ इति। (अ० वृ० मा०, पृ० १६)।

^४ केचित् तु उपचारे शब्दोपचारमेव मन्यन्ते नार्थोपचारम्, तदयुक्तम् शब्दोपचारस्यार्थोपचाराविनाभावित्वात्। (अ० वृ० मा०, पृ० १६)।

^५ यत्राध्यारोप्यारोपविषययोर्भेदमनपहनुत्यैव वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरमुपचर्यते तत्रानपहनुतस्वरूप एव वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरस्याधिकस्यारोप्यमाणत्वादध्यारोपः। (अ० वृ० मा०, पृ० १८)।

शुद्ध अध्यारोप होता है तथा उपमानोपमेयभाव के कारण हुए अध्यारोप को गौण अध्यारोप कहते हैं। क्रमशः इनके उदाहरण हैं ‘आयुर्धृतम्’ तथा ‘गौर्वाहीकः’। इनमें उपचर्यमाण और उपचार के आश्रय अपने अपने रूपों में प्रकट रहते हैं।^१ आयुर्धृतम् में आयु का कारण धृत है जिस पर आयु का आरोप किया गया है। ‘गौर्वाहीकः’ में वाहीक उपमेय है जिसपर ‘गौः’ इस उपमान का आरोप है।

४. १. २. २ अध्यवसान :-

जहाँ उपचार के विषय को उपचर्यमाण में छिपाकर बताया जाता है वहाँ ‘अध्यवसान’ होता है^२ वह भी शुद्ध तथा गौण रूप से दो प्रकार का होता है। इनमें शुद्धोपचारमूलक अध्यवसान का उदाहरण है ‘पञ्चालाः’ इसमें पञ्चाल शब्द लक्षितलक्षणा द्वारा पञ्चाल (जाति) के अपत्य के निवास के अधिकरण स्वरूप जनपद अर्थ में प्रस्तुत किया गया है^३ यहाँ ‘पञ्चालः’ शब्द से अपत्यार्थ में ‘अञ्’ प्रत्यय करके ‘पाञ्चालः’ शब्द बना^४ बहुत्व के अर्थ में ‘अञ्’ का लोप होकर ‘पञ्चालाः’ शब्द निष्पत्र होता है^५ पञ्चालः शब्द का अभिधेयार्थ है पञ्चाल जाति। अपत्य-अर्थ का ज्ञान लक्षणा द्वारा होने पर अर्थ होगा ‘पञ्चाल नामक क्षत्रिय के अनेक पुत्र। किन्तु ‘पञ्चालाः’ कहकर जनपद अर्थ अभीष्ट होने पर अपत्य अर्थ से पुनः लक्षणा द्वारा उनके निवास के अधिकरण देश का ज्ञान होगा। प्रस्तुत उदाहरण में अपत्य रूप अर्थ विषय है जिसका जनपद रूप विषयी के द्वारा निगरण हो जाता है। यहाँ विषय तथा विषयी की भेद रूप से प्रतिपत्ति नहीं हो रही है^६ इस स्थल में लक्षणा रूढि के कारण हुई है। रूढि के कारण ही लक्षणा नष्ट-सी अर्थात् समाप्त जैसी प्रतीत

^१ तथाहि आयुर्धृतमित्यत्र नायुर्लक्षणकार्यान्तर्लीनतया कारणभूतस्य धृतस्य प्रतिपत्तिः स्वरूपेणैव तस्य प्रतीयमानस्यायुःकारणत्वादयुष्टव प्रतीयते तेनात्राध्यारोपः। एवं गौर्वाहीक इत्यत्रापि उपमानोपमेयस्वरूपमानपहनवात्। तदेवं यत्रोपचर्यमाणेनोपचर्यमाणविषयस्य स्वरूपं नापहनूयते तत्राध्यारोपः। (अ० वृ० मा०, पृ० १८)।

^२ यत्र तूपचर्यमाणविषयस्योपचर्यमाणेऽन्तर्लीनतया विवक्षितत्वात् स्वरूपापहनव क्रियते तत्राध्यवसानम्। (अ० वृ० मा०, पृ० १८)।

^३ तत्र शुद्धोपचारेऽध्यवसानस्योदाहरणं ‘पञ्चाला’ इति। अत्र हि पञ्चालापत्यनिवासाधिकरणत्वाज्जनपदे लक्षितलक्षणाया पञ्चालशब्दः प्रयुज्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० १८)।

^४ ‘पञ्चाल’ जनपदवाची शब्द भी है और पञ्चाल क्षत्रियों की एक जाति भी है। इस कारण व्याकरण में अपत्य अर्थ में ‘जनपद-शब्दात्-क्षत्रियाद् अञ्’ (४/१/१६८) सूत्र से अञ् प्रत्यय हुआ है।

^५ तद्राजस्य बहुषु तेनैवाऽस्त्रियाम् (पा० सू०, २/४/६२)

^६ पञ्चालेनापत्यानां लक्षणाद् अपत्यैश्च स्वनिवासाधिकरणस्य जनपदस्य। न चात्रोपचर्यमाणार्थविषयस्योपचर्यमाणाद् भेदेन प्रतिपत्तिः उपचर्यमाणार्थनिगीर्णतयैव तस्य प्रतिपत्तेः। (अ० वृ० मा०, पृ० १८)।

हो रही हैं^१ इस प्रकार यहाँ शुद्धोपचार मूलक अध्यवसान है। गौणोपचारमूलक अध्यवसान का उदाहरण है- ‘राजा’^२ राजा शब्द मुख्यतया क्षत्रिय के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु यदि क्षत्रियगत देश परिपालन जैसा गुण किसी शूद्र में भी हो तो इस गुण की समानता के आधार पर उसे भी ‘राजा’ कह देना लाक्षणिक प्रयोग ही है। समान गुण के सम्बन्ध से यहाँ लक्षणा हो रही है अतः गौण उपचार है^३ यहाँ शूद्र राजा पर क्षत्रियत्व का आरोप है। इस स्थल पर भी रूढिके कारण ही गौणता अष्ट - सी प्रतीत हो रही है अर्थात् सहसा न प्रतीत होकर विचारविमर्श के पश्चात् हो रही है। इस उदाहरण में ‘शूद्रत्वेन प्रजापालकत्वं’ क्षत्रिय राजा के द्वारा निर्गीर्ण कर लिया गया है अतः यहाँ भी अध्यवसान है^४

इस प्रकार उपचार का चार प्रकार से विभाजन हो जाता है, जिसके साथ उपादान एवं लक्षण-लक्षणा की गणना करके मुकुलभट्ट के अनुसार लक्षणा के छः भेद सिद्ध हो जाते हैं।

‘उपर्युक्तिलिखित’ पञ्चाताः उदाहरण में ‘जनपद’ अर्थ मुकुलभट्ट ने लक्षितलक्षणा से माना है शाबरभाष्य में लक्षितलक्षणा का उल्लेख मिलता है - ‘सैषा लक्षितलक्षणा स्यात्’। कुमारिलभट्ट ने भी टुप्टीका में इसकी चर्चा की है तथा इसे धर्मों की सम्बन्धरूपा कहा है^५ प्रभाकरशिष्य शालिकनाथ ने ‘प्रकरणपञ्चिका’ में लक्षितलक्षणा को अस्वीकार किया है।^६

न्यायदर्शन में भी इस पर विचार हुआ है। प्राचीन नैयायिक इसे दूसरी वृत्ति मानते हैं किन्तु नव्य नैयायिकों ने इसे लक्षणा का ही एक भेद माना है। ‘न्यायसिद्धान्तमुक्तावली’ में शक्यार्थ की परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा को लक्षितलक्षणा कहा गया है। जैसे ‘द्विरेफमानय’ में ‘द्विरेफ’ पद का शक्यार्थ रेफद्वय है जिसका साक्षात् सम्बन्ध भ्रमर पद में ज्ञात होता है और इस पद का सम्बन्ध भ्रमर (भौंरा) रूप अर्थ में ज्ञात होता है। अतः यहाँ लक्षितलक्षणा है।^७

^१ तेनात्रोपचारत्वं रूढिमाहातम्याद् अष्टमिव लक्ष्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० १८)।

^२ गौणोपचारे तु अध्यवसानस्योदाहरणं राजेति। (अ० वृ० मा०, पृ० १८)।

^३ राजशब्दो ह्यत्र प्रयोगदर्शनात् क्षत्रिये मुख्ययावृत्त्या प्रयुक्तः सन् शूद्रादौ

क्षत्रियगतजनपदपरिपालनसदृशजनपदपरिपालनयोगलक्षणपूर्वकतया गौणवृत्त्या युज्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० १८)।

^४ न चात्र ज्ञगित्येव गौणत्वस्यावगतिः विचारणाव्यवस्थाप्यत्वात्। तेनात्र गौणत्वं ज्ञगित्येवप्रतीयमानत्वाद् अष्टं सद् विचारणया समधिगम्यते। (अ० वृ० मा०, पृ० १८)।

^५ (क) तत्र लक्षितलक्षणायां गृह्यमाणायां फलकल्पना न भवति। (मी० सू०, ६/१/२ के शा० भा० पर टुप्टीका, मी० द० (६), पृ० ६७)।

(ख) तदा लक्षितलक्षणया धर्माणां सम्बन्धः

तस्माल्लक्षणां शुतिर्ब्रवीति लक्षितलक्षणपेक्षया। (मी० सू०, ६/१/२ के शा० भा० पर टुप्टीका, मी० द० (६), पृ० ६६)।

^६ न च लक्षितलक्षणायां प्रमाणमस्ति। --- लक्षितलक्षणा प्रकरणभावादयुक्ता। (प्रकरणपञ्चिका, पृ० २०३)।

^७ यत्र तु शक्यार्थस्य परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा लक्षितलक्षणेत्युच्यते। यथा द्विरेफादिपदे रेफद्वयस्य सम्बन्धोभ्रमरपदे ज्ञायते, भ्रमरपदस्य च सम्बन्धो भ्रमरे ज्ञायते लक्षितलक्षणेत्युच्यते। (न्या० सि० मु०, शब्दखण्डम्, पृ० ५९-५२)।

वेदान्त परिभाषा में लक्षितलक्षणा की उदाहरण सहित व्याख्या की गई है। सर्वप्रथम वहाँ लक्षणा का केवल लक्षणा एवं लक्षितलक्षणा रूप से दो भेद किया गया है^१ जहाँ शक्यार्थ के साथ परम्परा सम्बन्ध से अर्थान्तर की प्रतीति होती है उसे लक्षितलक्षणा कहते हैं इसका उदाहरण है 'द्विरेफ' यहाँ 'दो रेफ वाले' में इस पद की शक्ति है। इसकी अमर अर्थ में लक्षणा होती है उससे परम्परा सम्बन्ध से मधुकर में पुनः लक्षणा होती है यही लक्षितलक्षणा है। धर्मराजाध्वरीद्र ने गौणी वृत्ति को भी लक्षितलक्षणा कहा है। जैसे 'सिंहो माणवकः' में सिंह शब्द का वाच्यार्थ सिंह पशु है उससे सम्बद्ध शौर्य और क्रौर्य के सम्बन्ध से माणवक की प्रतीति होती है^२

नागेशभट्ट ने परमलघुमञ्जुषा में लक्षितलक्षणा का उल्लेख करते हुए 'द्विरेफ' पद को उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया

है^३

इस प्रकार शब्द-शक्ति-प्रकरण में विभिन्न विद्वानों द्वारा 'लक्षितलक्षणा' भी मुख्यतया प्रतिपादित की गई है। अधिकांश ग्रन्थों में इसे लक्षणा के भेद के रूप में ही मान्यता मिली है। परन्तु मुकुलभट्ट के द्वारा प्रसङ्गतः प्रयुक्त लक्षितलक्षणा शब्द से यही प्रतीत होता है कि इन्होंने इसे लक्षणा का भेद नहीं माना है। इनके अनुसार तो लक्षितलक्षणा एक प्रकार की दोहरी लक्षणा है जो पञ्चालः सदृश स्थलों में व्यवहार में लायी जाती है। उपर्युक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि 'द्विरेफ' शब्द लक्षितलक्षणा का एक बहुचर्चित उदाहरण है। मुकुलभट्ट ने भी इस उदाहरण का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है किन्तु उसे वृद्धव्यवहार से अनुगत रूढिं लक्षणा माना है।

आचार्य मम्मट ने अपने ग्रन्थों में कहीं भी लक्षितलक्षणा का नाम नहीं लिया है। 'शब्दव्यापारविचार' में पाँच प्रकार के सम्बन्धों से होने वाली लक्षणाओं में अभिधेय समबन्ध से होने वाली लक्षणा के उदाहरण में 'द्विरेफ' को उल्लेख किया है तथा इन्होंने भी इसके अनुकरण पर कोयल' तथा 'काक' आदि अर्थों के लिए 'द्विक' आदि शब्दों में होने वाली लक्षणा को अप्रयोजनीय बताया है। इस प्रकार मुकुलभट्ट की लक्षणा के छः भेद ही सिद्ध होते हैं जिन्हें संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है-

- १- उपादान लक्षणा ('गौरनुबन्धः' एवं 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुडक्ते')
- २- लक्षणलक्षणा (गङ्गायां घोषः)

^१ लक्षणा च द्विविधा-केवललक्षणा लक्षितलक्षणा चेति । (वै० परि०, पृ० १२७) ।

^२ यत्र शक्यपरम्परासम्बन्धेनार्थान्तरप्रतीतिस्तत्र लक्षितलक्षणा यथा द्विरेफपदस्य रेफद्वये शक्तस्य अमरपदघटितपरम्परासम्बन्धेन मधुकरे वृत्तिः गौण्यपि लक्षितलक्षणैव। यथा सिंहो माणवक इत्यत्र सिंहशब्दवाच्यसम्बन्धिक्रौर्यादिसम्बन्धेन माणवकस्य प्रतीतिः । (वै० परि०, १२७) ।

^३ द्विरेफपदस्य स्वलक्ष्यश्रमरशब्दवाच्यार्थं लक्षणायां लक्षितलक्षणेति व्यवहारः। स्वबोधपदवाच्यत्वं सम्बन्धः। (प० ल० म०, पृ० ५३)।

- ३- शुद्धोपचार अध्यारोप (आयुर्धृतम्)
- ४- गौणोपचार अध्यारोप (गोर्वहीकः)
- ५- शुद्धोपचार अध्यवसान (पञ्चालाः)
- ६- गौणोपचार अध्यवसान (राजा)

इन छः प्रकार की लक्षणाओं में प्रथमतः तो मुकुलभट्ट ने शुद्धा एवं उपचार को दो अलग-अलग वर्गों में रखा, पुनः उपचार के भी शुद्ध एवं गौण दो भेद कर दिये। इनका यह विभाजन अपने आप में विसङ्गतिपूर्ण लगता है। एक बार शुद्धा को उपचारमिश्रा से भिन्न बताकर पुनः उपचार का भी ‘शुद्ध’ नामक भेद कैसे सङ्गत है? शुद्धा को उपचारमिश्रा से भिन्न बताना यही अर्थ देता है कि उसमें उपचार का मिश्रण नहीं रहता, किन्तु उपचारमिश्रा में भी शुद्ध वर्ग होना यही सिद्ध करता है कि पहली शुद्धा में तथा उपचारमिश्रा में कोई न कोई अन्तर अवश्य है। जहाँ मम्मटादि अन्य अधिकांश विचारकों ने सादृश्य-आरोप को ही उपचार माना है वहाँ मुकुलभट्ट आरोप मात्र को उपचार कहते हैं। इस विश्लेषण से तो यही निष्कर्ष निर्गत् है कि मुकुलभट्ट की निरूपचारा शुद्धा में एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का ‘आरोप’ रूप लक्षणा नहीं होती। उसमें लक्षणा का स्वरूप भिन्न होता है अर्थात् वहाँ (शुद्धा में) अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप अथवा अन्यार्थ की सिद्धि हेतु स्वार्थ का त्याग रूप से ही लक्षणा होती है। इसी कारण उसमें अध्यारोप एवं अध्यवसान का अवसर नहीं आता।

४. १. ३ लक्षणा के तीन स्कन्ध -

शुद्धा एवं उपचारमिश्रा के सूक्ष्म अन्तर के प्रतिपादनार्थ मुकुलभट्ट ने लक्षणा के तीन प्रमुख स्कन्ध माने जिन्हें शुद्धा, अध्यारोप एवं अध्यवसान कहा। इनमें से प्रत्येक का विषय भी विभाजित किया।^१

मुकुलभट्ट के अनुसार शुद्धा लक्षणा तटस्थ में होती है। इसका अभिप्राय यही है कि उपादान तथा लक्षणलक्षणा नामक दो प्रभेदों वाली शुद्धा लक्षणा जिन स्थलों में होती है वहाँ लक्ष्य पदार्थ लक्षक पदार्थ से अनुपरक्त होने के कारण है उससे तटस्थ अथवा भिन्न माना जाता है^२ मुकुलभट्ट का यह विचार ‘ताटस्थ-सिद्धान्त’ के नाम से जाना जाता है। ‘गङ्गायां घोषः’ वाक्य में गङ्गापद घोष के अधिकरण के रूप में तट का लक्षक है यह ज्ञात हो जाने के

^१ तटस्थे लक्षणा शुद्धा स्यादारोपस्त्वदूरगे
निरीणेऽध्यवसानं तु रुद्ध्यासन्तरत्वतः। (अ० वृ० मा०, पृ० २०)।

^२ नहि तत्र लक्षकार्थोपरत्ततया लक्ष्यार्थस्यावगतिः। तथाहि गङ्गायां घोषः। (अ० वृ० मा०, पृ० २०)।

पश्चात् 'गङ्गा में धोष है वितस्ता में नहीं' यह प्रतीति होती है। 'गङ्गा तटे धोषः' की अपेक्षा 'गङ्गायां धोषः' प्रयोग में यही विशिष्टता रहती है कि इससे तट में मात्र स्रोतविशेष की विशेषता का प्रतिपादन ही अभीष्ट होता है। अर्थात् 'गङ्गायां धोषः' कहने का आशय मात्र इतना बताना ही है कि तट गङ्गा का ही है किसी दूसरी नदी का नहीं। यहाँ तट का जल-प्रवाह से किसी प्रकार का कोई उपराग नहीं प्रतीत होता अपितु उस तट का बोध तटस्थ अथवा जल-प्रवाह से केवल सम्बद्ध रूप से होता है। भिन्न रूप से नहीं।

लक्षणलक्षणा का उदाहरण देकर मुकुलभट्ट उपादान लक्षणा में भी तटस्थता की ही स्थिति मानते हैं। जैसे 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते'^३ में भी 'पीनत्व' के कारणभूत 'भोजन का अभाव' शब्दतः कथित हैं यहाँ 'पीनत्व' लक्षक है उसकी लक्ष्य अर्थ - 'रात्रि भोजन' के साथ तटस्थता ही है। यहाँ पीनत्व से रात्रिभोजन उपरक्त नहीं प्रतीत होता।

आरोप या अध्यारोप स्कन्ध में लक्ष्य और लक्षक के मध्य अदूरवर्तिता अथवा समीपता होती है, किन्तु वहाँ सामीप्य अभीष्ट होते हुए भी लक्ष्य के स्वरूप का अपहृनव नहीं होता है। इसके विपरीत अध्यवसान निर्गीर्ण में होता है जो कि रुढ़ि और आसन्नतरता रूप दो प्रकारों से होता है। अर्थात् अध्यारोप में अत्यधिक निकटता के कारण अथवा रुढिप्रवाह के कारण लक्षक पद द्वारा लक्ष्य के स्वरूप का पूर्णतः निगरण हो जाता है।

अध्यारोप एवं अध्यवसान के शुद्ध तथा गौण रूप से जो दो-दो ऐद होते हैं^४ उनमें शुद्ध अध्यारोप एवं अध्यवसान के लिए मुकुलभट्ट ने 'गङ्गायां धोषः' उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दोनों का स्वरूप बताया है। जब उपर्युक्त उदाहरण में गङ्गा पद के अभिधेयार्थ विशिष्ट जलप्रवाह के समीपवर्ती तट के स्वरूप को अपहृनुत किये विना ही उसे जलप्रवाह से उपरक्त या उससे अदूरवर्ती बताना अभीष्ट होता है तब इस उदाहरण में अध्यारोप होता है।^५ किन्तु जब तट से प्रवाह विशेष की अत्यन्त निकटता का प्रतिपादन करने के लिए उपर्युक्त वाक्य प्रयुक्त होता है तब 'तट' पद का अपहृनव करके ही वक्ता 'गङ्गायां धोषः' वाक्य का प्रयोग करता है उस समय 'धोष साक्षात् गङ्गा पर ही है अन्यत्र नहीं' इसका बोध होता है। ऐसे प्रयोग में यह अध्यवसान का उदाहरण होता है।^६

^३ 'गङ्गायां धोषो न वितस्तायामि' ति गङ्गशब्देप्रयुज्यमाने तटस्य स्रोतोविशेषेणोपलक्षकत्वमात्रोपयुक्तत्वेनोपरागो न प्रतीयते, तटस्थत्वेनैव तस्य तटस्य प्रत्ययात्। (अ० वृ० मा०, पृ० २०)

^४ एवमुपादानेऽपि वाच्यं यथा 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते' इति। (अ० वृ० मा०, पृ० २०)

^५ अध्यारोपाध्यवसानस्कन्धयोरपि प्रत्येकं द्विप्रभेदता, शुद्धगौणोपचारमिश्रत्वात्। (अ० वृ० मा०, पृ० २०)

^६ यदा तु गङ्गशब्दभिधेयस्य स्रोतोविशेषस्याविदूरवर्त्तित्या तटमनपहृनुतस्वरूपं स्रोतोविशेषोपरक्तत्या विवक्षितं भवति तदा पूर्वस्मिन्नुदाहरणेऽध्यारोपो भवति। (अ० वृ० मा०, पृ० २०)

^७ यदा त्वत्यन्तमासन्नतां धोषं प्रति स्रोतोविशेषस्य प्रतिपादयितुमेतद् वाक्यं स्रोतोविशेषनिर्गीर्णतया तटमपहृनुत्य प्रयुज्यते 'गङ्गयामेव साक्षात् धोषः न त्वच्यते' ति तदाध्यवसानम्। (अ० वृ० मा०, पृ० २१)

गौणोपचार के अन्तर्गत अध्यारोप एवं अध्यवसान का उदाहरण है - गौर्वाहीकः तथा 'गौरेवायं साक्षात्' ।^१

इनमें प्रथम में गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणों के सदृश गुणों से युक्त होने के कारण वाहीक की गो से निकटता प्रतिपादित होने के कारण अध्यारोप है। इसमें वाहीक पर गोत्व का अध्यारोप है परन्तु वाहीक स्वरूपतः कथित भी है, किन्तु जब सादृश्यातिशय के कारण गुणों की उल्कटता विवक्षित होती है तब वाहीक पर गोत्व का अध्यवसान होता है और कह दिया जाता है 'गौरेवायं साक्षात्'। यहाँ वाहीक का गो द्वारा निगरण हो गया है। अध्यवसान के ये दोनों ही उदाहरण आसन्नतरता या अत्यधिक निकटता के कारण से हैं। रुद्धत्व के आधार पर भी अध्यवसान हो सकता है। इसका उदाहरण 'पञ्चाला:' तथा 'राजा' है^२ इसमें रुद्धि के कारण ही लक्ष्य का स्वरूप निर्गीर्ण रहता है।

४. २ मम्ट के अनुसार लक्षणा के भेद

आचार्य मम्ट ने अपने दोनों ही ग्रन्थों में लक्षणा के भेदों की व्याख्या विस्तृत रूप से की है। मुकुलभट्ट से प्रभावित होकर इन्होंने भी लक्षणा के छः भेद ही स्वीकार किये हैं^३ संख्या के विषय में एकमत होते हुए भी वर्गीकरण के आधार तथा उसके उदाहरणों के विषय में मुकुलभट्ट से इनका विरोध स्पष्ट ही देखा जा सकता है।

मम्ट को अभिमत लक्षणा के छः भेदों में शुद्धा लक्षणा के उपादान लक्षणा एवं लक्षणलक्षणा नाम से प्रथमतः दो भेद हैं। पुनः सारोपा एवं साध्यवसाना नामक लक्षणा के शुद्धा और गौणी रूप से दो-दो भेद होकर कुल छः प्रकार की लक्षणा हो जाती हैं^४ मम्ट के इस भेद-निरूपण की प्रक्रिया पर भी मुकुलभट्ट का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगत होता है। दोनों में अन्तर यही है कि जहाँ मुकुलभट्ट ने 'शुद्धा' एवं 'उपचारमिश्रा' नाम से दो वर्गों को बाँटते हुए द्वितीय के अन्तर्गत भी शुद्ध तथा गौण रूप से दो भेद करके आरोप और अध्यवसान की व्याख्या की है वहाँ मम्ट ने सारोपा एवं साध्यवसाना का कारिकाबद्ध लक्षण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये दोनों ही भेद जब सादृश्य सम्बन्ध से होंगे तो गौणी लक्षणा होगी तथा सादृश्येतर सम्बन्ध से होने पर शुद्धा लक्षणा^५

शुद्धा लक्षणा के दोनों भेदों उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा की परिभाषा देते हुए मम्ट लिखते हैं - अपनी सिद्धि के लिए जहाँ दूसरे अर्थ का आक्षेप होता है वहाँ 'उपादान' लक्षणा होती है तथा जहाँ दूसरे अर्थ के लिए

^१ गौणेऽप्युपचारे वाच्यम् - 'गौर्वाहीक' इति 'गौरेवायं साक्षादि' ति च। (अ० वृ० मा०, पृ० २२)।

^२ यथा चासन्नतरत्वेनाध्यवसानं पूर्वं प्रविभक्तं तथा रुद्धत्वेनापि प्रविभक्तव्यम्, यथा पूर्वोपदर्शितयोरुदाहरणयोः 'पञ्चाला' इति तथा 'राजे'ति। (अ० वृ० मा०, पृ० २२)।

^३ लक्षणा तेन षड्विद्या। (श० व्या० वि०, पृ० १४)।

^४ आद्यभेदाभ्यां सह। (श० व्या० वि०, पृ० १४)।

स्वार्थ का समर्पण होता है वहाँ 'लक्षणलक्षणा' होती है^३ ये दोनों ही भेद 'अन्यत्र अजहत्स्वार्था तथा जहत्स्वार्था लक्षणा के नाम से जाने जाते हैं।^४

ममट ने उपादान लक्षणा का उदाहरण दिया है - 'कुन्तान् प्रवेशय' तथा 'यष्टीः प्रवेशय'^५ यहाँ कुन्त एवं यष्टी के अचेतन होने के कारण उनमें प्रवेशन क्रिया सम्भव नहीं हो सकती फलस्वरूप मुख्यार्थ बाधित होने पर अपनी सिद्धि हेतु ये दोनों ही पद अपने से संयुक्त पुरुषों का आक्षेप कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप रूप उपादान लक्षणा है। महाभाष्य में तत्साहचर्य के कारण होने वाली लक्षणा के लिए उपर्युक्त उदाहरण मिलते हैं।

उपादान लक्षणा का अपना उदाहरण देकर ममट ने 'गौरनुबन्धः' तथा 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते' इन दो उदाहरणों का खण्डन किया है। ये दोनों ही उदाहरण मुकुलभट्ट की 'अभिधावृत्तिमातृका' में उपादान लक्षणा के प्रसङ्ग में मिलते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि ममट ने मुकुलभट्ट का खण्डन किया है। कतिपय विद्वान् इसे मण्डनमिश्र की आलोचना मानते हैं।^६

'गौरनुबन्धोऽजोऽनीषोमीयः' यह एक श्रुति वाक्य है। मीमांसक केवल जाति में सङ्केत मानते हैं अतः उनके अनुसार 'गौरनुबन्धः' में 'गो' पद का मुख्यार्थ 'गोत्व' जाति होगा। किन्तु श्रुति का तात्पर्य एक गो व्यक्ति में होने से सम्पूर्ण गोत्व जाति का आलम्भन सङ्केत नहीं हो सकता। अतः मुकुलभट्ट जाति से व्यक्ति का बोध उपादान लक्षणा से मानते हैं।

^१ भेदाविमौ च सादृश्यात् सम्बन्धान्तरतस्तथा गौणो शुद्धौ च विज्ञेयौ । (श० व्या० वि०, पृ० ११) ।

^२ स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थं स्वसमर्पणम्।

उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा॥ (श० व्या० वि०, पृ० ८) ।

^३ एते एवान्यत्राजहत्स्वार्थाजहत्स्वार्थे इत्युच्यते। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ४३) ।

^४ (क) 'कुन्तान् प्रवेशय' 'यष्टीः प्रवेशये'- त्यादौ कुन्तादिभिरात्मनः प्रवेशसिद्धये स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते, तत उपादानेनेयं लक्षणा। (श० व्या० वि०, पृ० ६) ।

(ख) 'काव्यप्रकाश' में इसका उदाहरण दिया गया है- 'कुन्ताः प्रविशन्ति' तथा 'यष्टयः प्रविशन्ति' । (का० प्र०, पृ० ५६)

।

^५ (क) मण्डनमिश्रास्तु 'गौरनुबन्धः' इत्यादिकमुपादानलक्षणाया उदाहरणमाहुः। तन्मतं दूषयितुमनुवदति गौरित्यादिना। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ४४) ।

(ख) इति मण्डनमतमुपन्यस्य दूषयति - गौरित्यादि । - - - -। (का० प्र०, १६ टीकाओं सहित, सुधासागर, पृ० २८७) ।

मम्मट इसी मत की उपस्थापना करते हुए इसका खण्डन करते हैं कि यहाँ लक्षणा के प्रयोजन या रुढ़ि रूप हेतु में से कोई भी उपस्थित नहीं है। इस कारण यहाँ लक्षणा नहीं मानी जा सकती। व्यक्ति का तो जाति से अविनाभाव सम्बन्ध है फलतः जाति से व्यक्ति का आक्षेपमात्र कर लिया जाता है। यह लक्षणा का स्थल ही नहीं है।^१

मम्मट ने अविनाभाव सम्बन्ध के अन्य उदाहरण भी दिये हैं जैसे 'क्रियताम्' 'कुरु', 'प्रविश' 'पिण्डीम्' इत्यादि अपूर्ण वाक्यों को अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य अंशों की आवश्यकता रहती है जिसकी पूर्ति आक्षेप या अध्याहार द्वारा कर ली जाती है। 'क्रियताम्' तथा 'कुरु' ये दोनों क्रिया पद हैं इनमें अविनाभाव से क्रमशः 'त्वया' कर्ता का तथा 'पाकम्' इत्यादि कर्म का आक्षेप हो जाता है। इसी प्रकार 'प्रविश', 'पिण्डीम्' इत्यादि कहने पर इनकी सिद्धि के लिए 'गृहम्' इस कर्म पद का तथा 'भक्षय' क्रिया पद का आक्षेप कर लिया जाता है। 'काव्यप्रकाश' के उद्योतीकाकार के अनुसार आक्षेप का अर्थ अनुमान है और अविनाभाव सम्बन्ध व्याप्ति है।^२

मीमांसकों में भी अपूर्ण वाक्य के पूरक अंशों के लिए आक्षेप या अध्याहार की मान्यता पायी जाती है। अध्याहार के विषय में इनमें दो सिद्धान्त हैं। कुमारिलभट्ट ने शब्द के अध्याहार को माना है किन्तु प्रभाकरमिश्र अर्थाध्याहारवादी हैं। मम्मट ने इनका समन्वय करते हुए अर्थाध्याहार एवं शब्दाध्याहार दोनों का ही उदाहरण दिया है। आक्षेप के उपर्युक्त चारों उदाहरणों में 'क्रियताम्' एवं 'कुरु' के लिए जो कर्ता तथा कर्म का आक्षेप होता है उनमें अध्याहार वस्तुतः कर्ता एवं कर्म पदों का न होकर उनके अर्थों का होता है। 'प्रविश' तथा 'पिण्डीम्' में 'गृहम्' तथा 'भक्षय' का आक्षेप शब्द रूप में होता है अतः यहाँ शब्दाध्याहार है। इसी प्रकार 'गौरनुबन्धः' उदाहरण में व्यक्ति का आक्षेप हो जाता है क्योंकि जाति व्यक्ति के विना नहीं रह सकती। अतः यहाँ लक्षणा नहीं है।

मुकुलभट्ट ने उपादान लक्षणा का दूसरा उदाहरण दिया था 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते' मम्मट ने इस स्थल पर भी लक्षणा का निषेध किया है। उनके अनुसार यहाँ पर लक्षणा न होकर श्रुतार्थापत्ति अथवा अर्थापत्ति से अर्थबोध होता है।^३

'श्रुतार्थापत्ति' से यहाँ तात्पर्य शब्द के अध्याहार से है तथा अर्थापत्ति अर्थाध्याहार है। इसके माध्यम से मम्मट ने भाष्टमत तथा प्रभाकरमत का सङ्केत किया है।

^१ - - - न ह्यत्र प्रयोजनमस्ति न वा रुढिः व्यक्त्यविनाभावात् जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते यथा क्रियतामित्यत्र कर्ता कुर्वित्यत्र कर्म प्रविश पिण्डीमित्यादौ गृहं भक्षयेत्यादि च। (श० व्या० वि०, पृ० ६)।

^२ अत्राहुरुद्योतकारा अपि। "आक्षिप्यते इति। आक्षेपोऽत्रानुमानम्। व्यक्तिं विनेत्यनेन व्याप्तिर्दर्शिता। वृत्तिप्रयोज्योपस्थितिश्च शब्दादौ कारणम्" इति। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ४५)।

^३ 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते' इत्यत्र च रात्रिभोजनं न लक्ष्यते श्रुतार्थापत्तेरथापत्तेर्वा तस्य विषयत्वात्। (श० व्या० वि०, पृ० ६)।

‘द्वारम्’ कहने पर ‘पिधेहि’ शब्द की कल्पना श्रुतार्थापत्ति है। यही शब्दाध्याहार हैं। ‘द्वारम्’ कहने पर अर्थ की अनुपपत्ति होने से ‘पिधेहि’ किया पदार्थ की कल्पना अर्थापत्ति या अर्थाध्याहार है^३

इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण ‘पीनो देवदत्तो दिवा न भुड़क्ते’ अर्थापत्ति का ही विषय है लक्षणा का नहीं। लक्षणा शब्द की शक्ति है। मीमांसकों ने भी शब्द को अर्थापत्ति से पृथक् प्रमाण के रूप में माना है।

मुकुलभट्ट-प्रदत्त उपादान लक्षणा के दोनों उदाहरणों का खण्डन करके मम्मट लक्षणलक्षणा की व्याख्या करते हुए इसका उदाहरण देते हैं- ‘गङ्गायां घोषः’ यहाँ घोष के अधिकरणत्व की सिद्धि-हेतु गङ्गा शब्द अपने जलप्रवाह रूप मुख्यार्थ का परित्याग कर देता है और तट रूप लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है। इसीलिए यहाँ अन्य की सिद्धि के लिए स्वार्थ का त्याग रूप लक्षणलक्षणा है^४

४. २. १ ताटस्य-सिद्धान्त का खण्डन -

उपादान तथा लक्षणलक्षणा दोनों ही शुद्धा लक्षणाएँ हैं। मम्मट इसे शुद्धा लक्षणा इस कारण से कहते हैं क्योंकि इनमें ‘उपचार’ का मिश्रण नहीं रहता है^५ मुकुलभट्ट ने ‘उपचार’ का अर्थ अन्य के लिए अन्य का प्रयोग अथवा एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया है। इसे शुद्धा एवं गौणी का भेदक धर्म नहीं माना है, किन्तु मम्मट के अनुसार सादृश्य के कारण प्रवृत्ति का होना उपचार है। ‘काव्यप्रकाश’ के ‘काव्यप्रकाशदर्पण’ नामक टीका के रचयिता विश्वनाथ के अनुसार दो भिन्न पदार्थों में सादृश्यातिशय के कारण जो अभेद प्रतीति होती है वही उपचार है^६ मम्मट को मान्य शुद्धा लक्षणा में सादृश्य के कारण लक्ष्य एवं लक्षक का अभेद सम्बन्ध नहीं होता, इसीलिए इसे शुद्धा लक्षणा कहते हैं, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि शुद्धा लक्षणा में लक्ष्य एवं लक्षक के मध्य अभेद सम्बन्ध होता ही नहीं। वहाँ भी लक्ष्यार्थ की प्रतीति लक्षक से अभिन्न रूप में ही होती है। शुद्धा में यह अभेद प्रतीति सादृश्य से भिन्न सम्बन्धों

^३ भाष्मते श्रुतार्थापत्तौ रात्रौ भुड़क्ते इति शब्दः कल्पयते। गुरुमतेऽर्थापत्तौ रात्रिभोजनमर्थः। (का० प्र०, १६टीकाओं सहित, दर्पण, पृ० २७२)।

^४ यथा द्वारमिति शब्दः पिधेहीति क्रियापदम्। इयमेव पदाध्याहारः (शब्दाध्याहारः)। यत्र च दृष्टः श्रुतो वार्थोऽनुपपत्तोऽर्थान्तरं कल्पयति सा अर्थापत्तिः। यथा तत्रैव द्वारमित्यर्थोऽनुपपत्तः पिधेहीति क्रियां कल्पयति। इयमेवार्थाध्याहार इति मतभेदेनोभयम् इति भावः। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ४५-४६)।

^५ गङ्गायां घोषः। इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणतायाः सिद्धये गङ्गाशब्दः स्वार्थमर्पयतीत्येवमादौ लक्षणैर्नैषा लक्षणा। (श० व्या० वि०, पृ० ६)।

^६ उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचारेणामिश्रितत्वात्। (श० व्या० वि०, पृ० ६)।

^७ सादृश्यात्यसम्बन्धेन प्रवृत्तिरूपचारः तेनामिश्रितत्वात् असम्बन्धात्। - - -। “अत्यन्तं विशकलितयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगनमुपचारः” इति काव्यप्रकाशदर्पणे। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ४६)।

के कारण होती है। यहाँ लक्ष्य तथा लक्षक का भेदप्रतीति रूप 'ताटस्थ्य' नहीं माना जा सकता क्योंकि 'गङ्गातटे घोषः' के स्थान पर 'गङ्गायां घोषः' प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन की दृष्टि से ही हुआ है। यह प्रयोजन है तट में शैत्य एवं पावनत्वातिशय की प्रतीति कराना जो कि गङ्गा का धर्म है। गङ्गा पद के लक्ष्यार्थ 'तट' को गङ्गा से अभिन्न माने विना अभीष्ट प्रयोजन की प्रतीति नहीं हो सकती। अर्थात् शैत्यादि की प्रतीति तो गङ्गात्वेन तट की प्रतीति में ही उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त गङ्गा से सम्बन्ध मात्र दर्शाना ही लक्षणा का प्रयोजन नहीं है क्योंकि अभिधा प्रयोग 'गङ्गा तटे घोषः' की अपेक्षा लक्षणा प्रयोग 'गङ्गायां घोषः' का वैशिष्ट्य ही यही है - लक्ष्य एवं लक्षक का अभेदप्रतिपादन न कि लक्ष्य की लक्षक से उदासीनता। इस प्रकार मम्ट के अनुसार शुद्धा लक्षणा में भी अभेद की प्रतीति होने से 'ताटस्थ्य' को शुद्धा एवं गौणी का भेदक धर्म नहीं माना जा सकता, अपितु उपचार ही दोनों का भेदक है।^१

उपादान एवं लक्षणलक्षणा नामक दो भेदों वाली शुद्धा लक्षणा की विशद व्याख्या करने के पश्चात् मम्ट ने सारोपा एवं साध्यवसाना नामक दो भेदों की चर्चा की है जो सादृश्य सम्बन्ध से होने पर क्रमशः गौणी सारोपा एवं गौणी साध्यवसाना तथा सादृश्य-भिन्न सम्बन्धों के कारण होने पर शुद्धा सारोपा तथा शुद्धा साध्यवसाना कहलाते हैं।^२ इसप्रकार मम्ट ने गौणी को लक्षणा में ही अन्तर्भावित कर उसी का एक भेद बताया है जिसे अन्य कतिपय विद्वानों ने लक्षणा से भिन्न वृत्ति कहा है।

जहाँ विषयी (आरोप्यमाण) तथा विषय (आरोपाश्रय) दोनों ही शब्दतः कथित रहते हैं वहाँ सारोपा लक्षणा होती है^३ तथा जहाँ विषयी द्वारा विषय का निगरण कर लिया जाता है वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है।^४ मम्ट ने गौणी सारोपा एवं साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण दिया है - 'गौर्वाहीकः' तथा 'गौरयम्'^५ 'गौर्वाहीकः' में आरोप्यमाण 'गौ' तथा आरोपाश्रय 'वाहीक' दोनों ही शब्दतः कथित हैं इसके विपरीत द्वितीय उदाहरण में विषयी ('गौ') द्वारा 'विषय' (वाहीक) का निगरण कर लिया गया है अतः ये क्रमशः सारोपा एवं साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण हैं। गुणों के सादृश्य के कारण होने से यहाँ गौणी लक्षणा हैं। ये दोनों ही उदाहरण 'ऐंयोगादार्थायाम्' (४/१/४८) सूत्र के

^१ अनयोर्भेदयोर्लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं तटस्थत्वम् तटादीनां गङ्गादिशब्दः प्रतिपादने तत्त्वप्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादयिषितप्रयोजनसंप्रत्ययः गङ्गासम्बन्धमात्रप्रतीतौ तु गङ्गातटे घोष इति मुख्यशब्दाभिधानात्लक्षणायाः को भेदः। (श० व्या० वि०, पृ० ६)।

^२ भेदाविमौ च सादृश्यात् सम्बन्धान्तरतस्तथा।

गौणी शुद्धौ च विज्ञेयौ, (श० व्या० वि०, पृ० ९९)।

^३ सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। (श० व्या० वि०, पृ० ९९)।

^४ विषयन्तःकृतेऽन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। (श० व्या० वि०, पृ० ९९)।

^५ इमावारोपाध्यवसानरूपौ सादृश्यहेतू भेदौ 'गौर्वाहीक' इत्यत्र गौरयमि'त्यत्र च। (श० व्या० वि०, पृ० ९२)।

महाभाष्य में मिलते हैं। 'गौर्वाहीकः' उदाहरण में दोनों पदार्थों का समानाधिकरण्य ही अभिधेयर्थ है। यह तभी सम्बव हो सकता है जब दोनों पदार्थ एक ही धर्मि का बोध कराते हों। एकधर्मिबोधकत्व ही दो पदार्थों का समानाधिकरण्य है। किन्तु यहाँ स्थिति इसके विपरीत है। यहाँ दोनों पदार्थ दो भिन्न धर्मियों के बोधक हैं अतः समानाधिकरण्य के अनुपपत्र होने पर मुख्यार्थबाध होता है। यहीं लक्षणा की स्थिति आती है। लक्षणा से 'गौः' इस लाक्षणिक पद का ऐसा लक्ष्यार्थ निकालना है जिससे उसका वाहीक के साथ अभेदान्वय उपपत्र हो जाए। इस विषय में आचार्य ममट ने तीन मतों का उल्लेख किया है।

प्रथम मत के अनुसार 'गौ' शब्द से अभिधा द्वारा 'बैल' अर्थ की प्रतीति होती है उसके साथ गौ शब्द का समानाधिकरण्य अनुपपत्र है। उसका बाध होने पर लक्षणा द्वारा 'गौ' शब्द से गोगत जाङ्घ्यमान्द्यादि गुणों का बोध होता है। लक्षणा से बोधित होने वाले जाङ्घ्यमान्द्यादि को प्रवृत्ति-निमित्त बनाकर अभिधाशक्ति से जाङ्घ्यादि युक्त 'वाहीक' का बोध होता है। इस प्रकार 'गौ' शब्द की वाहीक के साथ समानाधिकरण्यता उपपत्र हो जाती है।^३

ममट के विविध टीकाकारों ने उपर्युक्त मत को दोषपूर्ण सिद्ध किया। इस मत के लिए ममट के द्वारा 'केचित्' शब्द का प्रयोग इसके प्रति इनकी अरुचि को ही दर्शाता है^४ गौ शब्द का सङ्केत वाहीक में न होने के कारण वह उसका बोध कथमपि नहीं करा सकता। 'बैल' अर्थ में ही विरतव्यापार वाली अभिधा वाहीक का बोध कैसे करा सकती है ? इस प्रक्रिया में यदि दूसरी अभिधा की कल्पना की जाये तो उससे कल्पना-गौरव का प्रसङ्ग उत्पत्र हो जाएगा।^५

द्वितीय मत के अनुसार 'गौ' शब्द के मुख्यार्थ 'बैल' के सहचारी जाङ्घ्यमान्द्यादि गुणों से अभिन्न वाहीकगत गुणों में लक्षणा होती है पदार्थ अर्थात् वाहीक में अभिधा नहीं होती।^६ उसका बोध तौ आक्षेप द्वारा ही हो जाता है। इस प्रकार इस मत के अनुसार गोगत जाङ्घ्यादि गुणों के सजातीय वाहीकगत जाङ्घ्यादि गुण लक्ष्यार्थ है।^७

^३ स्वार्थसहचारिणो गुणा जाङ्घ्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणा अपि गोशब्दस्य परार्थाभिधानं प्रति निमित्तत्वमुपयान्तीति केचित्। (का० प्र० पृ० ६७), (श० व्या० वि०, पृ० १२)।

^४ केचिदित्यस्वरसोद्भावनम्। तद्वीजं तु गोपदस्य वाहीके सङ्केताभावेनाभिधाभावरूपम्। जाङ्घ्यादिगुणानां लक्षत्वात् अशक्यतया प्रवृत्तिनिमित्तत्वासंभवश्च। (का० प्र०, बा० बा०, पृ० ४६)।

^५ केचिदिति। तन्मते अरुचिं सूचयति। तथा हि। गोशब्दोऽगृहीतसङ्केतं वाहीकार्थं कथमभिधया बोधयेत्। गोशब्दार्थमात्रबोधनविरताया अभिधायाश्च कुतः पुनरुत्थानं शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभाव इति न्यायात्। अभिधान्तरकल्पने तु कल्पनागौरवम्। (का० प्र०, १६ टीकाओं सहित, दर्पण, पृ० ३०६)।

^६ स्वार्थसहचारिणाभेदेन परार्थगता गुणा एव लक्ष्यन्ते न तु परार्थाभिधीयत इत्यन्ये। (का० प्र०, पृ० ६७)। श० व्या० वि० में 'इत्यन्ये' के स्थान पर 'इत्यपरे' मिलता है। (श० व्या० वि०, पृ० १२)।

इस मत में जो जाङ्ग्यमान्द्यादि धर्म दो अलग-अलग धर्मियों के गुण हैं उनमें एक (गो) के धर्म से दूसरे गुणी (वाहीक) में पाए जाने वाले गुणों का लक्षणा से बोधित होना असङ्गत है। टीकाकारों के अनुसार इस मत के प्रति भी ममट की उदासीनता ही प्रकट होती है क्योंकि इसे भी इन्होंने 'अन्ये' पद द्वारा प्रतिपादित किया है। दर्पणकार के अनुसार इस मत के अनुसार भी 'वाहीक' की प्रतीति न होने से गो पदार्थ के साथ वाहीक का समानाधिकरण्य संगत नहीं हो पाता। वाहीक रूप अर्थ गो शब्द का अभिधेयार्थ नहीं है अतः उससे वाहीक का बोध नहीं हो सकता। उसे अविनाभाव या अनुमान द्वारा लब्ध भी नहीं माना जा सकता। लक्षणा शब्द की शक्ति है और शब्द सम्बन्धी आकाङ्क्षा शब्द से ही पूर्ण होती है यह नियम है अतः उसमें अनुमान मानना तर्कसंगत नहीं है।^३

तृतीय मत के अनुसार साधारण गुणों के आश्रयरूप से वाहीक में ही लक्षणा होती है अर्थात् गौ तथा वाहीक दोनों में ही पाए जाने वाले जाङ्ग्यादि गुण साधारण गुण हुए। इन गुणों का आश्रय वाहीक है अतः लक्षणा से उसी का बोध होता है।^४ इस मत के अनुसार गौवाहीकः में लक्षणा की प्रक्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है - गौ शब्द के मुख्यार्थ के साथ वाहीक का समानाधिकरण्य असङ्गत होने पर अर्थात् मुख्यार्थ बाध होने पर लक्षणा से 'गौ' तथा 'वाहीक' दोनों में समान रूप से पाये जाने वाले जाङ्ग्यमान्द्यादि गुणों के आधार पर वाहीक रूप अर्थ का बोध होता है। यहाँ लक्ष्य वाहीक तथा लक्षक गौ में सादृश्य सम्बन्ध है। यहाँ लक्षणा गुणों के योग से हुई है अतः गौणी लक्षणा है।

इसके समर्थन में ममट ने अपने दोनों ही ग्रन्थों में तत्त्ववार्तिक की कारिका उद्धृत की है -

'अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते

लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद्वृत्तेरिष्टा तु गौणता।'^५

^३ अभेदेन सजात्येन। गुणा एवेति। न तु गुणीत्यर्थः। तस्याक्षेपेण वाहीकशब्दादेव लाभादिति भावः। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ४६)।

^४ - - - - अत्र गोशब्दात् वाहीकार्थः प्रतीते न वा ? आद्येऽपि गोशब्दादेव वा लक्षिताद्गुणादविनाभावाद्वा ? न प्रथमः समनन्तरोक्तादेव न्यायात्। न द्वितीयः अविनाभावलभ्यस्यार्थस्य शाब्दीत्याकाङ्क्षादिनयेन शब्दे नये प्रवेशासंभवात्। (का० प्र०, ९६ टीकाओं सहित, दर्पण, पृ० ३०६)।

^५ साधारणगुणाश्रयणेन परार्थ एव लक्ष्यत इत्यपरे। (का० प्र० पृ० ७)। शब्दव्यापारविचार में 'इत्यन्ये' पाठ मिलता है। (श० व्या० वि०, पृ० १२)।

^६ इस कारिका में प्रयुक्त 'अविनाभाव' शब्द का अर्थ व्याप्ति नहीं अपितु सम्बन्ध मात्र है ऐसा ममट ने अपने दोनों ग्रन्थों में स्पष्ट किया है। - अविनाभावोऽत्र सम्बन्धमात्रं न तु नान्तरीयकत्वम्। (श० व्या० वि०, पृ० १२)।

‘मानान्तरविरुद्धे हि मुख्यार्थस्य परिग्रहे’ यह इस कारिका के पहले का भाग है। इससे उपर्युक्त कारिका का यही आशय निकलता है कि मुख्यार्थ के अन्य प्रमाण से बाधित होने पर उससे सम्बद्ध अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति लक्षण है और लक्ष्यमाण गुणों के योग से इस वृत्ति की गौणता हो जाती है।

‘गौरवहीकः’ में लक्ष्यार्थ के विषय में तीनों मतों की चर्चा के प्रसङ्ग में ममट ने इसका उल्लेख नहीं किया है कि ये तीनों ही मत किन विद्वानों अथवा सम्प्रदाय के हैं। न ही इन्होंने इनमें किसी भी मत का खण्डन अथवा मण्डन किया है। किन्तु काव्यप्रकाश के कुछ टीकाकारों ने तृतीय मत को ही इनका अपना मत माना है। इस मत को प्रस्तुत करते हुए ममट ने जो ‘अपरे’ शब्द का प्रयोग किया है उसकी व्याख्या ‘न परे इत्यपरे’ करते हुए स्वीया अर्थ लिया जा सकता है।^१

‘शब्दव्यापारविचार’ के दो संकरणों में द्वितीय मत के लिए ‘अपरे’ तथा तृतीय मत के लिए ‘अन्ये’ शब्द का प्रयोग मिलता है। इससे व्याख्याकारों के ‘अपरे’ शब्द की व्याख्या के आधार पर तृतीय मत को ममट का मत कह देना उचित नहीं है। ‘काव्यप्रकाश’ के हिन्दी व्याख्याकार आचार्य विश्वेश्वर ने इस तृतीय मत को मुकुलभट्ट का मत माना है।^२ किन्तु यह विचार भी युक्तिसङ्गत नहीं है। ‘शब्दव्यापारविचार’ में ममट ने स्पष्ट लिखा है कि जिन्होंने गोगत जाड्यमान्द्यादि के सदृश जाड्यमान्द्यादि गुण माना है उन्हें गुणों में जाति माननी पड़ेगी। जिससे चतुष्ठी शब्दप्रवृत्ति का सिद्धान्त खण्डित हो जाएगा।^३ इस कथन द्वारा ममट ने मुकुलभट्ट के मत का सङ्केत किया हैं मुकुलभट्ट ने गोगत जाड्यमान्द्यादि गुणों के सदृश वाहीकगत जाड्यमान्द्यादि गुण माना है।^४

ममट के तर्क का अभिप्राय यह है कि स्वार्थगत (गोगत) तथा परार्थगत (वाहीकगत) गुणों में भेद मानने पर ही सादृश्य हो सकता है। इस प्रकार जब गुण भिन्न हो जाएँगे तो उनमें जाति माननी होगी। तृतीय मत में दोनों गुणों को एक ही मानते हुए उन्हें ‘साधारणगुण’ की संज्ञा दी गई है। उसमें ‘सादृश्य सम्बन्ध’ का भी यही अर्थ है कि दोनों में एक ही गुण होते हैं। दोनों गुणों के एक होने से यहाँ जाति मानने का प्रसङ्ग नहीं उत्पन्न होगा। इससे तो यही सङ्केत मिलता है कि तृतीय मत ही ममट को मान्य मत था इसे मुकुलभट्ट का मत नहीं कहना चाहिए।

^१ स्वमतमाह साधरणेति। — — — न परे, अपरे स्वीया इत्यर्थः। (का० प्र०, बा० ब०, पृ० ५०)।

^२ का० प्र०, आचार्यविश्वेश्वर, पृ० ६४।


^३ येन गोगतजाड्यमान्द्यादिसदृशजाड्यमान्द्याद्युच्यते तेन गुणाभेदाभ्युपगमे गुणजातिप्रसंगाच्चतुष्ठी शब्दानां प्रवृत्तिरुक्ता व्याहन्त्येत। (श० व्या० वि०, पृ० १२)।

^४ अत्र हि गोगतजाड्यमान्द्यादिगुणसदृशजाड्यमान्द्यादियोगात् — (अ० वृ० मा०, पृ० १६)।

गौणी सारोपा एवं साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरणों को स्पष्ट करके मम्ट ने शुद्धा सारोपा तथा साध्यवसाना का उदाहरण दिया है- ‘आयुर्धृतम्’ तथा ‘आयुरेवेदम्’ इनमें ‘आयु’ विषयी है तथा ‘धृत’ विषय है।^१ प्रथम उदाहरण में विषयी तथा विषय शब्दतः कथित है अतः यह सारोपा लक्षणा है तथा दूसरे उदाहरण में आयु के द्वारा धृत का निगरण कर लिये जाने के कारण साध्यवसाना लक्षणा है। ये दोनों ही सादृश्य से भिन्न सम्बन्ध से होने के कारण शुद्धा लक्षणाएँ हैं। यहाँ कार्यकारण-भाव से लक्षणा हुई हैं। मम्ट ने गौणी एवं शुद्धा दोनों प्रकार की लक्षणाओं का प्रयोजन भी स्पष्ट किया है। गौणी सारोपा (गौर्वाहीकः) में आरोप्यमाण तथा आरोपविषय में तादात्य की प्रतीति कराना तथा गौणी साध्यवसाना (गौर्य) में दोनों में सर्वथा अभेद प्रतिपादन लक्षणा का प्रयोजन है।^२ इसी प्रकार शुद्धा सारोपा में अन्य कारणों की अपेक्षा धृत में अधिक क्षमता से आयुर्धक होना तथा शुद्धा साध्यवसाना में निश्चित रूप से कार्य सम्पादन करना प्रयोजन है।^३ इस प्रकार सादृश्य सम्बन्ध से गौणी तथा सादृश्य से भिन्न स्थलों में शुद्धा लक्षणा होती है।

सादृश्यभिन्न सम्बन्धों में मम्ट ने कार्य-कारण सम्बन्ध के अतिरिक्त तादर्थ्य, स्वस्वामिभाव, अवयवावयविभाव तथा तात्कर्म्य आदि की चर्चा की है।^४

मम्ट के ग्रन्थों की कारिकाओं के आधार पर इनके ‘लक्षणा-भेदों’ को चित्र संख्या (२) द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।



चित्र संख्या (२) : मम्ट के अनुसार लक्षणा-भेद ।

किन्तु इस प्रकार का विभाजन मानने पर इसके भिन्न-भिन्न भेदों में संकर हो जाता है। उदाहरणस्वरूप ‘आयुर्धृतम्’ तथा ‘आयुरेवेदम्’ ये दोनों ही उदाहरण मम्ट के अनुसार क्रमशः शुद्धा सारोपा एवं शुद्धा साध्यवसाना के

^१ ‘आयुर्धृतम्’ ‘आयुरेवेदम्’ इत्यादौ सादृश्यादन्यः कार्यकारणाभावादिः परः सम्बन्धः। (श० व्या० वि०, पृ० १४)।

^२ अत्र गौणभेदयोर्भेदेऽपि ताद्रूप्यप्रतीतिः सर्वथैवाभेदावगमश्च प्रयोजनम्। (श० व्या० वि०, पृ० १४)।


^३ शुद्धभेदयोस्त्वन्यवैलक्षण्येनाव्यभिचारेण च कार्यकारित्वादि। (श० व्या० वि०, पृ० १४)।

हैं। ये उदाहरण लक्षणलक्षणा के भी हो सकते हैं। क्योंकि इनमें ‘आयु’ अपने अर्थ का परिचयाग करके ही लक्ष्यार्थबोध करता है।

इसी सङ्कर के निराकरण हेतु ‘प्रदीप’ आदि कतिपय टीकाओं में ममटकृत लक्षणा का विभाजन चित्र संख्या (३) द्वारा दिया गया है।

ममट के ग्रन्थों में जो भेद-निरूपण है उस के अनुरूप न होने के कारण यह विभाजन भी सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता। चित्र संख्या (२) ही ममट के मत के अनुकूल है यद्यपि वह भी पूर्णतया विसङ्गतिरहित नहीं है।

खड़ि एवं प्रयोजन के आधार पर भी ममट की लक्षणा का विभाजन किया जाता है जो कि उचित नहीं है क्योंकि खड़ि एवं प्रयोजन को तो इन्होंने स्पष्ट रूप से लक्षणा का प्रयोजक हेतु कहा है इसे विभाजक हेतु नहीं माना जा सकता।



चित्र संख्या (३) : ‘प्रदीप’ टीका के अनुसार ममट का लक्षणा-भेद।

ममट ने लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीति को व्यञ्जनागम्य माना है। जो लक्षणाएँ खड़ि के कारण होती हैं वे व्यञ्ज्य से रहित होती हैं।^१ ‘काव्यप्रकाश’ में इन्होंने खड़ि तथा प्रयोजन की दृष्टि से होने वाली लक्षणा के तीन भेदों का निरूपण भी किया है। खड़ि के कारण होने वाली लक्षणा को अव्यञ्ज्या कहते हैं तथा प्रयोजनयुक्त लक्षणा सव्यञ्ज्या है। इसमें भी कहीं-कहीं प्रयोजन रूप व्यञ्ज्य अत्यन्त गूढ होता है अर्थात् जिसकी प्रतीति सहृदयजन को ही हो सकती है, कहीं यह व्यञ्ज्य अत्यधिक अगूढ अथवा प्रकट रूप में होती है उस कारण इसे सरलता से अधिगत किया जा सकता

^१ तृतीय अध्याय, पृ० ६३ द्रष्टव्य।

हैं^२ इस दृष्टि से सव्यङ्गचा लक्षणा के गूढव्यङ्गच और अगूढव्यङ्गच रूप दो भेद होकर लक्षणा के तीन प्रकार हो जाते हैं।^३

४. ३ परवर्ती काव्यशास्त्रियों के अनुसार लक्षणा-भेद

मम्ट के अधिकांश परवर्ती काव्यशास्त्रियों ने न्यूनाधिक मात्रा में इन्हीं के अनुकरण पर लक्षणा का विभाजन प्रस्तुत किया है। इनमें से कुछ प्रमुख लक्षणा-भेद निम्नलिखित हैं -

नरेन्द्रप्रभसूरि ने 'अलङ्कारमहोदयि' में 'काव्यप्रकाश' के अनुसार ही लक्षणा का भेद प्रस्तुत किया है।

प्रथमतः इन्होंने सारोपा एवं साध्यवसाना नाम से लक्षणा के दो प्रकार प्रस्तुत किये हैं^४ तदनन्तर ये दोनों भेद सादृश्य और सादृश्ययेतर सम्बन्धों से होने पर गौणी एवं शुद्धा कहलाएँ^५ शुद्धा के पुनः उपादान तथा लक्षणलक्षिता रूप से दो भेद हो गये।^६ इस प्रकार इनके अनुसार भी गौणी लक्षणा के दो भेद तथा शुद्धा के चार भेदों को मिलाकर कुल छः प्रकार की लक्षणाएँ हुईं (चित्र संख्या ४)।^७ इनके लक्षणा के सभी उदाहरण वही हैं जो मम्ट के हैं। इन्होंने भी 'गौरनुबन्धः' में उपादान लक्षणा का खण्डन करते हुए मुकुलभट्ट के 'ताटस्थ्य-सिद्धान्त' की भी आलोचना की है।^८

'काव्यनुशासन' के रचयिता हेमचन्द्र ने यद्यपि अपने ग्रन्थ की रचना में 'काव्यप्रकाश' को आधार बनाया है किन्तु इन्होंने कहीं भी लक्षणा-विभाजन प्रस्तुत नहीं किया है। इन्होंने चार प्रकार के शब्दों को मानते हुए गौणी को लक्षणा से पृथक् रूप में स्वीकार किया है। लक्षणा के भेदों की चर्चा न करते हुए भी हेमचन्द्र ने गौणार्थ एवं लक्ष्यार्थ के

^१ व्यङ्ग्येन रहिता रुढौ सहिता तु प्रयोजने। (का० प्र०, पृ० ७७)।

^२ तच्च गूढमगूढं वा। (का० प्र०, पृ० ७७)।

^३ तदेषा कथिता त्रिधा।

अव्यङ्गचा गूढव्यङ्गचा अगूढव्यङ्गचा च। (का० प्र०, पृ० ७६)।

^४ सारोपा लक्षणाऽरोपविषयारोप्यभेदभृत्।

आरोप्यापहनुतेऽन्यस्मिन् सैव साध्यवसानिका। (अ० म०, पृ० ३४)।

^५ द्विप्रकाराऽपि सादृश्याद् या सा गौणीति गीयते।

प्रत्यासत्तेस्तु याऽन्यस्याः सा शुद्धेति प्रकीर्तिता॥ (अ० म०, पृ० ३४)।

^६ शुद्धाया एव पुनर्भेदद्वयमाह -


स्वार्थसिद्ध्यै पराक्षेपे साऽप्युपादानजा क्वचित्

परम्मै चार्पणे स्वस्य क्वापि लक्षणलक्षिता॥ (अ० म०, पृ० ३५)।

^७ एवं च द्विभेदा गौणी चतुर्भेदा च शुद्धेति षट्प्रकारोपचारविचित्रता। (अ० म०, पृ० ३६)।

^८ अ० म०, पृ० ३५-३६।

अन्तर्गत 'गौवाहीकः' 'गौरयं' 'आयुर्धृतम्' 'आयुरेवेदम्' इत्यादि उदाहरण दिये हैं तथा 'समारोपित' 'अध्यवसित' इत्यादि शब्द भी इनके ग्रन्थ में मिलते हैं^१



चित्र संख्या (४) : नरेन्द्रप्रभसूरि के अनुसार लक्षण-भेद ।

साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ का लक्षण-विभाजन काव्यशास्त्र में महत्व रखता है। इन्होंने लक्षण के अस्ती भेद स्वीकार किये हैं। ऊँठि एवं प्रयोजन को भी लक्षण का विभाजक हेतु मानते हुए इन्होंने ऊँठा और प्रयोजनवती रूप से लक्षण के दो भेद किये। पुनः इन दोनों के उपादान एवं लक्षण-लक्षण के भेद से दो-दो भेद होकर चार प्रकार की लक्षणा हुई।^२ इन चारों के भी सारोपा और साध्यवसाना भेद से आठ प्रकार हुए।^३ उक्त आठ प्रकार की लक्षणाएँ भी सादृश्येतर सम्बन्ध से होने पर शुद्धा तथा सादृश्य सम्बन्ध से होने पर गौणी कहलाती हैं। इस प्रकार लक्षण के सोलह भेद हो जाते हैं।^४ यहाँ यह अवधेय है कि मुकुलभट्ट एवं ममट ने उपादान और लक्षणलक्षण को केवल शुद्धा लक्षण माना है, किन्तु विश्वनाथ ने उनको गौणी के अन्तर्गत भी माना है।

^१ सत्यारोप्यारोपविषययोर्भेदेनाभेदेन च समारोपितोऽतथाभूतोऽपि तथात्वेनाध्यवसितो । (काव्यानुशासनम्, पृ० २८) ।

^२ (क) मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेऽन्वयसिद्धये।

स्यादात्मनोऽप्युपादानादेषोपादानलक्षणा॥ (सा० द०, पृ० ३१) ।

(ख) अर्धण स्वस्य वाक्यार्थं परस्यान्वयसिद्धये

उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा॥ (सा० द०, पृ० ३२) ।

^३ आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येकं ता अपि द्विधा। (सा० द०, पृ० ३३) ।

^४ सादृश्येतरसंबन्धाः शुद्धास्ताः सकला अपि

सादृश्यात्तु मता गौण्यस्तेन षोडश अदिताः॥ (सा० द०, पृ० ३४-३५) ।

ममट की ही भाँति विश्वनाथ भी लक्षणा में प्रयोजन को व्यङ्ग्य मानते हैं। उपर्युक्त १६ प्रकार की लक्षणाओं में जो आठ प्रयोजनवती लक्षणाएँ हैं उनके प्रयोजन रूप व्यङ्ग्य के गूढ़ एवं अगूढ़ होने से दो प्रकार होकर सोलह भेद हो जाते हैं। ये सोलह प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणाएँ धर्मिगत एवं धर्मगत होने से बत्तीस प्रकार की हो जाती हैं।^१ अन्ततः बत्तीस प्रयोजनमूलक एवं आठ रुद्धिमूलक को मिलाकर कुल चालीस प्रकार^२ की लक्षणाएँ पदगत एवं वाक्यगत रूप होने से अस्सी प्रकार की हो जाती हैं।^{३ ४} (चित्र संख्या ५)।

पण्डितराज जगन्नाथ ने लक्षणा के सात भेद माने हैं। इन्होंने भी सूढ़ि और प्रयोजन की दृष्टि से लक्षणा के दो भेद किये हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के पण्डितराज ने भी वही छः भेद किये हैं जो ममट की लक्षणा के भेद हैं। अन्तर मात्र इतना ही है कि शुद्धा लक्षणा के चार भेदों में जो उपादान एवं लक्षणलक्षणा नामक भेद हैं उसे इन्होंने क्रमशः अजहत्स्वार्था तथा जहत्स्वार्था लक्षणा कहा है।^५ अजहत्स्वार्था तथा जहत्स्वार्था भेद में व्यङ्ग्य की प्रधानता रहती है अतः ये दोनों भेद ध्वनि के आधार होते हैं। (चित्र संख्या ६)।

‘वेदान्तपरिभाषा’ में भी लक्षणा के भेदों की चर्चा हुई है। यह ‘वेदान्त-दर्शन’ का एक प्रकरण ग्रन्थ है। इसमें लक्षणा के भेदों का वेदान्तदर्शन के अनुकूल की वर्णन किया गया है। मुख्य रूप से इसमें जहलक्षणा, अजहलक्षणा तथा जहदजहलक्षणा, ये तीन भेद ही लक्षणा के माने गये हैं। जहलक्षणा तथा अजहलक्षणा क्रमशः लक्षणलक्षणा तथा उपादान लक्षणा के ही सदृश हैं।

वेदान्तपरिभाषाकार धर्मराजाध्वरीन्द्र ने सर्वप्रथम तो लक्षणा के दो भेद किये हैं केवल लक्षणा तथा लक्षितलक्षणा। केवल लक्षणा का उदाहरण ‘गङ्गयां घोषः’ दिया है जिसमें गङ्गा पद से साक्षात् सम्बद्ध तट अर्थ में लक्षणा


^१ धर्मधर्मगतत्वेन फलस्यैता आपि द्विधा (सा० द०, पृ० ३८)।

^२ तदेवं लक्षणभेदाश्चत्वारिंशन्मता बुधैः। (सा० द०, पृ० ३८)।

^३ पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येकं ता अपि द्विधा। (सा० द०, पृ० ३८)।

^४ एवमशीतिप्रकारा लक्षणा। (सा० द०, पृ० ३८)।

^५ इयं तावद् द्विविधा निरुद्धा प्रयोजनवती च। तत्रापि द्वितीया द्विविधा गौणी शुद्धा च। तत्राद्या सारोपा साध्यवसाना चेति द्विविधा। अन्त्या चतुर्विधा- जहत्स्वार्था अजहत्स्वार्था सारोपा साध्यवसाना चेति प्रयोजनवती षड्विधा सम्पद्यते। (२० गङ्गा०, द्वि० आ० (I), पृ० १६५)।




नोट : (१) ८ रुदिमला + ३२ प्रयोजनवर्ती, इन ४० प्रकार की लक्षणओं के पदागत तथा वाक्यगत होने से ८० भेद लक्षण के हो जाते हैं।

(२) गृह = गृहव्यक्त्य, अगृह = अगृहव्यक्त्य, धर्म = धर्मिता, धर्मी = धर्मिगत।

चित्र संख्या (५) : आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लक्षण-भेद।

होती है। लक्षितलक्षणा में शक्यार्थ अर्थात् अभिधा से परम्परा सम्बन्ध से लक्षणा होती है। गौणी इनके अनुसार लक्षितलक्षणा है।^१



चित्र संख्या (६) : पण्डितराज जगन्नाथ के अनुसार लक्षणा-भेद ।

उपर्युक्त दो भेदों के अतिरिक्त प्रकारान्तर से लक्षणा के तीन अन्य भेद भी माने गये हैं - जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा तथा जहदजहल्लक्षणा।^२ जहाँ शक्यार्थ का अन्तर्भाव न करके अर्थात् उसका परित्याग करके अन्यार्थ की प्रतीति होती है उसे जहल्लक्षणा कहते हैं।^३ जहाँ शक्यार्थ का अन्तर्भाव करके अन्यार्थ की प्रतीति होती है उसे अजहल्लक्षणा कहते हैं।^४ तीसरी जहदजहल्लक्षणा प्रमुख रूप से वेदान्तियों की कल्पना हैं जहाँ विशिष्टवाचक शब्द विशिष्टार्थ के एक देश का परित्याग करके अन्यार्थ की प्रतीति कराता है वहाँ जहदजहल्लक्षणा होती है। अर्थात् इस

^१ लक्षणा च द्विविधा- केवललक्षणा लक्षितलक्षणा चेति। तत्र शक्यसाक्षात्सम्बन्धः केवललक्षणा यथा गङ्गायां धोष इत्यत्र प्रवाहसाक्षात्सम्बन्धिनि तीरे गङ्गापदस्य केवललक्षणा। यत्र शक्यपरम्परासम्बन्धेनार्थान्तरप्रतीतिस्तत्र लक्षितलक्षणा -। (वै० परि०, पृ० १२१)।

^२ प्रकारान्तरेण लक्षणा त्रिविधा-जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा चेति। (वै० परि०, पृ० १२२)।

^३ तत्र शक्यमनन्तर्भाव्यं यत्रार्थान्तरप्रतीतिस्तत्र जहल्लक्षणा यथा विषं भुड्स्वेत्यत्र स्वार्थ विहाय शत्रुगृहे भोजननिवृत्तिरूपते। (वै० परि०, पृ० १२२)।

^४ यत्र शक्यार्थमन्तर्भाव्यैवार्थान्तरप्रतीतिस्तत्राजहल्लक्षणा यथा शुक्लो घट इत्यत्र हि शुक्लशब्दः स्वार्थ शुक्लगुणमन्तर्भाव्यैव तद्वति द्रव्ये लक्षणया वर्तते। (वै० परि०, पृ० १२३)।

लक्षणा में वाच्यार्थ के एक अंश का परित्याग करके अवशिष्ट अंश का बोध कराया जाता है^१ इसे ही भागत्याग लक्षणा भी कहते हैं। वेदान्त दर्शन में 'तत्त्वमसि' महावाक्य की व्याख्या के लिए इसी लक्षणा का आश्रय लिया गया है। इस महावाक्य का वाच्यार्थ है परोक्षत्वविशिष्ट एवं अपरोक्षत्वविशिष्ट चैतन्य की एकरूपता। इसमें विरोध होने पर विरुद्धांश का परित्याग करके अविरुद्ध अखण्ड चैतन्य का लक्षणा से बोध होता है। यहाँ वाक्यार्थ के एक अंश में विरोध होने से उसका त्याग किया गया है अतः जहदजहल्लक्षणा है^२ इस महावाक्य की व्याख्या में जहल्लक्षणा एवं अजहल्लक्षणा दोनों ही अपर्याप्त हैं।^३

धर्मराजाधीरान्द्र 'तत्त्वमसि' में जहदजहल्लक्षणा लक्षणा नहीं मानते। इनके अनुसार शक्ति वृत्ति अर्थात् अभिधा से ही स्वतन्त्र रूप से उपस्थित तत् एवं त्वं पदार्थों के अभेदान्वय में बाधा न होने से यहाँ लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण इन्होंने 'काकेऽयो दधि रक्ष्यताम्' दिया है^४

विद्यानाथ ने 'प्रतापुरुद्रीय' में संक्षिप्त रूप से ही शब्द-वृत्तियों का निरूपण किया है। गौणी को इन्होंने लक्षणा का ही भेद मानते हुए^५ सादृश्यनिबन्धना तथा सम्बन्धनिबन्धना रूप से पहले लक्षणा के दो भेद किये हैं^६ पुनः इनकी सम्बन्धनिबन्धना का जहदवाच्या तथा अजहदवाच्या एवं सादृश्य-निबन्धना लक्षणा के सारोपा एवं साध्यवसाना दो भेद हो जाते हैं^७ सादृश्यनिबन्धना लक्षणा का उदाहरण इन्होंने 'अभिर्माणवकः' तथा सम्बन्धनिबन्धना का 'गङ्गायां घोषः' दिया है। इन्होंने किसी प्रकार की लक्षणा का लक्षण नहीं प्रस्तुत किया है। सारोपा एवं साध्यवसाना लक्षणा को शुद्धा लक्षणा का भेद न मानते हुए इसे केवल गौणी तक ही सीमित कर दिया है। (चित्र संख्या ७)।

^१ यत्र हि विशिष्टवाचकशब्दः एकदेशं विहाय एकदेशे वर्तते तत्र जहदजहल्लक्षणा यथा सोऽयं देवदत्त इति। (वै० परि०, पृ० १२३)।

^२ - - - तथा 'तत्त्वमसि' इति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे विरोधाद् विरुद्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वादिविशिष्टत्वांशं परित्यज्याविरुद्धमखण्डचैतन्यमात्रं लक्ष्यतीति। (वै० सा०, पृ० १७६)।


^३ अत्र 'गङ्गायां घोषः प्रतिवसति' इतिवाक्यवज्जहल्लक्षणादि न सङ्घच्छते। (वै० सा०, पृ० १७२)।

^४ एवमेय तत्त्वमसीत्यादिवाक्येऽपि न लक्षणा। शक्त्या स्वातन्त्र्योपस्थितयोस्तत्त्वं पदार्थयोरभेदान्वये बाधकाभावात्। - - - जहदजहल्लक्षणोदाहरणं तु- काकेऽयो दधि रक्ष्यतामित्यादेव। (वै० परि०, पृ० १२५)

^५ गौणवृत्तिरपि लक्षणाप्रभेद एव। (प्र० रु०, पृ० ५५-५६)।

^६ अत एव सादृश्यनिबन्धना सम्बन्धनिबन्धना चेति द्विविधा लक्षणा। (प्र० रु०, पृ० ५७-५८)।

^७ सम्बन्धनिबन्धना जहदवाच्या अजहदवाच्या चेति द्विविधा। सादृश्यनिबन्धना सारोपा साध्यवसाया चेति द्विविधा। एवं लक्षणा चतुर्विधा। (प्र० रु०, पृ० ५८)।



चित्र संख्या (७) : आचार्य विद्यानाथ के अनुसार लक्षण-भेद ।

वृत्तिवार्तिककार अप्पयदीक्षित ने शुद्धा तथा गौणी रूप से लक्षणा के दो भेद मानते हुए^१ उन दोनों के भी निरूढ़ा एवं फलवती रूप से दो-दो भेद किये हैं^२ प्रयोजन से होने वाली लक्षणा ही फलवती लक्षणा है। इन्होंने भी गौणी तथा शुद्धा का आधार सादृश्यमूलक तथा सादृश्येतर सम्बन्ध माना है। गौणी लक्षणा गुणों के आधार पर होती है। इसके लिए इन्होंने आदर सहित ‘अभिधावृत्तिमातृका’ की पंक्ति भी उद्धृत की है^३

फल लक्षणा सात प्रकार की होती है। शुद्धा फल लक्षणा के पाँच प्रकार जहत् लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहद्रवाच्या, सारोपा तथा साध्यवसाना है एवं गौणी फल लक्षणा के सारोपा एवं साध्यवसाना दो भेद हैं^४

व्यतिरेक लक्षणा जिसे ममट ने वैपरीत्य सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा कहा है, उसे ये जहल्लक्षणा का ही एक भेद मानते हैं तथा इसके लिए ‘उपकृतं बहु तत्र - - - इत्यादि पद्य प्रस्तुत करते हैं^५ इसमें ‘तुम्हारे अपकार करने पर भी मैं इस प्रकार प्रिय बोल रहा हूँ’ इत्यादि रूप में स्वसाधुत्व का प्रतिपादन ही लक्षणा का प्रयोजन है।

अजहल्लक्षणा का उदाहरण अप्पयदीक्षित ‘कुन्ताः प्रविशन्ति’ तथा ‘यष्टयः प्रविशन्ति’ देते हैं^६ जिसे ममट ने भी उपादान लक्षणा के लिए उदाहृत किया था। जहद्रवाच्या का उदाहरण इन्होंने ‘ग्रामो दशः’ तथा ‘पुष्णितं वनम्’

^१ तस्मात् सादृश्यगर्भतदन्यसम्बन्धनिमित्ततया गौणी शुद्धा चेति लक्षणाया एव द्वैविद्यम्। (वृ० वा०, पृ० ५१) ।

^२ इयं च द्विविधापि लक्षणा प्रत्येकं द्विविधा- निगृढलक्षणा फललक्षणा च। (वृ० वा०, पृ० ५१) ।

^३ इदमेवाभिसम्बायोक्तं वृद्धैः ‘लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता इति॥। (वृ० वा०, पृ० ५५) ।


^४ (फललक्षणा तावत्-) जहल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहद्रवाच्या का उपकृतं बहु तत्र - - -। शुद्धा गौणी च। इत्येवं सप्तविधा फललक्षणा। (वृ० वा०, पृ० ५२) ।

^५ व्यतिरेकलक्षणापि जहल्लक्षणा प्रभेद एव। यथा- उपकृतं बहु तत्र - - -। (वृ० वा०, पृ० ५२-५३) ।

^६ अजहल्लक्षणा यथा- ‘कुन्ताः प्रविशन्ति यष्टयश्च’। (वृ० वा०, पृ० ५३) ।

दिया है। इसमें स्व अर्थ के एक देश का त्याग तथा एक देश का बोध होता है^१ सारोपा एवं साध्वसान का वही स्वरूप इन्हें भी मान्य था जो मुकुलभट्ट एवं मम्मट को मान्य था। (चित्र संख्या ८)।

कोविदानन्द एवं त्रिवेणिका जैसे प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के रचयिता आशाधरभट्ट ने दोनों ही ग्रन्थों में लक्षण-भेदों की चर्चा की है किन्तु इनमें लक्षण का व्यवस्थित एवं क्रमयुक्त विभाजन नहीं मिलता है। सर्वप्रथम जहती अजहती तथा उभयी ये तीन भेद इनकी लक्षण के होते हैं। इसके अतिरिक्त अभिवेयार्थ एवं लक्ष्यार्थ के मध्य सम्बन्ध के आधार पर लक्षण के अनेक भेदों का उल्लेख भी मिलता है^२ जहती इत्यादि उक्त तीनों भेदों का निरूपण तथा फलवती रूप से दो प्रकार स्पष्ट किया गया है^३ फलवती लक्षण सब्ज़न्चा होती है। व्यञ्जन के गूढ तथा अगूढ होने से उसके भी दो प्रकार हो जाते हैं^४ इसके अतिरिक्त इन लक्षणों के सारोपा एवं साध्वसाना दो भेद होते हैं^५ गौणी और शुद्धा भेद से भी लक्षण के दो प्रकार माने हैं^६



चित्र संख्या (८) : अप्यदीक्षित के अनुसार लक्षण-भेद ।

^१ 'ग्रामैकदेशादाहौ सति 'ग्रामो दस्थः' 'पुष्पितं वनम्' इत्यादि प्रयोगे 'ग्रामा'दि पदस्य स्वार्थैकदेशपरित्यागेन तदेकदेश वृत्तेर्जहदजहलक्षणा दस्थभूयस्त्वादिद्योतनं फलम्। (वृ० वा०, पृ० ५३)।

^२ प्लुतिस्तु जहती नाम प्रस्तारोऽजहती च सा।

संकोच उभयी ज्ञेया सम्बन्धादप्यनेकधा॥ (कोवि०, पृ० २८)।

त्रिवेणिका में इन तीनों लक्षणों के नाम जहलक्षणा अजहलक्षण तथा जहदजहलक्षणा नाम मिलते हैं। तृतीय जहदजहलक्षणा को ही 'भागत्यागलक्षणा' भी कहते हैं -

अथ फलवती जहदजहलक्षणा। इयमेव भागत्यागलक्षणेत्याहुः। (त्रिवेणिका, पृ० १३)।

^३ त्रिविधापि पुनर्द्वेष्या निरूपा च फलान्विता। (कोवि०, पृ० ३१)।

^४ निरूपा भक्तिरफला गूढगूढफलाऽपरा। (कोवि०, पृ० ३४)।

^५ सारोपा सा मता यत्र विषयी विषयान्वितः।

ज्ञेया साध्वसाना सा विषयी यत्र केवलः॥ (कोवि०, पृ० ३५)।

^६ कार्यकारणभावाद भेदौ शुद्धाविमौ स्मृतौ

सादृश्ये सति गौणी च शक्यलक्ष्यगुणाश्रयात्॥ (कोवि०, पृ० ३६)।

उपर्युक्त विभाजन को आशाधरभट्ट ने जिस प्रकार प्रस्तुत किया है उसके अनुसार लक्षणा के भेदोपभेद की कोई निश्चित तालिका नहीं निर्मित की जा सकती।

४. ४ ‘गुणवृत्ति’, ‘भक्ति’ एवं ‘उपचार’

लक्षणाशक्ति के अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस प्रसङ्ग में ‘गुणवृत्ति’ ‘भक्ति’ एवं ‘उपचार’ शब्द का प्रयोग बहुलता से उपलब्ध होता है। कहीं-कहीं ये तीनों ही लक्षणा के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हैं तो कहीं गौणी को लक्षणा का एक भेद बताया गया है। कतिपय विद्वानों ने गौणी को लक्षणा से भिन्न वृत्ति के रूप में मान्यता दी है।

गुणवृत्ति अथवा गौणी सामान्यतया सादृश्य सम्बन्ध पर आधारित होती है। गुणों के योग से होने के कारण ही इसे ‘गौणी’ कहते हैं। ‘गौणी’ वृत्ति को लक्षणा से भिन्न वृत्ति के रूप में स्पष्ट मान्यता मीमांसकों ने प्रदान की है। कुमारिलभट्ट ने गौणी को लक्षणा से भिन्न बताते हुए उसे लक्ष्यमाण गुणों के योग से होने वाली वृत्ति कहा है^१। प्रभाकरमिश्र एवं उनके मतानुयायियों ने भी गौणी को लक्षणा से भिन्न ही माना है^२।

नैयायिकों ने गौणी को लक्षणा से भिन्न नहीं माना है। न्यायसिद्धान्त के संस्थापक आचार्य गौतम लक्षणा को ‘उपचार’ कहते हैं।^३

‘धन्यालोक’ में आनन्दवर्धन ने अनेकशः गुणवृत्ति, भक्ति एवं उपचार शब्द का प्रयोग लक्षणा के लिए ही किया है। इस ग्रन्थ की प्रथम कारिका के ‘भाक्तमाहुस्तमन्ये’ अंश में ‘भाक्त’ पद को स्पष्ट करते हुए आनन्दवर्धन ने इसे ‘गुणवृत्ति’ कहा है^४। इसके साथ ही ‘भक्ति’ के लिए इन्होंने ‘उपचार’ शब्द भी प्रयुक्त किया है^५। लोचन टीका में अभिनवगुप्त ने तीनों का लक्षणा के पर्याय के रूप में ही प्रयोग किया है^६।

मुकुलभट्ट ने भी गौणी का अन्तर्भाव लक्षणा में ही कर लिया है इन्होंने लक्षणा का वर्गीकरण करते हुए उसके शुद्धा तथा उपचारमिश्रा दो भेद किये जिनमें उपचारमिश्रा को भी शुद्ध और गौण दो भेदों में बाँटा। उपचार

^१ तं० वा०, मी० द० (२), पृ० ३१३।

^२ गौणवृत्तिलक्षणातो भिन्नेति प्राभाकराः। (प्रता० रु०, संस्कृत व्या०, पृ० ५८)।

^३ न्या० सू०, २/२/६३

^४ भाक्तमाहुस्तमन्ये। अन्ये तं धनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः। (ध०, प्र० उ०, पृ० ४५)।

^५ उपचारमात्रं तु भक्तिः। (ध०, प्र० उ०, पृ० २६२)।

^६ तत आगतो भाक्त इति गौणो लाक्षणिकश्च। मुख्यस्याचार्थस्य भङ्गे भक्तिरित्येवं मुख्यार्थबाधानिमित्तप्रयोजनमितित्रय-सद्भाव उपचारबीजम्। (ध० लो०, प्र० उ०, पृ० ४६)।

को परिभाषित करते हुए मुकुलभट्ट ने लिखा है - एक वस्तु पर दूसरी वस्तु के आरोप को उपचार कहते हैं। गौणोपचारमूलक लक्षणा मूलभूत उपमानोपमेयभाव पर आधारित होती है तथा शुद्धोपचार में ऐसा नहीं होता, अर्थात् वहाँ उपमानोपमेयभाव के न होने से उपमानगत गुणों के समान गुणों के सम्बन्ध से लक्षणा नहीं हो पाती। ऐसे स्थितों पर कार्य-कारणभाव इत्यादि सम्बन्धों के कारण लक्षणा होती है। मुकुलभट्ट ने 'उपचार' का जो शुद्ध नामक भेद किया है उससे यहीं सिद्ध होता है कि इहें 'उपचार' का केवल 'सादृश्यसम्बन्ध' रूप अर्थ ही अभिप्रेत नहीं था। इन्होंने गौणोपचार के लिए 'मूलभूत उपमानोपमेयभाव' शब्द का प्रयोग किया है इसका डॉ० रेवा प्रसाद द्विवेदी ने यह अर्थ लिया है कि मुकुलभट्ट सादृश्यमूलक उपचार को ही वास्तविक उपचार मानते हैं। वस्तुतः यह युक्तिसङ्गत नहीं है। मुकुलभट्ट के अनुसार 'मूलभूत' शब्द का यहाँ अभिप्राय प्रतीत होता है कि शुद्ध एवं गौण दोनों उपचारों में से गौणोपचार के अन्तर्गत मूलरूप से 'उपमानोपमेयभाव' के आधार पर लक्षणा होती है अर्थात् उपमानगत गुणों का सम्बन्ध इसका आधार होता है। यहीं मूलभूत शब्द का अभिप्राय है। उपमानोपमेयभाव के सादृश्यमूलक होने के कारण ही गौणी लक्षणा का मूल सादृश्य-सम्बन्ध होता है तथा गुणों के आधार पर होने के कारण ही यह गौणोपचार कहलाता है। शुद्धोपचार के मूल में सादृश्यभिन्न कार्यकारण भावादि सम्बन्ध होते हैं।

मुकुलभट्ट के परवर्ती आलङ्कारिकों में अधिकांश ने 'उपचार' का अर्थ सादृश्ययुक्त गौण प्रयोग किया है। आचार्य मम्ट ने अपने ग्रन्थों में उपचार को गौणी तथा शुद्धा का भेदक धर्म मानते हुए इसे गौणी लक्षणा तक सीमित कर दिया है। इनके अनुसार उपचार से मिश्रित होने के कारण ही गौणी शुद्धा लक्षणा से भिन्न है। अर्थात् शुद्धा लक्षणा में उपचार का मिश्रण नहीं रहता। मम्ट ने यद्यपि 'उपचार' की कोई परिभाषा नहीं दी है तथापि इनके अनुसार इसका अर्थ सादृश्य-सम्बन्ध ही है। शुद्धा लक्षणा को ये स्पष्ट रूप से उपचार से अमिश्रित कहते हैं^१ जिसका तात्पर्य है कि गौणी में उपचार का मिश्रण रहता है। अन्यत्र मम्ट सादृश्य-सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा को गौणी कहते हैं^२ इस प्रकार उपचार का अर्थ इनके अनुसार सादृश्य सम्बन्ध ही हुआ।

साहित्यर्थणकार विश्वनाथ ने अपने ग्रन्थ में जो उपचार की परिभाषा दी है उसके अनुसार दो भिन्न-भिन्न पदार्थों का अत्यधिक सादृश्य के कारण भेद-ज्ञान का तिरोहित हो जाना ही उपचार है^३ 'सिंहो माणवकः' इस उदाहरण

^१ उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचारेणामिश्रितत्वात्। (श० व्या० वि०, पृ० ६)।

^२ भेदैविमौ च सादृश्यात् सम्बन्धान्तरतस्तथा। गौणौ शुद्धौ च विज्ञेयौ। (श० व्या० वि०, पृ० ११)।

^३ उपचारो हि नामात्यन्तं विशकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशयमहिमा भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम्। (सा० द०, पृ० ३७)।

में सिंह तथा बालक में भिन्नता होते हुए भी उनमें शूरता एवं कूरता इत्यादि गुण समान हैं। यही सादृश्य है^१ इसी के कारण इनका भेद तिरोहित हो गया है। इसी को उपचार कहते हैं। इसके कारण होने वाली लक्षणा गौणी कहलाती है।

नरेन्द्रप्रभसूरि ने 'उपचार' का अर्थ मुकुलभट्ट के समान ही करते हुए इसे अन्य पर अन्य का आरोप कहा है, किन्तु इनके अनुसार 'उपचार' न तो लक्षणा का भेद है और न ही भेदक धर्म अपितु लक्षणा का ही अपर पर्याय है।^२ गौणी को इन्होंने भी लक्षणा का ही एक भेद माना है। सादृश्य अथवा गुणसम्य से होने वाली लक्षणा ही गौणी लक्षणा है।^३

इसी प्रकार अनेक अन्य काव्यशास्त्री हैं जिन्होंने गौणी को लक्षणा का ही एक भेद स्वीकार किया है। आचार्य विद्यानाथ के अनुसार गौणी लक्षणा का ही भेद है उससे भिन्न नहीं क्योंकि दोनों में ही सम्बन्ध की अनुपपत्ति रहती है।^४ अप्पयदीक्षित ने मीमांसकों का खण्डन करते हुए गौणी को लक्षणा में ही अन्तर्भूत माना है क्योंकि 'सादृश्य' एक प्रकार का सम्बन्ध ही होता है और सादृश्य युक्त लक्षणा ही गौणी लक्षणा है।^५ आशाधरभट्ट^६ एवं नगेशभट्ट^७ ने भी सादृश्य के आधार पर होने वाली लक्षणा को गौणी कहते हुए इसे लक्षणा का ही भेद माना है।

कुछ काव्यशास्त्रियों ने गौणी को लक्षणा से भिन्न वृत्ति कहा है जिनमें हेमचन्द्र एवं भोजराज प्रमुख हैं। हेमचन्द्र ने चार प्रकार के शब्द माने हैं वाचक, लक्षक, गौण एवं व्यञ्जक। शृङ्खलप्रकाशकार भोजराज ने एक ही अभिधा शक्ति मानते हुए उसके मुख्या, गौणी और लक्षणा तीन भेद किये हैं।

^१ तद्वित्ते सति तद्गतभूयोधर्मवत्त्वम्। यथा चन्द्रभित्रते सति चन्द्रगतावह्निदकत्वादिमत्त्वं मुखे चन्द्रसादृश्यम् (न्या० सिं० मु०, शक्तिसादृश्यखण्डनम्, पृ० ४६)।

^२ उपचरणमन्यस्मिन्नस्यारोपणमुचारः स च लक्षणाऽपरपर्यायः शब्दस्य व्यापारविशेषस्तेन विवित्रता। (अ० म०, पृ० ३३)।

^३ द्विप्रकाराऽपि सादृश्याद् या सा गौणीति गीयते। (अ० म०, पृ० ३४)।

^४ गौणवृत्तिरपि लक्षणाप्रभेद एव सम्बन्धानुपपत्तिमूलकत्वात्। (प्रता० रु०, पृ० ५५-५६)।

^५ सादृश्येन प्रतिपादकत्वरूपा गौण्यपि लक्षणाप्रभेद एव तत्सदृशेऽपि तत्रिरूपितसादृश्याधिकरणत्वपरम्परासम्बन्धसत्त्वात्। (वृ० वा०, पृ० ५०)।

^६ सादृश्यसम्बन्धे सति गौणी। (त्रिवेणिका, पृ० १२)।

^७ स्वनिरूपितसादृश्याधिकरणत्वसम्बन्धेन शक्यसम्बन्धर्थप्रतिपादिका गौणी। (वै० सिं० ल० म०, पृ० १००)।

व्यञ्जनावृत्ति-विवेचन

शब्दशक्तियों में व्यञ्जना नामक वृत्ति भी मानी गई है। मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न एक अर्थ भी होता है, इसी अर्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति 'व्यञ्जना' है। इससे व्यक्त अर्थ को 'व्यञ्जनार्थ' कहते हैं। काव्यशास्त्र के क्षेत्र में शब्द की एक शक्ति के रूप में व्यञ्जना की उद्घावना आनन्दवर्धन के धनि-सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में ही सर्वप्रथम मिलती है। किन्तु आनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ में व्यञ्जना की कोई भी परिभाषा नहीं दी है।

आनन्दवर्धन ने 'धनि' को काव्य की आत्मा कहा है। जहाँ शब्द अपने अर्थ को तथा अर्थ स्वयं को गौण करके प्रतीयमान अर्थ की व्यञ्जना कराते हैं वही 'धनि' है।¹ अभिनवगुप्त ने लोचन में स्पष्ट किया है कि धनि शब्द का व्यवहार पाँच अर्थों में होता है। ये पाँच अर्थ हैं- वाच्य अर्थ, वाचक शब्द, व्यञ्जन अर्थ, व्यञ्जना व्यापार तथा इन चारों का समुदाय रूप काव्य।²

व्याकरण-शास्त्र सभी विद्याओं का मूल माना जाता है अतः वैयाकरण प्रथम कोटि के विद्वान् कहलाते हैं। वैयाकरणों ने मस्तिष्क में नित्य रूप से वर्तमान स्फोट के अभिव्यक्त वर्णों को 'धनि' कहा है। इन्हीं धनियों को हम लोक में सुनते हैं। आनन्दवर्धन के धनि-सिद्धान्त का आधार वैयाकरणों का यह स्फोटवाद ही है।³

¹ यत्रार्थः शब्दो वा तर्मर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थोऽ-

व्यञ्जकः काव्यविशेषः स धनिरिति सूरिभिः कथितः॥ (ध०, प्र० उ०, पृ० १७७)।

² एवं घण्टानिर्झादस्थानीयोऽनुरणनात्मोपलक्षितो व्यञ्जयोऽप्यर्थो धनिरिति व्यवहृतः। - - - - तेन व्यञ्जकौ शब्दार्थवपीह धनिशब्देनोक्तौ। - - - - असाभिरपि प्रसिद्धेभ्यः शब्दव्यापारेभ्योऽभिधातात्पर्यलक्षणास्तपेभ्योऽतिरिक्तो व्यापारो धनिरित्युक्तः। एवं चतुष्कमपि धनिः। तद्योगाच्च समस्तमपि काव्यं धनिः। (ध०, ल०० प्र० उ०, पृ० २४७-२५०)।

³ प्रथमे हि विद्वांसे वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम्। ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु धनिरिति व्यवहरन्ति। तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिर्व्याचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेशयो व्यञ्जकत्वसाम्यादधनिरित्युक्तः। (ध०, प्र० उ०, पृ० २४९)।

इस प्रकार आनन्दवर्धन के अनुसार ध्वनिकाव्य में व्यङ्ग्य अर्थ की ही प्रधानता रहती है। व्यङ्ग्यार्थ अथवा प्रतीयमानार्थ काव्य का विलक्षण अर्थ होता है। जिस प्रकार अङ्गनाओं में लावण्य मुखादि शरीर के अवयवों से सर्वथा पृथक् होता है, उसी प्रकार प्रतीयमानार्थ भी प्रसिद्ध अलङ्कारों एवं शब्दार्थों से भिन्न ही होता है।^१ व्यङ्ग्य अर्थ तथा व्यङ्गक शब्दों का महत्त्व बताते हुए आनन्दवर्धन कहते हैं कि महाकवियों को 'महाकवित्व' पद की प्राप्ति व्यङ्ग्य व्यङ्गक से ही होती है।^२

ममट के ग्रन्थों में व्यङ्गना के विभिन्न भेदों की परिभाषाएँ मिलती हैं किन्तु व्यङ्गना-शक्ति कहते किसे हैं, इसे स्पष्ट करने वाली कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं होती है। ममट के कुछ परवर्ती काव्यशास्त्रियों ने व्यङ्गना को परिभाषित करने का अवश्य प्रयास किया है। हेमचन्द्र ने मुख्य, गौण एवं लक्ष्यार्थ के अतिरिक्त प्रतीत होने वाले अर्थ को ही व्यङ्ग्यार्थ कहा है जिसकी पूर्वाचार्यों ने 'ध्वनि' संज्ञा दी थी।^३ व्यङ्गना-व्यापार को स्पष्ट करते हुए हेमचन्द्र कहते हैं कि अभिधा शक्ति के द्वारा प्रतीत अर्थ सहृदय की प्रतिभा की सहायता से एक नूतन अर्थ को प्रकट करता है जिसे धोतित करने वाली शक्ति व्यङ्गना कहलाती है।^४ साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने व्यङ्गनावृत्ति की परिभाषा देने का सार्थक प्रयास किया है। व्यङ्गना शब्द तथा अर्थ दोनों में रहने वाली वृत्ति है। अपने-अपने अर्थ की प्रतीति कराने के पश्चात् अभिधा आदि वृत्तियों के शान्त होने पर जिससे अन्य अर्थ का बोधन होता है उसे व्यङ्गना-व्यापार कहते हैं।^५ व्यङ्गना को आचार्यों ने व्यङ्गन, ध्वनन, धोतन, गमन, प्रत्यायन आदि नामों से भी व्यवहृत होने वाली शक्ति बताया है।^६

व्यङ्गना-शक्ति की विवेचना के प्रसङ्ग में यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि ध्वनिकार के पूर्ववर्ती आलङ्कारिकों ने व्यङ्ग्यार्थ की सत्ता को स्वीकारा था अथवा नहीं ? इस प्रश्न का समाधान भी हमें आनन्दवर्धन के ही

^१ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु। (ध०, प्र० उ०, पृ० ७०)।

^२ व्यङ्ग्योऽर्थस्तद्यत्किसामर्थ्योगी शब्दश्च कश्चन न शब्दमात्रम्। तावेव शब्दार्थो महाकवे: प्रत्यभिज्ञेयौ।

व्यङ्ग्यव्यङ्गकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनां न वाच्यवाचकरचनामात्रेण। (ध०, प्र० उ०, पृ० १६९)।

^३ मुख्यगौणलक्ष्यार्थव्यतिरिक्तः प्रतीतिविषयो व्यङ्ग्योऽर्थः। स च धन्यते धोत्यते इति धनिरिति पूर्वाचार्यैः सञ्जितः। (काव्यानुशासनम्, पृ० ३१)।

^४ तच्छक्तयुपजनितार्थावगमपवित्रितप्रतिपत्तप्रतिभासहार्यद्योतनशक्तिर्व्यङ्गकत्वम्। (काव्यानुशासनम्, पृ० ४९)।

^५ विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽर्थो बोधते परः

सा वृत्तिर्व्यङ्गना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च। (सा० द०, पृ० ३६)।

^६ व्यङ्गनध्वननगमनप्रत्यायनादिव्यपदेशविषया व्यङ्गना नाम। (सा० द०, पृ० ४०)।

ग्रन्थ में प्राप्त हो जाता है। इनसे पूर्व आचार्यों ने काव्य में अभिधा के अतिरिक्त ‘अमुख्यवृत्ति’ का भी प्रयोग किया है। आनन्दवर्धन के विचार में इन आचार्यों के द्वारा इस अमुख्यवृत्ति का प्रयोग यही दर्शाता है कि इन्होंने इसके माध्यम से ध्वनि-मार्ग का स्पर्श तो किया, किन्तु उसका लक्षण नहीं दिया। ‘ध्वन्यालोक’ की प्रथम कारिका में ही आनन्दवर्धन ने ध्वनि-विरोधी तीन सम्भावित पक्षों को रखा है— अभाववाद, भाक्तवाद तथा अनिर्वचनीयतावाद।^३ इनमें ‘भाक्तवाद’ की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा है कि कुछ लोग ध्वनि को ‘भक्ति’ अथवा ‘गुणवृत्ति’ कहते हैं।^४ यद्यपि पूर्ववर्ती किसी भी आलङ्कारिक ने शब्दशः यह नहीं कहा कि ध्वनि गुणवृत्ति या लक्षणा ही है, किन्तु इनका अभिधा के अतिरिक्त किसी अन्य व्यापार का मानना यही सङ्केत करता है कि इनके ‘अमुख्यव्यापार’ में ही अभिधा से भिन्न सभी व्यापारों का अन्तर्भाव हो जाता है। अभिनवगुप्त ने लोचन टीका में स्पष्ट किया है कि भामह के ‘शब्दाश्छन्दोऽभिधानार्थः’ सूत्र की व्याख्या में उद्दट ने लिखा था— ‘शब्दानामभिधानमभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च’^५ इसका तात्पर्य है कि शब्दों के अभिधान का अर्थ है अभिधाव्यापार। वह मुख्य एवं गुणवृत्ति रूप से दो प्रकार का होता है। वामन ने भी सादृश्य से होने वाली लक्षणा को वक्रोक्ति कहा है।^६ इस प्रकार इन आचार्यों ने वाच्यार्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ भी माना जिसे अमुख्यार्थ, गौणार्थ या लक्ष्यार्थ कहा। इसी से सिद्ध होता है कि इन्हें व्यञ्जय अर्थ का भी ज्ञान तो था किन्तु इसकी प्रतीति के लिए इन्होंने अभिधा से भिन्न कोई शब्दशक्ति नहीं मानी।

यह सत्य है कि भामह इत्यादि आचार्यों ने व्यञ्जना का कहीं उल्लेख नहीं किया है, किन्तु इन पूर्ववर्ती आलङ्कारिकों के ग्रन्थों में कतिपय ऐसे अलङ्कारों का वर्णन है जिससे यह स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि इन आचार्यों का परिचय प्रतीयमानार्थ से अवश्य था। इस प्रसङ्ग में पण्डितराजजगन्नाथ का यह मत उल्लेखनीय है कि प्राचीन आलङ्कारिकों के ‘ध्वनि’ आदि शब्दों का प्रयोग न करने मात्र से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ये व्यञ्जयार्थ से परिचित नहीं थे। उन आचार्यों ने भी ‘समासोक्ति’ ‘व्याजस्तुति’ ‘अप्रस्तुत प्रशंसा’ आदि अलङ्कारों के

^१ यद्यपि च ध्वनिशब्दसङ्कीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्गुणवृत्तिरन्यो वा न कश्चित्प्रकाशितः तथापि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाक् सृष्टोऽपि न लक्षितः। (ध्व०, प्र० उ०, पृ० ५९)।

^२ ध्व०, प्र० उ०, पृ० १०१।

^३ भाक्तमाहुस्तमन्ये। अन्ये तं ध्वनिसङ्गितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः। (ध्व०, प्र० उ०, पृ० ४५)।

^४ ध्व० ल००, पृ० ५२।

^५ सादृश्यात्मक्षणा वक्रोक्तिः। (काव्या० सू०, पृ० १७२)।

वर्णन के माध्यम से गुणीभूतव्यङ्ग्य के शब्दों का निरूपण किया है। अन्य सभी व्यङ्ग्य-प्रपञ्च को पर्यायोक्त अलंकार में अन्तर्भूत कर लिया।^१

आचार्य भामह ने 'काव्यालङ्कार' में 'समासोक्ति' 'पर्यायोक्त', 'अप्रस्तुतप्रशंसा' इत्यादि अलङ्कारों के वर्णन में वाच्यार्थ से भिन्न व्यङ्ग्यार्थ की सत्ता में स्पष्ट सङ्केत किया था। समान विशेषणों के द्वारा जहाँ अन्य अर्थ गम्य हो वहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता है^२ इसी प्रकार इन्होंने अप्रस्तुतप्रशंसा के लक्षण में भी अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा प्रस्तुत अर्थ को गम्य मानते हुए व्यञ्जनावृत्ति को मौन स्वीकृति है^३ इनके पर्यायोक्त^४ एवं दृष्टांत^५ नामक अलङ्कारों में भी व्यङ्ग्यार्थ का निर्देश देखा जा सकता है।

दण्डी ने तो उत्तेक्षा अलङ्कार के प्रसङ्ग में मन्ये, शङ्के इत्यादि उत्तेक्षा के व्यञ्जक शब्दों की चर्चा करते हुए 'व्यज्यते' शब्द का प्रयोग किया है^६ इसके एक टीककार ने 'व्यज्यते' पद का अर्थ 'धोतते' किया है^७ पर्यायोक्त अलङ्कार की परिभाषा देते हुए इन्होंने 'प्रकारान्तराख्यानम्' पद का प्रयोग किया है^८ यह प्रकारान्तरया आख्यान

^१ धनिकारात्माचीनैर्भामहोद्दटप्रभृतिभिः स्वग्रन्थेषु कुत्रापि धनिगुणीभूतव्यङ्ग्यादिशब्दा न प्रयुक्ता इत्येतावतैव तैर्धन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याधुनिकानां वाचोयुक्तिरयुक्तैव। यतः समासोक्तिव्याजस्तुत्यप्रस्तुतप्रशंसाद्यलंकारनिरूपणेन कियन्तोऽपि गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदासैरपि निरूपिताः। अपरश्च सर्वोऽपि व्यङ्ग्यप्रपञ्चः पर्यायकुक्षौ निष्क्रिप्तः। (२० गङ्गा०, द्विं ० आ० (II), पृ० ३६०)।

^२ यत्रोक्ते गम्यतेऽन्योऽर्थस्तस्मानविशेषणः।

सा समासोक्तिरुदिदष्टा संक्षिप्तार्थतया यथा। (भा० काव्या०, २/७६, पृ० ६०)।

^३ अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः।

अप्रस्तुतप्रशंसेति सा चैवं कथ्यते यथा। (भा० काव्या०, ३/२६, पृ० ७८)।

^४ पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते।

उवाच रत्नाहरणे चैद्यं शार्ङ्गधनुर्यथा॥ (भा० काव्या०, ३/८, पृ० ७०)।

^५ यत्र दृष्टान्तमात्रेण व्यज्यते साध्यसाधने।

तमाहुः शुद्धदृष्टान्तं तन्मात्राविष्कृतेर्यथा॥। (भा० काव्या०, ५/५८, पृ० १२८)।

^६ मन्ये शङ्के द्वुवं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः।

उत्तेक्षा व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादृशः। (काव्यादर्शः, २/२३४, पृ० १६४)।

^७ तैः शब्दैरुत्तेक्षा उक्तलक्षणा शब्दान्तरोक्ताप्यव्यक्ता सती व्यज्यते धोत्यते। (काव्यलक्षण-'रत्नश्रिया' टीका, पृ० १४५)।

^८ इष्टर्मर्थमनाख्याय सक्षात्तस्यैव सिद्धये।

यत्प्रकारान्तराख्यानं पर्यायोक्तं तदिष्यते। (काव्यादर्शः, २/२८५, पृ० १८८)।

वाचक व्यापार से भिन्न किसी दूसरे व्यापार से कथन है और यह अन्य व्यापार व्यञ्जना ही है। उदात्त अलङ्कार के प्रसङ्ग में तो 'व्यञ्जित' शब्द का प्रयोग मिलता है।^१

उद्घट के 'काव्यालङ्कारसारसंग्रह' में भी कई ऐसे स्थल हैं जिनसे सिद्ध होता है कि इन्हें भी 'व्यङ्गचार्य' का ज्ञान अवश्य था। पर्यायोक्त अलङ्कार के लक्षण में इन्होंने 'अन्येन प्रकारेण अभिधीयते' कहकर अभिधा के अतिरिक्त एक 'अवगमात्मक' व्यापार को भी माना है।^२ इस अवगमकता का अभिप्राय अन्यार्थ की व्यञ्जकता ही प्रतीत होती है। अप्रस्तुतप्रशंसा^३ तथा व्याजस्तुति^४ नामक अलङ्कारों के वर्णन में भी गम्यमान अर्थ की सत्ता में ही सङ्केत मिलता है। अप्रस्तुतप्रशंसा में अन्य की स्तुति रहती है तथा व्याजस्तुति में शब्द-शक्ति के स्वभाव से तो निन्दा प्रतीत होती है किन्तु वस्तुतः स्तुति ही गम्य होती है।

रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य, वामन का उल्लेख भी लोचन टीका में मिलता है। आनन्दवर्धन का मानना है कि वामन को भी अस्फुट रूप में ध्वनि नामक काव्यतत्त्व का ज्ञान था।^५ वामन ने विशिष्ट पद रचना को रीति कहा है।^६ रचना में यह विशिष्टता गुणों के कारण ही आती है।^७ गुण ही काव्यशोभा के उत्पादक धर्म है अलङ्कार तो उस शोभा का वर्धन करते हैं।^८ लोचनकार के अनुसार गुणों का पर्यवसान रस में ही होता है^९ और रस सदा व्यङ्गच ही होता है इससे यह सिद्ध है कि वामन भी वाचार्य से भिन्न काव्य के रमणीयार्थ से अवश्य

^१ पूर्वत्राशयमहात्यमत्राभ्युदयगौरवम्।

सुव्यञ्जितमिति प्रोक्तमुदात्तद्वयमप्यदः॥ (काव्यादर्श; २/३०३, पृ० १६२)।

^२ पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते।

वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना॥ (काव्या० सा० सं०, पृ० ३५)।

^३ अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः।

अप्रस्तुतप्रशंसेयं प्रस्तुतार्थनिबन्धिनी॥ (काव्या० सा० सं०, पृ० ४३)।

^४ शब्दशक्तिस्वभावेन यत्र निन्दैव गम्यते

वस्तुतस्तु स्तुतिश्चेष्टा व्याजस्तुतिरसौ मता॥ (काव्या० सा० सं०, पृ० ४४)।

^५ एतद्व्यनिप्रवर्तनेन निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरितं सदशक्तुवद्द्विः प्रतिपादयितुं वैदर्भी गौडी पाञ्चाली च रीतयः

प्रवर्तिताः रीतिलक्षणविधायिनां हि काव्यतत्त्वमेतदस्फुटतया मनाक्सुरितमासीदिति लक्ष्यते। तदत्र स्फुटतया सम्प्रदर्शितेनान्येन रीतिलक्षणेन न किञ्चित्। (ध०, तृ० उ०, पृ० ५१४)।

^६ विशिष्टा पदरचना रीतिः। (काव्या० सू०, पृ० १५)।

^७ विशेषो गुणात्मा। (काव्या० सू०, पृ० १६)।

^८ काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः। (काव्या० सू०, पृ० ८७-८८)।

^९ रीतिर्हि गुणेष्वेव पर्यवसिता। यदाह-विशेषो गुणात्मा गुणाश्च रसपर्यवसायिन— - -। (ध० लो०, तृ० उ०, पृ० ५१४)

परिचित थे। आचार्य वामन ने सादृश्य से होने वाली लक्षणा को 'वक्रोक्ति' कहा है^१ अलङ्कारसर्वस्वकार' का मन्त्रव्य है कि वामन ने वक्रोक्ति अलङ्कार के माध्यम से ध्वनि के अविविक्षितवाच्य रूप भेद को ही कहा है^२ वामन से पूर्व भामह ने भी वक्रोक्ति की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि कोई भी अलङ्कार वक्रोक्ति के विना नहीं रह सकता।^३ सभी अलङ्कारों के प्रयोग में एक प्रकार के उक्तिवैचित्र्य की अपेक्षा रहती है। यह तो अनुभवसिद्ध है कि किसी बात के वक्र-कथन से उसमें विलक्षणता आ जाती है। वक्र रूप से कथन कभी भी अभिधा से सम्भव नहीं है। इस उक्तिवैचित्र्य के माध्यम से भी इन आचार्यों ने व्यञ्जनार्थ को ही स्वीकारा है।

आचार्य रुद्रट ने 'भाव' नामक अलङ्कार का लक्षण देते हुए व्यञ्जन्य अर्थ की सत्ता का स्पष्ट सङ्केत किया है। दो प्रकार के भाव अलंकार इन्होंने माने हैं। इनमें प्रथम में अभिप्राय गम्य रहता है तथा दूसरे में अर्थान्तर।^४ इस प्रकार इन्होंने प्रकारान्तर से व्यञ्जना का ही उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त रुद्रट ने प्रथम भावालङ्कार का जो उदाहरण दिया है उसे मम्मट ने गुणीभूतव्यञ्जन्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार आनन्दवर्धन के पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रन्थों से जो उपर्युक्त उदाहरण दिये गये हैं उनके अतिरिक्त भी अन्यान्य ऐसे स्थल उपलब्ध हो सकते हैं जिनमें व्यञ्जनार्थ के बीज निहित हैं। आनन्दवर्धन का यह कथन उचित ही है कि ध्वनि-मार्ग का स्पर्श करके भी इन आचार्यों ने इसका लक्षण नहीं दिया।

५. १ मुकुलभट्ट एवं व्यञ्जना-शक्ति

व्यञ्जना-विरोधी आचार्यों में मुकुलभट्ट अग्रगण्य माने जाते हैं। इनकी गणना उन आचार्यों में की जाती है जिन्होंने व्यञ्जनार्थ का अन्तर्भाव लक्ष्यार्थ में ही माना है। अर्थात् जिस अर्थ को व्यञ्जनावादी आचार्य व्यञ्जना नामक शक्तिविशेष से बोधगम्य मानते हैं उसकी प्रतीति ये लक्षणा से ही मान लेते हैं। मुकुलभट्ट के अनुसार तो लक्षणा भी शब्द की पृथक् शक्ति नहीं है। 'इत्येतदभिधावृत्तं दशधात्र विवेचितम्' कह कर अभिधा के जो दस भेद इन्होंने माने हैं

^१ काव्या० सू०, ४/३/८, पृ० १७२

^२ वामनेन तु सादृश्यनिबन्धनाया लक्षणाया वक्रोक्त्यलङ्कारत्वं ब्रुवता कश्चिद्ध्वनिभेदोऽलङ्कारतयैवोक्तः। (अ० सर्व०, पृ० ८)।

^३ सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।

यलोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना। (भा० काव्या०, २/८५, पृ० ६२)।

^४ यस्य विकारः प्रभवत्रप्रतिबद्धेन हेतुना येन।

गमयति तदभिप्रायं तत्प्रतिबन्धं च भावोऽसौ॥ (र० काव्या०, ७/३८, पृ० २०६)।

उनमें ही अन्तिम छः को लाक्षणिक अर्थ की अभिधा कहते हैं। इस लाक्षणिक अर्थ को ‘अमुख्य’ भी कहा जा सकता है क्योंकि उसकी प्रतीति मुख्य अर्थ की पर्यालोचना से ही होती है। इसी ‘अमुख्य’ अर्थ में इन्होंने व्यङ्ग्यार्थ को भी समाविष्ट कर लिया है।

मुकुलभट्ट के समय तक ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना तथा व्यङ्ग्यार्थ की महत्ता स्थापित हो चुकी थी। जिस प्रकार आनन्दवर्धन के पूर्ववर्ती आचार्यों ने व्यङ्गनाशक्ति को न मानते हुए भी व्यङ्ग्यार्थ को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है उसी प्रकार मुकुलभट्ट के विषय में भी यह कहा जा सकता है कि इन्हें ध्वनि-सिद्धान्त एवं प्रतीयमानार्थ का ज्ञान अवश्य था। इनके ग्रन्थ में तो इस बात के स्पष्ट प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं कि ये आनन्दवर्धन के ध्वनि-सिद्धान्त से पूर्णरूपेण परिचित थे।

मुकुलभट्ट ने अपने ग्रन्थ में किसी ‘सहदय’ नामक विद्वान् के जिन सिद्धान्तों का उल्लेख किया है वे ‘ध्वन्यालोक’ से ही समानता रखते हैं। इस ग्रन्थ के अन्तिम भाग में तो इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ‘सहदय’ नामक विद्वान् के द्वारा नवीन स्थापना के रूप में वर्णित ध्वनि का लक्षण में ही समावेश हो जाता है।^१

लक्षणा पर विचार के प्रसङ्ग में मुकुलभट्ट ने लक्ष्यार्थ को वक्ता, वाक्य तथा वाच्य अर्थ से सापेक्ष बताया है। वक्ता आदि कारण-सामग्रियों के होने पर ही लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है।^२ इसके लिए इन्होंने जो उदाहरण दिये हैं उससे भी इनके व्यङ्गनाविरोधी होने का ही सङ्केत मिलता है। इन उदाहरणों को मम्ट जैसे ध्वनिवादी आचार्य ने व्यङ्गना का उदाहरण माना है। इनके तीनों उदाहरणों में मम्ट ने क्रमशः वस्तु, अलङ्कार एवं रस की व्यङ्गना मानी है।^३

आनन्दवर्धन तथा मम्ट ने ध्वनि के अनेक भेद माने हैं। ध्वनि की यह अनेक प्रकारता वस्तु, अलङ्कार एवं रसादि के भेद से होती है। व्यङ्ग्यार्थ को वाच्यार्थ से भिन्न बताते हुए आनन्दवर्धन ने लिखा है कि प्रतीयमानार्थ वस्तु, अलङ्कार एवं रसादि से होने वाले अपने सभी भेदों में वाच्यार्थ से सर्वथा भिन्न ही होता है।^४ मम्ट ने भी ‘काव्यप्रकाश’ में ध्वनि एवं गुणीभूतव्यङ्ग्य के संक्षेप में तीन भेद किये हैं। इस भेद का आधार व्यङ्ग्य का तीन रूपों वाला होना है। इन भेदों में कोई वाच्यता को सहन करने वाला होता है तो कोई वाच्यता सहन न करने वाला होता है। प्रथम कोटि में

^१ लक्षणामार्गावगाहित्वं तु ध्वनेः सहदयैर्नूतनतयोपवर्णितस्य विद्यत इति दिशमुन्मीलयितुमिदमत्रोक्तम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ६६)।

^२ अ० वृ० मा०, पृ० २४।

^३ श० व्या० वि०, पृ० १८।

^४ स हर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रमलङ्कारसादयश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभिन्नो दर्शयिष्यते। सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु वाच्यादन्यत्वम् । (ध०, प्र० उ०, ७३)।

वस्तुधनि एवं अलङ्कारधनि की गणना होती है जिन्हें क्रमशः अविचित्र एवं विचित्र भी कहते हैं^१ तृतीय प्रकार रसादि धनि का है जो कभी भी वाच्यता को सहन नहीं कर सकता^२ यहाँ वाच्यता को सहन करने का अभिप्राय यह है कि वस्तु तथा अलङ्कार रूप धनि में जिस अर्थ की व्यङ्ग्य रूप से प्रतीति होती है वह अन्य दशा में वाच्य भी हो सकता है किन्तु रसादि धनि में अर्थ कभी भी वाच्य नहीं होता। इसके लिए आनन्दवर्धन तथा ममट ने यह तर्क दिया है कि - रस रूप अर्थ की अभिव्यञ्जना विभाव, अनुभावादि के द्वारा ही होती है। रस, भाव अथवा शृङ्खार आदि शब्द से अभिधा के द्वारा इसकी प्रतीति नहीं होती क्योंकि यह देखा जाता है कि जब कभी रस, शृङ्खार, भावादि शब्दों का प्रयोग होता है और विभावादि का प्रयोग नहीं होता तो रस की प्रतीति नहीं होती, किन्तु इसके विपरीत शृङ्खारादि शब्दों का प्रयोग न होने पर भी विभाव, अनुभावादि का कथन होने से रस-प्रतीति हो जाती है। इस अन्वयव्यतिरेक से यही सिद्ध होता है कि रस सदा व्यङ्ग्य होता है तथा विभावानुभावादि ही रस के व्यञ्जक होते हैं^३

रसादि की प्रतीति लक्षणाशक्ति से भी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ लक्षणा के तीनों हेतु मुख्यार्थबाध, मुख्यार्थयोग तथा रूढि अथवा प्रयोजन में से कोई भी नहीं है^४ विभावादि में किसी प्रकार की मुख्यार्थबाधा नहीं होती, विभावादि का रस के साथ ज्ञाप्य-ज्ञापक भाव सम्बन्ध भी नहीं हो सकता। यहाँ कोई प्रयोजन भी नहीं है क्योंकि रसास्वादन तो स्वयं काव्य का अन्तिम प्रयोजन है। इसे आचार्य ममट ने 'सकलप्रयोजनमौलिभूतम्' कहा है।

मुकुलभट्ट ने वक्ता आदि की सापेक्षता से होने वाली तीनों लक्षणाओं के जो उदाहरण दिये हैं उनमें 'दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि - - -' उदाहरण में उनके अनुसार भावी रति का अपह्वल लक्ष्यार्थ है। ममट के अनुसार यहाँ वस्तु से वस्तु

^१ सङ्कलनेन पुनरस्य धनेस्त्रयो भेदा व्यङ्ग्यस्य त्रिस्पत्त्वात्। तथा हि किञ्चिद्वाच्यतां सहते किञ्चित्त्वन्यथा। तत्र वाच्यतासहमविचित्रं विचित्रं चेति। अविचित्रं वस्तुमात्रं विचित्रं त्वलङ्काररूपम्। (का० प्र०, पृ० २३७-२३८)।

^२ रसादिलक्षणस्तर्थः स्वप्नेऽपि न वाच्यः। (का० प्र०, पृ० २३८)।

^३ (क) - - - तत्प्रयोगे विभावाद्यप्रयोगे तस्याऽप्रतिपत्तेस्तदप्रयोगेऽपि विभावादिप्रयोगे तस्य प्रतिपत्तेश्चेत्तन्वयव्यतिरेकाच्यां विभावाद्यभिधानद्वारेणैव प्रतीयते इति निश्चीयते तेनाऽसौ व्यङ्ग्य एव। (का० प्र०, पृ० २३८)।

(ख) - - - यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि विभावादिभ्योविशिष्टेभ्यो रसादीनां प्रतीतिः। केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः। तस्मादन्वयव्यतिरेकाच्यामभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तमेव रसादीनां नत्वभिधेयं कथञ्चित्। (ध०, प्र० उ०, पृ० ९३९)।

^४ मुख्यार्थबाधाभावात्र पुनर्लक्षणीयः। (का० प्र०, पृ० २३८)।

की व्यञ्जना है। इन्होंने 'काव्यप्रकाश' में वस्तु से वस्तु की व्यञ्जना होने पर 'वस्तुमात्रध्वनि' नामक भेद माना है जो कि शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का एक भेद है।^१

'प्राप्तश्रीरेष कस्मात् - - -' इत्यादि में मुकुलभट्ट ने राजा में भगवान् वासुदेव के स्वरूप का अध्यवसान मानते हुए अतिशयोक्ति अलङ्कार को लक्ष्य कहा है।^२ मम्ट ने यहाँ अतिशयोक्ति के स्थान पर रूपक माना है तथा उसके 'लक्ष्य' होने का निषेध किया है।^३ 'ध्वन्यालोक' में भी यह उदाहरण अलङ्कार से अलङ्कार व्यञ्जन रूपक ध्वनि के लिए प्रस्तुत किया गया है।^४

'दुर्वारामदनेष्वो दिशि दिशि- - -' रूप तृतीय उदाहरण में मुकुलभट्ट ने वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त विप्रलम्ब शृङ्खार माना है। इस प्रकार इन्होंने रस को भी लक्ष्य कह दिया है। यहाँ काम के बाणादि पाँचों पदार्थों पर अग्नित्व के आरोप से प्रधानरूप से उनका असह्य होना ही प्रकट होता है, यही वाच्य है, इसी से विप्रलम्ब शृङ्खार का आक्षेप होता है।

इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से मुकुलभट्ट ने वस्तु, अलङ्कार तथा रस रूप ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षणा में ही दर्शाया है। उपर्युक्त तीनों उदाहरणों में इनके अनुसार लक्ष्यार्थ की प्रतीति उपादान लक्षणा से ही होती है।^५ आक्षेप को ही मुकुल ने उपादान लक्षणा कहा है, इससे प्रतीत होता है कि व्यञ्जनार्थ को ये आक्षेपलम्ब्य ही मानते हैं।

मम्ट ने तीनों उदाहरणों में मुख्यार्थबाध का अभाव दिखाते हुए लक्षणा का निषेध किया है।^६ मम्ट एवं मुकुलभट्ट की लक्षणा में मौलिक अन्तर है। यद्यपि मुकुलभट्ट ने भी लक्षणा के मुख्यार्थबाधादि हेतुत्रय को स्वीकारा है किन्तु इसे उस परम्परागत रूप में नहीं माना है जैसा कि मम्ट ने। मुख्यार्थबाधादि हेतु मम्ट की लक्षणा के आधार

^१ काव्यप्रकाश में मम्ट ने वस्तुमात्र ध्वनि का उदाहरण दिया है-

'पथिक, नात्र स्त्रस्तरमस्ति मनाक् प्रस्तरस्थले ग्रामे,

उत्तरपयोधरं प्रेक्ष्य यदि वससि तदा वस'।

यहाँ वक्तृवैशिष्ट्य से वस्तु रूप व्यञ्जनार्थ की प्रतीति है। (अ० प्र०, पृ० १७३)।

^२ - - - नृपतेर्भगवद्वासुदेवताऽक्षिप्ता- - । (अ० वृ० मा०, पृ० ३४)।

^३ श० व्या० वि०, पृ० १८ ।

^४ ध०, द्वि उ०, पृ० २३० ।

^५ (क) तेनात्र वक्तृविशेषपर्यालोचनया सत्यार्थं निष्ठाया उपादानात्मिकाया लक्षणायाः प्रतिपत्तिः। (अ० वृ० मा०, पृ० ३२)।

(ख) तेनात्रोपादानात्मिका लक्षणा (अ० वृ० मा०, पृ० ३४)।

(ग) विप्रलम्बशृङ्खाराक्षेपादुपादानात्मिका लक्षणा वाच्यनिबन्धना (अ० वृ० मा०, पृ० ३८)।

^६ - - - लक्ष्यत इति नोदाहार्यम्। मुख्यार्थस्य बाधाभावात्। (श० व्या० वि०, पृ० १८)।

हैं किन्तु मुकुलभट्ट की लक्षणा का आधार है कि सी न किसी अर्थ की सापेक्षता। इनका लक्षणीय अर्थ अर्थावसेय है अर्थात् उसकी प्रतीति मुख्यार्थ की पर्यालोचना के बाद ही होती है। इस प्रकार मुख्यार्थ के अनन्तर प्रतीत होने वाले सभी अर्थ लक्ष्य अर्थ ही कहलाते हैं। कहीं-कहीं इस लक्ष्य अर्थ की वाच्यार्थ से प्रधानता भी रहती है। जैसे रस-रूप लक्ष्यार्थ आक्षेपलभ्य होते हुए भी वाच्यार्थ की अपेक्षा प्रधान होता है क्योंकि उसमें सहदयहृदयाह्लादकता होती है^१ स्पष्ट है कि मुकुलभट्ट अर्थों का प्रधानाप्रधान भाव भी मानते हैं जैसा कि व्यञ्जनावादियों ने माना है। अन्तर यही है कि इन्होंने हृदयहृदक अर्थों को भी आक्षेप अर्थात् लक्षणा से ही प्रतीत मान लिया है। इसकी प्रतीति के लिए व्यञ्जना नामक शक्तिविशेष को नहीं माना। व्यञ्जना तथा व्यङ्ग्यार्थ को न मानने के कारण ही इन्होंने लक्षणा के प्रसङ्ग में ही वाच्यार्थ की विवक्षा, अविवक्षा तथा उसके अत्यन्त तिरस्कार रूप तीन स्थितियों का वर्णन किया है, जिसकी विवेचना ‘धन्यालोक’ एवं ‘काव्यप्रकाश’ में ध्वनि-काव्य के भेदों के प्रसङ्ग में की गई है। आनन्दवर्धन ने अभिधामूलक ध्वनि में वाच्य की विवक्षा मानी है लक्षणामूलक ध्वनि में तो उसका सर्वथा परित्याग ही रहता किन्तु मुकुलभट्ट के अनुसार लक्षणा के क्षेत्र में भी कहीं-कहीं वाच्य की विवक्षा रहती है।

लक्षणलक्षणा में मुकुलभट्ट के अनुसार वाच्य की अविवक्षा रहती है। ‘स्निष्ठश्यामल- - -’ इत्यादि पद्य में ‘राम’ शब्द का वाच्यार्थ ‘दशरथ-पुत्र’ अविवक्षित है। यह वाच्यार्थ उससे व्यङ्ग्य अन्य धर्म के रूप में परिणत हो जाता है यही उसकी अविवक्षा है किन्तु यहाँ उसका अत्यन्त तिरस्कार नहीं होता क्योंकि ‘अत्यन्तकष्टसहिष्णुत्व’ रूप जो व्यङ्ग्यधर्मान्तर है उससे वाच्यार्थ का सम्बन्ध तो रहता ही है।^२ इस उदाहरण में आनन्दवर्धन ने अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यध्वनि माना है।^३ स्पष्ट है आनन्दवर्धन की यह अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यता ही मुकुलभट्ट के वाच्यार्थ की अविवक्षा है।

यहाँ मुकुलभट्ट ने स्पष्ट रूप से ‘व्यङ्ग्य’ शब्द का प्रयोग किया है। व्यञ्जनाशक्ति से गम्य अर्थ ही व्यङ्ग्य या व्यङ्ग्यार्थ है। ध्वनि का स्पष्ट शब्दों से लक्षणा में अन्तर्भाव दर्शाते हुए भी इन्होंने ‘व्यङ्ग्य’ शब्द का प्रयोग किया है। वस्तुतः इस प्रसङ्ग पर चर्चा आनन्दवर्धन के सिद्धान्त को आधार बनाकर ही की गई है। सम्भवतः इसी कारण

^१ विप्रलम्घशृङ्गारस्य चाक्षिप्यमाणस्यापि वाच्यापेक्षया प्राधान्यम्, सहदयहृदयाह्लादहेतुतया प्राधान्येनाक्षेपात्। (अ० व० मा०, पृ० ३८)।

^२ अत्र हि रामशब्दवाच्यं दाशरथिरूपं व्यङ्ग्यधर्मान्तरपरिणतत्वात् स्वपरत्वेनानुपातं तस्मादविवक्षितं नत्वत्यन्तं तिरस्कृतं व्यङ्ग्यधर्मद्वारेण वाक्यार्थे कथञ्चिदन्वितत्वात्। (अ० व० मा०, पृ० ६३)।

^३ तत्रार्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यो यथा-

‘स्निष्ठश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका घनाः - - - -। (ध०, द्वि० उ०, पृ० ५)।

मुकुलभट्ट उन्हीं की भाषा का प्रयोग कर गये हैं। आनन्दवर्धन ने भी 'व्यङ्ग्यधर्मान्तर' पद का प्रयोग किया है^१ इस प्रकार 'व्यञ्जना' को न मानते हुए भी मुकुलभट्ट अपने विचारों को व्यङ्ग्यार्थ से मुक्त नहीं कर पाए हैं। जिसे व्यञ्जनावादियों ने व्यङ्ग्यार्थ कहा है उससे ये भली-भाँति परिचित थे किन्तु इसकी प्रतीति हेतु 'व्यञ्जना' नाम की पृथक् शब्दशक्ति को नहीं मानना चाहते थे।

मुकुलभट्ट की लक्षणा भी अभिधा का ही एक अङ्ग है इस प्रकार वह भी अभिधा से पृथक् शब्द की शक्ति नहीं है किन्तु क्रियायोगनिबन्धना लक्षणा में वाच्यार्थ की स्थिति बताते हुए इन्होंने लक्षणा के लिए 'शब्दशक्त्यन्तर' पद का प्रयोग किया है^२

इस प्रसङ्ग में यह उल्लेखनीय है कि मुकुलभट्ट ने लक्षणा को अर्थव्यापार माना है। यद्यपि लक्ष्यार्थबोध में शब्द का भी ज्ञान रहता है तथापि वह लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ से ही प्रतीत होता है। क्रियायोगनिबन्धना लक्षणा में शब्दगत अवयवों की शक्ति का भी ग्रहण होता है अतः वहाँ लक्ष्यमाण अर्थ की शब्दशक्तिमूलता रहती है^३

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुकुलभट्ट ने ध्वनिसिद्धान्त, व्यञ्जनाशक्ति, व्यङ्ग्यार्थ की सत्ता से परिचित होते हुए भी अभिधा में ही समस्त ध्वनिप्रपंच का समावेश कर लिया है। व्यङ्ग्यार्थ को भी लक्ष्यार्थ ही कहा है तथा इसके बोधन के लिए व्यञ्जना की आवश्यकता नहीं मानी, इसका बोध भी अभिधा के लक्षणा वाले भेद से ही हो जाता है।

अन्ततः इन्होंने पारमार्थिक स्तर पर एकमात्र शब्द की ही सत्ता मानते हुए अभिधा के दस भेदों को भी असम्भव बताया है। किसी भी प्रकार के विषय-विभाग की स्थिति के पूर्व शब्दतत्त्व जब रज्जुसर्प की भाँति शब्द, अर्थ, और उसके सम्बन्ध रूप तीन विवरों को प्राप्त होता है तभी अभिधा के दस भेद दृष्टिगोचर होते हैं। इसके विपरीत जब अविभक्त रूप में वह समस्त क्रम-भेदों को अपने में समाहित कर लेता है तब उस स्थिति में अभिधा के दस भेदों को भी अवकाश नहीं रहता।^४

^१ अनेन हि व्यङ्ग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्यायते न संज्ञिमात्रम्। (ध०, द्वि० उ०, पृ० १०)।

^२ यत्र तु निमित्ससद्वावाद् वाच्येऽर्थे विवक्षित एव तस्यार्थान्तरस्य शब्दशक्त्यन्तरमूलतया- - -। (अ० वृ० मा०, पृ० ६५-६६)।

^३ क्रियायोगनिबन्धनायां तु लक्षणायां शब्दगतावयवशक्त्यनुसरणे शब्दशक्तिमूलता लक्ष्यमाणस्यार्थस्य। (अ० वृ० मा०, पृ० ६५)।

^४ (क) इदानीं सकलशब्दाविभागात्मकस्य शब्दतत्त्वस्य यदा शब्दार्थसम्बन्धत्रितयस्तुपतया रज्जुसर्पतया विवर्तमानत्वं तदैतदभिधावृत्तं दशविधव्यवहारोपारोहितयोपपद्यते - - -। (अ० वृ० मा०, पृ० ६६)।

‘विवर्तवाद’ अद्वैत वेदान्त का पारिभाषिक शब्द है। विवर्त का अर्थ है अपने स्वरूप का परित्याग किये विना ही अपने से भिन्न रूप को प्रदर्शित करना। जैसे अंधकार में रज्जु को देखकर सर्प का श्रम होने पर व्यक्ति तदनुसार ही व्यवहार करने लगता है। वस्तुतः रज्जु के विवर्त सर्प की रज्जु से पृथक् अपनी कोई सत्ता नहीं होती। आकाशादि समस्त जगत् ब्रह्म की माया शक्ति से भासित होने वाले तथा ब्रह्म का विवर्त हैं। ब्रह्म का विवर्त होने से जगत् की अपनी कोई पृथक् सत्ता नहीं होती।

मुकुलभट्ट के अनुसार शब्द तत्त्व प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय एवं प्रमिति इन चार रूपों में आकर वाच्य-वाचक तथा उसके सम्बन्ध के सम्पूर्ण प्रपञ्च को अपनाता हुआ रज्जु-सर्प के समान उसमें विवर्तित होता है। पारमार्थिक स्तर पर इस विवर्त की कोई सत्ता नहीं होती।

यहाँ मुकुलभट्ट आचार्य भर्तृहरि के ‘शब्दब्रह्म’ से प्रभावित हो गये हैं जिन्होंने शब्द को ब्रह्म स्वरूप माना है तथा अर्थ को उसका विवर्त-

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ (वा० प०, ब्र० का०, पृ० ९)।

मुकुलभट्ट के शिष्य प्रतीहारेन्दुराज की प्रसिद्धि उद्घट के ‘काव्यालङ्कारसारसंग्रह’ पर ‘लघुवृत्ति’ नामक टीका के रचयिता के रूप में है। ‘काव्यालङ्कारसारसंग्रह’ में केवल अलङ्कारों का ही वर्णन है किन्तु ‘लघुवृत्ति’ के अन्त में प्रतीहारेन्दुराज ने अपने ध्वनि-विरोधी विचार भी प्रस्तुत किये हैं। इनके अनुसार उद्घट भी ध्वनि-सिद्धान्त से परिचित थे किन्तु उस ध्वनि का अलङ्कारों में ही अन्तर्भाव हो जाने के कारण उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की है⁹

अलङ्कारों की व्याख्या करके अन्त में प्रतीहारेन्दुराज की ध्वनि-विरोधी चर्चा अप्रासङ्गिक ही प्रतीत होती है। सम्भवतः मुकुलभट्ट एवं उनके शिष्य में परस्पर ध्वनि-विरोधी चर्चा भी अवश्य हुई होगी। इसी के परिणामस्वरूप प्रतीहारेन्दुराज ने लघुवृत्ति में प्रसङ्ग न होते हुए भी ध्वनि-चर्चा करके उसका विरोध किया है। जिस ध्वनि को मुकुलभट्ट लक्षण में अन्तर्भूत मानते हैं उसका अन्तर्भाव इन्होंने अलङ्कारों में, विशेषकर पर्यायोक्त अलङ्कार में ही मान लिया है।

(ख) विवर्तमानं वाक्यतत्त्वं दशैवं विलोक्यते।

संहतक्रमभेदे तु तस्मिंस्तेषां कुतो गतिः॥ (अ० वृ० मा०, पृ० ६६)।

⁹ ननु यत्र काव्ये सहृदयहृदयाह्निदिनः प्रधानभूतस्य स्वशब्दव्यापारास्पृष्टचेन प्रतीयमानैकरूपस्यार्थस्य सद्बावस्तत्र तथाविधार्थीभिव्यक्तिहेतुः काव्यजीवितभूतः कैश्चित् सहृदयर्थनिर्नाम व्यञ्जकत्वभेदात्मा काव्यधर्मोऽभिहितः स कस्मादिह नोपदिष्टः उच्यते। एव्वलङ्कारेष्वन्तर्भावात्। तथाहि। (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४९८)।

प्रतीहारेन्दुराज ने ध्वनि का अन्तर्भाव पर्यायोक्त अलङ्कार में किस प्रकार किया है यह प्रस्तुत प्रसङ्ग में उल्लेखनीय है।

मुख्य रूप से ध्वनि के वस्तु, अलङ्कार एवं रस रूप जो तीन भेद होते हैं उसका अन्तर्भाव पर्यायोक्त अलङ्कार में ही हो जाता है। प्रतीहारेन्दुराज ने वस्तुध्वनि का उदाहरण दिया है-

चक्राभिधातप्रसभाजपैव चकार यो राहुवधूजनस्य

आलिङ्ग्नोद्दामविलासबन्धं रतोत्सवं चुम्बनमात्रशेषम् ।^१

उद्घट ने पर्यायोक्त अलङ्कार का जो लक्षण दिया है उसके अनुसार जहाँ वाच्य तथा वाचक व्यापार से रहित अवगमात्मक व्यापार के द्वारा किसी वस्तु का कथन अन्य रूप से किया जाता है वहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार होता है। इस प्रकार पर्यायोक्त में व्यङ्ग्य की सत्ता रहती है^२

प्रतीहारेन्दुराज के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में वस्तु व्यङ्ग्य की प्रधानता है और प्रधानता होते हुए भी यहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार है। यद्यपि प्रधान होने के कारण वस्तु-व्यङ्ग्य यहाँ अलङ्कर्य होना चाहिए उसे अलङ्कार नहीं कहा जा सकता, किन्तु इस विषय में प्रतीहारेन्दुराज का यह तर्क है कि अप्रधान ही सदा प्रधान को अलङ्कृत करे यह आवश्यक नहीं है। कभी-कभी प्रधान भी अप्रधान के सौन्दर्य का कारण होने से अलङ्कार बन जाता है।^३ अतः पर्यायोक्त अलङ्कार में वस्तु व्यङ्ग्य की प्रधानता होते हुए भी उसकी अलङ्कारता नष्ट नहीं होती।

आनन्दवर्धन ने उपर्युक्त उदाहरण में पर्यायोक्त अलङ्कार की प्रधानता मानी है। कभी-कभी रस में तात्पर्य होते हुए भी अलङ्कार की प्रधान रूप से सत्ता रहती है। 'चक्राभिधात- - -' इत्यादि उदाहरण में रस का ही तात्पर्य है किन्तु इसमें पर्यायोक्त ही अङ्गीरूप में विवक्षित है।^४

^१ प्रतीयमानैकरूपस्य वस्तुनस्त्रैविधं तैरुक्तं वस्तुमात्रालङ्कररसादिभेदेन । तत्र वस्तुमात्रं तावद्यतीयते। यथा-
चक्राभिधात- - - । (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४१८) ।

^२ पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते।

वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां शून्येनावगमात्मना॥ (काव्या० सा० सं०, पृ० ३५) ।

^३ तच्चेह प्रतीयमानं प्रधानत्वादलङ्कर्यतया वक्तुं युक्तं, नत्वलङ्कृतिकारणतया । अतः कथं तस्यालङ्करव्यपदेशः। उच्यते
प्रधानमपि गुणानां सौन्दर्यहेतुत्वादलङ्कृतौ साधनत्वं भजति। (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४१६-४२०) ।

^४ कदाचिद्रसादितात्पर्येण विवक्षितोऽपि ह्यलङ्कारः कश्चिदङ्गित्वेन विवक्षितो दृश्यते। यथा-
चक्राभिधात- - - ।

अत्र ही पर्यायोक्तस्याङ्गित्वेन विवक्षा रसादितात्पर्ये सत्यपीति (ध०, द्वि० उ०, पृ० १३६) ।

वस्तुधनि की भाँति अलङ्कारधनि का भी अन्तर्भाव अलङ्कार में ही हो जाता है-

लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्

स्मेरेऽधुना तव मुखे तरलायताक्षिः॥

क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये

सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः॥

इस उदाहरण में रूपक अलङ्कार की प्रतीति व्यङ्ग्य अर्थात् प्रतीयमान रूप से है। प्रतीयमान होने के कारण यहाँ रूपक धनि होना चाहिए, किन्तु प्रतीहारेन्दुराज यहाँ रूपक अलङ्कार ही मानते हैं। इनके अनुसार यहाँ रूपक अलङ्कार प्रकारान्तर से उपस्थापित किया गया है अतः यहाँ पर्यायोक्त अलङ्कार भी माना जा सकता है। इसी प्रकार अन्य अलङ्कारधनि का अन्तर्भाव भी अलङ्कार में ही हो जाता है^१

‘लावण्यकान्ति- - -’ इत्यादि पद्य को आनन्दवर्धन ने रूपकधनि के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था।

इसमें रूपक अलङ्कार के आश्रय से ही काव्य में चारुत्व की व्यवस्था है अतः यहाँ रूपक धनि है^२

प्रतीहारेन्दुराज ने रसादि धनि का अन्तर्भाव भी अलङ्कारों में ही दर्शाया है। उद्घट ने रसवदादि को अलङ्कार ही माना है। भावधनि, रसाभास, भावाभास तथा भावप्रशम नामक धनियों का अन्तर्भावः क्रमशः रसवत् प्रेयस्वत्, ऊर्जस्वित् तथा समाहित नामक अलङ्कारों में हो जाता है। रस के अप्रधान होने की दशा में उसका अन्तर्भाव उदात्त अलङ्कार में ही हो जाता है^३

इस प्रकार तीनों प्रकार की धनियों का अन्तर्भाव प्रतीहारेन्दुराज ने अलङ्कारों में ही दर्शाते हुए उनसे भिन्न धनि के अस्तित्व को अस्वीकार किया है।

^१ न च यस्यालङ्कारस्य प्रतीयमानरूपता तस्येहालङ्कारत्वं केनचित्रिवारितमिति प्रतीयमानरूपतया रूपकाख्योऽलङ्कारो भविष्यति। अथवा पर्यायोक्त्या रूपकस्यात्रावसितत्वात् पर्यायोक्तमलङ्कारः। (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४२२)।

^२ यथा वा मयैव -

लावण्यकान्तिपूरि - - -

इत्येवंविधे विषयेऽनुरणनरूपकाश्रयेण काव्यचारुत्वव्यवस्थानादूपकधनिरितिव्यपदेशो न्यायः। (ध्व०, द्वि० उ०, पृ० २३५)।

^३ यत्रापि भावास्तथा रसभावाभासा रसभावतदाभासप्रशमाश्च प्रतीयमानास्तत्रापि यथाक्रमं प्रेयस्वदूर्जस्वित्समाहितलक्षणालङ्करयोगो वाच्यः। एवमेतत्रधानभूतेषु रसादीषूक्तम्। गुणभूतेष्वपि च रसेषूददत्तालङ्कारः प्रतिपादितः। - - -। (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४२५)।

प्रतीहारेन्दुराज ने यद्यपि ध्वनि का विरोध किया है तथापि इन्होंने अपने ढङ्क से ध्वनि-भेदों का निखण भी किया है-

वाचक शक्ति का आश्रय लेने वाले अलङ्कार में वाच्य विवक्षित होता है। वाच्यशक्ति के आश्रित वस्तु एवं अलङ्कार में वाच्य विवक्षित तथा अविवक्षित दोनों ही रहता है। जहाँ शब्दशक्तिमूलक रस विषय होता है वहाँ वाच्य विवक्षित रहता है। इस प्रकार वाच्य की विवक्षा-अविवक्षा की दृष्टि से ध्वनि के छः भेद होते हैं।^१

- १- वाचकशक्त्याश्रित विवक्षितवाच्य अलङ्कार रूप
- २- वाच्यशक्त्याश्रित विवक्षित वाच्य वस्तु रूप
- ३- वाच्यशक्त्याश्रित अविवक्षित वाच्य वस्तु रूप
- ४- वाच्यशक्त्याश्रित विवक्षित वाच्य अलङ्कार रूप
- ५- वाच्यशक्त्याश्रित अविवक्षित वाच्य अलङ्कार रूप
- ६- वाच्य शक्त्याश्रित विवक्षितवाच्य रसादि रूप^२ (चित्र संख्या ६)

इनमें चार प्रकार के विवक्षित वाच्य रूप भेदों के स्वतः सम्मादी तथा कविप्रतिभानिर्मित रूप से आठ प्रकार हो जाते हैं। इनमें अविवक्षित वाच्य रूप में दो भेदों को मिलाकर कुल दस भेद होते हैं। ये ही कभी पदप्रकाश्य होते हैं और कभी वाक्यप्रकाश्य। अतः इस दृष्टि से ध्वनि के कुल २० भेद होते हैं।^३

^१ एवं च त्रिविधेऽपि प्रतीयमानेऽर्थे यच्छब्दानां व्यञ्जकत्वमनन्तरोपवर्णितेषुदाहरणेषु षट् प्रकारतयोपदर्शितं तस्योक्तेष्वलङ्कारेष्वन्तर्भावात् व्याप्तिः षट् प्रकारता - - -। (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४२५)।


^२ (क) द्विविधं व्यञ्जकत्वम् - वाचकशक्त्याश्रयं वाच्यशक्त्याश्रयञ्च। (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४२६)।

(ख) तत्र वाचकशक्त्याश्रयमलङ्काराणामेव व्यञ्जन्त्वादेकप्रकारम्। तत्र ह्यलङ्कारा एव व्यञ्जन्ते न तु वस्तुमात्रं नापि रसादयः। (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४२६)।

(ग) वाच्य- शक्त्याश्रयं तु रसादिवस्तुमात्रालङ्काराभिव्यक्तिहेतुत्वात् त्रिविधम् - - -। (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४२६)।

(घ) तदेवं वाचकशक्तिमूलेऽलङ्कारैकनियते वाच्यशक्तिमूले च रसादिविषये व्यञ्जकत्वे वाच्यस्य विवक्षितत्वैकरूपत्वम्। वस्त्वलङ्कारविषये तु वाच्यशक्तिमूले व्यञ्जकत्वे प्रत्येकं वाच्यस्य विवक्षितत्वाविवक्षित्वाभ्यां द्विभेदता। (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४२७)।

^३ एतेषां च षण्णां भेदानां मध्याद्द्वयोर्भेदयोर्वाच्यस्याविवक्षोक्ता चतुर्षु विवक्षितत्वम्। यत्र च विवक्षितत्वं तत्र वाच्यस्य स्वतः संभवित्वात् प्रौढोक्तिमात्रनिष्पादितशरीरत्वाच्च द्वैविधम्। अतस्तत्र तस्यास्तौ भेदा भवन्ति। एते चास्तौ भेदा वाच्यस्य यत्राविवक्षा तद्विषयाभ्यां पूर्वोदिताभ्यां द्वाभ्यां भेदाभ्यां संकलिताः सन्तो दश संपद्यन्ते। एत एव तु पदवाक्यप्रकाश्यतया छैगुण्यं भजमाना विंशतिर्भवन्ति। (काव्या० ल० वृ०, पृ० ४२७)।



५. २ ममट के अनुसार व्यञ्जनावृत्ति-विवेचन

शब्द की एक शक्ति के रूप में व्यञ्जना का व्यवस्थित रूप से विवेचन आचार्य ममट के ग्रन्थों में ही मिलता है। यद्यपि इन्होंने व्यञ्जना- शक्ति की कोई परिभाषा नहीं दी है किन्तु इसके विभिन्न भेदों की सविस्तार चर्चा की है। 'काव्यप्रकाश' में शाब्दी तथा आर्थी व्यञ्जना का वर्णन है। जिनमें शाब्दी व्यञ्जना के लक्षणामूलक तथा अभिधामूलक दो भेद होते हैं।

ममट ने 'शब्दव्यापारविचार' में 'काव्यप्रकाश' की अपेक्षा व्यञ्जनार्थ का सामान्य किन्तु स्पष्ट विवेचन किया है। जिस प्रकार सङ्केत एवं मुख्यार्थबाधादि हेतुत्रय की सहायता से शब्द को अभिधायक और लक्षक कहा जाता है और वही शब्द पक्षधर्मता एवं अन्वयव्यतिरेक के सहयोग से वक्ता की विवक्षा का अनुमापक भी कहलाता है। उसी प्रकार प्रज्ञानैर्मल्य, वैदस्थ्य तथा प्रकरणादि की विशेषता से युक्त शब्द का एक अन्य अर्थ भी होता है जो व्यञ्जन अर्थ कहलाता है। अर्थात् वाचक तथा लक्षक शब्द ही प्रकरणादि की विशेषता से व्यञ्जन अर्थ को भी व्यञ्जनाशक्ति के द्वारा प्रकट करते हैं। इस प्रकार ममट ने व्यञ्जनार्थ का अभिधा तथा लक्षण से युक्त होना बताकर अभिधामूला तथा लक्षणामूला व्यञ्जना का सङ्केत किया है।

¹ यथा सङ्केतेन मुख्यार्थबाधादित्रितयेन च सहायेनाभिधायको लक्षकश्च यथा वा पक्षधर्मान्वयव्यतिरेकसहगतो विवक्षया अनुमापकः तथा प्रतिभानैर्मल्यवैदस्थ्यपरिचयप्रकरणादिज्ञानसापेक्षो वाचको लक्षकश्च व्यञ्जनमर्थं धनिशब्दो व्यनक्तिः प्रज्ञानैर्मल्यवैदस्थ्यप्रस्तावादिविधायुजः अभिधालक्षणायोगी व्यञ्जयोऽर्थः प्रथितो धनेः॥ (श० व्या० वि०, पृ० ३३)।

प्रयोजनवती लक्षणा के प्रसङ्ग में प्रयोजन की प्रतीति को एकमात्र व्यञ्जनावृत्ति से ही गम्य बताते हुए आचार्य ममट ने प्रथमतः लक्षणामूला व्यञ्जना की ही व्याख्या की है।

लक्षणा के मुख्यार्थबाधादि तीन प्रकार के हेतुओं में प्रयोजन भी एक हेतु है। 'गङ्गयां घोषः' इस लाक्षणिक प्रयोग का घोष में शैत्य एवं पावनत्व के आधिक्य का प्रतिपादन ही प्रयोजन है। इस प्रयोजन की प्रतीति व्यञ्जना नामक व्यापार से ही हो सकती है जिसे ध्वनन, अवगमन, प्रकाशन, द्योतन आदि शब्दों से कहा जा सकता है^१

लक्षणाओं में प्रयोजन की प्रतीति शब्द प्रमाण से ही होती है। शब्द प्रमाण से बोधित होने वाले अर्थ में न तो प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति होती है और न ही अनुमान की क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्षपूर्वक ही होता है। इसके अतिरिक्त उसमें न ही कोई दूसरा अनुमान माना जा सकता है क्योंकि उससे अनवस्था दोष हो जाएगा। यहाँ सृति भी नहीं हो सकती^२ क्योंकि ज्ञात विषय को ही सृति कहते हैं^३ और प्रयोजन का अनुभव पहले से तो हुआ नहीं रहता। यदि किसी भी प्रकार से यहाँ सृति को स्वीकार कर भी लिया जाये तब भी यह सम्भव नहीं कि प्रयोजन रूप अर्थ नियत रूप से सृति का विषय बने^४ इस प्रकार प्रयोजन की प्रतीति को शब्द प्रमाण से ही मानना होगा। कोई भी शब्द अर्थ की प्रतीति किसी न किसी व्यापार से ही कराता है^५ इस प्रयोजन रूप अर्थ की प्रतीति अभिधा एवं लक्षणा नामक शब्द व्यापार से नहीं हो सकती।

अभिधा व्यापार से अर्थ बोधन की प्रक्रिया में शब्द से उसी अर्थ का बोध होता है जिसमें उसका सङ्केत हो। प्रयोजन रूप अर्थ में शब्द का सङ्केत नहीं रहता^६ 'गङ्गयां घोषः' वाक्य में शैत्य तथा पावनत्व रूप प्रयोजन में गङ्गा शब्द का सङ्केत नहीं है। अतः इसे अभिधा से बोधित नहीं मान सकते।

^१ (क) सप्रयोजनायां च लक्षणायां तदतिरिक्तो व्यापारोऽवश्यमङ्गीकर्तव्यः। तथा च सति प्रयोजने लक्षण- - -। ततः प्रयोजनविषयो व्यापारोऽभ्युपगम्नत्वः। स च ध्वननावगमनप्रकाशनद्योतनादिशब्दव्यवहार्यः। (श० व्या० वि०, पृ० १८)।
^२ (ख) यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते ॥
फले शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापराक्रिया। (का० प्र०, पृ० ८९)।

^३ न खलु शब्देऽर्थे प्रत्यक्षं क्रमते नापि तपूर्वकमनुमानम्। नानुमानान्तरम् अनवस्थापत्तेः। न सृतिः तद्दनुभवाभावात् (श० व्या० वि०, पृ० १८)।

^४ ज्ञातविषयं ज्ञानं सृतिः। (त० भा०, पृ० ९३)।

^५ सत्यामपि वा तस्यां नियतस्मरणं न स्यात्। (श० व्या० वि०, पृ० १८)।

^६ तस्माच्छब्द एव तत्र प्रमाणम्। निर्व्यापारश्च शब्दो नार्थप्रतीतिकृत्। (श० व्या० वि०, पृ० १८)।

(क) व्यापारश्च नाभिधा तत्र सङ्केताभावात्। (श० व्या० वि०, पृ० १८)।

(ख) नाभिधा समयाभावात्।

यहाँ लक्षणा भी नहीं हो सकती। क्योंकि प्रयोजन तो स्वयं लक्षणा का हेतु है उसी के होने पर लक्षणा होती है¹ प्रयोजन लक्षणा का विषय नहीं होता। यदि प्रयोजन की प्रतीति लक्षणा से मानी जाये तो यहाँ उसके तीनों हेतुओं में से एक भी नहीं उपस्थित होगा² उदाहरणस्वरूप ‘गङ्गयां घोषः’ में गङ्गा के मुख्यार्थ जल-प्रवाह तथा घोष में आधाराधैय सम्बन्ध का बाध होने पर लक्षणा से गङ्गा का ‘तट’ अर्थ बोधित होता है। यहाँ तट रूप लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ गङ्गा से सामीप्य सम्बन्ध से सम्बन्धित है तथा इस प्रकार के लाक्षणिक प्रयोग का प्रयोजन है तट में शैत्य एवं पावनत्व की प्रतीति कराना। किन्तु यदि प्रयोजन को लक्ष्य माना जाये तब गङ्गा का मुख्यार्थ ‘तट’ को मानना होगा किन्तु ऐसा मानने पर मुख्यार्थ का बाध नहीं होगा, क्योंकि तट का घोष के साथ आधाराधैय सम्बन्ध अनुपपत्र नहीं है। यहाँ मुख्यार्थ से सम्बन्ध रूप लक्षणा का दूसरा हेतु भी घटित नहीं होता क्योंकि शैत्य और पावनत्व का तट से कोई साक्षात् सम्बन्ध नहीं है। उसका सम्बन्ध तो गङ्गा-प्रवाह से है। इसके अतिरिक्त प्रयोजन की प्रतीति में लक्षणा मानने पर उसके लिए एक अन्य प्रयोजन मानना होगा तथा उसके लिए भी लक्षणा मानते हुए अनन्त लक्षणा की कल्पना करनी होगी जिससे अनवस्था दोष हो जाएगा। इस प्रकार लक्षणा के तीनों हेतु के अनुपस्थित होने से प्रयोजन की प्रतीति लक्षणा से भिन्न किसी अन्य व्यापार से ही होती है यह मानना ही होगा। इसी अन्य व्यापार को व्यङ्गना कहते हैं।³

‘गङ्गतटे घोषः’ कहने पर अभिधा से जिस प्रकार के अर्थ की प्रतीति नहीं होती वैसे अर्थ की प्रतीति कराने के लिए ही ‘गङ्गयां घोषः’ यह लाक्षणिक प्रयोग किया जाता है, यही प्रयोजन है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि प्रयोजन से विशिष्ट अर्थ में लक्षणा मान लेने पर उस प्रयोजन की प्रतीति के लिए अन्य व्यापार की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। तात्पर्य यह है कि शैत्य एवं पावनत्वादि धर्मों से विशिष्ट तट में ही लक्षणा मान ली जानी चाहिए।⁴ अविशिष्ट में लक्षणा होने पर तट एवं प्रयोजन में धर्मधर्मिशाव सम्बन्ध सिद्ध करने के लिए एक चौथै व्यापार की भी

¹ गङ्गयां घोष इत्यादौ ये पावनत्वादयो धर्मास्तादौ प्रतीयन्ते न तत्र गङ्गादिशब्दः संकेतिताः। (का० प्र०, द्वि उ०, पृ० ८२)।

² न लक्षणा तस्मिन् सति हि सा न तु तद्विषयता। (श० व्या० वि०, पृ० १८)।

³ हेत्वभावात्र लक्षणा। (का० प्र०, द्वि० उ०, पृ० ८३)।

⁴ (क) नाप्यस्या लक्ष्ये बाधोऽस्ति। लक्ष्यप्रयोजनयोश्च सम्बन्धस्य प्रयोजनस्य चाभावात्। तस्यापि लक्षणेऽनवस्थापत्तिरिति न लक्षणा। (श० व्या० वि०, पृ० १८)।

(ख) लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्र बाधो योगः फलेन नो।

न प्रयोजनमेतस्मिन् न च शब्दः स्खलदगतिः॥ (का० प्र०, द्वि० उ०, पृ० ८३)।

⁵ गङ्गतटे घोष इत्यादिस्वशब्दाद् यादृगर्थप्रतीतिर्भवति तादृशी ‘गङ्गयां घोष’ इत्यादे, तदेव प्रयोजनं

पावनत्वादिधर्माकान्तं च तटादि लक्ष्यत इति विशिष्टे लक्षणा न तु लक्षिते विशेषाः। (श० व्या० वि०, पृ० २०)।

कल्पना करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त प्रयोजन तो लक्षणा से उत्पन्न होता है उसे किसी अन्य व्यापार से उत्पन्न कैसे माना जा सकता है? इस प्रकार प्रयोजनविशिष्ट अर्थ की ही लक्षणा द्वारा प्रतीति माननी चाहिए।

मम्मट ने इस शङ्ख का समाधान भी तर्कपूर्ण ढङ्ग से प्रस्तुत किया है। इनके मतानुसार लक्षणा का विषय होता है लक्ष्य अर्थ उसमें पावनत्वादि होते नहीं^३ जैसे उपर्युक्त उदाहरण में तटादि लक्षणा का विषय है। उसमें पावनत्व आदि धर्म नहीं होते। एकमात्र संकेतितार्थ का बोध कराने के कारण अभिधा सामान्यनिष्ठ ही होती है। लक्षणा भी हेतुत्रयात्मिका होती है। तीन हेतुओं के होने पर ही लक्षणा होती है अन्यथा नहीं। अतः वह भी सङ्केत से अभिन्न ही है। अर्थात् लक्षणा से जो अर्थ निकलता है वह दूसरा सङ्केत है। इस प्रकार लक्षणा भी विशिष्ट अर्थ को अपना विषय नहीं बना सकती।^४ व्यञ्जना असंकेतित अर्थ का ही बोध कराती है^५ अतः उससे प्रयोजन रूप विशिष्ट अर्थ की प्रतीति होती है। लक्षणा का विषय लक्ष्य ही होता है प्रयोजन नहीं। जिस प्रकार ज्ञान से उसका विषय भिन्न होता है उसी प्रकार ज्ञान से उसका फल भी भिन्न ही होता है। जैसे प्रत्यक्षादि ज्ञान का विषय नीलादि होता है तथा उसका फल प्रकटता अथवा संवित्ति होता है,^६ उसी प्रकार लक्षणा का विषय लक्ष्यार्थ होता है तथा प्रयोजन उसका फल होता है। लक्ष्यार्थ के ज्ञान को भी लक्षणा का फल कह दिया जाता है। वस्तुतः वह लक्ष्य उसका विषय ही होता है फल नहीं। लक्षणा से लक्ष्य-ज्ञान विना व्यभिचार के होता है इसीलिए उसे ही फल भी कह दिया जाता है।^७

इस प्रसङ्ग में आचार्य मम्मट ने प्रत्यक्ष ज्ञान के फल को प्रकटता अथवा संवित्ति कहा है। इन्द्रिय के प्रति उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं^८ जो कि इन्द्रिय एवं अर्थ के सञ्चिकर्ष से उत्पन्न होता है^९ अध्वरमीमांसकों के अनुसार इस प्रत्यक्ष ज्ञान का फल होता है प्रकटता अथवा ज्ञातता। ‘अयं घटः’ इस प्रकार के प्रत्यक्ष से घट-ज्ञान हो

^१ एवं हि तटादेः पावनत्वादीनां च धर्मधर्मिभावकल्पकश्चतुर्थो व्यापार उररीकर्तव्यः। लक्षणाफलं च कथमन्येन क्रियते। (श० व्या० वि०, पृ० २०)।

^२ लक्षणायास्तटादिर्विषयः। न च तत्र पावनत्वादयः सन्ति। तत्कथं विशिष्टे लक्षणा। (श० व्या० वि०, पृ० २१)।

^३ सामान्यनिष्ठश्च सङ्केत इति त्रितयात्मना सङ्केतभेदेन लक्षणा सा कथं विशिष्टं गोचरीकुर्यात्। (श० व्या० वि०, पृ० २१)।

^४ व्यज्यते त्वसङ्केतित एव। (श० व्या० वि०, पृ० २१)।

^५ (क) किं च लक्षणाया गोचरो लक्ष्यः न प्रयोजनम्। प्रत्यक्षस्य हि नीलं विषयः प्रकटता संवित्तिर्वा फलम्। (श० व्या० वि०, पृ० २१)।

(ख) ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्। (का० प्र०, द्वि० उ०, पृ० ८६)।

^६ अव्यभिचाराच्च लक्ष्यसंवित् फलत्वेनोक्ता। (श० व्या० वि०, पृ० २१)।

^७ साक्षात्कारप्रिमाकरणं प्रत्यक्षम्। (त० भा०, पृ० ५१)।

^८ इन्द्रियार्थसञ्चिकर्षजन्यं ज्ञानमित्यर्थः। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ६९)।

जाने के अनन्तर ‘ज्ञातो घटः’ या ‘मया घटो ज्ञातः’ इस प्रकार की प्रतीति होती है। इससे पूर्व उस ज्ञान द्वारा घट में ज्ञातता अथवा प्रकटता उत्पन्न हो जाती है।^१

नैयायिकों के अनुसार घट के प्रत्यक्ष ज्ञान के पश्चात् ‘घटमहं जानामि’ यह प्रतीति होती है जिसे संवित्ति अथवा अनुव्यवसाय कहा जाता है^२। इस प्रकार मीमांसकों के अनुसार प्रकटता मानें अथवा नैयायिकों के अनुसार संवित्ति दोनों के ही अनुसार ज्ञान का विषय एवं फल भिन्न-भिन्न ही होता है। ‘काव्यप्रकाश’ के टीकाकार माणिक्यचन्द्र ने कुमारिलभट्ट के मत में प्रकटता को ज्ञान का फल कहा है तथा संवित्ति को प्रभाकर का मत माना है। इनके अनुसार प्रकटता वस्तु का धर्म है तथा संवित्ति आत्मा का।^३

वाचक शब्द का फल भी ज्ञान ही होता है और वह फल भी विना किसी व्यापार के नहीं हो सकता अतः उसके लिए किसी व्यापार की कल्पना करनी ही पड़ती है।^४ फल की प्रतीति कराने वाला व्यापार शब्द में ही रहता है किसी दूसरे व्यापार में नहीं। अतः व्यापार का आश्रय शब्द ही सिद्ध होता है।^५

फल अथवा प्रयोजन को तथा उसके जनक व्यञ्जनाव्यापार को भी मम्मट लक्षणा का ही कार्य कहते हैं। क्योंकि लक्षणा के होने पर ही वह होता है तथा न होने पर नहीं होता। कार्य को ही फल कहा जाता है।^६ यद्यपि यह फल व्यञ्जनाशक्ति से उत्पन्न होता है किन्तु उसे लक्षणा का भी फल कह दिया जाता है। जिस प्रकार अदृष्ट आदि से प्राप्त स्वार्गादि की प्राप्ति को यज्ञ का फल कह दिया जाता है उसी प्रकार शैत्य एवं पावनत्वादि धर्मों का ज्ञान व्यञ्जना से होता है इस कारण वह व्यञ्जना का फल है तथापि उसे लक्षणा का भी फल मान लिया जाता है।^७

इसके अतिरिक्त मम्मट ने यह भी स्पष्ट किया है कि लक्षणा द्वारा जो ज्ञान होता है उसके विषय (तट) तथा उसके फल (शैत्य एवं पावनत्व) में धर्मधर्मिभाव सिद्ध करने के लिए किसी अन्य व्यापार को मानने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नील गुण होता है और उसका फल जो ज्ञान है वह भी उसी

^१ घटज्ञानान्तरं ‘ज्ञातो घटः’ इति प्रत्ययात् तज्ज्ञानेन तस्मिन् घटे ज्ञाततापरनामी प्रकटता जायते इति अध्यरमीमांसकमीमांसा। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ६९)।

^२ सति च घटज्ञाने ‘घटमहं जानामि’ इति प्रत्ययरूपा अनुव्यवसायापरपर्याया संवित्तिर्घटज्ञानात् जायते इति तार्किकतर्कः। एवं च ज्ञातूर्धर्मः संवित्तिस्तार्किकैः प्रत्यक्षादिज्ञानस्य फलमित्युच्यत इति भावः। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ६२)।

^३ प्रकटत्वं भट्टमते। संवित्तिः प्रभाकरे। प्रकटत्वं वस्तुनो धर्मः संवित्तिस्तु आत्मनः। (का० प्र०, १६ टीकाओं सहित, सङ्केत, पृ० ३६९)।

^४ शब्दस्य च वाचकस्य संविदेव फलम्। तच्च विना व्यापारात्र सम्भवति। (श० व्या० वि०, पृ० २९)।

^५ न च व्यापारस्य व्यापार इति शब्दस्यैवासौ वाच्यः। (श० व्या० वि०, पृ० २९)।

^६ लक्षणात्त्वयव्यतिरेकानुविधानं च सव्यापारस्य फलस्येति तस्याः तत् कार्यं कार्यं च फलमुच्यते। (श० व्या० वि०, पृ० २२)।

नील विषय में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार लक्षणा का फल भी लक्षणा के विषय में ही होता है। इस कारण से धर्मधर्मिभाव की सिद्धि कराने वाले व्यापारान्तर की कल्पना करने की अवश्यकता नहीं होगी।^३

इस प्रकार आचार्य मम्मट ने लक्षणा में प्रयोजन की प्रतीति में अभिधा तथा लक्षणाशक्ति को असमर्थ बताते हुए व्यञ्जनाशक्ति की तार्किक स्थापना की है। ऐसा नहीं है कि व्यञ्जनाशक्ति की आवश्यकता मात्र लक्षणा के क्षेत्र में प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए ही है। इसका क्षेत्र तो अत्यन्त विस्तृत है। लक्षणा के क्षेत्र में जो व्यञ्जना प्रवृत्त होती है वह व्यञ्जना का एक भेद है जिसे लक्षणामूला व्यञ्जना कहते हैं।

मम्मट ने लक्षणामूला व्यञ्जना का उदाहरण दिया है-

रविणा हृतसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डलः।

निश्चवासान्ध्य इवादर्शशचन्द्रमा न प्रकाशते॥

इसमें ‘अत्यधिक कान्तिहीनता’ का प्रतिपादन ही लक्षणा का प्रयोजन है जिसकी प्रतीति व्यञ्जनावृत्ति से ही होती है।^४

जिस प्रकार लाक्षणिक शब्द व्यञ्जना द्वारा व्यञ्जनार्थ की प्रतीति कराते हैं उसी प्रकार वाचक शब्दों से भी व्यञ्जना द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। इसी दृष्टि से आचार्य मम्मट ने व्यञ्जना के अभिधामूला एवं लक्षणामूला भेद किये हैं। ‘शब्दव्यापारविचार’ में लक्षणामूला व्यञ्जना की विस्तृत विवेचना की गई है किन्तु अभिधामूला व्यञ्जना के दो उदाहरण मात्र दिये हैं।

अभिधामूला, लक्षणामूला तथा आर्थी व्यञ्जना की विस्तृत व्याख्या ‘काव्यप्रकाश’ में प्राप्त होती है। इनमें अभिधामूला तथा लक्षणामूला व्यञ्जनाएँ शब्दी व्यञ्जना हैं किन्तु आचार्य मम्मट ने कहीं भी इन्हें शब्दतः ‘शब्दी व्यञ्जना’ नहीं कहा है। व्यञ्जना के शब्दी अथवा आर्थी होने का कारण उसका ‘शब्दपरिवृत्यसहत्य’ तथा ‘शब्दपरिवृत्तिसहत्य’ ही है। यही सिद्धान्त शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार शब्ददोष तथा अर्थदोष की शब्दगतता एवं अर्थगतता में भी घटित होता है।

अभिधामूला व्यञ्जना में व्यञ्जक शब्द के स्थान पर उसके पर्याय का प्रयोग करने पर व्यञ्जनार्थ की प्रतीति नहीं होती यही शब्दपरिवृत्यसहत्य है। इसी कारण इसे शब्दी माना गया है।

^३ क्रियान्तरप्राप्तस्य यागफलत्वमिव व्यञ्जनाशक्तिनिर्वर्त्यस्य प्रयोजनस्य लक्षणाफलत्वम्। (श० व्या० वि०, पृ० २२)।

^४ नीलविषयस्य प्रमाणस्य यथा नीतनिष्ठैव प्रकटता सविद् वा फलं तद्वलक्षणायास्तद्विषयनिष्ठमेव प्रयोजनम्। तेन धर्मधर्मिभावकल्पकं नोपयुज्यते व्यापारान्तरम्। (श० व्या० वि०, पृ० २२)।

^५ लक्षणामूलं यथा ‘निश्चवासान्ध्य इवादर्श’ इत्युदाहृतम्। (श० व्या० वि०, पृ० ३४)।

इत्यादावन्धादिशब्देषु अनुपपद्यमानत्वाद् वाच्यमत्यन्ततिरस्कृतम् इति विच्छायत्वस्य लक्षितस्यासामान्यत्वं व्यञ्जनम्। (श० व्या० वि०, पृ० २४)।

लक्षणामूला व्यञ्जना आपाततः आर्थी ही प्रतीत होती है क्योंकि 'गङ्गयां घोषः' जैसे लाक्षणिक प्रयोग में 'गङ्गा' के स्थान पर 'भागीरथ्याम्' इस पर्याय शब्द को रख देने पर भी लक्षणा की स्थिति रहेगी ही अतः यहाँ शब्दपरिवृत्त्यसहत्व नहीं है। इसका समाधान करते हुए 'काव्यप्रकाश' के टीकाकारों ने लिखा है कि लक्षणामूला व्यञ्जना भी शब्दी ही है क्योंकि उपर्युक्त उदाहरण में 'गङ्गा' शब्द का पर्याय 'भागीरथी' वाचक शब्द का परिवर्तन है न कि लाक्षणिक शब्द का। 'गङ्गयां घोषः' में गङ्गा पद का वाच्यार्थ जलप्रवाह है तथा लक्ष्यार्थ तट है। यदि लाक्षणिक शब्द का पर्याय रखने पर भी लक्षणा यथावत् रहे तब उस स्थल पर प्रयोजन रूप व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति में शब्दी व्यञ्जना नहीं मानी जा सकती। किन्तु यहाँ वाचक गङ्गा शब्द का परिवृत्तिसहत्व होते हुए भी लाक्षणिक शब्द का परिवृत्त्यसहत्व है ही अतः यहाँ शब्दी व्यञ्जना है। अर्थात् 'गङ्गयां घोषः' कहने पर ही तट में शैत्य एवं पावनत्व की प्रतीति होगी 'गङ्गा तटे घोषः' कहने पर नहीं।

५. २. ९ 'काव्यप्रकाश' में वर्णित अभिधामूला शब्दी व्यञ्जना

कभी-कभी किसी शब्द के दो या उससे अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थक कहलाते हैं। इन अनेकार्थक शब्दों में वक्ता के तात्पर्य के अनुसार संयोग इत्यादि के द्वारा नियन्त्रित होकर अभिधा किसी एक अर्थ का ही बोध कराती है। अभिधा के एक अर्थ में नियन्त्रित हो जाने पर अन्य अर्थों की प्रतीति व्यञ्जनाव्यापार से ही होती है। इसे ही अभिधामूला व्यञ्जना कहते हैं।^३

ममट ने संयोगादि चौदह अभिधानियामकों की व्याख्या की है जिससे अभिधा का एक अर्थ में निर्णय होता है। इसके लिए उन्होंने भर्तृहरि की कारिका उद्धृत की है-

संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता

अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सत्रिधिः।

^३ अभिधामूलव्यञ्जनावत् लक्षणामूलव्यञ्जनापि शब्दपरिवृत्त्यसहा। गङ्गादिशब्दपरिवृत्तिसहत्वेऽपि लाक्षणिकगङ्गादिशब्दपरिवृत्त्यसहत्वात्। 'गङ्गयां घोषः' इत्यस्मादेव तीरे शैत्यपावनत्वादिकं प्रतीयते। न तु 'गङ्गतीरे घोषः' इत्यादिवाचकशब्दघटितवाक्यात्। एतदेवोक्तं मूले 'गङ्गतटे घोष इत्यादेः प्रयोगात्' इत्यादि 'गङ्गसम्बन्धमात्रप्रतीतौ' इत्यादि च। (का० प्र०, बा० बो०, पू० ७०)।

^३ अभिधामूलं त्वाह-

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते।

संयोगाद्यैरवाच्यार्थवीकृद् व्यापृतिरञ्जनम्। (का० प्र०, द्वि उ०, पू० ८८)।

सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः

शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥

- १- संयोग :- किसी प्रसिद्ध सम्बन्ध के आधार पर वाचकता का नियमन संयोग कहलाता हैं जैसे 'सशङ्खचक्रो हरिः' यहाँ 'हरि' शब्द के अनेक अर्थ होते हुए भी शङ्ख एवं चक्र का संयोग होने से अभिधा द्वारा 'हरि' शब्द का वाच्यार्थ 'विष्णु' होता है।
- २- विप्रयोग :- प्रसिद्ध सम्बन्ध का अभाव ही विप्रयोग कहलाता है। 'अशङ्खचक्रो हरिः' वाक्य में 'हरि' शब्द विष्णु का वाचक है क्योंकि शङ्ख तथा चक्र से विष्णु का ही सम्बन्ध प्रसिद्ध है जिसका यहाँ अभाव बताया गया है।
- ३- साहचर्य :- साथ-साथ रहना ही साहचर्य कहलाता है। 'रामतक्ष्यमणी' में राम शब्द के परशुराम, दशरथ पुत्र राम, इत्यादि अनेक अर्थ होते हुए भी लक्षण के साथ साहचर्य के कारण दशरथ-पुत्र राम का ही अभिधा से बोध होता है।
- ४- विरोधिता :- प्रसिद्ध वैर या सहानवस्थान ही विरोधिता है जैसे 'रामार्जुनगतिस्तयोः' में राम एवं अर्जुन का अनेक अर्थ होते हुए भी इनका वाच्यार्थ परशुराम तथा कार्तवीर्य होता है क्योंकि परशुराम तथा कार्तवीर्य का विरोध ही इतिहास प्रसिद्ध है।
- ५- अर्थ :- अर्थ का तात्पर्य है प्रयोजन अर्थात् ऐसा फल जो किसी अन्य प्रकार से साध्य न हो। 'स्थाणु भज भवच्छिदे' वाक्य में स्थाणु के टूँट, शंकु, रुद्र, शिव आदि अनेक अर्थ होते हैं किन्तु भवबाधाहरणरूप प्रयोजन के लिए शिव का ही भजन सम्भव है अतः 'स्थाणु' शब्द यहाँ अभिधा से शिव का बोध कराता है।
- ६- प्रकरण :- वक्ता तथा श्रोता की बुद्धि में किसी बात का होना ही प्रकरण है। किसी राजा को सम्बोधीत करके कहे गये 'सर्वं जानाति देव' वाक्य में प्रकरणवशात् देव शब्द का अर्थ राजा ही होगा क्योंकि यही अर्थ वक्ता एवं श्रोता की बुद्धि में है। यद्यपि देव शब्द के मेघ, सुर आदि अन्य अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ तथा प्रकरण में यही अन्तर है कि प्रकरण केवल बुद्धि में स्थित रहता है किन्तु अर्थ शब्दों द्वारा कहा जाता है।'
- ७- लिङ्ग :- संयोग से भिन्न सम्बन्ध के द्वारा पर पक्ष की व्यावृत्ति कराने वाला धर्म ही लिङ्ग है। साधारण शब्दों में इसे चिह्न अथवा पहचान कहा जा सकता है। जैसे 'कुपितो मकरध्वजः'। यहाँ मकरध्वज का अर्थ है मकर के आकार की धजा है जिसकी अर्थात् कामदेव। विग्रह से मकरध्वज का अन्य अर्थ भी होता है जैसे मकर ही धजा है जिसकी अर्थात् समुद्र, किन्तु कोप रूप लिङ्ग से मकरध्वज का वाच्यार्थ कामदेव होता है क्योंकि समुद्र में कोप रहता नहीं।

¹ प्रकरणमशब्दम् अर्थस्तु शब्दवाचित्यनयोर्भेदः। (का० प्र०, बा० व०, पृ० ६५)।

८- अन्य शब्द की सत्रिधि :- जहाँ अनेकार्थक शब्द के साथ किसी नियत अर्थ वाले शब्द का समानाधिकरण होता है वहाँ वह अनेकार्थक शब्द उस अन्य नियत अर्थ वाले पद के सत्रिधि से किसी एक अर्थ का वाचक हो जाता है। जैसे - 'देवस्य पुराराते' यहाँ देव शब्द के राजा, मेघ आदि अनेक अर्थ होते हैं किन्तु 'त्रिपुराराति' शब्द की सत्रिधि से देव शब्द का वाच्यार्थ शिव होता है।

९- सामर्थ्य :- कारणता को सामर्थ्य कहते हैं 'मधुना मत्तः कोकिलः' वाक्य में मधु शब्द के वसन्त, मकरन्द, शहद, मदिरा आदि अर्थों के होते हुए भी कोयल को मत्त करने का सामर्थ्य वसन्त में ही है अतः सामर्थ्य से मधु शब्द का अभिधेयार्थ यहाँ वसन्त ऋतु होता है।

१०- औचिति :- औचित्य अथवा योग्यता औचिति कहलाती है। 'पातु वो दयितामुखम्' वाक्य में मुख शब्द का वाच्यार्थ है सामुख्य। यहाँ अर्थ निर्धारण औचिति से ही होता है। मुख शब्द के वदन, प्रारम्भ, सामुख्य आदि कई अर्थ होते हैं।

११- देश :- देशिवशेष के कारण भी किसी शब्द का अर्थ नियन्त्रित हो जाता है। जैसे 'भात्यत्र परमेश्वर' में परमेश्वर शब्द का अर्थ राजा विष्णु, शिव आदि है किन्तु राजधानी रूप देश विशेष में राजा ही शोभित होता है अतः उसका वाच्यार्थ राजा होगा। विष्णु तो वैकुण्ठ में तथा शिव कैलाश में शोभायमान होते हैं।

१२- काल :- कहीं-कहीं कालविशेष भी वाच्यार्थ का नियमक होता है। जैसे- 'चित्रभानुर्विभाति इस उदाहरण में वित्रभानु शब्द का अर्थ सूर्य एवं अम्बि है। यदि रात्रि में इस वाक्य का प्रयोग होता है तब 'वित्रभानु' का अर्थ अम्बि होगा तथा दिन में प्रयोग होने पर वह सूर्य अर्थ का वाचक होगा।

१३- व्यक्ति :- पुल्लिंग, स्त्रीलिंग इत्यादि के द्वारा भी अनेकार्थक शब्द किसी एक अर्थ के वाचक हो जाते हैं। जैसे मित्र शब्द यदि नपुंसक लिङ्ग में होता है तब उसका अर्थ मित्र होगा तथा पुल्लिंग में होने पर वह सूर्य अर्थ का वाचक होगा। इस प्रकार व्यक्ति अर्थात् लिङ्गादि के द्वारा भी वाचकता नियन्त्रित होती है।

१४- स्वर :- उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वरों के आधार पर भी अनेकार्थक शब्दों की वाचकता नियन्त्रित हो सकती है। लोक में स्वरों के आधार पर अर्थ का नियमन नहीं होता। वेदों में ही स्वर की नियमकता मानी जाती है। इसका उदाहरण है, 'इन्द्रशत्रु' यहाँ 'इन्द्रः शत्रुः यस्य' इस बहुव्रीहि समास से इन्द्र शब्द का अर्थ होगा इन्द्र है नाशक जिसका। इसमें पूर्वपद उदात्त होता है। 'इन्द्रस्य शत्रुः' इस तत्पुरुष समास से इसका अर्थ होगा इन्द्र का शत्रु। इसका अन्तिम पद उदात्त होता है।'

¹ इत्युक्तदिशा सशङ्ख्यक्रो हरिः अशङ्ख्यक्रो हरिरित्युच्यते। रामलक्ष्मणाविति दाशरथी। रामार्जुनगतिस्तयोरिति भार्गवकार्त्तवीर्योः। स्थाणुं भज भवच्छिदे इति हरे। सर्वं जानाति देव इति युष्मदर्थे। कुपितो मकरध्वज इति कामे। देवस्य पुरारातेरिति शम्भौ। मधुना मत्तः कोकिल इति वसन्ते। पातु वो दयितामुखमिति सामुख्ये। भात्यत्र परमेश्वर

भर्तृहरि की कारिका के अन्त में 'स्वरादयः' से जो 'आदि' पद का कथन किया गया है उससे अभिनय, अपदेश इत्यादि का ग्रहण होता है। अपदेश का अर्थ है विवक्षित अर्थ का हाथ से निर्देश^१ मम्मट ने अभिनय से अर्थ के निर्णय का उदाहरण दिया है -

एद्दहमेत्तत्थणिआ एद्दहमेत्तेहिं अच्छिवत्तोहिं।

एद्दहमेत्तावत्था एद्दहमेत्तेहिं दिअएहिं ॥१

इस प्रकार अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होने पर उनके किसी एक ही अर्थ में वक्ता का तात्पर्य होता है, ऐसी दशा में संयोगादि से वाच्यार्थ उसी अर्थ में नियन्त्रित हो जाता है। अन्य प्रतीत होने वाले अर्थों का बोध व्यञ्जनावृत्ति द्वारा ही होता है।^२ उदाहरण स्वरूप -

भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोर्विशालवंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसंग्रहस्य।

यस्यानुपप्लवगतेः परवारणस्य दानाभ्युसेकसुभगः सततं करोऽभूत् ॥२

इस सम्पूर्ण पद्य के दो अर्थ निकले हैं - राजा के पक्ष में तथा गज के पक्ष में प्रकरण के अनुसार राजा के पक्ष वाला अर्थ वाच्यार्थ है, किन्तु विद्वजनों को जो गज विषयक अर्थ की भी प्रतीति होती है, व्यञ्जनावृत्ति द्वारा ही होती है। यह अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना का उदाहरण है।

शक्तिग्रह के नियामक कारणों की चर्चा काव्यशास्त्र के अतिरिक्त व्याकरण तथा न्याय-दर्शन में भी की गई है। नागेशभट्ट ने भी भर्तृहरि की कारिका उद्धृत करते हुए संयोगादि कारणों की विस्तार से चर्चा की है।^३

अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना की परिभाषा में मम्मट ने शब्द की अनेकार्थता को स्वीकार किया है किन्तु श्लेष अलङ्कार के प्रसङ्ग में 'अर्थभेदेन शब्दभेदः' इस सिद्धान्त के अनुसार अर्थों का भेद होने पर शब्दों की भिन्नता भी मानी है। यहाँ मम्मट के विचारों में परस्पर विरोध है क्योंकि श्लेष अलङ्कार में तो मम्मट यह मान रहे हैं कि एक शब्द एक

इति राजधानीरूपाद्देशाद्वाजनि। चित्रभानुर्विभातीति दिने रवौ रात्रौ वह्नै। मित्रं भातीति सुहृदि मित्रो भातीति रवौ। इन्द्रशत्रुरित्यादौ वेद एव न काव्ये स्वरो विशेषप्रतीतिकृत्। (का० प्र०, द्वि० उ०, पृ० ६०)।

^१ अभिनयादयः इत्यादिपदेन अपदेशो ग्राह्यः। अपदेशो नाम हृदयनिहितहस्तादिनाभिमतनिर्देशः। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ६७-६८)।

^२ का० प्र०, पृ० ६४।

^३ इत्यं संयोगादिभिर्थान्तराभिधायकत्वे- - - व्यञ्जनमेवव्यापारः। (का० प्र०, पृ० ६५)।

^४ का० प्र०, पृ० ६५।

^५ सैषा शक्तिः संयोगादिभिर्नार्थशब्देषु नियम्यते तदुक्तं हरिणा-
संसर्गो विप्रयोगश्च - - - | (वै० सि० ल० म०, पृ० ६०)।

ही अर्थ का प्रतिपादक होता है किन्तु अभिधामूला व्यञ्जना में शब्दों को अनेकार्थक मानते हुए उसके एक अर्थ में अभिधा के नियंत्रित हो जाने पर दूसरे अर्थ को व्यङ्ग्य कह रहे हैं। यहाँ भी 'अर्थभेदन शब्दभेदः' न्याय से दो अभिधायक शब्द मानना चाहिए अतः यहाँ व्यञ्जना का अवसर ही नहीं है।

आचार्य विश्वनाथ ने 'काव्यप्रकाशदर्पण' टीका में इसका समाधान किया है -

'भद्रात्मन्' इत्यादि उदाहरण में राजा पक्ष वाला अर्थ प्राकरणिक है तथा गजपक्षीय अर्थ अप्राकरणिक। यहाँ भी यदि दोनों अर्थों के लिए दो शब्दों की कल्पना की जाये तो प्रकृत अर्थ की प्रथम प्रतीति नहीं हो सकेगी। क्योंकि शब्दद्वय मानने पर दोनों ही अर्थों की अभिधेयता होने से दोनों समकक्ष होंगे। ऐसी स्थिति में उनके पूर्वपश्चाद्भाव का निर्णय नहीं हो सकेगा। इस प्रकार अप्राकरणिक द्वितीय अर्थ की प्रतीति में व्यञ्जनाव्यापार को मानना ही होगा।^१

५. २. २ आर्थी व्यञ्जना -

अभिधामूला व्यञ्जना की ही भाँति आर्थी व्यञ्जना की भी विस्तृत व्याख्या 'काव्यप्रकाश' में की गई है।

कभी-कभी अर्थ भी वक्तु, बोधव्यादिकी विशेषता के कारण सहदयों को अन्य अर्थ की प्रतीति कराते हैं। यही आर्थी व्यञ्जना है। शब्दों के साथ-साथ मम्पट अर्थों की भी व्यञ्जकता को स्वीकार करते हैं।^२ वाच्य तथा लक्ष्य अर्थ के साथ-साथ व्यङ्ग्य अर्थ भी अन्य अर्थ की प्रतीति कराते हैं। जिस प्रकार शब्दी व्यञ्जना में शब्द व्यञ्जक होते हैं किन्तु उनमें अर्थ की भी सहकारिता होती है^३ उसी प्रकार आर्थी व्यञ्जना में भी यद्यपि अर्थ ही अन्यार्थ के व्यञ्जक होते हैं किन्तु उनमें भी शब्द की सहकारिता अवश्य रहती है क्योंकि जिन अर्थों से व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है वे शब्दों द्वारा ही जाने जाते हैं।^४

^१ अत्र हि शब्दद्वयकल्पने कथं प्रकृतार्थस्य प्रथमं प्रतीतिः छयोरभिधेयत्वेन पूर्वपश्चाद्भावनैयत्यासम्भवात्। (का० प्र०, १६ टीकाओं सहित, दर्पण, पृ० ३६७)।

^२ सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते। (का० प्र०, प्र० ३०, पृ० ३८)।

^३ यत्सोऽर्थान्तरयुक् तथा।

अर्थोऽपि व्यञ्जकस्त्र सहकारितया मतः॥ (का० प्र०, द्वि० ३०, पृ० ६७)।

^४ शब्दप्रमाणवेदोऽर्थो व्यनक्यर्थान्तरं यतः

अर्थस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता॥ (का० प्र०, द्वि० ३०, पृ० १०६)।

आर्था-व्यञ्जना में प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों को, जिन्हें सहदय कहा जाता है, वक्ता आदि की विलक्षणता से व्यङ्गचार्य-बोध होता है। नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा ही प्रतिभा कहलाती है^१ इस प्रकार काव्यवासना से परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही सहदय कहा जाता है।

मम्पट ने निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया है जिसके वैशिष्ट्य से सहदयों को व्यङ्गचार्य की प्रतीति होती है-^२

(१) वक्ता: -

जो दूसरे व्यक्ति को बोध कराने के लिए वाक्य का उच्चारण करता है उसे वक्ता कहते हैं वक्तृवैशिष्ट्य से व्यङ्गचार्य की प्रतीति का उदाहरण है -

अइपिहुलं जलकुंभं धेतूण समागदहि सहि तुरिअम् ।

समसेअसलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणम् ॥^३

इस उदाहरण में वक्तृ के द्वारा विशाल घट को लाने के कारण होने वाली अपनी परिश्रान्ति का वर्णन ही वाच्यार्थ है, किन्तु सहदय को यह ज्ञात है कि कहने वाली स्त्री दुराचारिणी है अतः वक्तृवैशिष्ट्य से यहाँ चौर्यरतिगोपन रूप व्यङ्गचार्य की प्रतीति हो रही है।

(२) बोद्धव्यः -

जिससे वाक्य कहा जाता है वही बोद्धव्य है^४ कभी-कभी बोद्धव्य के स्वभाव को जानते हुए सहदय को उसकी विशिष्टता से व्यङ्गचार्यबोध होता है। जैसे -

ओणिणद्दं दोब्बल्लं चिन्ता अलसत्तणं सणीससिअम्

मह मन्दभाइणीए केरं सहि तु वि अहह परिहवइ ॥

^१ प्रतिभा वासना, नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञेति यावत्। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ७२) ।

^२ वक्तृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधे:

प्रस्तावदेशकालादेवैशिष्ट्यात् प्रतिभाजुषाम्
योऽर्थस्यान्यार्थघीहेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा॥ (का० प्र०, पृ० ६६) ।

^३ यः परप्रतिपत्तये वाक्यमुच्चारयति स वक्ता । (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ७२) ।

^४ बोधनीयः पुरुषो बोद्धव्यः। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ७२) ।

इस उदाहरण में नायिका की दूती सखी बोधव्य हैं जो कि असाध्वी हैं। उसका यह स्वभाव पूर्वज्ञात होने से बोद्धव्य वैशिष्ट्य के कारण नायिका द्वारा अपनी सखी के विरुद्ध आचरण का वर्णन व्यङ्ग्यार्थरूप में प्रतीत हो रहा है।

(३) काकुः -

भिन्न कण्ठध्वनि को ही काकु कहते हैं। काकु के वैशिष्ट्य से भी व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति होती है^१ जैसे -

तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां

वने व्याधैः सार्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः

विराटस्यावासे स्थितमनुवितारम्भनिभृतं

गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥

यहाँ काकु की विशेषता से ही इस व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति हो रही है 'मुझ पर क्रोध करना उचित नहीं है अपितु कौरवों पर क्रोध करना उचित है'

ममट ने गुणीभूतव्यङ्ग्य के भेदों में 'काकवाक्षिप्त' नामक एक भेद भी माना है जहाँ काकु से प्रतीत अर्थ ही वाच्यार्थ को पूर्ण बनाता है^२ वहाँ व्यङ्ग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अप्रथान होता है। प्रस्तुत उदाहरण में ध्वनिकाव्य है। यहाँ काकु से प्रकट होने वाला व्यङ्ग्यार्थ वाच्यसिद्धि का अङ्ग नहीं अपितु प्रधान है^३

४- वाक्यः -

साकाङ्क्षण पदों के समूह को वाक्य कहते हैं।^४ कहीं-कहीं प्रयुक्त वाक्य की विलक्षणता से वाच्यार्थ से भिन्न एक अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे ही वाक्य-वैशिष्ट्य कहते हैं। जैसे -

तइआ मह गण्डत्यत्लणिमिअं दिटिंठ ण णेसि अण्णत्तो

एण्हं सच्चेअ अहं ते अ कवोला ण सा दिट्ठी ॥

^१ भिन्नकण्ठध्वनिधर्मिः काकुरित्यभिवीयते। उक्तं च अमरेणापि 'काकुः स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिर्वन्नेः' (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ७२)।

^२ का० प्र०, पृ० २९८)।

^३ अत्र मयि न योग्यः खेदः कुरुषु तु योग्य इति काकवा प्रकाश्यते। न च वाच्यसिद्धयङ्गमत्र काकुरिति गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वं शङ्क्यं प्रश्नमात्रेणापि कारोर्विश्वान्तेः (का० प्र०, पृ० ९०२)।

^४ साकाङ्क्षणां पदानां समूहो वाक्यम्। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ७२)।

इस उदाहरण में नायिका की सखी के प्रति नायक का प्रच्छन्न अनुराग व्यङ्ग्य हैं जो कि वाक्य के वैशिष्ट्य से ही प्रतीत हो रहा है।

५- वाच्यः -

मुख्यार्थ ही वाच्य कहलाता है । कभी-कभी वाच्यार्थ के विशेषणों से व्यङ्ग्य अर्थ की व्यङ्गना होती है-

उद्देशोऽयं सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी

कुञ्जोत्कर्षाङ्कुरितरमणीविभ्रमो नर्मदायाः ।

किञ्चैतस्मिन् सुरतसुहृदस्तन्चि ते वान्ति वाताः

येषामग्रे सरति कलिताऽकाण्डकोपो मनोभूः ॥

इस उदाहरण में वाच्यार्थ के विशेषणों से ही नायक की सुरतेच्छा रूप व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति हो रही हैं।

६-अन्यसत्रिधिः

वक्ता आदि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की समीपता से भी कभी-कभी व्यङ्ग्यार्थ की प्रतीति हो जाती

है-

पोल्लोऽ अणद्दमणा अत्ता मं घरभरम्मि सअलम्मि ।

खण्मेत्तं जइ संज्ञाइ होइ ण व होइ वीसामो ॥

यह वाक्य नायिका अपनी सखी या प्रतिवेशिनी से कह रही है किन्तु किसी उदासीन व्यक्ति या उपनायक की उपस्थिति से सहदय को यह व्यङ्ग्यार्थ-बोध होता है कि नायिका सच्चा के समय अपने अवकाश का कथन करके सङ्केत के योग्य समय को व्यक्त कर रही है।

७-प्रस्तावः -

प्रकरण को ही प्रस्ताव कहा जाता है-

सुव्वइ समागमिस्सदि तुज्ज पिओ अज्ज पहरमेत्तेण ।

एमेअ कित्ति चिट्ठसि ता सहि सज्जेसु करणिज्जम् ॥

यहाँ प्रकरण से अर्थ-व्यङ्गना हो रही है। उपपति के प्रति अभिसरण को तत्पर नायिका के लिए उसकी सखी का कथन है जिससे अभिसरण का निषेधरूप व्यङ्ग्यार्थ प्रतीत हो रहा है।

¹ शक्योऽर्थो वाच्यः। (का० प्र०, बा० बो०, पृ० ७२) ।

८- देशः -

किसी विशिष्ट देश के कारण भी अन्य अर्थ की व्यञ्जना होती है-

अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्यः ।

नाहं हि दूरं भ्रमितुं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिर्वः ॥

इस उदाहरण में नायिका द्वारा सखियों को अन्यत्र पुष्टवयनार्थ प्रेषित कर निर्जन बनाये गये देश के कारण इस व्यञ्जनार्थ की प्रतीति हो रही है कि नायिका अपनी विश्वसनीय सखी से नायक के प्रेषण का आग्रह कर रही है।

९- कालः -

काल अथवा किसी विशिष्ट समय का ज्ञान हो जाने पर भी अन्य अर्थ की प्रतीति हो जाती है-

गुरुअणपरवस पिअ किं भणामि तुइ मंदभाइणी अहकम् ।

अज्ज पवासं वच्चसि वच्च सअं जेव सुणसि करणिज्जम् ॥

यहाँ 'अज्ज' (अद्य) का तात्पर्य वसन्त ऋतु है। इसके वैशिष्ट्य से ही यहाँ व्यञ्जनार्थ प्रतीत हो रहा है।

कभी-कभी चेष्टा भी किसी अन्य अर्थ की व्यञ्जना में सहायक होता है। वक्तादि सहकारी कारणों की व्याख्या में मम्मट द्वारा प्रयुक्त 'कालादि' के 'आदि' पद का तात्पर्य चेष्टा ही है^१

आचार्य मम्मट ने 'शब्दव्यापारविचार' में इस प्रकार से न तो अभिधामूला व्यञ्जना का विस्तृत विवेचन किया है और न ही आर्थी व्यञ्जना की चर्चा है। वहाँ लक्षणामूला व्यञ्जना की व्याख्या के अनन्तर अभिधामूला के दो उदाहरण दिये गये हैं-

पदप्रकाश्य -

वाणिअअ हस्तिदन्ता कुतो अह्माणं वस्तिकित्ती अ ।

जाव लुलिआलअमुही घरम्भि परिसक्कए सुण्हा ॥

वाक्यप्रकाश्य -

अत्ता एत्थ णिमज्जइ एत्थ अहं दिअसअं पलोएहि ।

मा पहिअ रत्तिअन्धअ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि ॥^२

^१ आदिग्रहणाच्छेष्टादेः। (का० प्र०, पृ० १०८) ।

^२ श० व्या० वि�०, पृ० ३३-३४ ।

ममट ने इन दोनों उदाहरणों में अभिधामूला व्यञ्जना मानी है। अभिधामूला व्यञ्जना शब्दी व्यञ्जना है जबकि उपर्युक्त उदाहरणों में अर्थ से अर्थ की व्यञ्जना होने से यहाँ आर्थी व्यञ्जना है। शब्दों का पर्याय रख देने पर भी यहाँ व्यञ्जनार्थ की प्रतीति होगी ही।

इस प्रसङ्ग में ममट का सिद्धान्त अस्पष्ट हो गया है। इस विवेचन के आधार पर अभिधामूला व्यञ्जना को केवल 'शब्दी' नहीं कहा जा सकता। वह आर्थी भी हो सकती है।

वस्तुतः उपर्युक्त दोनों उदाहरण धनिकाव्य के हैं। ममट ने धनि के अविवक्षितवाच्यधनि तथा विवक्षितान्यपरवाच्यधनि नामक जो दो भेद किये हैं वे लक्षणामूला एवं अभिधामूला धनि ही हैं। इनमें लक्षणामूला तो केवल शब्दी है किन्तु अभिधामूलाधनि के संलक्ष्यक्रम व्यञ्जन नामक भेद के शब्दशक्तिमूलक, अर्थशक्तिमूलक तथा उभयशक्तिमूलक नामक अवान्तर भेदों^१ से सिद्ध होता है कि अभिधामूला धनि शब्दगत एवं अर्थगत दोनों ही हो सकती है।

धन्यालोककार ने भी 'वणिअअ - - -' इत्यादि पद्य को पद से प्रकाशित होने वाले स्वतः सम्बाविशरीरार्थशक्त्युद्भव नामक धनि के एक भेद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है^२

धनिकाव्य में व्यञ्जन अर्थ की ही प्रधानता होती है। ममट ने अभिधामूला व्यञ्जना का 'वणिअअ - - -' इत्यादि जो उदाहरण दिया है उसे ही काव्यप्रकाश में उत्तरालङ्कार के उदाहरणस्वरूप भी प्रस्तुत किया है।^३ यहाँ ममट का मत विसङ्गतिपूर्ण हो गया है। एक ही उदाहरण को धनि काव्य तथा अलङ्कार दोनों का नहीं माना जा सकता। प्रस्तुत उदाहरण में अलङ्कार मान लेने पर यद्यपि उसमें व्यञ्जनार्थ की सत्ता तो हो सकती है किन्तु उसकी प्रधानता नहीं, क्योंकि व्यञ्जन की प्रधानता होने पर वहाँ धनि काव्य हो जाएगा अलङ्कार नहीं। अलङ्कार में चमत्कार का पर्यवसान वाच्यार्थ में ही होता है।

जहाँ काव्य में व्यञ्जनार्थ की सत्ता तो होती है किन्तु चमत्कार का पर्यवसान वाच्यार्थ में ही होता है, व्यञ्जन किसी न किसी रूप में वाच्य का उपस्कारक होता है वाच्यादिशायी नहीं, वहाँ गुणीभूतव्यञ्जन नामक काव्य माना जाता

^१ अनुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यञ्जनस्थितिस्तु यः

शब्दार्थोभयशक्त्युद्यस्त्रिधा स कथितो धनिः॥ (का० प्र०, पृ० १६७)।

^२ स्वतः सम्बाविशरीरार्थशक्त्युद्भवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा-

वणिअअ- - - - । (च०, तृ० उ०, पृ० २६)।

^३ प्रतिवचनोपलम्बादेव पूर्ववाक्यं यत्र कल्प्यते तदेकं तावदुत्तरम् । उदाहरणम् -

वणिअअ- - - । (का० प्र०, पृ० ५७२)।

है। इसे मम्मट ने 'मध्यम काव्य' की संज्ञा दी है। 'काव्यप्रकाश' में गुणीभूतव्यङ्ग्य के आठ भेद मानते हुए उसकी सोदाहरण व्याख्या की गई है^१ किन्तु 'शब्दव्यापारविचार' में तो उसके दो उदाहरण दे दिये गये हैं^२

पद से प्रकाशित -

कर्ता द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः।
राजा दुश्शासनादेर्गुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रं
क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुषा द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः॥^३

वाक्य से प्रकाशित

वाणीरकुड्हुड्डीणसउणिकोलाहलं सुणन्तीए।
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गइ॥^४

इन दोनो उदाहरणों में व्यङ्ग्यार्थ की सत्ता तो है किन्तु वह वाच्यातिशायी नहीं है। वाच्यार्थ ही यहाँ चमत्कारपर्यवसायी है, अतः गुणीभूतव्यङ्ग्य का 'असुन्दर' नामक भेद है।

५. ३ मम्मट द्वारा व्यञ्जना विरोधी मतों का खण्डन

आनन्दवर्धन द्वारा प्रवर्तित धनि-सिद्धान्त की सुदृढ स्थापना आचार्य मम्मट के ग्रन्थों में ही मिलती है। मम्मट के सिद्धान्तों में व्यञ्जनावृत्ति का न केवल प्रतिष्ठापन हुआ है अपितु इसके विरोधी विचारधाराओं का सशक्त तर्कों से खण्डन भी हुआ है।

^१ अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धचङ्गमस्फुटम्
सन्दिश्वतुल्यप्राधान्ये काव्याक्षिप्तमसुन्दरम्
व्यङ्ग्यमेवं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भिदास्मृताः। (का० प्र०, पृ० २९६)।

^२ श० व्या० वि०, पृ० ३५।

^३ अत्रैते वराका दासभावं गताः किं करिष्यन्ति अस्मदेकशरणाः परिभिष्यन्ति इत्यादि द्यूतकाले भवद्विश्वन्तितमासीनास्माकं विस्मृतम्। तत्र काचित् प्रतिक्रिया निर्वृद्धा न कि निर्वृद्धा इत्यादिकं तमर्थमभिव्यज्य सर्वैरेव कर्ता द्यूतच्छलानामित्यादिभिर्वाच्च एवार्थं विश्रम्यते। (श० व्या० वि०, पृ० ३५-३६)।

^४ अत्र दत्तसङ्केतः पुरुषो वानीरलतागृहं प्रविष्ट इति व्यङ्ग्यमर्थमवगमय वाच्योऽर्थः स्वप्राधान्येनास्ति। (श० व्या० वि०, पृ० ३६)।

‘शब्दव्यापारविचार’ में व्यञ्जना-विरोधी पक्षों की अत्यन्त संक्षेप में ही अवतारणा कर उनका खण्डन ममट ने किया है। इसका कारण भी उन्होंने दिया है -

एतच्चान्यत्र विस्तरेण विचारितमिति संक्षेपेणेहोक्तमिति।

वस्तुतः ‘काव्यप्रकाश’ में विशद रूप से विचारित व्यञ्जना-विरोधी प्रसङ्ग का पुनः उन्हीं तकों से ‘शब्दव्यापारविचार’ में भी खण्डन करना पिष्टपेषण मात्र ही होता। ‘शब्दव्यापारविचार’ में विरोधियों का खण्डन एवं व्यञ्जना की स्थापना हेतु जो तर्क दिये गये हैं उसे ‘काव्यप्रकाश’ का संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है अतः ‘काव्यप्रकाश’ के व्यञ्जना-विरोधी प्रसङ्ग की पृष्ठभूमि में ही उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है।

व्यञ्जना-विरोधियों के मत को पूर्वपक्ष के रूप में रखते हुए ममट ने किसी भी आचार्य का नाम नहीं उल्लिखित किया है। इन्होंने ध्वनि के विभिन्न भेदों में पृथक्-पृथक् रूप से व्यञ्जना की अपरिहार्यता को दर्शाते हुए सिद्ध किया है कि व्यञ्जना का कार्य अभिधा, लक्षणा या तात्पर्य से नहीं लिया जा सकता।

रसादि ध्वनि की व्यङ्ग्यता सिद्ध ही है। रस भावादि को वाच्य नहीं माना जा सकता। विभाव अनुभाव इत्यादि ही रस के अभिव्यञ्जक होते हैं। रस के साक्षात् शब्द द्वारा अथवा शृङ्खर आदि शब्दों द्वारा प्रतीत होने पर ही रस को अभिधेय कहा जा सकता है किन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। शृङ्खरादि शब्दों का ग्रहण न होने पर विभाव, अनुभावादि के ग्रहण से रस प्रतीति होती ही है। अतः रस को वाच्य नहीं कहा जा सकता। मुख्यार्थबाधादि के अभाव में यहाँ लक्षणा भी नहीं मानी जा सकती। अतः यह मानना ही होगा कि रस सदा व्यङ्ग्य होता है।¹

लक्षणामूलक ध्वनि के दोनों भेदों अर्थान्तर संक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि में जिस प्रयोजन की प्रतीति के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है उसकी प्रतीति व्यञ्जना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यापार से नहीं हो सकती।²

५. ३. ९ अभिधा से व्यञ्जना का भेद

अभिधामूलक संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि के शब्द शक्तिमूलक भेद में अनेकार्थक शब्दों के प्रसङ्ग में जब

¹ रसादिलक्षणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न वाच्यः। (का० प्र०, पृ० २३८)।

² अर्थान्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोर्वस्तुमात्ररूपं व्यङ्ग्यं विना लक्षणैव न भवतीति प्राक् प्रतिपादितम्। (का० प्र०, पृ० २४०)।

अभिधा एकार्थ में नियन्त्रित हो जाती है तब जो दूसरा अर्थ प्रतीत होता है, वह व्यङ्ग्य ही होता है तथा उसका वाच्यार्थ के साथ प्रतीत होने वाला उपमानोपमेयभाव भी व्यञ्जनात्मक ही होता है।

संलक्षणक्रम व्यङ्ग्य के अर्थशक्तिमूलक ध्वनि नामक भेद में शब्द की अपेक्षा वाच्यार्थ प्रभावी रहता है। वाच्यार्थ प्रतीति के पश्चात् ही व्यङ्ग्यार्थ प्रतीत होता है। इस प्रकार अर्थशक्तिमूलक ध्वनि में पहले वाक्यार्थज्ञान की आवश्यकता होती है^१ वाक्यार्थबोध के लिए मीमांसकों में दो विचारधाराएँ मिलती हैं - अभिहितान्वयवाद तथा अन्विताभिधानवाद। इन दोनों ही सिद्धान्तों में मम्पट ने व्यङ्ग्यार्थ के अवबोधन में व्यञ्जनाव्यापार की अनिवार्यता को सिद्ध किया है।

अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के अनुसार व्यक्तिरूप विशेष में सङ्केत मानने से अनन्त एवं व्यभिचार दोष उपस्थित हो जाता है अतः जाति रूप सामान्य में ही सङ्केतग्रह होता है। इन सामान्यरूप पदार्थों की प्रतीति कराकर अभिधा विरत हो जाती है। उसके पश्चात् आकाङ्क्षा, योग्यता, सत्रिधि से उन सामान्य पदार्थों का परस्पर अन्वय होकर वाक्यार्थ की प्रतीति होती है। यह वाक्यार्थबोध भी तात्पर्य नामक शक्ति से होता है। इस प्रकार अभिहितान्वयवाद में वाक्यार्थ की उपस्थिति में भी अभिधा असमर्थ है तब उस वाक्यार्थ के भी अनन्तर प्रतीत होने वाले व्यङ्ग्यार्थ का बोध अभिधा से कैसे माना जा सकता है ?^२

अन्विताभिधानवादी मानते हैं कि विशिष्ट अर्थात् परस्परान्वित पदार्थ ही वाक्यार्थ के रूप में उपस्थित होता है। पदार्थों की उपस्थिति के पश्चात् उसका अन्वय नहीं होता। इस प्रकार अन्विताभिधानवादी वाक्यार्थ बोध के लिए तात्पर्य नामक शक्ति को नहीं मानते।

सङ्केतग्रह के व्याकरणोपमान आदि उपायों में व्यवहार एक प्रमुख साधन है। अन्विताभिधानवाद के अनुसार बालक को वृद्धव्यवहार से ही अर्थ-बोध होता है। वाक्य द्वारा ही व्यवहार होता है। कोई अज्ञ बालक माता-पिता आदि (प्रयोजकवृद्ध) के आदेशानुसार कार्य करने वाले अग्रज (प्रयोज्यवृद्ध) के व्यवहार को देखकर ही विविध शब्दों का अर्थ जानता है। मम्पट ने व्यवहार से होने वाले सङ्केतग्रह में प्रत्यक्ष, अनुमान एवं अर्थापत्ति प्रमाणों को सहायक माना है। जैसे कोई बालक प्रयोजक वृद्ध द्वारा उच्चरित 'गामानय' वाक्य का श्रावणप्रत्यक्ष कर प्रयोज्यवृद्ध की गवानयन क्रिया का चाक्षुष प्रत्यक्ष करता है। इससे वह अनुमान करता है कि अमुक वाक्य का अमुक अर्थ है क्योंकि वाक्य सुनकर ही प्रयोज्यवृद्ध ने यह कार्य किया है। इसके पश्चात् 'अर्थापत्ति' प्रमाण से उसे यह ज्ञात होता है कि 'गामानय' इस वाक्य

^१ शब्दशक्तिमूले तु अभिधाया नियन्त्रणेनानभिधेयस्यार्थान्तरस्य तेन सहोपमादेरलङ्घारास्य च निर्विवादं व्यङ्ग्यत्वम्। (का० प्र०, पृ० २४०)।

^२ - - - - यत्रापदार्थाऽपि विशेषरूपो वाक्यार्थस्त्राभिहितान्वयवादे का वार्ता व्यङ्ग्यस्याभिधेयतायाम्। (का० प्र०, पृ० २४१)।

का 'गवानयन' रूप क्रिया के साथ वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध है क्योंकि यदि ऐसा कोई सम्बन्ध न होता तो अर्थावबोध भी नहीं हो सकता था। इसके पश्चात् बालक 'गां नय' 'अश्वमानय' इत्यादि वाक्यों को सुनकर तथा तदनुसार व्यवहार देखकर पृथक्-पृथक् पदों का अर्थ जानता है। इससे यही सिद्ध होता है कि व्यवहार वाक्य द्वारा ही होता है पदों द्वारा नहीं।

अन्विताभिधानवादियों के सङ्केतग्रह की इस प्रक्रिया में बालक को अश्वमानय, गामानय आदि वाक्यों में 'आनय' पद से जिस व्यापार का बोध होता है वह सामान्य रूप वाला ही होता है। किन्तु 'निर्विशेषं न सामान्यम्' इस नियम के अनुसार वह सामान्य होते हुए भी किसी विशिष्ट वाक्य में प्रयुक्त होने पर किसी विशिष्ट कर्म से युक्त होकर सामान्यावच्छादित विशेष रूप वाला हो जाता है। ऐसी दशा में इनके अनुसार सामान्यविशेष रूप पदार्थ ही सङ्केत का विषय होता है, वाक्यान्तर्गत अतिविशेष रूप में प्रयुक्त 'गो' 'अश्व' आदि असङ्केतित ही रहते हैं अतः वे अभिधा से बोधित नहीं हो सकते। इस प्रकार अन्विताभिधानवाद में अभिधा की सीमा सामान्यावच्छादित विशेष तक ही रहती है। जब अभिधा से विशिष्टवाक्य में प्रयुक्त अतिविशेष रूप अर्थ का ही बोध नहीं सम्भव है तब उसके भी बाद प्रतीत होने वाले व्यञ्जनार्थ की प्रतीति अभिधा से कैसे हो सकती है ?⁹

कतिपय मीमांसक व्यञ्जनार्थबोध में निमित्तनैमित्तिक भाव की कल्पना कर शब्द को निमित्त तथा व्यञ्जनार्थ को उसका नैमित्तिक मानते हैं। उनके अनुसार व्यञ्जनार्थ का शब्द के अतिरिक्त और कोई निमित्त उपलब्ध नहीं होता। शब्द तथा व्यञ्जनार्थ का निमित्तनैमित्तिकभाव विना किसी शक्ति के नहीं हो सकता और यह शक्ति अभिधा ही है अतः व्यञ्जनार्थबोध अभिधाशक्ति से ही हो जाता है उसके लिए दूसरी शक्ति को मानने की आवश्यकता ही क्या है?

मम्मट ने इसका खण्डन करते हुए लिखा है कि निमित्त दो प्रकार का होता है - कारक तथा ज्ञापक निमित्त। शब्द व्यञ्जनार्थ को उत्पन्न नहीं करता अतः वह उसका कारक निमित्त नहीं हो सकता। शब्द अर्थ का बोधक होता है उत्पादक नहीं। शब्द व्यञ्जन अर्थ का ज्ञापक निमित्त भी नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञात विषय का ही ज्ञापक निमित्त होता है। शब्द-श्रवण के पूर्व तो व्यञ्जनार्थ का ज्ञान रहता नहीं। शब्द की ज्ञातता सङ्केतग्रह के पश्चात् ही होती है।

⁹ (क) तेषामपि मते सामान्यविशेषरूपः पदार्थः सङ्केतविषय इत्यतिविशेषभूतो वाक्यार्थान्तर्गतोऽसङ्केतितत्वादवाच्य एव यत्र पदार्थः प्रतिपद्यते तत्र द्वूरेऽर्थान्तरभूतस्य निशेषच्युतेत्यादौ विद्यादेशचर्चा। (का० प्र०, प० उ०, पू० २४५)।
 (ख) अनन्वितः पदार्थेऽभिहितान्वये अन्वितमात्रं त्वन्विताभिधाने तत्रैव सङ्केतोपपत्तेः अन्वितविशेषस्तूभयमतेऽप्यवाच्य एव। एवं च वाच्यत्वे का वर्त्ता वाच्यविपरीतात्मनो व्यञ्जनस्य। (श० व्या० वि०, पू० ३७)।

मीमांसकों के अनुसार सङ्केतग्रह अन्वितसामान्य में ही होता है अतः उसके बाद प्रतीत होने वाले व्यञ्जनार्थ के साथ निमित्त-नैमित्तिक भाव नहीं उपपन्न हो सकता।¹

भरतमुनि के रस-सूत्र के प्रसिद्ध व्याख्याकार भट्टलोल्लट कुमारिलभट्ट मतानुयायी मीमांसक थे। इन्होंने भी व्यञ्जनावृत्ति को नहीं माना। ये दीर्घीर्ध-अभिधावादी कहे जाते हैं² इसका आशय है कि जैसे एक ही बार छोड़े गये बाण से पहले शत्रु का कवच-भेदन होता है उसके पश्चात् वह बाण उसके वक्षस्थल में प्रविष्ट होता हुआ प्राणों का हरण कर लेता है। उसी प्रकार एक ही बार उच्चरित शब्द एक ही अभिधा शक्ति से सभी अर्थों का बोध करा देता है। एक अर्थ की प्रतीति के अनन्तर शब्दशक्ति का तब तक विराम नहीं होता जब तक वह विवक्षित अर्थ की प्रतीति नहीं करा लेता। मीमांसकों की एक उक्ति है- ‘यत्परः शब्दः स शब्दार्थः’। दीर्घदीर्घीर्धतर अभिधावादियों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि शब्द का वही अर्थ होता है जिसमें वक्ता का तात्पर्य हो।³

ममट ने इस मत के खण्डन के लिए मीमांसकों के सिद्धान्त का ही आश्रय लिया है इनके अनुसार दीर्घदीर्घीर्धतर व्यापार को मानने वाले मीमांसक ‘यत्परः - - -’ इत्यादि उक्ति का यथोचित अर्थ नहीं समझते हैं।⁴ मीमांसकों का यह मत है कि जहाँ सिद्ध (कारक या भूत) और साध्य (क्रिया या भव्य) एक साथ प्रयुक्त हों वहाँ सिद्ध पदार्थ साध्य अर्थात् क्रिया के लिए माना जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि विधि वाक्यों में जितना अंश पहले से अप्राप्त रहता है उतना ही अंश विधेय होता है अर्थात् उस वाक्य का उसी में तात्पर्य रहता है। उदाहरण स्वरूप श्येनयाग ज्योतिष्टोम याग का विकृति याग है जिसमें ‘लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति’ यह विधि वाक्य मिलता है। इस वाक्य में लोहितोष्णीषत्व ही विधेय है क्योंकि प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम में ‘सोष्णीषा विनीतवसना ऋत्विजः प्रचरन्ति’ वाक्य द्वारा उष्णीषत तथा ऋत्विकप्रचरण का विधान पहले ही हो चुका है। इसी प्रकार ‘दधा जुहोति’ वाक्य में दधि मात्र का विधान है क्योंकि हवन-क्रिया ‘अमिहोत्रं जुहोति’ इस वाक्य में विहित होने से पूर्व प्राप्त है। कभी-कभी एक

¹ - - - शब्दस्य प्रकाशकत्वात्र कारकत्वं ज्ञापकत्वं तु अज्ञातस्य कथं ज्ञातत्वं च सङ्केतेनैव स चान्वितमात्रे एवं च निमित्तस्य नियतनिमित्तत्वं यावत्र निश्चितं तावत्रैमित्तिकस्य प्रतीतिरेव कथमिति ‘नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्यन्ते’ इत्यविचारिताभिधानम्। (का० प्र०, प्र० उ०, पृ० २४७)।

² ये त्वभिदधति ‘सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरो व्यापारः’ इति ‘यत्परः शब्दः स शब्दार्थः’ इति च विधिरेवात्र वाच्य इति - - -। (का० प्र०, पृ० २४८)।

³ ‘यत्परः शब्दः स शब्दार्थः’ इति व्यञ्जनाभिमतोऽपि तात्पर्यात् कथं न वाच्यः। (श० व्या० वि०, पृ० ३७)।

⁴ - - - तेऽप्यतात्पर्यज्ञास्तात्पर्यवाचोयुक्तेर्देवानांप्रियाः। (का० प्र०, पृ० २४८)।

वाक्य के सभी अर्थ पहले से अप्राप्त होने के कारण विधेय होते हैं। जैसे 'रक्तं पटं वय' इस लौकिक वाक्य को किसी जुलाहे से पहली बार ही कहा जाये तो इसमें रक्तत्व, पटत्व तथा वयनव्यापार तीनों ही विधेय होंगे।^१

इस प्रकार 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इस उक्ति का मीमांसा-शास्त्र के अनुसार यही निर्गतितार्थ है कि वाक्य के विधेय अंश में ही उसका तात्पर्य होता है^२ और वह वाक्योपात्त में शब्द में ही होता है। अर्थात् जिस अर्थ में तात्पर्य होता है उसका वाचक शब्द वाक्य में अवश्य उपात्त होता है। व्यङ्गचार्य का बोधक कोई भी शब्द वाक्य में गृहीत नहीं होता अतः उसे तात्पर्यार्थ नहीं माना जा सकता यदि वाचक शब्द का ग्रहण किये विना किसी प्रकार से प्रतीत होने वाले अर्थ मात्र में तात्पर्य मान लिया जाये तब 'पूर्वो धावति' कहने पर 'अपर' इस अर्थ की भी प्रतीति होने लगेगी। अर्थात् अनभिप्रेत अर्थ में भी तात्पर्य होने लगेगा। अतः व्यङ्गचार्य को तात्पर्य का विषय मानकर उसे वाच्यार्थ मान लेना युक्तिसङ्कृत नहीं है।

दीर्घदीर्घतरअभिधावादियों का खण्डन करते हुए लोचनकार एक प्रश्न उठाते हैं कि यदि शब्द का ही दीर्घदीर्घतर व्यापार होता है तो सब व्यापारों को हम एक ही व्यापार कैसे मान सकते हैं? क्योंकि समस्त व्यापारों में उनके विषय बदल जाते हैं। विषय के साथ-साथ उनके सहकारी भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं अर्थात् अभिधा का सहकारी सङ्केतग्रह होता है, लक्षणा का मुख्यार्थबाध तथा व्यञ्जना का वक्तृवैशिष्ट आदि। इस प्रकार उसमें भी विभिन्न व्यापारों को असजातीय ही मानना होगा और असजातीयता स्वीकार कर लेने पर शब्द की पृथक्-पृथक् वृत्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं।^३

- ^१ (क) 'भूतभव्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते' इति कारकपदार्थः क्रियापदार्थनान्वीयमानाः प्रधानक्रियानिर्वर्तकस्वक्रियाभिसम्बन्धात् साध्यायमानतां प्राप्नुवन्ति। ततश्चादभ्यदहनन्यायेन यावदप्राप्तं तावद्विधीयते। यथा ऋत्विक्प्रचरणे प्रमाणान्तरात्सिद्धेलोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ती' यत्र लोहितोष्णीषत्वमात्रं विधेयं हवनस्यान्यतः सिद्धे: 'दध्ना जुहोती' त्यादौ दध्यादेः करणत्वमात्रं विधेयम्। क्वचिदुभयविधिः क्वचित् त्रिविधिरपि यथा रक्तं पटं वयेत्यादौ एकविधिर्द्विविधिस्त्रिविधिर्वा। (का० प्र०, प्र० उ०, पृ० २४८-२४६)।
 (ख) इह सर्वाण्येव कारकाणि कारकत्वात् सव्यापाराणीति साध्यायमानानि अतो 'भूतभव्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते' इत्यदभ्यदहनन्यायेन यावदविहितं तावद् विधीयते इति क्वचित् कारकपदार्थोऽपि विषयो भवति। यथा दध्ना जुहोति पयसा जुहोतीति। (श० व्या० वि०, पृ० ३७)।

^२ ततश्च यदेव विधेयं तत्रैव तात्पर्यमित्युपात्तस्यैव शब्दस्यार्थं तात्पर्यत्र तु प्रतीतमात्रे। एवं हि पूर्वो धावतीत्यादावपरादर्थोऽपि क्वचित्तात्पर्यं स्यात्। (का० प्र०, पृ० २४६)।

^३ योऽप्यचिताभिधानवादी 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' इति हृदये गृहीत्वा शरवदभिधाव्यापारमेव दीर्घदीर्घमिच्छति तस्य यदि दीर्घो व्यापारस्तदेकोऽसाविति कुतः? भिन्नविषयत्वात्। अथानेकौडसौ तद्विषयसहकारिभेदादसजातीय एव युक्तः। सजातीये च कार्ये विरम्यव्यापारः शब्दकर्मबुद्धचादीनां पदार्थविद्धः निषिद्धः। असजातीये चास्मन्त्रय एव। (ध० ल००, प्र० उ०, पृ० ६४)।

मीमांसकों की ओर से मम्मट ने पुनः एक शङ्का उठाई है कि 'विषं भक्षय मा चास्य गृहे भुड्कथा' इस वाक्य का तात्पर्य है 'एतद्गृहे न भोक्तव्यम्' किन्तु इस अर्थ का वाचक कोई भी शब्द वाक्य में नहीं है। अतः उपात्त शब्द के ही अर्थ में तात्पर्य नहीं होता। मम्मट ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है कि 'विषं भक्षय- - -' वाक्य का तात्पर्य 'मा चास्य गृहे भुड्कथा' इस उपात्त शब्दों के अर्थ में ही है। किसी मित्र का वाक्य होने से पूरे वाक्य का यही अर्थ निकलता है कि 'इसके घर भोजन करना विष भक्षण से भी अधिक दोषयुक्त है अतः 'इसके घर भोजन नहीं करना चाहिए' यह अर्थ उपात्त शब्दों से ही निकलता है।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों को भिन्न-भिन्न वाक्य भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि दोनों वाक्यों में परस्पर अङ्गाङ्गभाव रूप अन्वय छिपा है जो कि 'च' इस समुच्चय बोधक पद द्वारा स्पष्ट प्रतीत हो रहा है।^१

दीर्घदीर्घतर-अभिधावादियों के खण्डन में मम्मट ने एक यह भी तर्क दिया है कि यदि शब्द के श्रवणान्तर प्रतीत होने वाले सभी अर्थों की प्रतीति में अभिधा व्यापार ही माना जाये तब 'ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः कन्या ते गर्भिणी, इत्यादि वाक्यों से उत्पन्न हर्ष एवं शोक को भी वाच्यार्थ क्यों नहीं मान लिया जाता ? व्यञ्जनावादी यहाँ हर्ष, शोकादि की प्रतीति व्यञ्जना से मानेंगे। मुकुलभट्ट ने इसकी प्रतीति आक्षेप से दर्शाया है^२

इसके अतिरिक्त यदि दीर्घदीर्घतरअभिधा से ही सभी अर्थों का बोध हो सके तब लक्षणा को भी मानना निर्थक है। मीमांसकों ने व्यञ्जना को न मानते हुए भी लक्षणा तो माना ही है^३

मीमांसा-दर्शन में श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण स्थान और समाख्या इन छः प्रमाणों के एक साथ उपस्थित होने तथा उनमें विरोध का अवसर आने पर पूर्व-पूर्व प्रमाण की अपेक्षा पर प्रमाण दुर्बल माने जाते हैं। सभी अर्थों को अभिधेय मानने पर उन्हें समकक्ष मानना पड़ेगा और बलाबल का निर्धारण सम्भव नहीं हो सकेगा। अतः सभी अर्थों को अभिधेय नहीं माना जा सकता।^४

मीमांसा-दर्शन को मान्य उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार तथा प्रयोग, इन चार प्रकार की विधियों में अङ्ग एवं अङ्गी के सम्बन्ध की बोधक विधि को ही विनियोग विधि कहते हैं। श्रुति इत्यादि इसी विनियोग विधि के सहायक छः-

^१ यतु विषं भक्षय मा चास्य गृहे भुड्कथा: इत्यत्र 'एतद्गृहे न भोक्तव्यमित्यत्र तात्पर्यमिति स एव वाक्यार्थ' इति । (का० प्र०, पृ० २५०)।

^२ यदि च शब्दश्रुतेरनन्तरं यावानर्थो लभ्यते तावति शब्दस्याभिधैव व्यापारः ततः कर्त 'ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः; ब्राह्मण कन्या ते गर्भिणी' त्यादौ हर्षशोकादीनामपि न वाच्यत्वम् ? (का० प्र०, पृ० २५१)।

^३ कस्माच्च लक्षणा लक्षणीयेऽप्यर्थे दीर्घदीर्घतराभिधाव्यापारेणैव प्रतीतिसिद्धेः। (का० प्र०, पृ० २५१-२५२)।

^४ किमिति च श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-सामाख्यानां पूर्वपूर्वबलीयस्त्वम् ? इत्यन्विताभिधानवादेऽपि विवेरपि सिद्धं व्यञ्जयत्वम्। (का० प्र०, पृ० २५२)।

प्रमाण हैं। इस प्रसङ्ग में यह जैमिनि सूत्र है - 'श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम् अर्थविप्रकर्षात्' (जै० सू०, ३ . ३ . १४)। इसका तात्पर्य यह है कि इन श्रुति आदि के एक साथ प्राप्त होने पर पूर्व प्रमाण परवर्ती प्रमाण की अपेक्षा प्रबल माना जाएगा। उदाहरणार्थ - अभिहोत्र प्रकरण में एक ऋचा है- 'कदाचन स्तरीरसी नेन्द्र सश्वसि दाशुषे' यहाँ यह सन्देह होता है कि इसका विनियोग इन्द्र के उपस्थापन में हो अथवा गार्हपत्यान्नि में ? ऐन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते' इस श्रुति प्रमाण से उपर्युक्त ऋचा का विनियोग गार्हपत्यान्नि के उपस्थापन में प्राप्त होता है, किन्तु लिङ्ग प्रमाण के अनुसार इसका विनियोग इन्द्रोपस्थापन में होना चाहिए। 'गार्हपत्य' पद का लक्षण से 'गार्हपत्यसमीपे' यह अर्थ होगा। इस प्रकार से दोनों श्रुतियों में विरोध उपस्थित होने पर श्रुति प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण परवर्ती होने के कारण बाधित हो जाता है तथा गार्हपत्यान्नि का ही उपस्थापन होता है।^१

व्यञ्जनार्थ को तात्पर्यविषयीभूत मानकर उसे वाच्यार्थ सिद्ध करने वाले मीमांसकों के खण्डन में मम्मट ने एक यह भी तर्क उपस्थित किया कि असुन्दर नामक गुणीभूतव्यञ्जन के भेद में वाच्यार्थ व्यञ्जनार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारयुक्त होता। वहाँ व्यञ्जनार्थ की उपस्थिति तो रहती है किन्तु वाच्यार्थ में ही चमत्कार की चरम विश्रान्ति होती है। ऐसे स्थलों में व्यञ्जनार्थ को तात्पर्यविषयीभूत मानकर अभिषेय नहीं कहा जा सकता अतः अभिधा से भिन्न व्यञ्जना शक्ति को मानना ही होगा।^२ उपर्युक्त सभी तर्कों में यह तर्क सर्वाधिक सशक्त है।

मम्मट ने साहित्यशास्त्र में भी व्यञ्जना की अनिवार्यता को सिद्ध किया है। काव्य में शब्दों के परस्परपरिवर्तन से कभी-कभी दोष आ जाता है अतः ऐसे शब्दों के प्रयोग त्याज्य होते हैं। जैसे- 'कुरु रुचिम्' इन दोनों पदों को परस्पर परिवर्तित कर देने से जिस असभ्यार्थ की प्रतीति होती है वह अभिषेय नहीं है। यदि अभिधा के अतिरिक्त और कोई व्यापार न होता तब इस प्रकार का अर्थ कभी भी प्रतीत नहीं होता तथा ऐसे प्रयोग काव्य में वर्जित न होते।^३

साहित्यशास्त्र में नित्य एवं अनित्य दो प्रकार के दोष माने गये हैं। दोष रस के ही अपकर्षक होते हैं और रस सदा ही व्यञ्जन होता है। असाधुत्वादि दोष प्रत्येक रस के अपकर्षक होने के कारण नित्य दोष कहे जाते हैं तथा 'श्रुति कटुत्वादि' दोष शृङ्खर-करुण आदि कोमल रसों में तो दोष माने जाते हैं किन्तु रौद्र, भयानक आदि रसों में नहीं, अतः इन्हें अनित्य दोष कहा जाता है। दोषों के इस नित्यानित्य-विभाग को भी मम्मट व्यञ्जना सिद्धि में सहायक

^१ का० प्र०, बा० ब००, पृ० २३४।

^२ किं च वाणीरकुडभित्यादौ प्रतीयमानमर्थमभिव्यज्य वाच्यं स्वरूपे एव यत्र विश्राम्यति तत्र गुणीभूतव्यञ्जनेऽतात्पर्यभूतोऽप्यर्थः स्वशब्दानभिषेयः प्रतीतिपथमवतरन् कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बतामिति। (का० प्र०, पृ० २६२-२६३)।

मानते हैं। इनके अनुसार यदि वाच्यवाचक भाव के अतिरिक्त व्यङ्ग्य-व्यञ्जकभाव न माना जाए तो दोषों का यह नित्य एवं अनित्य का विभाग उपपत्र नहीं हो सकता।^३ कष्टत्वादि दोष नित्य ही दोष अथवा नित्य ही अदोष होगे। व्यङ्ग्य-व्यञ्जक भाव को मान लेने पर व्यञ्जना से घोतित भिन्न-भिन्न रसों के अनुकूल या प्रतिकूल होने से दोषों को प्रसङ्गवश नित्य अथवा अनित्य कहा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त व्यञ्जनावृत्ति को न मानने पर वाचक रूप से सभी शब्दों का समान स्थान होने से किसी विशेष पद के प्रयोग से काव्य में विलक्षणता नहीं उत्पन्न हो सकती। ममट ने कुमारसंभव के एक श्लोक का अंश उद्धृत किया है -

द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः। (कु० सं०, ७८/५)

इस श्लोक में शिव के अनेक पर्यायवाची पदों के होते हुए भी 'कपाली' पद से ही काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। इसी पद से उक्त प्रसङ्ग के अनुकूल जुगुप्सा भाव की व्यञ्जना हो रही है। अभियेयता की दृष्टि से तो 'पिनाकी' 'कपाली' दोनों ही शब्द समान हैं।

वाच्य अर्थ से व्यङ्ग्यार्थ की विलक्षणता सिद्ध करते हुए ममट यह तर्क भी देते हैं कि वाच्यार्थ तो सभी ज्ञाताओं के प्रति एकरूप होता है। अर्थात् उसका स्वरूप निश्चित होता है। किन्तु व्यङ्ग्यार्थ तत् तत् प्रकरण के वक्ताबोद्धव्यादि की सहायता से नानाविधि हो जाता है। जैसे-'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादि वाक्य का वाच्यार्थ हर दशा में एक ही होगा किन्तु इसके व्यङ्ग्यार्थ अनेक हो सकते हैं।^४

वाच्य से व्यङ्ग्य का ऐद निम्नलिखित कारणों से भी सिद्ध किया जा सकता है -

१- वाच्य से व्यङ्ग्य का स्वरूप भिन्न होता है। जैसे कहीं वाच्यार्थ निषेध रूप होता है, किन्तु व्यङ्ग्यार्थ विधि रूप। कहीं वाच्यार्थ संशय रूप होता है तो व्यङ्ग्यार्थ निश्चय रूप। इसी प्रकार कभी कभी वाच्य के निन्दा रूप होने पर व्यङ्ग्य का स्वरूप स्तुतिरूप होता है जैसे व्याजस्तुति अलङ्कार में।

^३ किञ्च कुरु रुचिम् इति पदयोर्वेपरीत्ये काव्यान्तर्वर्तिनि कथं दुष्टत्वं न ह्यत्रासम्योऽर्थः पदार्थान्तरैरन्वित इत्यनभिधेय एवेति एवमादि, अपरित्याज्य स्यात्। (का० प्र०, पृ० २५६)।

^४ यदि च वाच्यवाचकत्वव्यतिरेकेण व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावो नाभ्युपेयते तदाऽसाधुत्वादीनां नित्यदोषत्वं कष्टत्वादीनामनित्यदोषत्वभिति विभागकरणमनुपपत्रं स्यात्। (का० प्र०, पृ० २५६)।

^५ अपि च वाच्योऽर्थः सर्वान् प्रतिपत्तृन् प्रति एकरूप एवेति नियतोऽसौ। न हि 'गतोऽस्तमर्कः' इत्यादौ वाच्योऽर्थः क्वचिदन्यथा भवति। प्रतीयमानस्तु तत्त्वप्रतिपत्तिपत्रादिविशेषसहायतया नानात्वं भजते। (का० प्र०, पृ० २५८)।

- २- काल की दृष्टि से भी वाच्य व्यङ्ग्य में भेद होता क्योंकि वाच्यार्थ पहले प्रतीत होता है और व्यङ्ग्यार्थ बाद में।
- ३- वाच्यार्थ केवल शब्दाश्रित होता है और व्यङ्ग्यार्थ शब्द, उसके एकदेश, अर्थ, वर्ण, संघटना आदि के आश्रित होता है, अतः दोनों के आश्रय भी भिन्न-भिन्न होते हैं।
- ४- वाच्य एवं व्यङ्ग्य में निमित्त का भी भेद होता है क्योंकि वाच्यार्थ ज्ञान शब्दानुशासन से होता है तथा व्यङ्ग्यार्थ-प्रतीति प्रकरणादि की सहायता तथा प्रज्ञानैर्मत्यादि से होती है।
- ५- वाच्य तथा व्यङ्ग्य अर्थों का कार्य भी भिन्न-भिन्न होता है क्योंकि वाच्यार्थ प्रतीतिमात्र का जनक होता है किन्तु व्यङ्ग्यार्थ सहदय के हृदय में चमत्कारोत्पादन भी करता है।
- ६- वाच्यार्थ के ज्ञाता को बोच्छा तथा व्यङ्ग्यार्थ के प्रतिपत्ता को विदश्य कहा जाता है। ये भिन्न सर्जाएँ भी वाच्य व व्यङ्ग्य-भेद को सिद्ध करती हैं।
- ७- वाच्यार्थ एवं व्यङ्ग्यार्थ में संख्या का भी भेद होता है। जैसे 'गतोऽस्तमक' में वाच्यार्थ तो एक है किन्तु व्यङ्ग्यार्थ अनेक।
- ८- कभी-कभी व्यङ्ग्य का विषय वाच्य के विषय से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे -
- कस्स वा ण होइ रोसो दट्ठूण पिआइ सव्वणं अहरं ।
- सभमरपडमध्याइणि वरिअवामे सहसु एण्हां।^१

इस उदाहरण में वाच्य का विषय नायिका है किन्तु व्यङ्ग्यार्थ के पति, उपपति, सखी इत्यादि अनेक विषय हो सकते हैं।

इस प्रकार वाच्यार्थ से व्यङ्ग्यार्थ की भिन्नता को स्वीकार करना ही होगा क्योंकि यदि इनमें कोई भेद न माना जाये तो संसार में किसी भी वस्तु का दूसरी वस्तु से कोई भेद नहीं माना जा सकता। नील एवं पीत में भी एक दूसरे से भिन्नता नहीं रहेगी। दो वस्तुओं में विरुद्ध धर्मों की प्रतीति तथा उनके कारणों में भेद ही उन दोनों की भिन्नता का हेतु है^२

^१ का० प्र०, पृ० २५८-२६०।

^२ - - तत्कवचिदपि नीलपीतादै भेदो न स्यात्। उक्तं हि- 'अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा यद्विरुद्धधर्मार्थासः कारणभेदश्च'। (का० प्र०, पृ० २६९)।

वाचकों को सङ्केतित अर्थ की अपेक्षा होती है किन्तु व्यञ्जकों को उस अर्थ की अपेक्षा नहीं होती इसलिए वाचकता को ही व्यञ्जकता नहीं कहा जा सकता।

५. ३. २ लक्षण से व्यञ्जना का भेद

जिस प्रकार व्यञ्जनार्थ अभिधा से बोधित नहीं हो सकता उसी प्रकार उसे लक्षण से भी बोधगम्य नहीं माना जा सकता। किन्तु लक्षण में ही व्यञ्जना का अन्तर्भाव मानने वाले लक्षणावादियों का यह तर्क हो सकता है कि संख्या, प्रतीति, कालादि की दृष्टि से व्यञ्जना अभिधा से तो भिन्न है किन्तु व्यञ्जकता में पायी जाने वाले ये सभी हेतु लक्षण में भी उपलब्ध हैं, अतः व्यञ्जना को लक्षण से भिन्न नहीं माना जा सकता।

व्यञ्जनार्थ की ही भाँति लक्षणीय अर्थ भी अनेक प्रकार का हो सकता है। जैसे - 'रामोऽस्मि सर्वं सहे' 'रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेष्णः प्रिये नोचितम्', 'रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं पराम्' इत्यादि उदाहरणों में 'राम' शब्द का वाच्यार्थ तो एक ही है - दशरथ-पुत्र राम। किन्तु इनके लक्ष्यार्थ भिन्न-भिन्न हैं। व्यञ्जनार्थ के समान लक्ष्यार्थ में भी इस प्रकार की नानारूपता रहती ही है।^१

पूर्वपक्षी के इस तर्क के उत्तर में मम्पट कहते हैं कि यद्यपि लक्ष्यार्थ में भी अनेकरूपता रहती है किन्तु वह भी वाच्यार्थ की भाँति प्रायः नियतस्वरूप वाला ही होता है। उसकी यह नियतता इसलिए है कि मुख्यार्थ से असम्बद्ध अर्थ लक्ष्यार्थ नहीं हो सकता। किन्तु व्यञ्जनार्थ प्रकरणवशात् कहीं नियत सम्बन्ध वाला होता है, कहीं अनियत तो कहीं परम्परित सम्बन्ध वाला होता है।^२

लक्ष्यार्थ की प्रतीति में मुख्यार्थबाध होना आवश्यक है किन्तु व्यञ्जनार्थ के लिए मुख्यार्थबाध की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 'अत्ता एत्य - - -' इत्यादि उदाहरण में मुख्यार्थ के बाद सीधे व्यञ्जनार्थ का बोध होता है। इस

^१ ननु 'रामोऽस्मि सर्वं सहे' इति 'रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेष्णः प्रिये नोचितम्' इति 'रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं पराम्' इत्यादौ लक्षणीयोऽप्यर्थो नानात्मं भजते विशेषव्यपदेशहेतुश्च भवति तदवगमश्च शब्दार्थायतः प्रकरणादिस्वयपेक्षश्चेति कोऽयं नूतनः प्रतीयमानो नाम ? (का० प्र०, पृ० २६४)।

^२ लक्षणीयस्यार्थस्य नानात्वेऽपि अनेकार्थशब्दाभिधेयविनियतत्वमेव न खलु मुख्येनार्थेनाऽनियतसम्बन्धो लक्षयितुं शक्यते। प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिविषयवशेन नियतसम्बन्धः अनियतसम्बन्धः सम्बद्धसम्बन्धश्च द्योत्यते। (का० प्र०, पृ० २६४-२६५)।

प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य धनि में लक्षणा के न होने पर भी अभिधा के पश्चात् व्यञ्जना होती ही है। उपर्युक्त

उदाहरण में अभिधेयार्थ के बाद प्रतीत होने वाले विधि रूप अर्थ की प्रतीति में व्यञ्जना को मानना ही होगा।^१

लक्षणा में भी प्रयोजन की प्रतीति हेतु व्यञ्जना का अनिवार्यरूप से आश्रय लेना ही पड़ता है, इस दृष्टि से भी लक्षणा से व्यञ्जना की पृथकता सिद्ध होती है।^२

लक्षणा भी यद्यपि व्यञ्जना की ही भाँति शब्द एवं अर्थ दोनों का, आश्रय लेती है किन्तु लक्षणा 'अभिधा-पुच्छभूता' होती है क्योंकि जिस प्रकार अभिधा सङ्केतग्रह की अपेक्षा रखती है उसी प्रकार लक्षणा भी मुख्यार्थबाधादि हेतुओं के अधीन है। यह भी एक प्रकार के सङ्केत के समान ही है।

व्यञ्जना की प्रवृत्ति लक्षणा के बाद ही होती है अतः व्यञ्जना-व्यापार को लक्षणात्मक नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त व्यञ्जना सदा लक्षणा से अनुगत नहीं होती क्योंकि अनेकार्थक शब्दों के स्थल में वह केवल अभिधा के बाद ही होती है। कहीं-कहीं व्यञ्जना ऐसे स्थलों पर भी होती है जहाँ अभिधा एवं लक्षणा का प्रसङ्ग नहीं होता। जैसे निरर्थक वर्णों, नेत्र कटाक्षादि के द्वारा होने वाली व्यञ्जना।^३ इस प्रकार मम्ट ने विभिन्न तर्कों से यह सिद्ध किया कि अभिधा लक्षणा तथा तात्पर्य से भिन्न व्यञ्जना शक्ति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

मम्ट से पूर्व आचार्य आनन्दवर्धन ने भी भाँति-भाँति के तर्कों से व्यञ्जना की लक्षणा से पृथकता सिद्ध की।^४ इस विषय में मम्ट का मत पूर्णतः आनन्दवर्धन के मत पर ही आधारित है।

५. ३. ३ अखण्डार्थवादियों का खण्डन

ब्रह्म को ही परम् तत्त्व मानने वाले वेदान्तियों के अनुसार वाच्य अखण्ड होता है। सम्पूर्ण वाच्य ही वाचक

^१ न च अत्ता एत्य - - - इत्यादौ विवक्षितान्यपरवाच्ये धनौ मुख्यार्थबाधः। तत्कथमत्र लक्षणा? (का० प्र०, पृ० २६५)।

^२ लक्षणायामपि व्यञ्जनमवश्यमाश्रयितव्यमिति प्रतिपादितम्। (का० प्र०, पृ० २६५)।

^३ न च लक्षणात्मकमेव ध्वनन् तदनुगमेन तस्य दर्शनात्। न च तदनुगतमेव अभिधात्मभनेनापि तस्य भावात्। न चोभयानुसार्येव अवाचकवर्णनुसारेणापि तस्य दृष्टे। न च शब्दानुसार्येव अशब्दात्मकनेत्रत्रिभागावलोकनादिगतत्वेनापि तस्य प्रसिद्धेः। (का० प्र०, पृ० २६५-२६६)।

^४ (क) रूपभेदस्तावदयं-यदमुख्यतया व्यापारो गुणवृत्तिग्रसिद्धा। व्यञ्जकत्वं तु मुख्यतयैव शब्दस्य व्यापारः - - अयं चान्यः स्वरूपभेदः यद्गुणवृत्तिरमुख्यत्वेन व्यवस्थितं वाचकत्वमेवोच्यते। व्यञ्जकत्वं तु वाचकत्वादत्यन्तं विभिन्नमेव। (ध०, तृ० उ०, पृ० ३९६-३९७)।

(ख) विषयभेदोऽपि गुणवृत्तिव्यञ्जकत्वयोः स्पष्ट एव। यतो व्यञ्जकत्वस्य रसादयोऽलङ्कारविशेषा व्यञ्जयस्तु वस्तु चेति त्रयं विषयः। (ध०, तृ० उ०, पृ० ३२९)।

होता है तथा उसका वाक्यार्थ ही वाच्य कहलाता है। वेदान्तियों को 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म', 'तत्त्वमसि' इत्यादि वाक्य अखण्ड रूप से हीं अखण्ड ब्रह्म का बोध कराते हैं। इस अखण्डबुद्धि के उत्पन्न होने पर वाक्य में पृथक्-पृथक् पद एवं उसके अर्थ का कोई महत्व नहीं होता। अर्थात् वाक्य में इनका कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं होता। पद-पदार्थादि की कल्पना मिथ्या है वह अविद्या के कारण ही प्रतीत होते हैं। अखण्डवाक्य ही पारमार्थिक सत्य है।

अखण्ड-वाक्यार्थवाद के इस सिद्धान्त के अनुसार अभिद्या, लक्षणा, व्यञ्जना आदि की भी कोई सत्ता नहीं मानी जा सकती। किन्तु मम्ट के अनुसार वेदान्तियों की यह अखण्ड बुद्धि व्यवहार के स्तर पर नहीं हो सकती। अविद्या दशा में आकर पद पदार्थ की कल्पना करनी ही पड़ती है। इस प्रकार जहाँ पद-पदार्थ का प्रसङ्ग आएगा वहाँ 'निशेषच्युत- - -' इत्यादि उदाहरण में विधि रूप प्रतीयमानार्थ के बोध में अभिद्या, लक्षणा के अक्षम रहते हुए व्यञ्जनावृत्ति की सत्ता को भी अवश्य स्वीकार करना होगा।' आचार्य भर्तृहरि ने भी वाक्य तथा वाक्यार्थ की आखण्डता का प्रतिपादन किया है। यद्यपि वर्ण स्फोट तथा वाक्यस्फोट के रूप में वर्ण तथा पद भी अर्थवान् माने जाते हैं। किन्तु वाक्य स्फोट में ही अर्थों के प्रतिपादन का सामर्थ्य होता है। वाक्यार्थ ही अखण्ड इकाई है। जैसे 'ब्राह्मणकम्बल' कहने पर ब्राह्मणसम्बन्धी कम्बल की प्रतीति होती है, ब्राह्मणरूप अर्थ की नहीं। उससे सम्बन्धित विशिष्टकम्बल की अखण्डरूप से प्रतीति होती है। इसी प्रकार 'देवदत्तो गच्छति' वाक्य में देवदत्तसम्बन्धी गमन की अखण्डप्रतीति होती है। खण्डभूत देवदत्त आदि वाक्य में अनर्थक होते हैं। इसी प्रकार वाक्यार्थ भी अखण्ड ही होता है।

'ब्राह्मणार्थो यथा नास्ति कश्चिद् ब्राह्मणकम्बले।

देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युरनर्थकाः।' (वा० प०, २/१४)

वाक्यार्थ की इस अखण्डता का प्रतिपादन करते हुए भी भर्तृहरि ने लोकव्यवहार के निर्वाह के लिए वाक्य का वर्णों एवं पदों में विभाजन स्वीकार किया है -

अविभक्तेऽपि वाक्यार्थे शक्तिभेदादपोद्धृते।

वाक्यान्तरविभागेन यथोक्तं न विरुद्धते॥ (वा० प०, २/८८)

¹ 'अखण्डबुद्धिनिर्ग्राहो वाक्यार्थ एव वाच्यः वाक्यमेव च वाचकम्' इति येऽप्याहुः तैरप्यविद्यापदपतितैः पदपदार्थकल्पना कर्त्तव्यवेति तत्पक्षेऽप्यवश्यमुक्तोदाहरणादौ विद्यादिर्व्यङ्ग्य एव। (का० प्र०, पृ० २६७)।

‘काव्यप्रकाश’ की प्रदीप, सारबोधिनी, बालबोधिनी इत्यादि टीकाओं में मम्पटकृत अखण्डवाक्यार्थवाद की आलोचना को वेदान्तियों का खण्डन माना गया है, तो ‘प्रभा’ आदि टीकाओं में इसे शब्दब्रह्मवादी वैयाकरणों की आलोचना मानी गई है।

वस्तुतः मम्पट की यह आलोचना सामान्य रूप से अखण्डवाक्यार्थवाद की है। चौंकि इस सिद्धान्त को वेदान्तियों के साथ-साथ वैयाकरणों ने भी माना है अतः इसे दोनों का खण्डन मानने में कोई विरोध नहीं है।

५. ३. ४ अनुमितिवाद का खण्डन

अभिधावादी भीमांसकों, लक्षणावादियों तथा वैयाकरणों के मत से सम्भावित व्यञ्जना-विरोधी युक्तियों का खण्डन कर मम्पट ने अन्त में अनुमितिवादी उस मन्यता का खण्डन किया है जिसमें शब्द की व्यञ्जकता को लिङ्गतारूप मान कर व्यञ्जनार्थ प्रतीति को अनुमेय सिद्ध किया गया है।

कुछ टीकाकार मम्पट के इस खण्डन को नैयायिक महिमभट्ट के मत का खण्डन मानते हैं^१ महिमभट्ट आनन्दवर्धन के परवर्ती आचार्य थे। आनन्दवर्धन ने भी अपने ग्रन्थ में व्यञ्जनार्थ को अनुमानगम्य मानने का खण्डन किया है^२ इससे सिद्ध है कि महिमभट्ट के पूर्व भी व्यञ्जनार्थ को अनुमानगम्य मानने के मत की उद्घावना हो चुकी थी। मम्पट के खण्डन की तो यह शैली ही रही है कि इन्होंने किसी भी आचार्य अथवा परम्परा का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया है। इसी कारण सम्भवतः महिमभट्ट के ही विचारों का खण्डन करते हुए भी मम्पट ने अनुमितिवाद के प्रसङ्ग में इनका उल्लेख नहीं किया है। चौंकि ‘अनुमानवाद’ महिमभट्ट के नाम से ही जाना जाता है, अतः मम्पटकृत खण्डन इन्हों का माना जा सकता है।

महिमभट्ट ने ‘वाच्यो हि अर्थो न तथा स्वदते यथा स एव प्रतीयमानः’ कहकर प्रतीयमान अर्थ की सत्ता को तो स्वीकृति दी है किन्तु उसे ये व्यञ्जना नामक शब्दशक्तिविशेष से बोधित न मानकर अनुमान प्रमाण का विषय

^१ ‘अनुमानाद्व्यञ्चप्रतीतिः’ इति न्यायाचार्यव्यक्तिविवेकग्रन्थकृन्महिमभट्टमतं निराकर्तुमाशङ्कते नन्वित्यादिना विरुद्धोपलब्धिः इत्यन्तेन। (का० प्र०, बा० बो० पृ० २५२)।

^२ (क) ब्रूयात्-अस्त्यतिसन्धानावसरः व्यञ्जकत्वं शब्दानां गमकत्वं तच्च लिङ्गत्वमतश्च व्यञ्जनाप्रतीतिरितिर्लिङ्गप्रतीतिरेवेति लिङ्गलिङ्गभाव एव- -। (ध०, तृ० उ०, पृ० ३६०)।
(ख) तस्माल्लिङ्गप्रतीतिरेव सर्वत्र व्यञ्जनाप्रतीतिरिति न शक्यते वक्तुम्। (ध०, तृ० उ०, पृ० ३६६)।

मानते हैं^१ इन्होंने अभिधा को ही एकमात्र शब्द की शक्ति मानी है^२ वाच्यार्थ के अतिरिक्त प्रतीत होने वाला सभी अर्थ अनुमेय होता है।

अनुमान वह प्रमाण है जिसमें किसी प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान होता है^३ अनुमान की प्रक्रिया में व्याप्ति एवं पक्षधर्मता दो मुख्य अंश होते हैं। जिस प्रत्यक्ष वस्तु द्वारा अनुमान कराया जाता है वह हेतु अथवा लिङ्ग कहलाता है^४ तथा जिसका अनुमान होता है वह साध्य है। इसी हेतु तथा साध्य के नियत साहचर्य को व्याप्ति कहते हैं^५ जहाँ-जहाँ धृुआ होता है वहाँ-वहाँ अभिन्न होती यही नियत साहचर्य है। व्याप्ति-ज्ञान के विना अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान का दूसरा मुख्य अंश है पक्षधर्मता। सन्दिव्यसाध्यवान् पक्ष कहलाता है और पक्ष में हेतु की उपस्थिति को ही पक्षधर्मता कहते हैं।

ममट ने अनुमानवादियों के खण्डन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम उनका पक्ष रखा है- वाच्य से असम्बद्ध अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा होने पर किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति होने लगेगी अतः यह मानना ही होगा कि व्यञ्जन्यार्थ वाच्यार्थ से सम्बद्ध ही होता है। इस प्रकार व्यञ्जन्य-व्यञ्जक भाव भी व्याप्ति पर ही आधारित होता है। व्याप्तियुक्त होने तथा नियतधर्मी में रहने से व्यञ्जना का अनुमान में ही अन्तर्भाव हो जाता है^६ जैसे -

भम धम्मिअ वीसद्धो सो सणुओ अज्ज मारिओ तेण

गोलाण्डकच्छकुड़ज्ञवासिणा दरिअसीहेण॥

इस उदाहरण में वाच्यार्थ विधि रूप है किन्तु निषेध रूप अर्थ प्रतीयमान है। प्रकट में तो नायिका धार्मिक से कुत्ते के मारे जाने की घटना बताकर निशङ्क भ्रमण के लिए कह रही है, यही विधिरूप अर्थ वाच्यार्थ है, किन्तु वस्तुतः वह कुत्ते से भयभीत होने वाले धार्मिक को गोदावरी तट पर सिंह की उपस्थिति की सूचना देकर भ्रमण का निषेध कर रही है। यही अर्थ प्रतीयमान है।

^१ अनुमानेऽन्तर्भावं सर्वस्यैव ध्वनेः प्रकाशयितुम्

व्यक्तिविवेकं कुरुते प्रणम्य महिमा परां वाचम् । (व्य० वि०, ७/९, पृ० ७) ।

^२ नायि शब्दस्याभिधाव्यतिरेकेण व्यञ्जकत्वं व्यापारान्तरमुपपद्यते- - -। (व्य० वि०, पृ० १२७) ।

^३ लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्। (त० भा०, पृ० ७८) ।

^४ व्याप्तिबलेनार्थगमकं लिङ्गम्। (त० भा०, पृ० ७६) ।

^५ यत्र धूमस्तत्राभिनिरिति साहचर्यनियमो व्याप्तिः। (त० भा०, पृ० ७६) ।

^६ ननु वाच्यादसम्बद्धं तावत्र प्रतीयते यतः कुतश्चिद् यस्य कस्यचिदर्थस्य प्रतीतेः प्रसङ्गद- - - व्याप्तत्वेन

नियतधर्मिनिष्ठत्वेन च त्रिरूपालिङ्गलिङ्गज्ञानमनुमानं यत् तद्वूपः पर्यवस्थति। (का० प्र०, पृ० २६८-२६९) ।

महिमभट्ट ने 'व्यक्तिविवेक' में धनि के अनेक उदाहरणों की समीक्षा करते हुए उनमें प्रतीयमान अर्थ को अनुमेय सिद्ध किया है। उपर्युक्त उदाहरण को सर्वप्रथम उद्धृत किया गया है।

अनुमानवादी के अनुसार इस पद्य में विधिस्तर वाच्य तथा निषेध रूप प्रतीयमान अर्थों में धूम और अग्नि के समान ही साध्य-साधन भाव है।^३ इस अनुमान में 'गोदावरी का तट सिंह की उपस्थिति के कारण धार्मिक के भ्रमण के योग्य नहीं है' यह साध्य है तथा सिंह की उपस्थिति उसका हेतु है। जो जो स्थान भी रुओं के भ्रमण के योग्य होता है वह-वह भयकारण के अभाव के ज्ञानपूर्वक होता है, उदाहरण-स्वरूप घर, जहाँ भय का कारण न रहने से भ्रमण होता है। इस व्याप्ति से तट पर सिंह की उपलब्धि के ज्ञान द्वारा भ्रमण के अभाव का ज्ञान होता है। इसलिए व्यतिरेका अनुमान से निषेध रूप अर्थ की प्रतीति हो जाने से उसके लिए व्यञ्जना मानने की आवश्यकता नहीं है।

मम्मट ने इस प्रकार के अनुमान में हेत्वाभास दर्शाते हुए इसे दोषपूर्ण माना है। सिंह की उपस्थिति रूप हेतु में 'अनैकान्तिक' 'विरुद्ध' एवं 'असिद्ध' नामक हेत्वाभास है।

जहाँ-जहाँ भी भ्रमण होता है वहाँ-वहाँ भय के कारण का अभाव होता ही है ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है। कई स्थानों पर भय-जनक कारणों के उपस्थित रहते हुए भी भी व्यक्ति गुरु या स्वामी की आज्ञा अथवा प्रियानुराग के कारण भ्रमण करता ही है। इस प्रकार यहाँ हेतु के 'विपक्ष' में भी पाये जाने के कारण अनैकान्तिक हेत्वाभास है।^४

कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कुत्ते से डरते हैं किन्तु सिंह से नहीं अतः यह 'विरुद्ध' हेतु भी है।^५

इसके अतिरिक्त गोदावरी के तट पर सिंह की उपस्थिति का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। नायिका के वचन से ही सिंहोपस्थिति की सूचना मिल रही है वचन का अर्थ के साथ कोई प्रतिबन्ध निश्चित न होने से उसकी प्रामाणिकता नहीं होती। इस प्रकार पक्ष में हेतु की उपस्थिति ही संदिक्ष होने से यहाँ 'असिद्ध' हेत्वाभास भी है।^६

^३ तदेवं धनिलक्षणस्य तद्देदानां चानुमानेऽन्तर्भावमुपपाद्य सम्प्रति तदुदाहरणानां यथायोगं क्रमेणासावुपदश्यते। तत्र वस्तुमात्रस्य तावत् -

भम धम्मिअ - - - (व्य० वि०, तृ० वि०, पृ० ३६६)।

^४ अत्र हि द्वावर्थी वाच्यप्रतीयमानौ विधिनिषेधात्मकौ क्रमेण प्रतीतिपथमवतरतः तयोर्धूमाम्बोरिव साध्यसाधनभावेनावस्थानात्। - (व्य० वि०, तृ० वि०, पृ० ४००)।

^५ (क) अत्रोच्यते भीरुरपि गुरोः प्रभोर्वा निदेशेन प्रियानुरागेण अयेन वैवभूतेन हेतुना सत्यपि भयकारणे भ्रमतीत्यनैकान्तिको हेतुः। (का० प्र०, पृ० २७९)।

(ख) सव्यभिचारोऽनैकान्तिकः। - - - तत्र पक्षसप्तकविपक्षवृत्तिः साधारणः। (त० भा०, पृ० ११५)।

^६ (क) शुनो बिभ्यदपि वीरत्वेन सिंहान्न विभेतीति विरुद्धोऽपि। (का० प्र०, पृ० २७९)।

(ख) साध्यविपर्ययव्याप्तो हेतुर्विरुद्धः। (त० भा०, पृ० ११५)।

दोषयुक्त हेतु द्वारा 'भम धमिअ- - ' इत्यादि उदाहरण में निषेध रूप अर्थ को अनुमान द्वारा नहीं सिद्ध किया जा सकता। इसी प्रकार ध्वनि के अन्य उदाहरण भी हैं जिनमें प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति को अनुमेय नहीं कहा जा सकता।

'निशेषच्युतचन्दनं - - - ' इत्यादि उदाहरण में भी चन्दन-च्यवन आदि कारणों को उपभोग का अनुमापक नहीं सिद्ध किया जा सकता क्योंकि चन्दनच्यवनादि स्नान के कारण भी हो सकता है इसे अनुमान का हेतु मानने पर 'अनैकान्तिक' हेत्वाभास हो जाएगा।^३

व्यञ्जनावादियों के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में विधि रूप अर्थ की प्रतीति 'अधम' पद की सहायता द्वारा होती है। इस पद को अनुमिति का सहायक नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं हुआ है। कोपाकुलिता नायिका के कथन में कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ हेतु असिद्ध भी है। सम्भावना मात्र से व्यञ्जन व्रतीति तो हो सकती है किन्तु अनुमान नहीं किया जा सकता।^४

'शब्दव्यापारविचार' में मम्मट ने अनुमानवादियों का अतिसंक्षिप्त, किन्तु सारगर्भित खण्डन किया है- व्यञ्जनार्थ को अनुमेय नहीं कहा जा सकता क्योंकि वाच्य एवं व्यञ्जन अर्थ के मध्य व्याप्ति-ग्रहण का कोई प्रमाण नहीं होता। जिन प्रकरणादि सामग्री से व्यञ्जन व्रतीति होती है उसे किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता। ऐसा होना व्यञ्जन मानने वालों के लिए कोई दोष नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि व्यञ्जना शब्द की शक्ति है इसे अनुमान में अन्तर्भावित नहीं किया जा सकता। जहाँ अनुमान एवं प्रत्यक्ष कार्य नहीं करता वहीं शब्द की उपयोगिता होती है।^५

इस प्रकार मम्मट ने व्यञ्जनाविरोधी जितने भी पक्ष सम्बन्ध हो सकते थे, सबका सूक्ष्मता से विश्लेषण कर उनका खण्डन किया और शब्द की एक शक्ति के रूप में व्यञ्जनावृत्ति की सुदृढ़ स्थापना की। विश्वनाथ, हेमचन्द्र, पण्डितराज जगन्नाथ आदि ऐसे परवर्ती आचार्यों ने भी इनके विचारों से प्रभावित होते हुए व्यञ्जना को ही काव्य की

^१ (क) गोदावरीतेरे सिंहसद्धावः प्रत्यक्षादनुमानाद्वा न निश्चितः अपितु वचनात् न च वचनस्य प्रामाण्यमस्ति अर्थेनाप्रतिबन्धादित्यसिद्धश्च। तत्कथमेवविधाद्येतोः साध्यसिद्धिः। - (का० प्र०, पृ० २७९)।
^(ख) तत्र लिङ्गत्वेनानिश्चितो हेतुरसिद्धिः। (त० भा०, पृ० ९९९)।

^२ तथा निशेषच्युतेत्यादौ गमकतया यानि चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि तानि कारणात्तरतोऽपि भवति अतश्चात्रैव स्नानकार्यत्वेनोक्तानीति नोपभोगे एव प्रतिबन्धानीत्यनैकान्तिकानि। (का० प्र०, पृ० २७२)।

^३ व्यक्तिवादिना चाधमपदसहायानामेषां व्यञ्जकत्वमुक्तम्। न चात्राधमत्वं प्रमाणप्रतिपन्नमिति कथमनुमानम्। एवंविधादर्थादिर्वोद्धोऽर्थं उपपत्त्यनपेक्षत्वेऽपि प्रकाशते इति व्यक्तिवादिनः पुनरस्तद् अदूषणम्। (का० प्र०, पृ० २७२)।

उत्कृष्टता का कारण माना। विश्वनाथ ने रस को ही काव्य की आत्मा कहा है। रस की व्यङ्ग्यता का तो कथमपि निषेध नहीं किया जा सकता। ममट ने व्यङ्ग्य की प्रधानता, अप्रधानता को आधार बनाकर काव्य के उत्तम, मध्यम एवं अधम भेद किये हैं। विश्वनाथ ने ध्वनि तथा गुणीभूतव्यङ्ग्य के नाम से काव्य की दो श्रेणियाँ मानी हैं। पण्डितराजजगन्नाथ ने काव्य की चार कोटियाँ मानीं जिनमें उत्कृष्ट व्यङ्ग्यार्थ युक्त ध्वनि नामक काव्य उत्तमोत्तम काव्य कहलाता है। गुणीभूतव्यङ्ग्य को इन्होंने उत्तमकोटि का काव्य कहा है तथा ममट के अधम काव्य के शब्दचित्र एवं अर्थचित्र नामक भेद को पण्डितराज ने क्रमशः मध्यम एवं अधम काव्य कहा है।

¹ न तु व्यङ्ग्यमनुमेयमिति शक्यं वकुं न हि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्रतिबन्धग्रहे किञ्चित् प्रमाणं क्रमते।
प्रकरणादिसामग्रीमन्तरे इन व्यङ्ग्यम्। न च सा प्रमाणगोचरा। (श० व्या० विं०, पृ० ३८)।

उपसंहार

मुकुलभट्ट की 'अभिधवृत्तिमातृका' एवं आचार्य ममट के 'शब्दव्यापारविचार' की तुलनात्मक समीक्षा के अनन्तर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'अभिधवृत्तिमातृका' शब्दशक्तिविषयक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इसमें मीमांसा, व्याकरण आदि शास्त्रों से सम्बन्धित विचारों का समावेश होते हुए भी मुकुलभट्ट ने सबसे पृथक् अपना अलग ही मत स्थापित किया है। 'शब्दव्यापारविचार' को 'अभिधवृत्तिमातृका' की प्रतिक्रिया में बना हुआ आलोचनात्मक ग्रन्थ कहा जा सकता है। इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही ममट ने इसका उद्देश्य स्पष्ट किया है-

‘शब्दस्य चार्थप्रतिपत्तिलक्षणकार्यान्यथानुपपत्त्या कारकत्वात् कल्प्यमानो
व्यापारोऽभिधादिशब्दप्रतिपाद्यो नानाप्रकार इति तत्परीक्षार्थ शब्दव्यापारविचारात्मकं
प्रकरणमिदमारभ्यते’

इस प्रकार ममट ने मुकुलभट्ट का नाम न लेते हुए भी इनका सङ्केत कर दिया है क्योंकि इनसे पूर्व मुकुलभट्ट ने ही सशक्त रूप से अभिधा की नानाप्रकारता को सिद्ध किया है।

मुख्य रूप से तो ममट ने मुकुलभट्ट का खण्डन ही किया है किन्तु इस प्रक्रिया में ये मुकुलभट्ट के कई सिद्धान्तों को अपनाते भी गये हैं, कहीं शब्दतः तो कहीं तात्पर्यखण्डण। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि जहाँ ममट एवं मुकुलभट्ट के विचारों में कहीं वैषम्य है तो कहीं-कहीं दोनों में साम्य भी पाया जाता है। कहीं-कहीं तो दोनों ही ग्रन्थों में एक-सी पर्कियाँ भी मिलती हैं।

आचार्य मुकुलभट्ट तथा ममट दोनों ने ही निश्चयात्मक ज्ञान पर बल देते हुए ग्रन्थ का प्रारम्भ किया है। पदार्थों के निश्चय से ही संसार का व्यवहार सम्पन्न होता है^१ निश्चय का विषय अर्थ होता है जिसमें शब्द का भी

^१ (क) इह खलु भोगापवर्गसाधनभूतानां तद्विपर्ययपरिवर्जनप्रयोजनानां च पदार्थानां निश्चयमन्तरेण व्यवहारोपारोहिता नोपपद्यते। (आ० वृ० मा०, पृ० ७)।

(ख) इह हेयोपादेयानां हानोपादाने प्रमाणादेव। तच्च निश्चयात्मतया प्रामाण्यं भजते। - (श० व्या० वि०, पृ० ७)।

सहभाव रहता है^१ शब्द द्वारा अर्थप्रतीति के लिए उसमें किसी न किसी व्यापार की कल्पना आवश्यक है। मुकुलभट्ट ने शब्द का एक ही व्यापार माना है किन्तु मम्मट ने तीन व्यापार माने हैं अभिधा, लक्षणा एवं व्यञ्जना। इनमें अभिधा वाचक में तथा लक्षणा वाच्य में रहने वाला व्यापार है।^२ इन दोनों से भिन्न एक अन्य व्यापार भी शब्द में पाया जाता है जिसे ध्वनन, अवगमन, प्रकाशन, घोतनादि शब्दों से कहा जाता है।^३

मुकुलभट्ट की अभिधा मुख्य एवं लाक्षणिक दो प्रकार की है। इनमें मुख्य अभिधाव्यापार के जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा ये चार भेद होते हैं। शब्दों की प्रवृत्ति उपाधिमूलक होने से ही इनमें यह भेद होता है। आचार्य मम्मट ने भी शब्दों की उपाधियों में ही सङ्केत माना है जो कि जाति, गुण इत्यादि चार प्रकार की ही हैं। इस प्रसङ्ग में दोनों ही ग्रन्थों में प्रमाण के रूप में महाभाष्य को उद्धृत किया गया है।^४

उपाधिचतुष्टय का वर्णन करने के अनन्तर मुकुलभट्ट एवं मम्मट दोनों ने ही जातिवादियों के मत को पूर्व पक्ष के रूप में रखते हुए समान तर्कों से यह मत प्रस्तुत किया है कि गुण, क्रिया तथा यदृच्छा शब्दों में अनुभूत होने वाली भिन्नता के आधार पर उनमें भी जाति मानते हुए गुण, क्रिया एवं यदृच्छा शब्दों को जाति नहीं कहना चाहिए।^५ गुण आदि में भिन्नता का कारण आश्रय-भेद ही है। अर्थात् गुण, क्रिया, यदृच्छा शब्दों में जाति मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विभिन्न प्रकार की शुक्लवस्तुओं में अनुभूत होने वाली भिन्न-भिन्न शुक्लता वस्तुतः भिन्न नहीं है। यह भेद तो शुक्ल गुण के आधार की भिन्नता के कारण है। व्यक्तियों की अनेकता का जहाँ प्रसङ्ग आएगा वहाँ जाति होगी।

मुकुलभट्ट ने जिस प्रकार 'लक्षणा षट्प्रकारैषा' कहते हुए छः प्रकार की लक्षणा का समर्थन किया है उसी प्रकार मम्मट ने भी 'लक्षणा तेन षड्विधा' कहते हुए छः प्रकार की लक्षणाएँ मानी हैं। यद्यपि इन भेदों के विषय में, तथा इसके कतिपय उदाहरणों में दोनों में मतभेद रहा है, किन्तु 'गङ्गायां घोषः' 'आयुर्धृतम्' 'गौर्वाहीकः' आदि लक्षणा के उदाहरण दोनों ग्रन्थों में समान रूप से ही मिलते हैं।

^१ (क) निश्चयश्च शब्दसंभेदेनार्थं गोचरीकरोति। (अ० वृ० मा०, पृ० १)।

(ख) निश्चयश्च शब्दसाहित्येनार्थं विषयीकरोति। (श० व्या० वि०, पृ० १)।

^२ एवं वाच्यवाचकार्थनिष्ठौ व्यापारावभिधालक्षणे। (श० व्या० वि०, पृ० ७)।

^३ - - स च ध्वननावगमनप्रकाशनद्योतनादिशब्दव्यवहार्यः। (श० व्या० वि०, पृ० १८)।

^४ (क) चतुष्टयी हि शब्दानां प्रवृत्तिर्भगवता महाभाष्यकारेणोपवर्णिता। (अ० वृ० मा०, पृ० ४-५)।

(ख) गौः शुक्लश्चलो डित्य इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिर्भाष्ये कथिता। (श० व्या० वि०, पृ० ४)।

^५ (क) - - गुणक्रियायदृच्छानामिति नैतासां भिन्नेष्वभिन्नाभिधानप्रत्ययहेतुः जातिर्घट्ट इति चत्वार्येव

शब्दप्रवृत्तिनिमित्तानि। (श० व्या० वि०, पृ० ५)।

(ख) अत्राभिधीयते-गुणक्रियाशब्दसंज्ञिव्यक्तीनामेव तत्तदुपाधिनिबन्धनभेदजुषामेकाकारतावगतिनिबन्धनत्वम्। (अ० वृ० मा० पृ० १०)।

कुमारिलभट्ट की कारिका उद्धृत करते हुए मुकुलभट्ट ने तीन प्रकार की लक्षणाओं की चर्चा की है- निरुडा, वृद्धव्यवहार के आधार पर होने वाली लक्षणा तथा ऐसी लक्षणाएँ जो अर्थज्ञान की शक्ति से रहित होने के कारण त्याज्य होती है। इसी के समान मम्ट ने भी निरुडा, कार्या तथा उसके विपरीत अर्थात् अकार्या लक्षणाओं की विवेचना की है।

अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, दोनों का समुच्चय तथा अखण्डार्थवाद की विवेचना करते हुए मुकुलभट्ट ने इन चारों वादों में लक्षणा की स्थिति पर विचार किया है। इसके अनुसार अभिहितान्वयवाद में लक्षणा अभिधा के पश्चात् होती है, अन्विताभिधानवाद में अभिधा के पूर्व तथा दोनों के समुच्चय में अर्थात् जहाँ पद की अपेक्षा से अभिहितान्वयवाद होता है तथा वाक्य की अपेक्षा से अन्विताभिधानवाद वहाँ लक्षणा अभिधा के पश्चात् एवं पूर्व दोनों ही होती है। अखण्डार्थवाद में जहाँ वाक्य तथा वाक्यार्थ दोनों ही अखण्ड होते हैं वहाँ न तो अभिहितान्वयवाद होता है और न ही अन्विताभिधानवाद। वहाँ भिन्न-भिन्न पदार्थों का अस्तित्व न होने से उनकी अभिधेयता सिद्ध नहीं होती फलतः उस पर आश्रित लक्षणा भी नहीं होती। मम्ट ने भी उपर्युक्त चारों वादों के अन्तर्गत लक्षणा की वही स्थिति मानी है जो मुकुलभट्ट ने। यहाँ दोनों में भाषागत समानता भी है।^१

लक्षणा के मुख्यार्थबाधादि त्रिविध कारणों में लक्ष्यार्थ के मुख्यार्थ से सम्बन्ध रूप हेतु के विषय में मम्ट ने सादृश्य एवं सादृश्येतर कार्य-कारण आदि सम्बन्धों पर विचार किया है, किन्तु 'शब्दव्यापारविचार' में इसके लिए मुकुलभट्ट के समान भर्तृमित्र की कारिका भी उद्धृत की है।^२

सम्बन्धों पर विचार अपेक्षित प्रसङ्ग में करने के पश्चात् भी मम्ट ने पुनः जो इस प्रसङ्ग को उठाया है इसका उद्देश्य कदाचित् मुकुलभट्ट की मान्यता को स्वीकृति प्रदान करना ही है। क्योंकि कुछ परिवर्तनों को छोड़कर यह प्रसङ्ग 'अभिधावृत्तिमातृका' के अनुरूप ही है। पाँचों सम्बन्धों में अभिधेय से सम्बन्ध में मुकुलभट्ट ने उदाहरण दिया है 'गङ्गायां घोषः' मम्ट ने उसके स्थान पर 'द्विरेफ' उदाहरण प्रस्तुत किया है।

समवाय सम्बन्ध का अर्थ मुकुलभट्ट ने साहचर्य सम्बन्ध माना है और उसका उदाहरण दिया है 'छत्रिणो यान्ति'। 'शब्दव्यापारविचार' में इस सम्बन्ध को 'सादृश्य' एवं 'सम्बन्ध' से भिन्न बताया गया है। उसी के साथ सामीप्य तथा साहचर्य सम्बन्ध के उदाहरण दिये हैं- 'गङ्गायां घोषः' तथा 'छत्रिणो यान्ति' इससे प्रतीत होता है कि समवाय के

^१ (क) - - पदापेक्ष्याभिहितान्वयः वाक्यापेक्षया तु अन्विताभिधानम्। (अ० वृ० मा०, पृ० ४४)।

(ख) पदापेक्ष्याभिहितान्वयः वाक्यापेक्षया त्वन्विताभिधानमिति- - । (श० व्या० वि०, पृ० २६)।

^२ यश्चसम्बन्धो लक्षणाया निमित्तं तं पञ्चविधमाहुः।

यथोक्तम् - अभिधेयेन सम्बन्धात् सादृश्यात् समवायतः

वैपरीत्यात् क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चविधमाता। (श० व्या० वि०, पृ० ३०)।

अन्तर्गत सामीप्य एवं साहचर्य सम्बन्ध आते हैं। वैपरीत्य लक्षणा के जो उदाहरण इन आचार्यों ने दिये हैं उनका भाव एक ही है तथा क्रियायोग लक्षणा का समान उदाहरण ही दिया है—‘महति समरे शत्रुघ्नस्त्वम्’।

मुकुलभट्ट एवं आचार्य ममट के विचारों में विषमता भी है। इसका मुख्य कारण व्यञ्जनाव्यापार ही है। मुकुलभट्ट ने व्यञ्जना को नहीं माना है। जिस अर्थ को ध्वनिवादियों ने व्यङ्गव्यार्थ कहा है तथा जिसकी प्रतीति में व्यञ्जना नामक एक पृथक् वृत्ति की स्थापना की उस अर्थ की प्रतीति भी इन्होंने लाक्षणिक अर्थ की अभिधा से ही मानी है। ये ध्वनि का अन्तर्भाव लक्षणा में ही मानते हैं। लक्षणा एवं उसके भेदों का निरूपण तो इन्होंने किया है किन्तु उसे भी अभिधा का ही एक अङ्ग मानते हुए। ममट व्यञ्जनावादी आचार्य थे फलतः जिन्होंने व्यञ्जना नहीं मानी उसका इन्होंने विरोध किया तथा विभिन्न तर्कों से व्यञ्जना की अपरिहार्यता को सिद्ध किया।

वक्ता आदि की सापेक्षता से होने वाली लक्षणा के मुकुलभट्ट ने तीन उदाहरण दिये हैं जिनमें ममट के अनुसार लक्षणा हो ही नहीं सकती। मुकुलभट्ट प्रदत्त तीनों उदाहरणों में ममट ने वस्तु, अलङ्कार एवं रस की व्यङ्ग्यता सिद्ध की है। मुकुलभट्ट ने ध्वनि को लक्षणा में ही अन्तर्भूत माना है जबकि ममट ने लक्षणा से व्यञ्जना का पर्याक्य सिद्ध करते हुए प्रयोजनवती लक्षणा में भी उसकी आवश्यकता दर्शायी है। ‘ब्राह्मण पुत्रस्ते जातः,’ ‘कन्या ते गर्भिणी’ इत्यादि वाक्यों से जिस हर्ष एवं शोक की प्रतीति होती है उसे मुकुलभट्ट ने आक्षेप-लभ्य माना है। यह आक्षेप इनके अनुसार लक्षणा ही है। व्यञ्जनावादियों को इस अर्थ की प्रतीति व्यञ्जना से ही होगी।

इस प्रकार दोनों आचार्यों में मतवैभिन्न्य का मुख्य कारण व्यञ्जना की सत्ता ही है, किन्तु अन्य विषयों में भी इनमें विरोध रहा है।

मुकुलभट्ट ने उपादान लक्षणा के दो उदाहरण दिये हैं ‘भौरनुबन्ध्यः’ तथा ‘पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते’। इनमें प्रथम उदाहरण में व्यक्तिरूप अर्थ तथा द्वितीय में रात्रिभोजन का आक्षेप होने से उपादान लक्षणा है।

ममट ने इस दोनों ही उदाहरणों का खण्डन किया है। ‘भौरनुबन्ध्यः’ में सूढि अथवा प्रयोजन रूप हेतु न होने से इसे लक्षणा का उदाहरण नहीं मानना चाहिए। जाति से व्यक्ति का जो आक्षेप होता है वह इसलिए क्योंकि जाति एवं व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध है। जाति कहते ही व्यक्ति का तत्काल बोध हो जाता है क्योंकि जाति व्यक्ति के विना नहीं रह सकती। किन्तु मुकुलभट्ट पर यहाँ मीमांसकों का प्रभाव है। जाति को मुख्यार्थ मानते हुए इन्होंने शब्द का पर्यवसान उसी में मान लिया है। इसके लिए मीमांसकों का सिद्धान्त भी प्रमाण रूप से प्रस्तुत किया है - विशेषं नाभिधागच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणोऽ-

‘पीनो देवदत्तो दिवा न भुड़क्ते’ में मुकुलभट्ट ने अनिवार्य रूप से उपादान लक्षणा माना है। अर्थात् वहाँ श्रुतार्थापत्ति माने या अर्थापत्ति लक्षणा होगी ही, किन्तु मम्मट इस स्थित में र्मामांसकों को मान्य अर्थापत्ति प्रमाण ही मानते हैं।

मुकुलभट्ट के अन्य जिस मत का मम्मट ने खण्डन किया है वह है इनका ‘ताटस्थ्य-सिद्धान्त’। मुकुलभट्ट ने शुद्धा तथा उपचारमिश्रा रूप से लक्षणा के दो भेद किये हैं। शुद्धा लक्षणा में लक्ष्य का लक्षक से भेद रहता है^१ और उपचार में एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप रहता है। इसके भी शुद्ध एवं गौण दो भेद होते हैं जिनमें सादृश्य के आधार पर होने वाला गौणोपचार है तथा सादृश्य-भिन्न उपचार शुद्ध है। मम्मट-‘उपचार’ का अर्थ सादृश्य मानते हैं इनके अनुसार शुद्धा लक्षणा में उपचार का मिश्रण नहीं रहता है। इसमें भेद रूप ताटस्थ्य भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर ‘गङ्गा तटे घोषः’ इस प्रयोग से ‘गङ्गायां घोषः’ इस लाक्षणिक प्रयोग का वैशिष्ट्य ही समाप्त हो जाएगा।^२

मुकुलभट्ट एवं मम्मट दोनों ने ही गौणी सारोपा लक्षणा का उदाहरण दिया है ‘गौर्वाहीकः’। इसमें मुकुलभट्ट ने गोगत जाङ्ग्यमान्यादि गुणों के सदृश वाहीकगत गुणों के सम्बन्ध के आधार पर वाहीक में लक्षणा मानी है, किन्तु मम्मट का मत इनसे भिन्न है। इस सन्दर्भ में इन्होंने तीन मत प्रस्तुत किये हैं जिनमें प्रथम के अनुसार गो शब्द की लक्षणा परार्थ में रहने वाले गुणों में रहती है। द्वितीय के अनुसार परार्थगत अर्थात् वाहीकगत गुण ही लक्ष्य होते हैं तथा तृतीय मत के अनुसार गो एवं वाहीक दोनों में रहने वाले साधारणगुणों के आश्रयभूत वाहीक में लक्षणा होती है। इनमें कौन-सा मत मम्मट को अभिप्रेत था इसका सङ्केत इन्होंने काव्यप्रकाश में तो नहीं किन्तु ‘शब्दव्यापारविचार’ में अवश्य किया है। इनके अनुसार जिन्होंने वाहीकगत गुणों को गोगत जाङ्ग्यमान्यादि के सदृश कहा है उन्होंने दोनों गुणों में भिन्नता मान ली है। गुणों में भिन्नता मानने पर उनमें जाति माननी पड़ेगी जिससे शब्दों की चतुष्टीप्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मम्मट तृतीय मत के ही पक्षधर थे।

उपर्युक्त विषमताओं के अतिरिक्त दोनों में परमाणुत्वादि को गुण अथवा जाति मानने के विषय में भी मतभेद मिलता है। परमाणु या परिमाडल्य परिमाण न्याय- वैशेषिक के रूप, रस आदि २४ गुणों में से एक है। मुकुलभट्ट ने इन परमाणुओं को चतुर्विध उपाधियों में गुण के अन्तर्गत ही माना है किन्तु मम्मट के अनुसार

^१ - - सा लक्षकार्थानुपरक्तत्वात् तटस्थतया प्रतीयमाने लक्ष्येऽर्थं द्रष्टव्या। न हि तत्र लक्षकार्थोपरक्ततया लक्ष्यस्यार्थस्यावगतिः। (अ० वृ० मा० पृ० २०)।

^२ उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचारेणामिश्रितत्वात्। अनयोभेदयोर्लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं तटस्थत्वम् - -। (श० व्या० वि०, पृ० ६)।

परमाणुत्वादि को गुण कहना मात्र पारिभाषिक ही है। जबकि मुकुलभट्ट के विचार में जाति के समान नित्य होते हुए भी इन्हें जाति नहीं कहा जा सकता।⁹

⁹ (क) येऽपि च नित्या परमाणुत्वादयो गुणास्तेषामपि सर्वेषां गुणजातीयत्वादेवं प्रकारत्वमेव। (अ० वृ० मा० पृ० ५ - ६)
(ख) परमाणुत्वादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वम्। (श० व्या० वि०, पृ० ४)।

परिशिष्ट 'क'

‘अभिधावृत्तिमातृका’ तथा ‘शब्दव्यापारविचार’ का प्रकाशन सर्वप्रथम निर्णय सागर प्रेस, बम्बई से हुआ। वहाँ से प्रकाशित पुस्तकें अनुपलब्ध हैं। डॉ वी० राघवन कृत ‘New Catalogus catalogorum’ में ‘अभिधावृत्तिमातृका’ की विविध पाण्डुलिपियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार दिया गया है -

अभिधावृत्तिमातृका : alank. On the significatory capacities of words; by Mukula Bhatta.

Alph. List Beng. Govt. p.7. BORI. 63 of 1873-74. 224 of 1875-76. D. pp. 57. 85. DAVCL. 2940. H. 168. Jesalmere p. 37. Kh. 86. L. 2438. Luck. Uni. P. 44. Oxf. II. 1157(2) (fr.), 1164. R.A. Sastri I. 54. RASB. VI. 4802. Report XV. Stein 58.

Edn. N.S. Press.

Alph. List Beng. Govt. : An alphabetical list of manuscripts purchased upto 1891.

Printed at the end Notices of Sanskrit manuscripts by Haraprasada Shastri, Vol. XI. Calcutta, 1895. Manuscripts in this list are described in the volumes of the Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Royal Asiatic Society of Bengal, by Haraprasad Shastri.

BORI. : Manuscripts in the Bahandarkar Oriental Research Institute, Deccan Gymkhana, Poona 4. Quoted by manuscript numbers of the library. A copy of the complete card index of the BORI. manuscripts, prepared in 1940.

D. : A Catalogue of the Collections of Manuscripts deposited in the Deccan College. By Shridhar R. Bahandarkar. Bombay, 1888.

DAVCL. : A hand-list of the manuscripts (under 'A') in the Lalchand Research Library, D.A.V. College, Lahore. 349 manuscripts.

H. : Über eine Sammlung indischer Handschriften und Inschriften von E. Hultzsch. Printed in ZDMG. Vol. 40, 1. This collection of manuscripts has been purchased by the Bodleian Library, Oxford.

Jesalmere : A Catalogue of Manuscripts in the Jain Bhandars at Jesalmere. Gaekwad Oriental Series XXI.

Kh. : Report on the search for Sanskrit manuscripts in Bombay the Presidency during the year 1880-81. By F. Kielhorn. Bombay, 1881.

L. : Notices of Sanskrit manuscripts. By Rajendralala Mitra Calcutta, 1871-90 11 volumes. Volumes X and XI are by Haraprasada Shastri.

Luck. Uni. : There are about 200 manuscripts in the Lucknow University R.A. Sastri sent names of a few select ones from this collection. Now included in the printed Catalogue, 'Catalogue of Oriental Manuscripts in the Lucknow University Library', by Kali Prasad, Lucknow, 1951. See pp. 32-75 here, for the Sanskrit manuscripts.

Oxf. II. : Catalogue of sanskrit manuscripts in the Bodleian Library. Vol. II, Begun by M. Winternitz and completed by A.B. Keith. Oxford, 1905.

R.A. Sastri : Four parts of the Diary of Pandit R.A. Shastri's tour in search of Sanskrit manuscripts handed over to the Catalogus Catalogorum work. Quoted by pages.

RASB. : A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Goverment collection under the care of the Royal Asiatic Society of Bengal. By Haraprasada Shastri.

Vol. VI. Vyakarana 1931.

Report : Detailed report of a tour in search of Sanskrit manuscripts made in Kashmir, Rajaputana and Central India. By G. Buhler. Bombay, 1877.

Stein. : Catalogue of the Sanskrit manuscripts in the Raghunatha Temple Library of His Highness the Maharaja of Jammu & Kashmir. Prepared by M.A. Stein. Bombay 1894.

परिशिष्ट 'ख'

निर्णयसागर प्रेस के प्रकाशन के अनन्तर अभिधावृत्तिमातृका तथा शब्दव्यापारविचार दोनों ही पुस्तकें हिन्दी अनुवाद सहित हुई हैं। डॉ० रेवा प्रसाद द्विवेदी ने इनका पृथक्-पृथक् अनुवाद किया है तथा डॉ० ब्रह्मित्र अवस्थी के 'वृत्तिसमुच्चय' नामक ग्रन्थ में दोनों पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद सहित एक साथ प्रकाशन हुआ है।

उपर्युक्त दोनों प्रकाशनों में मुकुलभट्ट के ग्रन्थ का नाम 'अभिधावृत्तिमातृका' दिया गया है जबकि निर्णय सागर वाले में 'अभिधावृत्तिमातृका' ही मिलता है। वस्तुतः इस ग्रन्थ के नाम में वृत्त के स्थान पर वृत्ति मानना ही युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है। मुकुलभट्ट ने अन्तिम कारिका में लिखा भी है- सूरिप्रबोधनायेयमभिधावृत्तिमातृका।

इन्होंने अभिधावृत्ति शब्द का प्रयोग एक बार ही किया है, वृत्त शब्द अनेक बार आया है। अभिधावृत्ति के दस वृत्त अर्थात् मण्डल का विवेचन इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य है। निश्चयात्मक ज्ञान समस्त व्यवहार के मूल में रहता है। निश्चयात्मक ज्ञान शब्द एवं अर्थ के विना नहीं हो सकता और शब्द विना व्यापार के अर्थबोध नहीं करा सकता। अभिधावृत्ति शब्द का ही व्यापार है जिसके मुख्य और लाक्षणिक रूप से प्रथमतः दो भेद होते हैं तथा इनके अवान्तर भेदों की संख्या दस होती है।

मुकुलभट्ट से पूर्व आचार्य आनन्दवर्धन ने शब्द के तीन व्यापार माने हैं- वाचकत्व, गुणवृत्ति तथा व्यञ्जकत्व। इनमें प्रथम दो के लिए इन्होंने वृत्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें मुख्यवृत्ति तथा गुणवृत्ति कहा है। स्पष्ट है यहाँ वृत्ति व्यापार अर्थ में है। सम्भवतः इसी से प्रेरित हो मुकुलभट्ट ने शब्दव्यापार के लिए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है^१

अभिधावृत्तिमातृका का समास-विग्रह करने पर इसका अर्थ होगा अभिधावृत्ति है माता जिसकी। इसका विग्रह इस प्रकार होगा- अभिधावृत्तिः एव माता यस्याः सा देवमातृकाः देशाः (देवः पर्जन्यः माता येषां देवमातृका वृष्टम्बुजीविनो देशाः)^२ के समान यह भी अन्य पद का विशेषण है। विचार करने पर यह साहित्य-विद्या का विशेषण प्रतीत होता है। मुकुलभट्ट के अनुसार साहित्य से तात्पर्य काव्यशास्त्र है। इनका मानना है कि अभिधावृत्ति का दश-वृत्त पद, वाक्य एवं प्रमाण में तो प्रतिबिन्दित है ही साथ ही इसका उपयोग जो सम्पूर्ण व्यवहार के दर्पणभूत साहित्य में

¹ पदार्थानां निश्चयमन्तरेण व्यवहारोपारोहिता नोपपद्यते। - - - निश्चयश्च शब्दसंभेदेनार्थं गोचरीकरोति। शब्दस्य च मुख्येन लाक्षणिकेन वाभिधाव्यापारेणार्थावगतिहेतुत्वमिति मुख्यलाक्षणिकयोरभिधाव्यापारयोरत्र विवेकः क्रियते। अ० वृ० मा०, पृ० ९।

² वाचकत्वगुणवृत्तिव्यतिरिक्तो व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दव्यापारोऽस्तीत्यस्माभिरभ्युपगतम्। ध०, तृ० उ०, पृ० ३६९।

^१ किरातार्जुनीयम् १/१७। टीका।

करता है उसकी वाणी प्रसन्न होती है अर्थात् वह वार्गीश्वर हो जाता है^१ वाणी के अनेक अर्थों में यदि सरस्वती अर्थ लें तो उसका अर्थ होगा सरस्वती प्रसन्न होती है और यदि भाषा अर्थ लें तो वाणी की प्रसन्नता का अभिप्राय होगा उसका पुष्ट होना।

इस प्रकार मुकुलभट्ट ने साहित्यविद्या के लिए अभिधा की उपयोगिता को सिद्ध कर दिया है। स्पष्ट है कि यह अभिधावृत्ति साहित्यविद्या के लिए माता के समान है। माता के भी अनेक अर्थों में यहाँ जननी तथा भूमि ये दो अर्थ लिये जा सकते हैं^२ वाणी के पुष्टिकरण के अभिप्राय से माता का अर्थ जननी हुआ क्योंकि जननी का कार्य पोषण करना भी होता है। इसके अतिरिक्त भूमि जिस प्रकार प्राणियों के लिए आधारस्वरूप होती है उसी प्रकार अभिधावृत्ति भी सम्पूर्ण साहित्यविद्या के लिए आधारभूमि है।

इस दृष्टि से इस ग्रन्थ का नाम अभिधावृत्तिमातृका सर्वथा सार्थक ही है। मुकुलभट्ट के पूर्व आचार्य शालिकनाथमिश्र, जो कि प्रभाकरमिश्र के शिष्य थे, के ग्रन्थ का नाम भी 'वाक्यार्थमातृका' मिलता है।

^१ पदवाक्यप्रमाणेषु तदेतत् प्रतिबिम्बितम्

यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति। (अ० वृ० मा०, पृ० ७२)।

^२ ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाच्चाणी सरस्वती। (अ० को०, पृ० ६२)।

^३ माता गौर्दुर्गा जननी मही मातरश्च ब्रह्माण्याद्याः। इति हैमः २/१८१।

परिशिष्ट 'ग'

निर्णयसागर प्रेस से प्रकाशित 'अभिधावृत्तिमातृका' तथा डॉ रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत अनुवाद सहित प्रकाशित ग्रन्थों में पाठ-भेद भी मिलता है। दोनों संस्करणों में मिलने वाले पाठ-भेदों की सूची इस प्रकार है-

१ (क) निर्णयसागर प्रेस -

क्रियाविशेषास्त्रसमवेतं सामान्यमेव वाच्यम्।

(ख) डॉ रेवाप्रसादद्विवेदी द्वारा सम्पादित -

क्रियाविशेषाः तत्समवेतं तासां सामान्यमेव वाच्यम्। (पृ० ८)

२ (क) यत्र वस्त्वन्तरे उपचर्यते।

(ख) यत्र वस्त्वन्तरं वस्त्वन्तरे उपचर्यते। (पृ० ९९)

३ (क) अत्रापि च वितर्कनिव धारयतोऽपि पयोधेः वितर्कधारणोपनिबन्धात्- - -।

(ख) अत्रापि च वितर्कनिवधारयतोऽपि पयोधेः वितर्कधारणोपनिबन्धात्- - -। (पृ० ३४)

४ (क) अच्छ्रत्यस्याभाव इत्यप्रत्ययः- - -।

(ख) अण्प्रत्ययस्याभाव इति अच् प्रत्ययः- - -। (पृ० ३८)

५ (क) तथा त्रिकभेदाश्च- - -।

(ख) तथा तत्रिकभेदाश्च- - -। (पृ० ४०)

६ (क) विभक्तन्यभागे निवेश्य- - -।

(ख) विभक्तव्यभागे निवेश्या- - -। (पृ० ४८)

७ (क) वाच्यस्य विवक्षितत्वाविवक्षितत्वेन तस्यात्यन्तं तिरस्कारः।

(ख) वाच्यस्य विवक्षितत्वाविवक्षितत्वेन तस्य नात्यन्तं तिरस्कारः। (पृ० ५६)

८ (क) तथाहि तत्र विवक्षितान्यपरता सहृदयैः काव्यवर्त्मनि निरूपिता लक्षणे तु वाच्यस्यविवक्षितता अर्थात्तरसंक्रमितत्वात्।

(ख) तथाहि तत्र विवक्षितान्यपरता सहृदयैः काव्यवर्त्मनि निरूपिता वाच्यस्यार्थात्तरसंक्रमितत्वात्। (पृ० ६०)

९ (क) लक्षणात्मिकयोस्तु तयोर्वाच्यस्य विवक्षा नत्यत्यन्तं तिरस्कारः- - -।

(ख) लक्षणात्मिकयोस्तु तयोर्वाच्यस्याविवक्षितं नत्यत्यन्तं तिरस्कारः- - -। (पृ० ६३)

१० (क) इदानीं सकलशब्दविषयविभागात्मकस्य- - - - ।

(ख) सकलशब्दाविभागात्मकस्य- - - । (पृ० ६६)

११ (क) भट्टमुकुलविरचिता अभिधावृत्तमातृका- - - ।

(ख) भट्टमुकुलविरचिता अभिधावृत्तमातृका- - - - । (पृ० ७३)

सहायक ग्रन्थ-सूची

- अभिधावृत्तिमातृका - मुकुलभट्ट, हिन्दीभाष्य सहित, डॉ० रेवाप्रसादद्विवेदी, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६७३।
- अमरकोष - रामाश्रमी टीका सहित, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, १६६७।
- अलङ्कारमहोदधि - नरेन्द्रप्रभसूरि, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, १६४२।
- अलङ्कारसर्वस्वम् - रुद्धक, 'सञ्जीवनी' व्याख्या सहित, मेहरचन्द्र लक्षणदास, दिल्ली, १६६५।
- आचार्य मम्ट - प्रौ० धुडिराजगोपालसप्रे, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, १६७१।
- आनन्दवर्धन - डॉ० रेवाप्रसादद्विवेदी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, १६७२।
- ऐतेरेय ब्राह्मण (भाग १) - अनुवादक डॉ० सुधाकरमालवीय, तारा बुक एजेन्सी, वाराणसी, १६६६।
- कवि और काव्यशास्त्र - डॉ० सुरेशचन्दपाण्डे, राका प्रकाशन, इलाहाबाद, १६८१।
- काव्यानुशासनग् - हेमचन्द्र, मेहरचन्द्र, लक्षणदास पब्लिकेशन्स, दिल्ली, १६८६।
- काव्यालङ्कार - भामह, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, १६८५।
- काव्यालङ्कारसूत्राणि - वामन, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, १६६५।
- काव्यालङ्कारसारसंग्रह - उद्धट, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा, १६३१।
- काव्यालङ्कारसारसंग्रह एवं लघुवृत्ति की व्याख्या - व्याख्याकार डॉ० राममूर्तित्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १६६६।
- काव्यलक्षणम् - दण्डीकृत काव्यादर्श पर आधारित - रल्श्रिया टीका सहित, मिथिलाविद्यापीठ, दरभंगा, १६५७।
- काव्यादर्श - दण्डी, व्याख्याकार - आचार्यश्रीरामचन्द्रमिश्र, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६६६।
- काव्यतत्त्वसमीक्षा- नरेन्द्रनाथशर्माचौधरी, मोतीलाल बनारसीदास, बैंसो रोड जवाहर नगर, दिल्ली, १६५६।
- काव्यप्रकाश- मम्ट, डॉ० श्रीनिवासशास्त्री, साहित्यभण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, १६८५। (उद्धरण इसी से दिये गये हैं)
- काव्यप्रकाश- मम्ट - बालबोधिनी टीका झलकीकरवामनभट्ट विरचित, भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १६८३।
- काव्यप्रकाश (१६ टीकाओं सहित) - मम्ट - डॉ० ज्योत्स्ना भोहन, नाग प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम खण्ड - १६६५, द्वितीय खण्ड - १६६७।
- काव्यप्रकाश - मम्ट- आचार्यविश्वेश्वरकृत हिन्दी टीका, ज्ञान-मण्डल लिमिटेड, वाराणसी, १६६०।
- किरातार्जुनीयम्- भारवि, मत्स्तनाथ की टीका सहित, (प्रथम अध्याय) अक्षयवट प्रकाशन, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद, १६८३।
- जैमिनिसूत्रवृत्ति- सुबोधिनीनामिका, मुद्रण- मेडिकल हाल, वाराणसी, १६५६।
- तत्त्वसंग्रह- आचार्यश्रीशान्तरक्षित, (प्रथम भाग), बौद्ध भारती, वाराणसी, १६८१।
- तर्कभाषा - केशवमिश्र, १. साहित्यभण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, १६८७ (उद्धरण इसी से दिये गये हैं)।
2. आचार्यविश्वेश्वरकृत हिन्दी व्याख्या, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १६६३।
- दशरूपक - धनञ्जय (धनिककृत अवलोक टीका सहित) १. साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ, १६८६-८७।
2. 'चन्द्रकला' हिन्दी व्याख्या सहित, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी १६६०।
- धन्यालोक - आनन्दवर्धन
१. लोचन सहित (भाग १ - ३) - मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली। प्रथम भाग-१६८६, द्वितीय भाग- १६८८,
तृतीय भाग-१६८९। उद्धरण इसी से दिये गये हैं।

२. आचार्यविश्वेश्वर की हिन्दी व्याख्या- ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, २०४२ वि० संवत् ।
३. दीपशिखा टीका सहित, आचार्यचण्डिकाप्रसादशुक्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, १६८३ ।
- ध्वनि सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त (भाग-१) - डॉ० भोलाशङ्करब्यास, नागरीप्रचारणी सभा, काशी, २०९३ वि० संवत् ।
- ध्वनिप्रस्थान में आचार्य मम्मट का योगदान- डॉ० जगदीशचन्द्रशास्त्री, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, १६७७ ।
- ध्वनिसिद्धान्त तथा तुलनीय साहित्य चिन्तन- डॉ० बचूलालअवस्थी 'ज्ञान', मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, १६७२ ।
- ध्वनिसिद्धान्त :** विरोधी सम्प्रदाय, उनकी मान्यताएँ - डॉ० सुरेशचन्द्रपाण्डे, वसुमती प्रकाशन, इलाहाबाद, १६७२ ।
- न्यायभाष्य- वात्स्यायनमुनि, सुधी प्रकाशन, वाराणसी, १६८६ ।
- न्यायमञ्चरी - जयन्तभट्ट, चौखम्बा संस्कृत सीरिज ऑफिस, वाराणसी, १६३६ ।
- न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- श्री विश्वनाथचन्द्रनन्दड्याचार्य, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, १६६१ ।
- निरुक्त - यास्क, पाँच अध्याय सहित (१-४, ७), १. अनुवाद-पण्डित श्रीशिवनारायणशास्त्री, इण्डोलाईजिकल बुक हाउस, वाराणसी, १६७२ । (उच्चरण इसी से दिये गये हैं) ।
२. मेहरचन्द लक्ष्मणदास पब्लिकेशन्स, १६८७ ।
- परमलघुमञ्च- नागेशभट्ट, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, १६८५ ।
- प्रकरणपञ्चिका - शालिकनाथमिश्र, चौखम्बा संस्कृत बुक डिपो, बनारस, १६०३ ।
- प्रतापरुद्रीय - विद्यानाथ, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, १६८१ ।
- प्राचीन भारत- डॉ० राजबलीपाण्डेय, नन्दकिशोर एण्ड सन्स, वाराणसी, १६७६-७७ ।
- भारतीयदर्शन - डॉ० राधाकृष्णन् (भाग १ - २), राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, १६८६ ।
- भारतीय दर्शन का सर्वेक्षण - श्रीसंगमलालपाण्डेय, सेन्ट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद, १६७६ ।
- भारतीय साहित्य-शास्त्र- गोपेश्वरम्बकदेशपाण्डे, नागपुर ।
- भारतीय साहित्यशास्त्र-कोष- डॉ० राजवंशसहाय 'हीरा', विहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, १६७२ ।
- महाभाष्य - प्रदीपोद्योत टीका सहित भाग १ - ४ चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, भाग १ - १६६२, भाग २ - १६६१, भाग ३ - १६६१, भाग ४ - १६६१ ।
- मीमांसा-दर्शन - जैमिनि, पाँच टीकाओं सहित (भाग १ - ३), तारा प्रिंटिंग वर्क्स, वाराणसी, १६८४ ।
- मीमांसा-दर्शनम् - शाबरभाष्य, तन्त्रवार्तिक तथा टुप्टीका सहित (भाग १-७), आनन्दश्रम संस्था, पुणे, भाग १ - १६७६, भाग २ - १६८१, भाग ३ - १६८०, भाग ४ - १६८४, भाग ५ - १६८४, भाग ६ - १६८४, भाग ७ - १६८५ ।
- मीमांसा-दर्शन का विवेचनात्मक इतिहास- डॉ० गजाननशास्त्रीमुसलगाँवकर, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६६२ ।
- रसगङ्गाधर- पण्डितराजजगत्राथ (भाग १ - ३) चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, भाग १ - १६६०, भाग २ - १६८७, भाग ३ - १६८७ ।
- राजतरङ्गिणी - कल्हण, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, १६८५ ।
- व्यक्तिविवेक- महिमभट्ट, चौखम्बा संस्कृत सीरिज ऑफिस वाराणसी, १६६३ ।
- व्यञ्जनाविमर्श - डॉ० रविशङ्करनंगर, वन्दना प्रकाशन, दिल्ली, १६७७ ।
- व्याकरण-तन्त्र का काव्यशास्त्र पर प्रभाव - डॉ० हरिराममिश्र, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली, १६६४ ।
- वाक्यपदीय- अर्तृहरि
१. ब्रह्मकाण्ड - चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६६० ।
 २. वाक्यकाण्ड- सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६८० ।
 ३. पदकाण्ड (जाति-द्रव्य-सम्बन्ध समुद्देशात्मक), सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६६१ ।
 ४. पदकाण्ड (भूयोद्रव्य- गुण- दिक्- साधन - क्रिया- काल- पुरुष- संया - उपग्रह - लिङ्ग समुद्देशात्मक) ।
- वाक्यार्थमातृका - शालिकनाथमिश्र, हिन्दी व्याख्या- डॉ० ब्रह्ममित्र अवस्थी, इन्द्र प्रकाशन, दिल्ली, २०३६ वि० संवत् ।

विधिशास्त्र का साहित्य पर प्रभाव, मालाचन्द्रा, मित्तल पब्लिकेशन्स, दिल्ली ।

वेदान्तसार - सदानन्द, पीयूष प्रकाशक, इलाहाबाद, १६८३ ।

वेदान्तपरिभाषा - धर्मराजाधरन्द्र, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, १६६२ ।

वैदिक कोष - हंसराज एवं भगवद्दत्त, विश्वभारती अनुसन्धान परिषद्, ज्ञानपुर, वाराणसी, १६२६ ।

वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा - नागेशभट्ट, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६७७ ।

वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा - नागेशभट्ट, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी, १६६३ ।

वृत्तिदीपिका - श्री कृष्णभट्ट, चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, वाराणसी ।

वृत्तिसमुच्च्य - १. (प्रथमगुच्छके प्रथमो भाग:) डॉ० ब्रह्मित्रअवस्थी, इन्द्र प्रकाशन, दिल्ली, १६७७ ।
2. (प्रथम गुच्छके द्वितीयो भाग:) डॉ० ब्रह्मित्रअवस्थी, इन्द्र प्रकाशन, दिल्ली १६७८ ।

वृत्तिमीमांसा - डॉ० श्रीकृष्णशर्मा, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, १६६९ ।

श्लोकवार्तिक - कुमारिलभट्ट - (न्यायरत्नाकर व्याख्या सहित), रत्न पब्लिकेशन्स, कमच्छा, वाराणसी, १६६३ ।

शक्तिवाद- श्रीगदाधरभट्टचार्य, चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १६८६ ।

शब्दव्यापारविचार - ममट, हिन्दी व्याख्या- डॉ० रेवाप्रसादद्विवेदी, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६७४ ।

शब्दशक्ति- (आचार्य ममट के काव्यप्रकाश पर आधारित), डॉ० पुरुषोत्तमदासअग्रवाल, रोशनलाल जैन एण्ड सन्स, जयपुर, १६९० ।

शब्दशक्तिप्रकाशिका- जगदीशभट्टचार्य, चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी ।

शब्दार्थमीमांसा - डॉ० गौरीनाथशास्त्री, अनुवादक - श्री मिथिलेश चतुर्वेदी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६६२ ।

शब्दबोधविमर्श - डॉ० बद्रीनाथसिंह, डी० ४३/२० गोदौलिया, वाराणसी ।

साहित्यदर्पण- विश्वनाथ, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६८३ ।

साहित्यमीमांसा- मह्नुक - सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, १६८४ ।

सिद्धान्तकौमुदी- (तत्त्वबोधिनी टीका सहित) चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, १६६७ ।

संस्कृत कवि-दर्शन- डॉ० भोलाशङ्करव्यास, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, १६८३ ।

संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास- डॉ० सुशीलकुमारडे, हिन्दी अनुवाद- श्री मायारामशर्मा, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पट्टन, १६८८ ।

संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास- पी० वी० काणे, हिन्दी अनुवाद डॉ० इन्द्रचन्द्रशास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, १६६४ ।

संस्कृत काव्यशास्त्र पर भारतीय दर्शन का प्रभाव - डॉ० अमरजीतकौर, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, १६७६ ।

संस्कृत काव्यशास्त्र में तात्पर्य एवं व्यञ्जनशक्ति - एक विवेचन- डॉ० दामोदररामत्रिपाठी, प्रकाशक- डॉ० लखनप्रसादजायसवाल, संस्कृत विभाग, डी० ए० वी० डिग्री कालेज, वाराणसी, १६८८ ।

संस्कृत काव्यशास्त्र में लक्षणा का उद्द्वेष तथा विकास - ठाकुरदत्तजोशी, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, १६८६ ।

संस्कृत धनिविज्ञान - डॉ० हरिशङ्करत्रिपाठी, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद १६८८ ।

संस्कृत सुकृति-समीक्षा - आचार्यबलदेवउपाध्याय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६८७ ।

संस्कृत-हिन्दी-कोष - वामनशिवरामआप्टे, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १६८७ ।

संस्कृत-हिन्दी- इंग्लिश कोष - सूर्यकान्त, ओरिएण्ट लॉगमैन लिमिटेड, दिल्ली, १६८५ ।

हिन्दी काव्यमीमांसा - राजशेखर, हिन्दी व्याख्या-डॉ० गङ्गासागरराय, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६८२ ।

हिन्दी काव्यालङ्कार - रुद्रट, व्याख्याकार श्रीरामदेवशुक्ल, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६८८ ।

हिन्दी वक्रोक्तिजीवित - कुन्तक, हिन्दी व्याख्याकार - आचार्यविश्वेश्वर, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, १६५५ ।

हिन्दी सर्वदर्शन संग्रह - माधवाचार्य, हिन्दीभाष्यकार, डॉ० उमाशङ्करशर्मा 'ऋषि', चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १६८४।

Abhinavagupta - An Historical and Philosophical Study, by Dr. K. C. Pandey,
Chowkhmba Sanskrit Series Office, 1963

Bhoja's Sringar Prakasha by V. Raghavan, Sri Krishnapuram street, Madras, 1963.

Philosophy of Word and Meaning by Dr. Gauri Nath Shastri, Calcutta Sanskrit
College research series 5.) 1949.

Number of Rasas by V. Raghvan (Adyar Library).

History of Sanskrit Poetics, by S.K.Dey, 2nd Ed. 1960.

Dhvanvaloka Theory of Suggestion in Poetry - by K. Krishnamoorthy (OBA Poona,
1955).

New Catalogus Catalogorum, An Alphabatical Register of Sanskrit and Allied
Works and Authors, Vol. 1, University of Madras, 1969.

पत्र - पत्रिकाएँ

English

Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute.
Allahabad University Studies, Allahabad,
Journal of Ganganath Jha Institute, Allahabad.
Journal of Andhra Historical Research Society.
Indian Historical Quarterly, Calcutta.
Journal of Indian Philosophy, Boston, U.S.A.
Tattvaloka, Journal of Vedanta, Bangalore.
Ritam (ऋतम्) Journal of Akhil Bhartiya Sanskrit Parishad, Lucknow.

हिन्दी

प्रज्ञा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पत्रिका, वाराणसी।
संगमनी (संस्कृत त्रैमासिकी पत्रिका) संस्कृत साहित्य-परिषद्, दारागंज, प्रयाग।
अजस्मा (संस्कृत त्रैमासिकी) अखिल भारतीय संस्कृत-परिषद्, लखनऊ।